''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन''

"A study of the impact of various intervensions for Universalisation of Elementary Education under Sarva Shiksha Abhiyan"

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से शिक्षा में
डी.लिट्. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

(2008-09)

शोधार्थी

डॉ अश्वनी कुमार गर्ग

एम.एस.सी.(गणित), एम.एड.(आर.आई.ई.)
पी.एच.डी.(शिक्षा) एवं पी.जी.डी.सी. ए.
सहायक प्राध्यापक (गणित)
उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

(उत्तर प्रदेश)

कृतज्ञता–ज्ञापन

प्रस्तुत शोध कार्य ''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन'' मेरा मौलिक अध्ययन है । इस शोध कार्य की पूर्णता के लिये मैं अपने मार्गदर्शक प्रो. रामशकल पाण्डेय, सेवानिवृत विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, इलाहाबाद, प्रो. रमा शंकर शुक्ल एवं प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव, (शिक्षा विभाग), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उत्तर प्रदेश) का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देकर मेरे इस शोध कार्य को पूर्ण कराने में भरपूर सहयोग प्रदान किया ।

मैं श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं डॉ. खेमराज शर्मा सेवा निवृत प्रवाचक (शिक्षा), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अनुकूल वातावरण, सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान कर मेरा कार्य सुगम बनाया ।

मैं प्रो. कृष्ण कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, प्रो. जी. रविन्दा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, प्रो. डी. एस. भट्टाचार्यजी, प्राचार्य उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग एवं संकाय के अपने समस्त साथियों का शैक्षिक परामर्श के लिए आभारी हूँ, जिनसे मुझे परामर्श एवं अनुग्रह प्राप्त हुआ ।

मैं अपने नाना–नानी, सास–ससुर एवं समस्त परिवारजनों का हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया ।

अंत में मैं अपने पूज्य पिता जी, पत्नी डॉ. मृदुला तिवारी, बच्ची अर्पिता शुक्ला का सदैव ऋणी रहूंगा जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूर्ण कराने में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया ।

स्थान : झाँसी

दिनांक : 3.3.09

शोधार्थी

डॉ. अश्वनी कुमार गर्ग

सहायक प्राध्यापक (गणित)

उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

घोषणा–पत्र

मै **डॉ. अश्वनी कुमार गर्ग** घोषणा करता हूँ, कि प्रस्तुत शोध प्रबंध "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन" मेरी निजी कृति है ।

प्रस्तुत शोध अध्ययन मैने अपने विवेक एवं शिक्षा विभाग के विद्वान गुरुजनों के परामर्श से पूर्ण किया है ।

स्थान : झांसी

दिनांक : 3.3.09

शोधार्थी

डॉ. अश्वनी कुमार गर्ग
सहायक प्राध्यापक (गणित)
उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

3.3.09
Forwarded.
3/3/09
Head Of Department
Institute Of Education
B. U. Jhansi

अनुक्रमणिका

अध्याय–प्रथम

शोध–परिचय

1.01.0 प्रस्तावना: देश तथा समाज के लिए कुशल, सुयोग्य, समर्पित और उपयोगी नागरिकों का निमार्ण करने में विद्यालयीन शिक्षा की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण है । मानव व्यक्तित्व के विकास, जीवन में प्रगति को सही दिशा, समग्र राष्ट्रीय विकास तथा समाजिक पुनर्निमाण के लिए विद्यालयीन शिक्षा को निर्विवाद रुप से सम्पूर्ण शिक्षा की आधार शिला के रुप में सर्वाधिक प्रभावी माध्यम माना गया है । मानव इतिहास के आदिकाल से ही शिक्षा का विविध भांति विकास होता रहा है । शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए अनिवार्य है । शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही पथ–प्रदर्शन करती है । यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है । देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य, संवेदनशील एवं उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । आज मनुष्य जो सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर सुशोभित हो रहा है उसका मूल कारण शिक्षा ही है । शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश तथा विश्व का विकास संभव है । शिक्षा के माध्यम से ही हम आत्म निर्भर हो कर स्वयं तथा अन्य को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते है । यह व्यक्ति के चरित्र निमार्ण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में निकल कर सामने आई है ।

शिक्षा विकास का मूल आधार है, शिक्षा के ही माध्यम से संसार की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति संभव हुई है । वर्तमान समय में हम शिक्षा को विज्ञान एवं कला दोनों ही रूप में मानते है । भूमंडलीकरण के इस युग में हो रहे तेजी से विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है । विश्व के चतुर्मुखी विकास, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सामाजिक सौहार्द एवं विश्व–बन्धुत्व की भावना के विकास में शिक्षा के योगदान को विश्व स्तरीय शिक्षा सम्मेलनों में भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है । शिक्षा के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है । शिक्षा वह साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारती, निखारती तथा प्रखर बनाती है । शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से जहाँ हमारे संशयों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है वहीं जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति भी उत्पन्न होती

है। शिक्षा से ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता हैं जो बुद्धि, विवेक तथा निपुणता की अभिवृद्धि करता । इस प्रकार हम कह सकते है कि शिक्षा नैसर्गिक जीवन को पूर्णता प्रदान करती है । शिक्षा के तीनों स्तरों (प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) में प्रारम्भिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधार शिला है और प्राथमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रथम सोपान है । यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब व्यक्तियो कि शिक्षा अथवा जनसाधारण कि शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है ।

सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता के प्रमुख संचालक के रुप में शिक्षा की भूमिका उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब समाज औद्योगीकरण के मार्ग पर अग्रसर होता है । शिक्षा मनुष्य के ज्ञान को समृद्ध करने और ज्ञान के सशक्तीकरण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बेहतर एवं उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है । शिक्षा की सुदृढ़ एवं प्रभावी प्रणाली से सीखने वालों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास होता है, उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों का समुचित विकास होता है जो उन्हे भावी जीवन को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक होती है । मानव इतिहास की व्यक्तिगत और सामूहिक उल्लेखनीय उपलब्धियों को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता । शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है । आधुनिक राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक प्रमुख कारक है । राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है । हमारे सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी शैक्षिक पिछड़ापन है । देश के स्वतंत्र होने के इतने वर्षों बाद भी हम विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों को प्रारम्भिक विद्यालयों में नहीं ला पाये है । निर्धनता, रुढ़िवादिता, अन्धविश्वास कतिपय विकृत परम्पराएं एवं भेदभाव मूलक विरासत में प्राप्त आदतें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने में बाधक तत्वों के रूप में सामने आती है । इनका उन्मूलन शिक्षा के प्रसार के लिए जरूरी है । बच्चे में स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वरन् पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता उत्पन्न करना भी हमारा उद्देश्य है । अतः हमें समाज के सभी वर्गों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था देने की आवश्यकता है जो सैद्धान्तिक के साथ–साथ व्यावहारिक भी हो जिससे बच्चे अपनी आवश्यकतानुसार भावी जीवन में उपयोग कर सकें ।

शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास के हर युग में समाज को दिशा और स्वरूप प्राप्त हुआ है । शिक्षा हमारे बेहतर जीवन की अनिवार्य शर्त है । ज्ञान के क्षितिज शिक्षा ही खोलती है । यह हमारे वर्तमान को सँवारती है और भविष्य के स्वप्न को साकार करती है । शिक्षा हमें कल, आज और आने वाले कल से जोड़ती है । हम अतीत के अनुभवों से भी सीखते हैं । शिक्षा द्वारा मनुष्य की जन्मजाति शक्तियों, ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर उसके व्यवहार में परिवर्तन कर उसे योग्य नागरिक बनाया जाता है । हमारे आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करना ही 'भविष्य के लिए शिक्षा' है । हमें भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें आज की पीढ़ी को तैयार करना होगा । इसके लिए शिक्षा के स्वरूप में बदलाव कर ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चों को ज्ञान प्रदान कर उसके ज्ञान को सशक्त करके उसकी क्षमताओं का विकास करे और उसे भावी जीवन के लिए तैयार करे ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की शोचनीय स्थिति का अवलोकन करते हुए यह संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शायी गई कि 1960 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बालक–बालिकाओं के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी परन्तु हम अभी तक शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विस्तार पर विशेष रुप से ध्यान दिया गया । प्रारम्भिक शिक्षा के संविधानिक दायित्वों के आलोक में 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेशों द्वारा विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का संचालन कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है । वर्तमान में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम देश के प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001 से संचालित है । इसके अंर्तगत प्रत्येक बस्ती में जहॉ प्रारम्भिक शिक्षा के अंर्तगत प्रत्येक बस्ती में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है वही विद्यालयों को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलबध कराये जा रहे है । विभिन्न नवाचार के माध्यम से विद्यालय से बाहर बच्चों को लाने का प्रयास किया जा रहा है । पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृण किया जा रहा है । प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्य कौशल

को बढ़ाया गया है । विभिन्न किये गये प्रयास के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जो हमने प्रयास कितने सफल रहे। किस प्रयास से किस प्रकार का बदलाव आया । प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगाये गये हस्ताक्षेप का क्या प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभैमीकरण में पड़ा है ।

1.02.0 प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये विश्व स्तरीय प्रयास : विश्व स्तर पर शिक्षा के महत्व और अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए इसे मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया । मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र (1948) की धारा–26 में इसे व्यक्त किया गया । वर्ष (1989) में बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन और उसके बाद न्यूयार्क (1990) में आयोजित विश्व बाल शिखर सम्मेलन में शिक्षा को एक मुख्य बुनियादी अधिकार माना गया तथा वर्ष (2000) तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया । इसके लिये विश्व के सभी राष्ट्रें का ध्यान सभी बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की ओर केन्द्रित हुआ । सम्पूर्ण विश्व से निरक्षरता, अशिक्षा उन्मूलन एवं असमानता की खाई कम करने एवं शिक्षा की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहली बार 5–9 मार्च, 1990 में जोमेतियन, थाइलैण्ड में अंतराष्ट्रीय चार एंजेसियों– विश्व बैंक, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी. और यूनीसेफ के साथ विश्व के 155 राष्ट्रों के लगभग 1500 सदस्य एक साथ एक मंच पर आये थे और सभी के लिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिये विश्व के देशों को साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी को शिक्षा सुलभ करा दी जायेगी ।

इसके लिये सम्मेलन में "सभी के लिए शिक्षा' और 'बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य की रूपरेखा" सर्वसम्मति से अंगीकृत की गयी । इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा से संबधित नीतियों में प्रगति की व्यापक समीक्षा हेतु इसके दस वर्षीय आंकलन की आवश्यकता का पूर्वानुमान आंकलन किया गया । विश्वव्यापी घोषणा पत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विद्यालय आयु के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की प्राथमिक शिक्षा जिसमें विद्यालय की अवधि पूरा करने के बदले शिक्षा उपलब्धियों पर बल दिया गया । जिसमे प्राथमिक शिक्षा के लिये कहा गया कि " प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चे वर्ष 2000 तक संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा उपलब्धि का समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं" ।

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, सभी को समान अवसर प्रदान करने, साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने, सीखने पर बल देने, शैक्षिक परिवेश में संवर्द्धन करने, संसाधन जुटाने, सहयेाग/सहकार्य/समन्वयन की नीति को विकसित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने आदि विषयक कार्यपरक बिन्दु निर्धारित किए गए । इसके आलोक में राष्ट्रीय स्तर पर वॉछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई । इस कार्ययोजना में बालिका–शिक्षा और सुविधा वंचित वर्गों के बच्चेां की शिक्षा को प्राथमिकता, शिक्षा के स्तर में सुधार, सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक संगठनों के सहयोग पर विशेष बल दिया गया ।

1.02.1 विश्व शिक्षा सम्मेलन में प्रारम्भिक शिक्षाः जॉमेटियन विश्व शिक्षा सम्मेलन वर्ष 1990 के घोषणा पत्र के अनुश्रवण के सन्दर्भ में स्नेगल (दक्षिण अफ्रीका) की राजधानी, डकार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (2000) विश्व शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ । इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने सार्वभैाम, निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्ष 2015 तक उपलब्ध करा देने का संकल्प लिया । डकार सम्मेलन के घोषणा पत्र में उल्लेखित छः लक्ष्य इस प्रकार हैं –

- व्यापक शिशु देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम का, विशेषतः सबसे अधिक निर्बल तथा सुविधावंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रसार करना तथा उसमें सुधार लाना ।
- वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, विशेषतः बालिकाओं, विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क, पूर्ण तथा उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करना ।
- उपयुक्त अधिगम तथा जीवन कौशल सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा समान रूप से पहुॅच के माध्यम से सभी बालक–बालिकाओं तथा वयस्कों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चत करना ।
- सन् 2005 तक प्रौढ़ साक्षरता के स्तरों में, विशेषतः महिलाओं के लिए और सामान्यतः सभी वयस्कों की बुनियादी तथा सतत शिक्षा तक समुचित पहुॅच के माध्यम से, 50 प्रतिशत सुधार लाना ।
- वर्ष 2015 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में लिंग असमानता को समाप्त करना और श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त बेसिक शिक्षा में सम्प्राप्ति तथा बालिकाओं की पूर्ण

तथा समान पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें केन्द्र में रखकर 2015 तक शिक्षा में लिंग समानता प्राप्त करना ।

- शिक्षा की गुणवत्ता के प्रत्येक पक्ष में सुधार लाना और उनकी उत्कृष्टता को सुनिश्चत करना जिससे सभी शिक्षार्थी, विशेषतः साक्षरता, अंकज्ञान तथा अनिवार्य जीवन कौशलों में, मान्य और मापनीय अधिगम प्रतिफल अर्जित कर सकें ।

विश्वव्यापी बुनियादी शिक्षा प्राप्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नांकित घोषणा की गई –

अनुच्छेद–1: बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति : प्रत्येक व्यक्ति–बच्चा, युवक और प्रौढ़ की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिससे वे अपना अस्तित्व बनाये रखने, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से विकास करने, सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाहन करने और कार्य करने, विकास का पूर्ण सहभाग बनने, अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने, और निरंतर शिक्षा प्राप्त करते रहने में सक्षम हो सके ।

अनुच्छेद–2: दृष्टिकोण को साकार बनाना : बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी शिक्षा के प्रति इस समय विद्यमान प्रतिबद्धता से अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है । ऐसी प्रतिबद्धता के लिये व्यापक दृष्टि बनाते समय वर्तमान संसाधन स्तरों, संस्थागत, संरचनाओं, पाठ्य–सामग्री और परम्परागत शिक्षण प्रणालियों की उपयोगिता का आंकलन करते हुए दृष्टिकोण को साकार बनाने के लिये शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना, सीखने पर बल देना, बुनियादी शिक्षा के साधनों और क्षेत्र को व्यापक बनाना, शिक्षा के लिए परिवेश को व्यापक बनाना और साझेदारी को सुदृढ़ करना शामिल है ।

अनुच्छेद–3: बुनियादी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और समानता की अभिवृद्धि करना : बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को उपलब्ध होनी चाहिए । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छे स्तर की बुनियादी शिक्षाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और असमानताओं को कम करने के लिए निरंतर उपाय किये जाने चाहिए । सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ो को सम्मत स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अवसर समान रूप से दिए जाने चाहिए । बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा की कोटि सुधारने और शिक्षा उन तक पहुँचाने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी के रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

लिंग के आधार पर शिक्षा देने की परम्परा समाप्त की जानी चाहिए । शिक्षा में व्याप्त सभी असमानताएं दूर करने के लिए सक्रिय वचनबद्धता होनी चाहिए । अक्षम वर्गों, गरीब, गलियों में भटकने वाले और काम–काजी बच्चों और दूर–दराज के निवासियों, खानाबदोशों, प्रवासी कामगारों, आदिवासियों, सजातीय प्रजाति और भाषाई अल्पसंख्यकों, युद्ध से विस्थापित लोगों, विदेशी अधिपत्य वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए शिक्षा के अवसर जुटाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए । विकलांगों की शिक्षा की जरुरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यता है । प्रत्येक किस्म के विकलांगों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है । यह शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होना चाहिए ।

अनुच्छेद 4: सीखने पर बल : किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा समाज के लिए व्यापक शिक्षा के अवसर उसके सार्थक विकास में सहायक होते है । इसलिए बुनियादी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य वास्तव में शिक्षा अर्जन, दक्षता प्राप्त करना और परिणाम हासिल करना होना चाहिए न कि केवल विद्यालय में भर्ती होना, कार्यक्रमों में भाग लेना और प्रमाण–पत्र प्राप्त करना ।

अनुच्छेद 5 (बुनियादी शिक्षा के साधनों और कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना) : बच्चों, युवाओ और प्रौढ़ों की शिक्षा की जरुरतें विविधतापूर्ण, जटिल और परिवर्तनशील स्वरूप की हैं । इसलिए शिक्षा उनकी उम्र की आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिए ।

अनुच्छेद 6: शिक्षा के परिवेश में वृद्धि करना : शिक्षा एकाकीपन में नहीं होती है । इसलिए समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षार्थी यथावश्यक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामान्य शारीरिक और भावात्मक सहायता प्रदान करें ताकि वे शिक्षा में सक्रियता से भाग ले सके और उससे लाभान्वित हो सकें । बच्चों और उनके माता–पिताओं या संरक्षकों की शिक्षा एक दूसरे की पूरक होती है । अतः इस अंतःक्रिया का उपयोग "सबके लिए शिक्षा" का सजीव और सहृदय परिवेश बनाने के लिए होना चाहिए ।

अनुच्छेद 7: साझेदारी को सुदृढ़ बनाना : बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन और मूल्यांकन में सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र स्थानीय समुदायों, धार्मिक वर्गों और परिवारों की साझेदारी लेकर कार्य करना ।

अनुच्छेद 8: सहयोग की नीति विकसित करना : सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग कि नीति अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और समाज में सुधार लाने के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना ।

अनुच्छेद 9: संसाधन जुटाना : पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं मानवीय संसाधन सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र से जुटाकर बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

अनुच्छेद 10: अंतराष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करना : मौजूदा आर्थिक असमानताओं को मिटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एकता और न्यायसंगत तथा उचित आर्थिक संसाधन को सुनिश्चित करना ।

1.02.2 ई–9 देशों का बाली घोषणा पत्र : सभी के लिये शिक्षा की प्रगति को अधिक त्वरित बनाने तथा सहयोग का सुदृढ़ करने के लिये दिनांक 10 से 12 मार्च 2008 को इंडोनेशिया देश के बाली शहर में ई–9 देशों (भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान) के शिक्षा मंत्रियों, वरिष्ट अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया । ई–9 देश के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सभी का ध्यान केन्द्रित किया कि विश्व की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत जनसंख्या इन देशों में निवास करती है और इस दिशा में सभी के लिये शिक्षा की प्राप्ति की दिशा का स्वागत करते है । ई–9 देश के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि विभिन्न चुनौतियों के आकार, जटिलता तथा विविधता के वावजूद हम 2015 तक सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नांकित वचनवद्धता व्यक्त की–

- शिक्षा के क्षेत्र में स्थित यूनिस्को के साथ–साथ सम्प्रति इंडोनेशिया गणतंत्र में स्थिति ई–9 देशों के सचिवालय का सहयोग प्रदान करना तथा उसके साथ मिलकर कार्य करना ।
- देश के अंदर तथा ई–9 सचिवालय के सहभागी देशों के मध्य सूचना की भागीदारी में अग्रिम भूमिका निभाने के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दुओ की स्थिति एवं भूमिका को पुर्नजीवित करना ।
- ई–9 देशों की पहल तथा यूनेस्कों के साथ आख्याओं के आदान प्रदान हेतु समय–समय पर सभाएँ करने के लिए यूनेस्को अध्यक्ष के नेतत्व में ई–9 देशों के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधियों के वर्तमान समूह को सुदृढ़ करना ।
- ई–9 देशों की पहल तथा क्रियाकलापों को यथा आवश्यक सहयोग देने के लिए ई–9 देशों में यूनेस्को के राष्ट्रीय, क्लस्टर तथा क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशकों से आग्रह करना ।

- ई–9 देशों की अगली मंत्रीस्तरीय सभा आयोजित करने की तैयारी तथा बाली घोषणा के कियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए नाइजीरिया के संघीय गणतंत्र से निकट सहयोग करते हुए इण्डोनेशिया गणतंत्र के अध्यक्ष के आधीन सत्र के मध्य में वरिष्ट अधिकारियों की बैठक आयोजित करना ।
- अध्यक्ष के समग्र नेतृत्व में अद्यतन त्रैमासिक समाचार पत्र सहित अद्यतन वेबसाइट के विकास के साथ–साथ आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की मुलाकातों में ई–9 देशों के कियाकलापों के पार्श्वचित्र को संचार कार्यप्रणाली द्वारा समुन्नत करना जो अन्य देशों के लिये नमूना या मांडल हो ।

अपने संकल के साथ ई–9 देशों के प्रतिनिधियों ने अगामी दो वर्ष में ई–9 के संजाल (नेटवर्क) के लिए कार्यपरक कार्यसूची विकसित करने के लिए निम्नलिखित के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की –

- 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दक्षिण–दक्षिण के मध्य सहयोग हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना ।
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना और शिक्षकों के संबंध में व्यापक ऑकड़ों का समावेश सुनिशिचत करना ।
- साक्ष्य–आधारित शिक्षकों से संबंधित नीतियॉ विकसित करना जिसमें अध्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण को शिक्षा प्रणाली में सुधार के अभिन्न अंग के रुप में सम्मिलित किया हो ।
- गुणवत्ता के अश्वासन हेतु शिक्षक संबंधी व्यावसायिक मापदण्डों का विकास करना ।
- यूनेस्को के सहयोग से प्रत्येक देश में साझेदारी को बढ़ावा देना। यह साझेदारी विशेष रुप से सरकारी तथा गैर सरकारी और अकादमिक संगठनों में इक्कीसवी शताब्दी में नवोदित शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षक–विकास के संदर्भ में शोध, विकास तथा नवाचारपरक उपागमों के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में होगी ।
- विशेष रूप से सूचना–संचार प्रौद्योगिकी तथा मुक्त और दूर शिक्षा के संदर्भ में ई–9 सचिवालय और यूनेस्को के प्रविधिक सहयोग से क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय और सहयोग–आधारित शोधों एवं अध्ययनों का विकास करना ।

- ई–9 देशों तथा विकास के भागीदारों से यूनेस्को, दक्षिण अफीका के शिक्षा विषयक सहयोग फंड में अंशदान करने के लिए आग्रह करना ।
- यूनेस्को तथा अन्य बहुपक्षीय साझीदारों के माध्यम से उत्तर के अपने सहभागियों के सहयोग से ई–9 तथा अन्य देशों के मध्य सहयोग का विस्तार एवं सुधार करना ।

(स्त्रोतः यूनेस्को संदर्भ साहित्य)

ई–9 के देशों के प्रतिनिधियों ने अपने घोषणा पत्र में निम्नाकित कार्य हेतु सहमति व्यक्त की–

- अध्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण–शिक्षा प्रणाली में सुधार
- आकर्षण, तैयारी तथा शिक्षकों की तैनाती
- शिक्षकों के सेवायोजन की शर्ते, ठहराव, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा जीवनवत्ति की संभावनाएँ
- अध्यापक प्रशिक्षण हेतू सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और मुक्त तथा दूर शिक्षा का उपयोग तथा
- दक्षिण–दक्षिण के मध्य सहयोग ।

1.02.3 प्रारम्भिक शिक्षा की विश्व स्तरीय परिदृश्य : वर्ष 1990 में जोमेतियन में आयोजित सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन के अनुश्रवण में वर्ष अप्रैल 2000 में डकार में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम द्वारा निर्धारित छः लक्ष्यो में से दो को उसी वर्ष (सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्ति को प्रोत्साहन) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत अंगीकार किया गया । डकार फोरम के संकल्प में स्पष्ट किया गया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र वचनबद्धता की पूर्ति का लेखा–जोखा रखने के प्रति दायित्वपूर्ण रहें । राष्ट्रीय सरकारों ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु वचनबद्ध रहना स्वीकार किया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने यह प्रण किया कि वचनबद्ध किसी भी देश को, संसाधनों के अभाव के कारण अपने लक्ष्यों की पूर्ति से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा । इन शपथों के क्रियान्वयन में और अधिक दायित्वपूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के उपायों में एक था सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट की स्थापना ।

सबके लिए शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट 2002 का प्रमुख उददेश्य अधिगम अवसरों की प्रगति के बारे में जानना है कि विश्वभर में शिक्षा सम्बन्धी लाभ किस हद तक सभी बच्चों, युवकों एवं वयस्कों तक पहुँच रहे है तथा दो वर्ष पूर्व अप्रैल 2000 में डकार विश्व शिक्षा

फोरम में किए गए वायदे क्या पूरे किए जा रहे हैं । वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 115.4 मिलियन स्कूल आयु के बच्चे स्कूल से बाहर थे जिनमें 56 प्रतिशत लड़कियां थी, जो 1998 में डकार के लिए बताई गई 113 मिलियन की संख्या में थोड़ा सा अथवा न के बराबर परिवर्तन हुआ है । इनमें से लगभग 94 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों में रह रहे थे । मानव विकास प्रतिवेदन के वर्ष 1998 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादीप के कुछ देशों चीन, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, श्रीलंका, थाईलैण्ड तथा वियतनाम के प्रौढ़ों (15वर्ष या उससे ऊपर) की साक्षरता दर क्रमशः 82.8, 55.7, 85.7, 74.6, 86.4, 44.0, 94.8, 91.1, 95.0 तथा 92.9 एवं किशोरों (16 से 24 वर्ष) की साक्षरता दर क्रमशः 97.2, 70.9, 97.3, 93.2, 97.1, 61.4, 98.4, 96.5, 98.8 तथा 96.7 रही (स्रोत : मानव विकास प्रतिवेदन,2000 तालिका 1, पृष्ठ 157–160)। विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चों का लैंगिक तथा क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात तथा लैंगिक समानता सूचकांक निम्नानुसार है –

क्षेत्र का नाम	**सकल नामांकन अनुपात**				**लैंगिक समानता सूचकांक (समानता = 1)**	
	1990		**1999**			
	बालिका	**बालक**	**बालिका**	**बालक**	**1990**	**1999**
विश्व	93.1	105.5	96.5	104.0	0.88	0.93
औद्योगिक देश	104.6	104.6	101.5	102.5	1.00	0.99
विकसित देश	91.8	106.6	96.2	104.7	0.86	0.92
परिवर्तनशील देश	91.6	91.8	90.1	91.4	1.00	0.99
अरब देश	70.8	89.7	85.0	97.0	0.79	0.88
केन्द्रीय एशिया	87.8	86.4	88.0	89.0	1.02	0.99
केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप	99.6	103.9	92.6	96.1	0.96	0.96
पूर्वी एशिया/प्रशांत	113.5	119.9	105.9	105.5	0.95	1.00
लैटिन अमरीका/ कैरीबियन	103.1	105.4	124.5	127.5	0.98	0.98
उत्तरी अमेरिका/पशि. यूरोप	105.3	105.4	101.6	102.7	1.00	0.99
दक्षिणी/पश्चिमी एशिया	78.4	104.2	90.0	107.8	0.75	0.84
उप सहारा अफ्रीका	68.3	86.7	76.3	86.0	0.79	0.89

स्रोत : विश्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट (1999/2000)

मानव विकास प्रतिवेदन के 1997 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादीप के कुछ देशो में प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर एवं कक्षा 5 पहुँच दर की स्थिति निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत में)

देश	नामांकन दर	कक्षा 5 पहुँच दर	बालिका नामांकन अनुपात
चीन	99.9	94.0	100.0
भारत	77.2	59.0	86.0
इण्डोनेशिया	99.2	88.0	99.0
इरान	90.0	90.0	98.0
मलेशिया	99.9	99.0	100.0
पाकिस्तान	–	–	–
फिलीपीन्स	99.9	–	100.0
श्रीलंका	99.9	–	100.0
थाईलैण्ड	88.0	–	103.0
वियतनाम	99.9	–	100.0

स्रोत : मानव विकास प्रतिवेदन, 2000 तालिका 11

यूनीसेफ "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005" की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न महादीपों में सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात तथा बच्चों की उपस्थिति की स्थिति निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र का नाम	नामांकन अनुपात (1998–2002)				उपस्थिति (1996–2001)		कक्षा 5 पहुचने वाले बच्चे	
	सकल नामांक अनुपात		शुद्ध नामांकन अनुपात				प्रशाानिक आंकड़े 1998–01	सर्वे आंकड़े 1997–03
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका		
उप सहारा अफ्रीका	92	80	64	59	60	56	63	83
मध्यु पूर्व और उत्तर अफ्रीका	96	87	82	76	82	76	91	91
साउथ एशिया	102	88	88	75	78	71	60	91
पूर्वी एशिया/प्रशांत	111	110	92	92	–	–	94	–
लैटिन अमेरिका/ कैरीबियन	122	119	95	95	92	92	82	–
केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप	101	98	89	86	79	77	–	96
औद्योगिक देश	101	101	95	96	–	–	–	–
विकसित देश	105	96	86	80	76	72	78	89
कम विकसित देश	88	80	67	61	61	56	64	79
विश्व	104	97	87	82	76	72	79	89

स्रोत : यूनीसेफ "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005"

यदि हम यूनीसेफ की "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2005" की रिपोर्ट में देखे तो वर्ष 1998–2002 के आंकड़ों के अनुसार भारत देश का सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात बालक एवं बालिकाओं का क्रमशः 107, 90, 91 एवं 76 है । वर्ष 1996–2003 के आंकडों के अनुसार बच्चों की औसतन उपस्थिति विद्यालय में बालक एवं बालिका की क्रमशः 80 एव 73 प्रतिशत है । कक्षा 5 पहुँचने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 1998–2001 के प्रशासनिक एवं 1997–2003 के सर्वे आकड़ों के अनुसार क्रमशः 59 एवं 92 प्रतिशत है ।

सबके लिए शिक्षा विश्व मांनीटरिंग रिपोर्ट 1999–2000 के अनुसार विश्व में 115.4 मिलियन बच्चे विद्यालय से बाहर है । इनमें से 37 प्रतिशत उपसहारा अफ्रीका, 34 प्रतिशत उत्तर पश्चिम एशिया, 7 प्रतिशत अरब राज्य/उत्तर अफ्रीका, 3 प्रतिशत केन्द्रीय/पूर्वी यूरोप, 2 प्रतिशत केन्द्रीय एशिया, 13 प्रतिशत पूर्वी एशिया/प्रशांत, 2 प्रतिशत लैटिन अमरीका/कैरीबियन और 2 प्रतिशत उत्तर अमेरिका/ पश्चिम यूरोप क्षेत्र के बच्चे है । उच्च संकट ग्रस्त वर्ग में मुख्य रूप से 34 सहारा अफ्रीकी देश आते है । इसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग है । इसी में भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देश शामिल है ।

1.03.0 भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्यः

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । भारत के संविधान की धारा 45 में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करे कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके । उपर्युक्त संवैधानिक दायित्वों के आलोक में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, अध्यापक नियुक्त किए गए तथा नामांकन के लिए छात्र वृद्धि अभियान चलाए गए । विभिन्न बाधाओं – विद्यालय तक पहुंच में कठिनाई, अशिक्षा, अरूचिकर शिक्षण अधिगम प्रकिया, जनसंख्या विस्फोट आदि के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शतप्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका ।

भारतीय शिक्षा आयोग (64–66) ने अपनी अनुशंसाओं में विभिन्न स्तरों की शिक्षा के साथ–साथ प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल दिया है । साथ ही साथ इसमें विद्यालय संकुल जैसी योजनाओं तथा प्रभावी शिक्षण–अधिगम, प्रभावी निरीक्षण–पर्यवेक्षण आदि के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्द्धन पर भी बल दिया गया । आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) का निर्धारण हुआ । इसमें 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया ।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु वर्ष 1980 में एक वैकल्पिक और लचीले शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार की गयी जिसे अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया । यह विशेषकर उन बच्चों के लिए थी जो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पा रहे थे । इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा की गयी कि बच्चों की उपलब्धि औपचारिक स्तर की ही होगी जबकि पाठ्यक्रम, शिक्षण–सामग्री, शिक्षा केन्द्र का समय आदि बच्चों की सुविधा के अनुसार होगा । वर्ष 2001 में यह योजना समाप्त कर दी गयी ।

1986 में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'सभी के लिये शिक्षा' बुनियादी लक्ष्य रखा गया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति, बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, तथा विद्यालय सुधार के संकल्प व्यक्त किये गये । इनके अतिरिक्त इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, पिछड़े वर्गो और क्षेत्रों एवं अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों के लिए भेदभाव रहित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के फलस्वरूप 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया । इसके साथ ही जिला स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जिससे अध्यापकों को सतत प्रशिक्षण, शैक्षिक सहयोग/अनुसमर्थन एवं मार्गदर्शन मिलता रहे । इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका उद्देश्य अकादमिक सहयोग प्रदान करना है एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जिसके प्रमुख उद्देश्य, शैक्षिक अधिकारियों/अभिकर्मियों को नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कौशलों का विकास करना है । विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध अध्ययनों का आंकलन करना, नीतिगत प्रकरण में शासन को परामर्श देना आदि इस संस्थान के मुख्य कार्य निर्धारित किए गये । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का वर्ष 1992 में संशोधन हुआ तथा एक नयी कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) निर्धारित हुई । इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया ।

- सभी के लिए शिक्षा, सफलता और उच्च स्तर की प्राप्ति ।
- शिक्षा का समान ढॉचा ।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा । प्रत्येक चरण में अध्ययन का एक स्तर ।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अलावा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है । विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के 93 वें संशोधन के फलस्वरूप 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया जा चुका है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारम्भिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन का काफी विस्तार हुआ है । परिणामतः हर दशक में उक्त क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति हुई है । इसे हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है ।

साक्षरता दर

वर्ष	साक्षरता दर (प्रतिशत में)			
	कुल	पुरुष	महिला	पुरुष–महिला अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.31	40.40	15.34	25.06
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.56	56.37	29.75	26.62
1991	52.21	63.13	39.29	24.16
2001	65.38	75.85	54.16	20.69

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2001

मानव विकास प्रतिवेदन 2004, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक उम्र के प्रौढ़ों की साक्षरता दर वर्ष 1990 में 49.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2002 में 61.3 प्रतिशत है । सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व घोषणा–पत्र और 'ज्ञानार्जन संबंधी भूल आवश्कताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा' पर देश में शिक्षा नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने 1991 और 1992 में विचार किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा में दी गई प्राथमिकता की अभिपुरित ही थी । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सबके लिये शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । वित्तीय सहायता प्राप्त करने की एक व्यापक रुपरेखा तैयार की । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने इस बात

पर भी बल दिया कि बाह्य सहायता से जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों को शैक्षिक पुनर्गठन के लिए प्रयोग किया जाए और शैक्षिक पुनर्गठन, परम्परागत उपायों, जैसे– नए विद्यालय खोलना, विद्यालय भवन का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति से कहीं बढ़कर हो ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाए गए तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा समर्थित लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यनीतियों को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य को वर्ष 1950 से एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रावधान है । इस संबंध में समग्र लक्ष्य सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्तायुक्त निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है । इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा को एक व्यापक रूप में स्पष्ट किया गया । इसमें नामांकन से अधिक भागीदारी और शिक्षा जारी रखने पर खास बल है । सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार किया गया था ।

वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्यों के सहयोग से वर्ष 2001–02 से पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है । विभिन्न वर्षों में प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है–

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	शिक्षा पर कुल सरकारी चालू व्यय की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय		सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में चालू सरकारी व्यय	
	प्राथमिक शिक्षा (1–5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1–8)	प्राथमिक शिक्षा (1–5)	प्रारम्भिक शिक्षा (1–8)
1990	34.30	46.30	1.25	1.69
1991	34.22	46.30	1.18	1.60
1992	33.69	45.20	1.14	1.53
1993	34.20	46.20	1.02	1.38
1994	34.05	46.40	1.00	1.36
1995	35.30	48.50	1.05	1.44
1996	36.50	50.10	1.05	1.44
1997	37.10	50.40	1.08	1.47

स्रोत : बजटगत व्यय विश्लेषण (मानव ससाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

मानव विकास प्रतिवेदन 2004 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में 1990 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जी.डी.पी. का 3.9 प्रतिशत था जो वर्ष 1999–2000 में 4.1 प्रतिशत हो गया है । यदि हम सरकार के सम्पूर्ण व्यय से शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय देखे तो 1990 में यह 12.2 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1999–2000 में 12.7 प्रतिशत है । यदि हम स्तरवार शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय को देखे तो निम्नानुसार जानकारी प्राप्त होती है –

वर्ष	प्री प्राथमिक एवं प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च स्तर
1990	38.9	27.0	14.9
2001	38.4	40.1	20.3

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्री प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा के व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि माध्यमिक एवं उच्च स्तर की शिक्षा के व्यय में वृद्धि हुई है । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यदि प्रारम्भिक शिक्षा में हुए व्यय का अवलोकन करे तो हम पाते है कि द्वितीय (1956–61), पंचम (1974–79) एवं दसवी (2002–07) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर कमशः 95, 591.3 एवं 28750 करोड रुपये व्यय किये गये/ जा रहे है । जो सम्पूर्ण शिक्षा व्यय का कमशः 35, 52 एवं 67 प्रतिशत है ।

एजूकेशनल सांख्यिकी 1999–2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2001 के आंकड़ों के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों की संख्या निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत में)

कमांक	**उम्र**	**1991**			**2001**		
		बालक	**बालिका**	**योग**	**बालक**	**बालिका**	**योग**
1	6–11	60.31	56.40	116.71	60.42	57.84	18.26
2	11–14	27.88	25.13	55.01	38.50	35.97	74.47
3	14–16	19.52	16.68	36.20	27.74	22.53	47.27
4	16–18	14.71	12.99	27.70	23.50	20.95	44.45

स्रोतः एजूकेशनल सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2001

विद्यालयों की स्थितिः प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये है और उनके अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं । नीपा रिपोर्ट ''प्रोग्रेस टुअर्ड यू.ई.ई'' 2006–2007 के अनुसार देश के 35 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के 609 जनपदों में 1196663 विद्यालय संचालित है जिनमें से 87.15 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है । इनमें से सबसे अधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में 122941 में तथा सबसे कम विद्यालय अंदमान एण्ड निकोबार दीप में 189 संचालित है ।

''प्रोग्रेस टुअर्ड यू.ई.ई'' की नीपा रिपोर्ट 2006–2007 के अनुसार देश में 65.14 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 17.55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 2.45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 9.03 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 5.65 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है । इनमें से 67.90 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 16.19 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 1.70 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 9.29 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 4.90 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति है । संचालित विद्यालयों में से 80.83 प्रतिशत विद्यालय शासकीय एवं 18.86 प्रतिशत अशासकीय है ।

वर्ष 1994 के बाद 2006–07 तक 33.20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 21.87 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 33.17 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 48.09 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 23.70 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये है । इनमें से 90.71 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 98.23 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 97.92 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न

प्राथमिक विद्यालय, 88.56 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 91.73 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन का निर्माण किया जा चुका है ।

विद्यालयों में कक्षा–कक्षों की स्थितिः शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली 2006–07 के डाइस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में संचालित विद्यालयों में से औसतन 2.6 कक्ष प्राथमिक विद्यालय, 5.6 कक्ष उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 9.2 कक्ष उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 3.6 कक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 7.2 कक्ष हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलबध है । यदि हम समग्र रूप में देखे तो प्रत्येक प्रकार के विद्यालय में औसतन 3.4 कक्षा कक्ष उपलब्ध है ।

कक्षा–विद्यार्थी अनुपातः न्यूपा नई दिल्ली की शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली 2006–07 के डाइस के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में संचालित विद्यालयों में से प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष–विद्यार्थी अनुपात 1 : 40, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष–विद्यार्थी अनुपात 1 : 38, उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष–विद्यार्थी अनुपात 1 : 29, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष– विद्यार्थी अनुपात 1 : 31 तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में में कक्षा कक्ष–विद्यार्थी अनुपात 1 : 30 है ।

नामांकन की स्थितिः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार विद्यालय में से प्राथमिक विद्यालय में औसतन 113, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में औसतन 235, उच्च प्राथमिक, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में औसतन 313, उच्च प्राथमिक विद्यालय में औसतन 146 तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में औसतन 250 विद्वार्थी नामांकित है ।

विद्यालय में भौतिक संसाधन की सुविधा : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पेय जल, शौचालय, कम्प्यूटर, रैप एवं खेल के मैदान की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है ।

विद्यालय का प्रकार	स्वच्छ पीने का पानी	शौचालय	लड़कियों के लिये शौचालय	कम्प्यूटर सुविधा	रैंप की सुविधा	खेल का मैदान
प्राथमिक विद्यालय	82.19	53.75	34.06	6.51	25.82	45.89
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	87.84	69.01	55.37	21.31	34.12	61.29
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	91.31	71.78	74.49	52.33	21.97	78.44
उच्च प्राथमिक विद्यालय	87.21	60.33	52.62	14.61	22.74	59.85
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.93	66.91	72.32	50.36	21.44	79.51
सभी विद्यालय	83.93	58.13	42.58	13.43	26.61	52.48

स्रोतः एजूकेशनल सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2001

नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक की स्थितिः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार देश के विभिन्न प्रकार के विद्यालय में प्रारम्भिक स्तर पर 179342817 में से 93845251 बालक एवं 85497566 बालिका है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालक एवं बालिका नामांकन तथा लैंगिक समानता सूचकांक को हम राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशवार निम्न तालिका की सहायता से देख सकते है–

(अ) प्राथमिक स्तरः

क्रमांक	राज्य	नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैंगिक समानता अनुपात	योग
1.	ए. एण्ड एन. आइसलैण्ड	50.92	49.08	0.98	32328
2.	आन्ध्र प्रदेश	50.71	49.29	0.98	7504991
3.	अरुणांचल प्रदेश	52.34	47.66	0.91	211348
4.	असम	50.73	49.27	0.97	4195241
5.	बिहार	54.11	45.89	0.84	12551689
6.	चंड़ीगढ़	55.42	44.58	0.94	81146
7.	छत्तीसगढ़	51.12	48.88	0.95	3074250
8.	डी. एण्ड एन. हवेली	52.35	47.65	0.93	37508
9.	दमन एण्ड द्वीप	52.12	47.88	0.90	14849
10.	देहली	53.27	46.73	0.98	1514737
11.	गोवा	51.99	48.01	0.91	98895
12.	गुजरात	53.19	46.81	0.89	5730173
13.	हरियाणा	52.69	47.31	0.90	1685906
14.	हिमांचल प्रदेश	52.71	47.29	0.91	676030
15.	जम्मू एण्ड काश्मीर	53.85	46.15	0.86	1072411
16.	झारखण्ड	51.41	48.59	0.94	5314783
17.	कर्नाटक	51.60	48.40	0.94	561879
18.	केरल	50.54	49.46	0.97	2108917
19.	लक्ष्यद्वीप	52.06	47.94	0.94	5125
20.	मध्यप्रदेश	51.25	48.75	0.96	11271321
21.	महाराष्ट्र	52.69	47.31	0.90	10249224
22.	मनीपुर	50.16	49.84	0.99	343441
23.	मेघालय	49.65	50.35	1.00	440575
24.	मिजोरम	51.78	48.22	0.92	175470
25.	नागालैड़	50.93	49.07	0.96	339394
26.	उड़ीसा	52.36	47.64	0.91	3722154
27.	पंड़ीचेरी	51.58	48.42	0.87	110365
28.	पंजाब	54.13	45.87	0.85	1695350
29.	राजस्थान	53.22	46.78	0.88	9151462
30.	सिक्किम	50.36	49.64	0.99	90154
31.	तमिलनाडू	51.61	48.39	0.93	6156235
32.	त्रिपुरा	52.15	47.85	0.91	493169
33.	उत्तर प्रदेश	51.14	48.86	0.96	25649289
34.	उत्तराखण्ड	51.16	48.84	0.97	887274
35.	पश्चिम बंगाल	50.70	49.30	0.97	9516554
	समस्त राज्य	51.91	48.09	0.93	131853637

स्रोत : नीपा रिपोर्ट (2006–07)

(ब) उच्च प्राथमिक स्तरः

क्र.	राज्य	नामांकन बालक	नामांकन बालिका	लैगिंक समानता अनुपात	योग
1.	ए. एण्ड एन. आइसलैण्ड	54.42	47.58	0.91	20098
2.	आन्ध्र प्रदेश	51.80	48.20	0.91	3801828
3.	अरुणांचल प्रदेश	52.85	47.15	0.87	65109
4.	असम	50.60	49.40	0.97	1227470
5.	बिहार	58.34	41.66	0.70	2568858
6.	चंड़ीगढ़	54.81	45.19	1.10	43977
7.	छत्तीसगढ़	52.71	47.29	0.88	1120972
8.	डी. एण्ड एन. हवेली	58.38	41.62	0.69	9191
9.	दमन एण्ड द्वीप	52.32	47.68	0.67	6009
10.	देहली	53.18	46.82	1.06	830177
11.	गोवा	53.34	46.66	0.85	66068
12.	गुजरात	55.32	44.68	0.80	181688
13.	हरियाणा	51.82	48.18	0.93	806103
14.	हिमांचल प्रदेश	52.84	47.16	0.90	405569
15.	जम्मू एण्ड काश्मीर	55.19	44.81	0.80	556519
16.	झारखण्ड	54.76	45.24	0.80	1040233
17.	कर्नाटक	52.04	47.96	0.91	2237627
18.	केरल	51.75	48.25	0.91	1293070
19.	लक्ष्यद्वीप	50.08	49.92	1.02	2957
20.	मध्यप्रदेश	54.97	45.03	0.79	3910988
21.	महाराष्ट्र	52.93	47.07	0.88	5093401
22.	मनीपुर	50.67	49.33	0.97	118749
23.	मेघालय	47.56	52.44	1.08	98940
24.	मिजोरम	51.17	48.83	0.94	51453
25.	नागालैड़	51.22	48.78	0.94	132045
26.	उड़ीसा	53.61	46.39	0.86	1205673
27.	पंड़ीचेरी	52.17	47.83	0.81	69374
28.	पंजाब	53.95	46.05	0.83	1006922
29.	राजस्थान	60.12	39.88	0.64	3310769
30.	सिक्किम	46.90	53.10	1.16	31841
31.	तमिलनाडू	51.86	48.14	0.90	3620354
32.	त्रिपुरा	51.22	48.78	0.94	204356
33.	उत्तर प्रदेश	52.71	47.29	0.89	6513225
34.	उत्तराखण्ड	51.44	48.56	0.94	382629
35.	पश्चिम बंगाल	50.44	49.56	0.98	3825938
	समस्त राज्य	53.49	16.51	0.85	47489180

स्रोत : नीपा रिपोर्ट (2006–07)

सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999–2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर विभिन्न वर्षो में नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	बालक	बालिका	दोनों	बालक	बालिका	दोनों
1950–51	60.6	24.8	42.6	20.6	4.6	12.7
1960–61	82.6	41.4	62.4	33.2	11.3	22.5
1970–71	95.5	60.5	78.6	46.5	20.8	33.4
1980–81	95.8	64.1	80.5	54.3	28.6	41.9
1990–91	114.0	85.5	100.4	76.6	47.0	62.1
1998–99	100.9	82.9	92.1	65.3	49.1	57.6
1999–00	104.1	85.2	94.9	67.2	49.7	58.8

स्रोत : सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999–00, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 एवं एजुकेशन इन इण्डिया 1992–93 और 1993–94 मानव संसाधन विकास मत्रालय नई दिल्ली

सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999–2000, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर विभिन्न वर्षो में नामांकन वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1950–51	5.4	19.2	28.13	0.5	3.1	16.13
1960–61	11.4	35.0	32.57	1.6	6.7	23.88
1970–71	21.3	57.0	37.37	3.9	13.3	29.32
1980–81	28.5	73.8	38.62	6.8	20.7	32.85
1990–91	40.4	97.4	41.48	12.5	34.0	36.76
1998–99	48.2	110.9	43.46	16.3	40.3	40.45
1999–00	49.5	113.6	43.58	17.0	42.1	40.38

स्रोत : सिलेक्टेड एजूकेशनल सांख्यिकी 1999–00, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2001 दिल्ली

बच्चों का उपलब्धि स्तरः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 के सत्र में प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 94.80 तथा बालिकाओं का 94.89 प्रतिशत है । अर्थात बालिकाओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बालकों की अपेक्षा अधिक है । 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालों में बालकों का प्रतिशत 44.96 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 45.12 है । जबकि उच्च

प्राथमिक स्तर के बोर्ड में बालकों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.44 तथा बालिकाओं का 88.84 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालें में बालकों का प्रतिशत 38.83 तथा बालिकाओं का 40.06 प्रतिशत है । उच्च प्राथमिक स्तर पर भी बालिकाओं के उत्तीर्ण हाने का प्रतिशत बालकों की तुलना में अधिक है । प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर के बोर्ड में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की तुलना में काफी कम है ।

ट्रांजीशन दरः प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2002–03 के आंकड़ों के अनुसार 64.48 प्रतिशत बच्चे नामांकित होते है जिनमें से 65.96 प्रतिशत बालक तथा 62. 73 प्रतिशत बालिकायें है । केरल राज्य का ट्रांजीशन दर का प्रतिशत (94.77 प्रतिशत) अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश का ट्रांजीशन दर 30.28 है जो कि सबसे कम है । मानव विकास प्रतिवेदन 2004, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के अनुसार भारत में वर्ष 2000–01 के ऑकडों के अनुसार कक्षा 1 से 5 पहुचने वाल बच्चों की संख्या 59 प्रतिशत है । विभिन्न वर्षो की ट्रांजीशन दर निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक			उच्च प्राथमिक से हाई स्कूल		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1970–71	86.60	74.08	82.56	–	–	–
1980–81	92.11	81.77	88.35	88.58	83.16	86.89
1990–91	87.00	83.00	85.00	79.30	70.49	76.05
1998–99	95.59	90.33	93.37	83.15	82.66	82.95

स्रोत : जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा 2003 पेज 514

शिक्षकों की स्थितिः विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ठीक करने के लिए काफी प्रयास किये गये है । वर्ष 2006–07 के आँकड़ों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 2.7, उच्च प्राथमिक विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 6.4, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 10.3, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4.2 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8.4 शिक्षक है । जबकि अशासकीय विद्यालयों में औसतन प्रति प्राथमिक विद्यालय 4.4, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 8.0, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 11.0, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7.8 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक

विद्यालय में 10.6 शिक्षक है । शिक्षकों की स्थिति में सुधार के साथ महिला शिक्षकों की संस्था में भी काफी वृद्धि हुई है । वर्ष 2006–07 के आँकड़ों के अनुसार कुल शिक्षकों में महिला शिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में 40.89 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 44.46 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 53.67 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 38.52 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 36.29 प्रतिशत है ।

प्रशिक्षित शिक्षकों में प्राथमिक स्तर पर 39.90 प्रतिशत पुरुष तथा 38.38 प्रतिशत महिलायें है । उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 33.99 प्रतिशत पुरुष, 34.73 प्रतिशत महिलायें, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में 14.18 प्रतिशत पुरुष, 13.26 प्रतिशत महिलायें, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 29. 22 प्रतिशत पुरुष, 25.18 प्रतिशत महिला तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 18.38 प्रतिशत पुरुष, 20.06 प्रतिशत महिला है ।

शासन स्तर से विद्यालय में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात को तर्कसंगत बनाने के लिए पैरा शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है । वर्तमान कार्यरत कुल शिक्षकों में पैराशिक्षक का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 15.49 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक के संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 6.28 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में 3.64 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3.85 प्रतिशत तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6.95 प्रतिशत है ।

महिला शिक्षकों की स्थिति : इण्डियन एजूकेशनल रिपोर्ट नीपा नई दिल्ली के 2001–02 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत निम्नानुसार है –

(आंकडे हजार में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर			
	कुल	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	कुल	पुरुष	महिला	महिलाओं का प्रतिशत
1950–51	538	556	82	15	86	73	13	15
1960–61	742	615	127	17	345	262	83	24
1970–71	1080	835	225	21	638	463	175	27
1980–81	1363	1021	342	25	851	598	253	30
1990–91	1616	1143	473	29	1073	717	356	33
1997–98	1872	1229	643	34	1212	775	437	36

स्रोत – इण्डियन एजूकेशनल रिपोर्ट नीपा नई दिल्ली 2001–02 पृष्ठ 42

1.04.0 उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्यः प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की गई है और कुछ परियोजनायें वर्तमान में संचालित है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के फलस्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें अधिगम तथा ठहराव में आने वाली बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य और प्रावधान रखा गया । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जिलों (जिलों के पुर्नगठन के बाद इनकी संख्या 17 हो गई थी) में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना संचालितकी गई जो वर्ष 2000 में समाप्त हुई । वर्ष 1997 से उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय तथा 32 जिलों में वर्ष 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय संचालित किया गया । इसके अतिरिक्त लखनऊ जिले में वर्ष 1998 से जनशाला कार्यक्रम संचालित किया गया । वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001–02 से संचालित है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है तथा जा रहे है । विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है । समुदाय को जागरुक बनाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको उनके अधिकारों एवं दायित्व से अवगत कराया गया है । विषय वस्तु को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं जेण्डर/ समाजिक भेद मुक्त बनाया गया है । शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है । संकुल केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है । बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग

एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपी उपाय किये जा रहे है । विभिन्न हस्ताक्षेपी उपाय के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति: वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधक प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 122941 (72.76 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 6219 (3.68 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 699 (0.41 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 37350 (22.10 प्रतिशत) तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1689 (1.00 प्रतिशत) है । उत्तर प्रदेश में 2.8 प्राथमिक विद्यालय के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 1994 के बाद प्रदेश में 40.31 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 50.43 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 33.76 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 61.28 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 12.61 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये है ।

भवन की स्थिति : प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निमार्ण कार्य कराया गया है और आगे कराया जा रहा है उसके बावजूद अभी तक विभिन्न कारणों से शतप्रतिशत विद्यालयों में पक्का भवन नहीं उपलब्ध कराया जा सका है । वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालय के प्रकारवार भवनों की स्थिति का प्रतिशत निम्नानुसार है–

विद्यालय का प्रकार	भवन की स्थिति					
	पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	जनकारी अप्राप्त
प्राथमिक विद्यालय	96.44	1.04	0.15	0.03	1.53	0.82
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	92.60	1.74	0.21	0.03	4.42	1.00
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	93.84	1.29	0.00	0.00	4.15	0.72
उच्च प्राथमिक विद्यालय	96.05	0.70	0.04	0.01	1.98	1.23
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	94.55	0.36	0.06	0.00	3.97	1.07
सभी प्रकार के विद्यालय	96.14	0.98	0.13	0.02	1.77	0.96

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

कक्षाकक्ष की स्थितिः विद्यालय के प्रकार के अनुसार वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 3.4, उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 6.0, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 7.9, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 3.9 तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 10.3 कक्षा कक्ष है । कक्षा– कक्षों का वितरण निम्नानुसार है –

(प्रतिशत में)

कक्षा–कक्षों की संख्या	विद्यालय के प्रकार				
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
एक कक्षीय	0.86	0.32	0.72	0.38	0.36
दो कक्षीय	22.02	2.52	3.29	2.52	1.78
तीन कक्षीय	30.90	9.31	11.16	41.02	7.93
चार से छः कक्षीय	40.45	28.69	23.03	44.21	23.51
सात से दस कक्षीय	4.96	42.69	26.47	7.67	18.95
ग्यारह से पंद्रह कक्षीय	0.60	11.95	15.88	1.91	18.24
पंद्रह से अधिक	0.15	3.42	18.03	0.95	27.41

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार कक्षाकक्ष की स्थिति विद्यालय के प्रकार के अनुसार निम्नानुसार है–

(प्रतिशत में)

विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष की स्थिति का प्रतिशत		
	अच्छी स्थिति	आंशिक मरम्मत की आवश्यकता	बृहद मरम्मत की आवश्यकता
प्राथमिक विद्यालय	76.41	19.17	4.42
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	85.48	12.97	1.56
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	87.80	11.01	1.19
उच्च प्राथमिक विद्यालय	8089	15.82	3.29
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	87.33	10.66	2.01
सभी प्रकार के	78.50	17.64	3.86

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

नामांकन की स्थिति: वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 25649289 बच्चे नामांकित है जिसमें से 13117860 (51.14 प्रतिशत) बालक एवं 12531429 (48.86 प्रतिशत) बालिका है । लैगिंक समानता अनुपात 0.96 है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 6513225 बच्चे नामांकित है जिसमें से 3433354 (52.71 प्रतिशत) बालक एवं 3079871 (47.29 प्रतिशत) बालिका है । लैगिंक समानता अनुपात 0.90 है । भारत देश का प्राथमिक स्तर पर लैगिंक समानता अनुपात 0.93 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लैगिंक समानता अनुपात 0.91 है।

अनुसूचित जाति का नामांकन : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबधंन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 27.03 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 48.45 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 27.41 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 46.86 प्रतिशत) है । जबकि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 0.59 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 46.88 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.54 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 43.87 प्रतिशत) है ।

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति: वर्ष 2002–2003 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नामांकन			लैगिंक समानता अनुपात
		बालक	बालिका	योग	
1.	प्राथमिक विद्यालय	75000	54653	129653	0.73
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	16917	12911	29828	0.76

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

शिक्षकों की स्थिति: वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उनसे संलग्न विद्यालयों में 608638 शिक्षक कार्यरत है जिनमें से 72.80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 5.42 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में, 0.62 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में, 19.64 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.52 प्रतिशत हाईस्कूल

एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत है । प्रति विद्यालय औसतन शिक्षक निम्नानुसार कार्यरत है–

विद्यालयों का प्रकार				
प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
3.6	5.3	5.4	3.2	5.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

पैरा शिक्षकों की संख्या: वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में कार्यरत पैराशिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है–

विद्यालय का प्रकार	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	72813	80962
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	326	199
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	23	12
उच्च प्राथमिक विद्यालय	256	89
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	66	10
कुल	73484	81273

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

शिक्षकों की योग्यता : प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	शिक्षकों की योग्यता							
	सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल/पीएच.डी.	अन्य	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	4.28	11.71	26.00	35.93	21.56	0.36	0.13	0.03
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3.22	14.27	14.27	41.69	26.01	0.25	0.18	0.09
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3.76	3.25	13.44	40.56	37.88	0.54	0.19	0.40
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.21	3.82	27.89	38.41	26.33	0.23	0.06	0.03
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1.97	2.29	7.47	36.35	51.23	0.43	0.11	015

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

पैरा शिक्षकों की योग्यताः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	पैरा शिक्षकों की योग्यता				
	जे.वी. ,जे.वी.टी. या उसके समकक्ष	एस.वी., सी.वी., एस.बी.टी. या उसके समकक्ष	एल.टी., बी.टी., बी.एड़. या उसके समकक्ष	एम.एड़. या उसके समकक्ष	जनकारी अप्राप्त
प्राथमिक विद्यालय	55.25	2.51	10.17	1.26	30.80
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	65.99	1.45	20.35	1.74	10.47
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25.00	8.33	45.83	12.50	8.33
उच्च प्राथमिक विद्यालय	63.37	5.13	25.27	1.47	4.76
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	26.32	3.51	56.14	5.26	8.77

शिक्षक प्रशिक्षण : वर्ष 2005–06 में पैरा शिक्षक सहित प्रदेश में निम्नाकित शिक्षकों नें सेवा पश्चात प्रशिक्षण वर्ष 2005–06 में प्राप्त किया है –

(प्रतिशत में)

विद्यालय का प्रकार	लिंग	
	बालक	**बालिका**
प्राथमिक विद्यालय	17.78	19.07
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1.26	1.31
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1.70	1.45
उच्च प्राथमिक विद्यालय	14.07	14.00
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.55	0.49

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी अनुपातः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार –

- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 1:55 उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:61, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:63, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:44 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:48 कक्षा–विद्यार्थी अनुपात है ।

- उत्तर प्रदेश के 12.81 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 23.33 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 24.03 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 9.92 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 13.50 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 100 से अधिक है ।
- प्रदेश के 52.18 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 40.11 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 27.68 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 25.79 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 20.16 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है ।

अन्य भौतिक संसाधनः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पेय जल, शौचालय कम्प्यूटर रैप एवं खेल के मैदान की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है ।

विद्यालय का प्रकार	स्वच्छ पीने का पानी	शौचालय	लड़कियों के लिये शौचालय	कम्प्यूटर सुविधा	रैंप की सुविधा	खेल का मैदान
प्राथमिक विद्यालय	98.37	86.97	76.65	4.17	32.83	63.83
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	96.97	94.57	90.59	11.56	14.46	82.83
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	95.65	92.85	88.70	14.02	14.59	86.12
उच्च प्राथमिक विद्यालय	93.04	89.80	80.63	6.37	25.97	68.09
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	99.25	94.91	90.76	11.84	10.30	89.70
सभी विद्यालय	97.20	87.94	78.20	5.04	30.32	65.79

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत : वर्ष 2006–2007 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के बोर्ड परीक्षा में उपलब्धि के स्तर की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	पाठ का प्रतिशत	प्राथमिक स्तर कक्षा 5		उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	96.92	96.74	96.40	94.31
2.	60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण का प्रतिशत	33.36	31.92	32.34	18.65

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

1.05.0 प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में बालिका शिक्षा की स्थिति : भारत विश्व में चीन के बाद द्वितीय बड़ा शैक्षिक निकाय है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 54.56 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 75.86 प्रतिशत है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 के ऑकड़ों के अनुसार महिला एवं पुरुष साक्षरता दर क्रमशः 42.93 एवं 70.23 प्रतिशत है । भारत शिक्षा विकास प्रतिवेदन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के वर्ष 1997–98 के आंकड़ों के अनुसार देश में 610,763 प्राथमिक, 185,506 उच्च प्राथमिक तथा 107,100 हाई स्कूल/हाई सेकण्डरी स्कूल, 7199 सामान्य शिक्षा के लिये कालेज, 2075 व्यावसायिक कालेज, 229 विश्वविद्यालय है, जिनमें 109 मिलियन बच्चे कक्षा 1 से 5 में, 39. 5 मिलियन बच्चे 6 से 8 में तथा 27.3 मिलियन बच्चे कक्षा 9 से 12 में नामांकित है । 43. 62 प्रतिशत बालिकाये प्राथमिक स्तर पर, 40.12 प्रतिशत बालिकाये उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा 37.09 प्रतिशत बालिकाये हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल स्तर पर नामांकित है । विभिन्न वर्ष में कुल नामांकन में बालिकाओं के नामांकन की हिस्सेदारी निम्नानुसार रही –

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की हिस्सेदारी : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं नीपा ई.एम. आई. एस. रिपोर्ट 2006–07 के अनुसार विभिन्न वर्ष में बालिकाओं की नामांकन में हिस्सेदारी का प्रतिशत निम्नानुसार रहा–

(प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर (I-V)	उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII)
1950–51	28.1	6.1
1960–61	32.6	23.9
1970–71	37.4	29.3
1980–81	38.6	32.9
1990–91	41.5	36.7
1997–98	43.6	40.1
2002–03	47.18	44.2
2006–07	48.86	47.29

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं नीपा ई.एम. आई. एस. रिपोर्ट 2006–07

वर्ष 1997–98 में प्राथमिक स्तर पर नामांकित 43.62 प्रतिशत लड़कियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 42.59 तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 42.82 है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की 42.12 प्रतिशत लड़कियों में अनुसूचित जाति कि लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 38.49 तथा अनुसूचित जनजाति का 37.09 प्रतिशत है । वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार कुल नामांकन में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के नामांकन में निम्नानुसार हिस्सेदारी है –

वर्ग	प्राथमिक स्तर (I-V)		उच्च प्राथमिक स्तर (VI-III)	
	सभी	बालिका	सभी	बालिका
अनुसूचित जाति	27.03	48.45	27.41	46.86
अनुसूचित जनजाति	0.59	46.88	0.54	43.87

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ 2006–07

वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश का समता सूचकांक प्राथमिक स्तर पर 0.96 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.90 है ।

नामांकन अनुपात : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग के वर्ष 1950–51 से 2006–07 के आकड़ों के अनुसार देश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राथमिक स्तर (I-V)			उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII)		
	बालक	बालिका	सभी	बालक	बालिका	सभी
1950–51	60.8	24.9	42.6	20.8	4.3	12.9
1960–61	82.6	41.4	62.4	33.2	11.3	22.5
1970–71	96.5	60.5	78.6	46.3	19.4	33.4
1980–81	95.8	64.1	80.5	54.3	28.6	41.9
1990–91	113.9	85.5	100.1	76.6	47.0	62.1
1997–98	97.5	81.2	89.7	66.5	49.5	58.5
2006–07	51.14	48.86		52.71	47.29	

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा विभाग एवं ई.एम.आई.एस आंकड़े 2006–07

लड़कियों के बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के ऑकड़ों के अनुसार देश में बालिकाओं का प्राथमिक स्तर की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत 96.63 तथा उच्च प्राथमिक स्तर की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत 96.44 है । प्राथमिक स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का प्रतिशत 65.74 है जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 38.46 प्रतिशत है ।

1.06.0 प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ : भारत में शिक्षा व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में एक है । शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है । बैंटिग की 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया । आदेश पत्र ने यह मत प्रकट किया गया कि सम्पूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाय । 1854 के बुड़के "आदेशपत्र" के फलस्वरूप शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हुए । वर्ष 1882–1883 में भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् सुझाव दिए ।

लार्ड कर्जन (1898–1905) ने भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से 1901 में "शिमला शिक्षा सम्मेलन" का स्वयं सभापतित्व किया । उसके पश्चात् उसने "भारतीय विश्वविद्यालय आयोग" की नियुक्ति की, "भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम" पारित करवाया, और "शिक्षा–नीति सम्बन्धी प्रस्ताव" में लार्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का प्रमुख दायित्व बताया जिसके फलस्वरूप 1705 के बाद प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता दृष्टिगोचर हुई । इसके बाद जार्ज पंच ने 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में सम्पूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाने की बात कही । वर्ष 1929 में गठित हर्टाग समिति ने शिक्षा के अनेक कमियों की ओर ध्यान दिया तथा उन्होंने शिक्षा के गुणात्मक तथा संस्थात्मक विस्तार का सुझाव दिया । हटार्ग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप भारत–सरकार ने सन् 1935 में "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड" की पुनः स्थापना की । इस बोर्ड ने बच्चों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया । हर्टाग समिति की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । पहली बार ब्रिटिश काल में प्रारम्भिक शिक्षा के कार्य के विस्तार में बाधक समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया ।

हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने 1937 में बर्धा शिक्षा सम्मेलन में 'नई तालीम' जिसे 'वर्धा शिक्षा योजना' के नाम से पुकारा जाता है को प्रारम्भ किया । उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करें । उन्होने शिक्षा को उत्पाद से जोड़ा । वर्ष 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट 12 भागों में प्रकाशित की गई । इसमें पूर्वप्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक और शिक्षा के अनेक अन्य अंगों पर विस्तार से विचार किया गया । लेकिन ग्रामीण शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं दिया ।

समय–समय पर प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई । विभिन्न समितियों ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निम्नानुसार सुझाव दिये –

1.06.1 सार्जेन्ट रिपोर्टः तत्कालिक भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेन्ट ने भारत के युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर 1944 में एक 12 अध्यायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिस की । सिफारिस में कहा गया कि – 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों के लिये सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक या बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय । रिपोर्ट में अपव्यय को रोकने के लिये, शिक्षा को अनिवार्य बनाने और अनिवार्यता को कार्यान्वित करने के लिये 'उपस्थिति' निरीक्षक पदाधिकारी नियुक्त किये जाये की सिफारिस की गई । रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तो का समर्थन, परन्तु शिक्षा को आत्म–निर्भर बनाने का विरोध किया गया । कहा गया कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओ का विक्रय कठिन है । बेसिक शिक्षा के काल को दो भागों में विभक्त किया गया – जूनियर बेसिक (6–11) और सीनियर बेसिक (11–14) । जूनियर बेसिक के विद्यालयों में सह शिक्षा को अनुपयुक्त बताया गया । शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो । जूनियर बेसिक के विद्यालयों में अग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया, पर सीनियर बेसिक विद्यालयों में इसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार प्रान्तीय शिक्षा विभाग को दे दिया गया । बाह्य परीक्षा के स्थान पर आन्तरिक परीक्षा को उचित बताया गया, जिसकी समाप्ति के उपरान्त प्रमाण–पत्र देना आवश्यक बताया गया ।

1.06.2 हंटर कमीशनः लार्ड रिपन ने भारत के गवर्नर जनरल का कार्य–भार सम्भालने के बाद 3 फरवरी 1982 में अपनी कार्य कारणी के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया । आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नानुसार सुझाव दिये –

- प्राथमिक शिक्षा का उददे्श्य उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी तैयार करना न होकर जन–शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ।
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक जीवनोपयोगी होना आवश्यक है ।
- प्राथमिक शिक्षा में ऐसे विषयों को स्थान दिया जाय जो कि छात्रों को स्वावलम्बी बना सकें और व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध हों । आयोग ने देशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया । आयेंग ने मुस्लिम, स्त्री, प्रौढ़ एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालकर सर्वप्रथम इस क्षेत्र में सबका ध्यान आकर्षित कराया ।

हंटर कमीशन ने पाठ्यक्रम के संबंध में प्रत्येक प्रान्त को अपनी सुविधानुसार पाठ्य विषय निर्धारित करने की छूट दी, पर भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, बहीखाता आदि कुछ ज़ीवनोपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित करने की सिफारिस की । साथ ही प्राथमिक विद्यालयों का स्तर ऊँचा उठाने के उददेश्य से अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए नार्मल स्कूल खोलने का सुझाव दिया ।

1.06.3 हर्टांग समिति : वर्ष 1929 में तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था की जॉच के लिए गठित हर्टांग समिति प्राथमिक शिक्षा की समस्या का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी । समिति के अनुसार इसका प्रमुख कारण यह था कि पिछले समय में उच्च शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की अवहेलना की गई थी । समिति ने कहा कि यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो रहा था तथापि वह संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके मांग में अधोलिखित विशेष कठिनाइयाँ थी –

- देश की एक अति विशाल जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है । अतः प्राथमिक शिक्षा एक ग्रामीण समस्या है । नगरों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सरलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु ग्रामों में यह कार्य अति दुष्कर है ।
- ग्रामों के विद्यालय छोटे होते हैं । उनके लिये शिक्षक प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ग्रामीण वातावरण में निवास करना पसन्द नहीं करते हैं । ग्रामीण विद्यालयों के निरीक्षण में असुविधा का सामना करना पड़ता है ।
- ग्राम–निवासी अशिक्षित, निर्धन और रूढ़िवादी है । अतः वे शिक्षा की उपादेयता को नहीं समझते हैं । इसीलिये वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं । फिर बच्चों को शिक्षा देने में उन्हें आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि उन्हें कृषि–कार्य के लिये अन्य व्यक्तियों को रखना पड़ता है ।
- प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है । बच्चों के लिये दूसरे गाँव के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाना कठिन होता है, क्योंकि प्राकृतिक बाधायें, आवागमन के साधनों का अभाव एवं मौसमी बीमारियाँ उनके मार्ग में अवरोध डालती है ।
- बहुत से पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया है ।

- बालकों को अपने माता–पिता के साथ कृषि–कार्य करना पड़ता है । अतः कार्य की अधिकता हो जाने पर वे विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते है ।
- जातीय, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भेद–भाव प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है ।
- कुछ क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है । अतः वहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एक दुरूह कार्य हो जाता है ।

प्राथमिक शिक्षा के दोषों का विवेचन करने के उपरान्त समिति ने उनके निवारण के लिये निम्नांकित सुझाव दिये –

- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक है, परन्तु इसके लिए शीघ्रता करना उचित न होगा । जिस क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू की जानी है उसका पहले अध्ययन किया जाय और वहाँ के लिये एक उपयुक्त योजना तैयार की जाय ।
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर जोर न देकर गुणात्मक उन्नति पर बल दिया जाय और प्राथमिक शिक्षा को ठोस बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय ।
- शिक्षा को ठोस बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय ।
- जो विद्यालय छोटे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या अति न्यून है और जिनमें शिक्षण की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, उन्हें समाप्त कर दिया जाय ।
- प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम शिक्षा–अवधि 4 वर्ष होनी चाहिये और उनके शिक्षण–स्तर को ऊँचा उठाने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय ।
- विद्यालयों के पाठ्यक्रम को वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार अधिक उदार तथा उपयुक्त बनाया जाय और उसे व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित किया जाय ।
- विद्यालयों का समय, अवकाश एवं कार्यक्रम स्थानीय ऋतु एवं आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाय ।
- विद्यालयों की निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसमें होने वाले अपव्यय तथा अवरोधन को समाप्त करने के लिये दृढ़ प्रयास किया जाय ।
- विद्यालयों में ग्राम–सुधार का कार्य रखा जाय, उसमें सफाई, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सहकारिता आदि गुणों का विकास किया जाय और उन्हें सामान्य चिकित्सा, मनोरंजन तथा प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बनाया जाय जिससे गॉव की उन्नति हो सके ।

- शिक्षकों के शिक्षण–स्तर को ऊँचा उठाया जाय । उनके प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि की जाय । प्रशिक्षण–विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाय । उनमें अभिनवन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायं ।
- शिक्षकों की वेतन–वृद्धि की जाय और उनके सेवा–प्रतिबन्धों में सुधार किया जाय, जिससे योग्य व्यक्ति शिक्षण–कार्य के प्रति आकर्षित हों ।
- सरकार को स्वयं प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण व नियंत्रण का उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिये । विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाय ।
- प्राथमिक शिक्षा को संगठित एवं विस्तृत करने का उत्तरदायित्व सरकार का है । अतः उसे पूर्णतया स्थानीय संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना चाहिये, जैसा कि किया गया है ।

1.06.4 कोठारी कमीशन : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत सरकार ने देश की प्रारम्भिक शिक्षा को सुनियोजित और सुगठित करने का दृढ़ निश्चय किया । इसके लिए 1964 एक आयोग का गठन किया गया जिसे कोठारी कमीशन नाम दिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की नियुक्ति का मूल लक्ष्य देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना था और इस प्रकार इस आयोग की नियुक्ति का मूल उद्देश्य शिक्षा के विविध स्तरों का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की संतृप्ति करना था । राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने कार्यक्रम को निर्धारित करने के पश्चात् शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया और आवश्यक जानकारी के लिये भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया । तदुपरान्त शिक्षा सम्बन्धी विविध समस्याओं का अध्ययन के पश्चात् उसने अपने लगभग डेढ़ हजार पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 29 जून, 1965 को भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री को सौंप दी ।

कोठारी आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि हमारे सम्मुख जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनका समाधान शिक्षा के द्वारा सम्भव है । हमारी प्रमुख समस्याएं खाद्य सामग्री में आत्म–निर्भरता, बेरोजगारी का अन्त, सामाजिक और राजनीतिक एकता और राजनीतिक विकास है । इस सम्बन्ध में आयोग का कथन है कि शिक्षा को इस रूप में ढ़ाला जाय कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके । सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि सामान्य विद्यालय प्रणाली के लक्ष्य को 20 वर्ष के अन्दर पूरा किया जाय और सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बना दिया जाय तथा प्रत्येक जिले में श्रम और सामाजिक

सेवा शिविरों की व्यवस्था की जाय जिसमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य हो । प्रजातंत्र की सुदृढ़ता ने लिये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । शिक्षा का आधुनीकरण हो और प्रत्येक शिक्षा संस्था में नैतिक, सामाजिक और आध्यमिक मान्यताओं की शिक्षा प्रदान की जाय ।

शिक्षा को संरचना के विषय में आयोग का मत है कि सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष हो । पहली कक्षा में 6 वर्ष से कम की आयु के बालकों की भर्ती की जाय । सामान्य कक्षा के पूर्व 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो । माध्यमिक शिक्षा का कार्य 7 या 8 वर्ष रखा जाये । इनमें से 5 वर्ष निम्न माध्यमिक स्तर के लिये हों और 3 या 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स हो । द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 से 3 वर्ष निश्चित की जाय । प्राथमिक स्कूलों में वर्ष में 39 सप्ताह और माध्यमिक स्कूलों में 36 सप्ताह शिक्षण काल की व्यवस्था हो । वर्ष में 10 से अधिक छुट्टियाँ न हों । स्तरोन्नयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा उद्देश्यों की अन्य देशों से तुलना करके निर्धारित की जाय ।

कोठारी आयोग ने शिक्षकों की स्थिति सुधारने के विषय में भी सुझाव दिये है । उसका यह सुझाव है कि सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों को समान सुविधायें और समान वेतनक्रम प्राप्त होना चाहिए । आयोग ने अध्यापक शिक्षा के भावी रूप पर बहुत अधिक चिन्ता व्यक्त की और अध्यापकों की शिक्षा के लिए नवीन विद्यालयों की स्थापना और प्राचीन विद्यालयों में सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये । प्राथमिक शिक्षा के उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने सेकेन्डरी स्कूल का कोर्स उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष रखी जानी चाहिए । धार्मिक शिक्षा के स्नातक शिक्षकों के कुछ समय के लिए एक वर्ष की रखी जाय जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी जाय । एम0एड0 की उपाधि भी दो वर्ष में दी जाय । प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जाय और अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाय ।

निरक्षरता का उन्मूलन किया जाय और शैक्षिक स्तरों की समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाय । शैक्षिक स्तरों की समानता के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक या इससे पूर्व निम्न–माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय । उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को निःशुल्क देने के हेतु सबसे पहले 38 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय । अन्य खर्चों में कमी की जाय और छात्रवृत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में दी

जायं । शिक्षा के विस्तार के हेतु आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के राजकीय शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक केन्द्र की स्थापना की जाय । हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि 1985–86 तक देश के समस्त भागों में सात वर्षों की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जाय । धार्मिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के 50 प्रतिशत छात्रों की प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाय । आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों को निर्धारण करके पाठ्यक्रमों में कार्य–अनुभव को विशेष महत्व प्रदान करने पर बल दिया । प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी बल दिया । शारीरिक शिक्षा, कला एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता भी अनुभव की । आयोग ने बालक और बालिकाओं के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया और साथ ही यह भी सुझाव दिया कि बालकों के पाठ्यक्रम में गृह–विज्ञान, संगीत और ललित कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय ।

भाषा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए – भावात्मक एकता को ध्यान में रखकर, उसके लिए नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि सभी लोगों को तीन भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए । उसका मूल उद्देश्य था उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की किसी भाषा की शिक्षा देना और दक्षिणी भारत के लोगों को उत्तर भारत की भाषा की शिक्षा देना तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना । आयोग ने इन तीन भाषाई प्रणाली में संशोधन का सुझाव दिया है । आयोग की सिफारिसे के अनुसार प्रत्येक आधुनिक भारतीय भाषा का कुछ साहित्य देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में प्रकाशित किया जाना चाहिए । यह सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि भारतीय भाषाओं का अध्ययन लिपियों के अन्तर के कारण कठिन हो जाता है ।

1.06.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथा संशोधित 1992 तथा अनुवर्ती कार्ययोजना 1992 के अन्तर्गत सार्वभौम नामांकन के साथ ही सार्वभौम नियमित उपस्थिति, लिंग समता, सामान्य विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था, अवसरों की समानता, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने में समुदाय की सक्रिय सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सम्प्राप्ति आदि पक्षों पर अधिक बल दिया गया । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 'सभी के लिए शिक्षा' बुनियादी लक्ष्य रखा गया। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति, बालकेन्द्रित दृष्टिकोण तथा विद्यालय सुधार के संकल्प व्यक्त किये गये । इसके अतिरिक्त इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों, पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों तथा विकलांग बच्चों के लिये भेदरहित

शिक्षा पर विशेष बल दिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्ष 1992 में संशोधन हुआ तथा एक नयी कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) निर्धारित हुई । इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया ।

- सभी के लिए शिक्षा, सफलता और उच्च स्तर की प्राप्ति ।
- शिक्षा का समान ढाँचा ।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। प्रत्येक चरण में अध्ययन का स्तर ।

प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया गया; (1) 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों को विद्यालयों में भर्ती और उसका विद्यालय में टिके रहना, और (2) शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार । इसके लिए निम्न पर बल दिया गया–

बच्चों को विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायता तब मिलती है जब वहाँ का वातावरण प्यार, अपनत्व और प्रोत्साहन से भरा हो और विद्यालय के सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हों । प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल–केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए । पहली पीढ़ी के सीखने वाले बच्चों को अपनी गति से आगे बढ़ने देना चाहिए और उनके लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । ज्यों–ज्यों बच्चे बड़े होंगे उनके सीखने में ज्ञानात्मक तत्व बढ़ते जाएंगें और अभ्यास के द्वारा वे कुछ कुशलताएं भी ग्रहण करते चलेंगे । प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में फेल न करने की प्रथा जारी रखी जायेगी । बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जायेगा । शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जायेगा और विद्यालय के समय का और छुट्टियों का निर्णय भी बच्चों की सुविधा को देखते हुए किया जायेगा ।

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल हैं । हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होंगे, जिनमें एक महिला होगी । यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक–एक शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी । पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा की सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरु किया जायेगा जिसका सांकेतिक नाम "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" होगा । इस कार्य में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा ।

ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गये है, या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकतीं, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जायेगा । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधुनिक टेक्नालॉजी के उपकरणों की सहायता ली जायेगी । इन केन्द्रों में अनुदेशक के तौर पर काम करने के लिये स्थानीय समुदाय के प्रतिभावान और निष्ठावान युवकों और युवतियों को चुना जायेगा और उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायेगी । अनौपचारिक धारा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे योग्यतानुसार औपचारिक धारा के विद्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे । इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा कि अनौपचारिक शिक्षा का स्तर औपचारिक शिक्षा के समतुल्य हो ।

1.06.6 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कियान्यवन तथा उससे प्राप्त अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1992 में उसमें कतिपय संसोधन की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा महसूस की गई । इसमें निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया–

- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में तीन बड़े कमरे तथा अध्यापक उपलब्ध कराये जायेगें ।
- भविष्य में नियुक्ति होने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलायें होगी ।
- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार किया जायेगा ।
- विद्यालय त्यागी बच्चों, स्कूल जाने में असमर्थ काम काजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं विस्तृत किया जयेगा ।

1.06.7 यशपाल समिति(1993) : स्कूली बच्चों पर से बस्ते का बोझ कम करना और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष प्रो. यशपाल थे, इसके अतिरिक्त समिति में छः सदस्य भी थे । समिति ने बस्ते के बोझ व गुणवत्ता को लेकर विभिन्न शिक्षाविदों, पाठ्यक्रम निर्माताओं, पाठ्यपुस्त लेखकों, विभिन्न शिक्षा मंडलों, वैज्ञानिको, शिक्षाविदों, पुस्तक प्रकाशकों , हेड़मास्टरों तथा प्राचार्यों व अनेक लोगों से चर्चा कर रिर्पोट तैयार की । यशपाल समिति ने बच्चों के विकास में बच्चे के बोझ को बाधा माना है । यह बोझ पाठ्यक्रम के बोझ में ज्ञान के विस्फोट के संदर्भ में देखा गया है । यह

ज्ञान के विस्फोट की अवधारणा बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास में भी बाधक है । यशपाल समिति की रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो कि यर्थाथ है ।

- क्या जो न्यूनतम स्तर राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गये हैं, वे बच्चों को बोझ मुक्त जानकारी, दबाव से मुक्त और रटने एवं रटा हुआ परीक्षा में उगल देने की प्रवृत्ति से मुक्त है ?
- न्यूनतम अधिगम स्तर स्वयं बोझिल नहीं है और वे भी दक्षताओं के सहज विकास में बाधक नहीं है ।
- क्या ऐसा नहीं लगता कि न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण की प्रक्रिया प्रौढ़ शिक्षाविदों ने अपने अनुमानों और ज्ञान के विस्फोट के अवधारणा के आधार पर की है ।
- क्या प्रशिक्षण के देने से न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित दक्षता हासिल करने में शिक्षक सक्षम हो जायेंगें ।
- क्या न्यूनतम अधिगम स्तर, न्यूनतम मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रख कर रखे गए हैं ।

इस तरह से अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके कारण खोजने होंगे । यशपाल समित ने गुणवत्ता और बस्ते के बोझ के लिए कई कारण बताये हैं जैसे – नीरस शिक्षा, दोष पूर्ण परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तक दोषपुर्ण पाठ्यक्रम की संरचना आदि अनेक कारक है । समिति ने इन सब बातों पर विस्तृत दृष्टि से विचार कर सुझाव भी दिए । जैसे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए । स्कूलों में सामूहिक क्रियाकलाप तथा सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिये । पाठ्यपुस्तकों की लेखन प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए । गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए मापदण्ड अधिक कठोर बनाना चाहिए । शिक्षकों की सतत् शिक्षा को संस्थागत बना देना चाहिए । इस प्रकार यशपाल समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अनेक सुझाव दिए ।

1.06.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने वर्ष 2005 में हमारे विद्यालयीय बच्चों को क्या पढ़ाया जाय और कैसे पढ़ाया जाय, इस ओर जनता का ध्यान ले जाने के लिये इस दस्तावेज जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नाम दिया का निर्माण किया है । इस दस्तावेज में काफी विश्लेषण के साथ ढेर

सारी सलाह दी गई है । इसके अंतर्गत 21 राष्ट्रीय फोकस समूह आधार पत्रक जिसके खण्ड 1 में पाठ्यचर्या क्षेत्र में विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना, कला संगीत और तथ्य तथा हस्तशिल्पों की धरोहर, खण्ड 2 में व्यवस्थागत सुधार के अन्तर्गत शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचार्य नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा, परीक्षा सुधार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा खण्ड 3 में राष्ट्रीय चिंताएँ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याएँ, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, शांति के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा काम और शिक्षा का निर्माण किया गया । इसके खण्ड 1 परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत परिचय, पश्चावलोकन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मार्गदर्शक सिद्धान्त, गुणवत्ता के आयामी, शिक्षा का सामजिक संदर्भ, शिक्षा के लक्ष्य : खण्ड 2 सीखना और ज्ञान के अंतर्गत सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता, विद्यार्थी को संदर्भ में रखना, विकास और सीखना, पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिये निहितार्थ (ज्ञान सृजन के लिये अध्यापन, अंतः क्रिया का मूल्य, शैक्षिक अनुभवों की रूपरेखा बनाना, नियोजन के उपागम, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र) ज्ञान एवं समझ (बुनियादी क्षमताएँ, व्यवहार में ज्ञान, समझ के रूप) ज्ञान को फिर से रचना, बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान, स्कूली ज्ञान और समुदाय, कुछ विकासमूलक विचार; खण्ड 3 पाठ्यचार्य के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएँ और आंकलन के अंतर्गत भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिये शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएँ, आंकलन और मूल्यांकन; खण्ड 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण, सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान, पाठ्यचर्या के स्थल और अधिगम के संसाधन, समय, शिक्षक की स्वायत्ता और व्यावसायिक स्वतंत्रता तथा खण्ड 5 व्यवस्थागत सुधार के अन्तर्गत गुणवत्ता को लेकर सरोकार, पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए शिक्षक–शिक्षा, परीक्षा सुधार, काम केन्द्रित शिक्षा, विचार और व्यवहार में नवाचार तथा नयी साझेदारियाँ । इस दस्तावेज में पूर्व में प्रकाशित दस्तावेज तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । यह दस्तावेज बार–बार बच्चों पर पाठ्यचर्या के बोझ के सवाल की ओर लौटता है । इस दस्तावेज में बच्चों पर पड़ने वाले

शिक्षा के बोझ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया परीक्षा, प्रणाली, बच्चों की रूचि, बच्चों की भाषा आदि के बारे में सुझाव दिये गये हैं । इस दस्तावेज का आरम्भ रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध "सभ्यता और प्रगति" के एक उद्धरण से होता है, जिसमें कविगुरू हमें यह दिखाते है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है ।

सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिहि्नत किए गए है । जिसमें विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नयी स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता । दस्तावेज के अनुसार यदि शिक्षा को जीने के लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना होगा तथा साथ ही ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होनी जो तनाव तथा बोझ मुक्त हो । दस्तावेज में बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर पड़ने वाले तनाव एवं बोझ को दूर करने के लिये पाँच निर्देशक सिद्धान्त दिये है : (1) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना; (2) पढ़ाई, रटन्त प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना; (3) पाठ्यचर्या को इस तरह संवर्द्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाए इसके कि पाठ्यपुस्तक – केन्द्रित बनकर रह जाए ; (4) परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और (5) एक ऐसी अधिभाषी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों । इसके लिये पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करें ताकि सभी बच्चों को उस पर मिल सके । शिक्षण का उद्देश्य बच्चे की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए । ज्ञान को सूचना से अलग करने की जरूरत है और शिक्षण को एक पेशेवर गतिविधि के रूप में पहचानने की जरूरत है न कि तथ्यों के रटने और प्रसार के प्रशिक्षण के रूप में । दस्तावेज में कहा गया है कि सकिय गतिविधि के जरिए ही बच्चा अपने आसपास की

दुनिया को समझने की कोशिश करता है । इसलिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि बच्चे को खुद को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में और स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद मिले ।

दस्तावेज में विद्यालयीय पाठ्यक्रम के चार क्षेत्रों भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है । अपने सुझाव में कहा है कि शिक्षा आज की और भविष्य की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बन सके और बच्चों को उस दबाव से मुक्त किया जा सके जो वे आज झेल रहे हैं । दस्तावेज में विषयों के बीच की दीवारों को नीचे करने की बात कही गई है ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनन्द मिल सके और किसी चीज को समझने से मिलने वाली खुशी हासिल हो सके । दस्तावेज में त्रिभाषी फार्मूले को लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया है ।

दस्तावेज गणित शिक्षा के प्रति विद्यमान समस्याओं जैसे गणित से बच्चे डरते हैं, अध्यापकों में आत्मविश्वास की कमी, समस्याएँ अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है आदि पर ध्यान केन्द्रि करते हुए ऐसे पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विद्या की बात कहता है, जिससे बच्चे गणित से भयभती होने की जगह उसका आनंद उठाए, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ–साथ काम कर सकते है । बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करे, बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीजों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क कर पाएं तथा अध्यापक प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है । विज्ञान के शिक्षण में इस तरह की तब्दीली की जानी चाहिए कि यह हर बच्चे को अपने रोज के अनुभवों को जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाए । सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावित उपागम ज्ञान के क्षेत्रों की विशिष्ट सीमाओं को पहचानना है और साथ ही महत्वपर्णू मुद्दों के लिए समाकलन पर जोर देता है । दस्तावेज में काम, कला और पारिवारिक दस्ताकारियां, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा एवं शांति । काम के संदर्भ में प्रारम्भिक स्तर से शुरू करते हुए काम को अधिगम से जोड़ने

के लिये बुनियादी कदम उठाने के सुझाव दिये गये है । हर स्तर पर कला को विषय के रूप में जगह दिये जाने पर जोर दिया गया है ।

व्यवस्थागत सुधारों के अन्तर्गत इस दस्तावेज में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल देता है । गुणवत्ता और जबाबदेही बढ़ाने के माध्यम के रूप में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिक सुनिश्चित रूख अपनाकर करने पर जोर देता है । सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक लंबी अवधि का तथा अधिक समग्रता लिए हुए होना चाहिए की सिफारिश करता है ताकि बच्चों को ध्यानपूर्व अवलोकन करने के लिए पर्याप्त अवसर और स्कूलों मे इंटर्नशिप के द्वारा शिक्षा शास्त्रीय सिद्धान्तों को व्यवहार से जोड़ने के पूर मौके मिल सके । दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि पाठ्यचर्या को नवीकृत करने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्थागत कदम होगा जिसमें परीक्षाओं में सुधार, जिसमें खासकर दसवीं और बारहवीं कक्षा में बच्चों और उनके माता–पिता पर बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव की गहराती समस्याओं का कोई समाधान निकाला जा सके । अंत में यह दस्तावेज स्कूल व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है जिसमें गैर सरकारी संगठन और शिक्षक संगठन भी शामिल है ।

1.07.0 प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में भूमंडलीकरण की भूमिका : मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया सदैव ही चलती रही है । सामान्य रूप से भूमण्डलीकरण मानव समाज और संस्कृति के विस्तार की प्रक्रिया की अभिव्यक्त करता है । भूमण्डलीकरण के तीव्र प्रगति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रैद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है और एक प्रकार का भू–राजनैतिक विकास है । यह उस प्रभावशाली विचार धारा का भी परिणाम है जिसका नियमन बाजार द्वारा किया जाता है । भूमण्डलीकरण कुछ आवश्यक तत्वों के माध्यम से चरितार्थ होता है और ये तत्व है समूची पृथ्वी पर व्याप्त बाजारवादी अर्थशास्त्र, तीव्रगति युक्त प्रैद्योगिकी नवाचार जिसमें संचार प्रणाली शामिल है और ऐसे तमाम आयाम जो एक दूसरे पर आंतरिक रूप से निर्भर करते है । भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप अधिकांश सार्वभैमिक किस्म की समस्याएँ किसी एक देश की सीमा रेखा पर ही समाप्त नहीं होती बल्कि वे अपने विश्व व्यापी समाधान की भी मांग करती है । भूण्डलीकरण के इस दौर में शिक्षा एक विकास का महत्वपूर्ण कारक है । यह समाज के सर्वांगीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है । शिक्षा को मानवाधिकार माना जाता है परन्तु

अभी भी सबके लिये सुलभ नहीं हो पायी है । अभी 6 बिलियन लोग शिक्षा से वंचित हैं । इनमें सौ मिलियन से अधिक बच्चों को विद्यालय की सुविधा नहीं है । इन बच्चों में 97 प्रतिशत बच्चे विकासशील देशों के है । इनमें 60 प्रतिशत बालिकाएं है । विश्व जनसंख्या का सातवां भाग निरक्षर है ।

पिछली शताब्दी का अंतिम दशक प्रारम्भिक शिक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है । इस दशक में पहली बार सरकार ने स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत में मिले उस संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद – 45) को देशज संसाधन से पूरा करने के संबंध में असमर्थता व्यक्त कि जिसके तहत सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात थी । यदि विश्व परिदृश्य में शिक्षा के संबंध में चुनौतियों को देखे तो निम्नानुसार तस्वीर परिलक्षित होती है –

- दक्षिणी गोलार्ध में आज भी 90 करोड़ से अधिक लोग निरक्षर है ;
- प्रत्येक 70 बच्चों पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है ;
- विकासशील देशों में चार में से तीन बच्चे ही चौथी कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर पाते हैं । प्राथमिक स्तर पर औसतन 8 प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण होने या अन्य कारणों से पुनः एक वर्ष उसी कक्षा में रह जाते है ;
- विद्यालय त्याग दर और कक्षा में पुनरावृत्ति के कारण शिक्षा के लिए आमंत्रित कुल छात्र का 16 प्रतिशत अपव्यय होता है ;
- विद्यालयीय शिक्षा योग्य विश्व की कुल आबादी में औद्योगिकी देशों का भाग 25 प्रतिशत है । ये देश मानव संसाधन विकास पर विकासशील देशों की तुलना में 6 गुना अधिक खर्च करते हैं । विकासशील देशों में विद्यालयीय शिक्षा योग्य आबादी कुल का 75 प्रतिशत है ।

दुनिया भर में चल रहे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उदारीकरण तथा संरचनात्मक समायोजन का दौर आया । जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक और उससे संबद्ध अंतराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों ने सामाजिक विकास कार्य हेतु लम्बी अवधि की रियायती दर पर निश्चित शर्तों के अन्तर्गत ऋण देने का प्रस्ताव रखा । भारत सरकार ने भी अपने देश की प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से बाह्य एजेंसी से ऋण प्राप्त

किया । प्रथम चरण के तहत विश्व बैंक ने 260.3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 806 करोड़ रूपये) तथा यूरोपियन समुदाय ने 582 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया जिसके अन्तर्गत देश के 42 जिलों में वर्ष 1994 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण 1996–2002 के लिये 425.2 मिलियन अमरीकी डालर आई.आई.डी.ए. से प्राप्त हुआ । नीदरलैंड की सरकार ने गुजरात में डी.पी. ई.पी. के लिए 25.8 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान मंजूर किया । इसी प्रकार डी. एफ.आई.डी. (यू.के.) की तरफ से आंध्रप्रदेश में डी.पी.ई.पी. के लिए 42.5 मिलियन पाउण्ड स्टलिंग (220 करोड़ रूपए) का तथा पश्चिम बंगाल में डी.पी.ई.पी. के लिए 1.7 मिलियन पाउण्ड (207 करोड़ रूपये) का अनुदान प्राप्त किया गया । बिहार के शैक्षिक जिलों में डी. पी.ई.पी. के तीसरे चरण के लिए 152.4 मिलियन अमरीकी डालर (530 करोड़ रूपये) की आई.डी.ए. ऋण तथा यूनीसेफ से 10 मिलियन डालर (36 करोड़ रूपये) अनुदान प्राप्त हुआ । राजस्थान के 10 जिलों में डी.पी.ई.पी. का वित्तपोषण आई.डी.ए. के 85.7 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण द्वारा वर्ष 1993–2003 में किया गया । उत्तर प्रदेश के 38 अतिरिक्त जिलों में डी.पी.ई.पी. के विस्तार के लिए 182.4 मिलियन अमरीकी डालर का आई.डी.ए. ऋण प्राप्त किया गया । पश्चिम बंगाल के पाँच अतिरिक्त जिलों में डी.पी.ई.पी. के विस्तार के लिए डी.एफ.आई.डी. (यू.के.) के 30 मिलियन पाउण्ड स्टर्लिंग का अनुदान प्राप्त किया गया ।

इस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप आये उदारीकरण के दौर में विकाशसील देशों में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में काफी बदलाव आया है तथा आगे भी बदलाव की प्रक्रिया जारी है । इस प्रकार भूमण्डलीकरण का शिक्षा व्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है । यह सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, शिक्षा व्यवस्था के उत्पादक आयाम और शोध तथा विकास की वर्तमान आवश्यकताओं के विशेष संदर्भों के साथ शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सतत दबाव बनाए हुए है ।

1.08.0 प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किए गए कई प्रयासों के बावजूद भी हमारे देश में बहुत से लोग आज भी शिक्षा से वंचित है, जो मानव विकास की एक बुनियादी आवश्यकता है । शिक्षा समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन है ।

सरकार ने शिक्षा को मानवधिकार के रूप में प्राथमिकता देते हुए इसे मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रससर होने के एक साधन के रूप में माना है । शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । शासन स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपेक्षित सफलता नहीं मिली है । सफलता न मिलने के कारण शैक्षिक ह्रास है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के 86 वे संशोधन द्वारा 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त हो गया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, संविधान के अनुच्छेद 45 में यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करें कि संविधान लागू होने के समय से 10 वर्षों के अन्दर 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके । राज्य की जुम्मेदारी को अनुच्छेद 12 में स्पष्ट करते हुए कहा गया कि "सरकार, भारतीय लोक सभा, स्थानीय तथा अधिकारिक वर्ग जो भारतीय क्षेत्र या भारतीय सरकार के नियंत्रण में है, इसके लिए जुम्मेदार समझे जायेगे" ।

1.08.1 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1958–59 : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम को पुर्नसंशोधित किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन देने हेतु वर्ष 1958–59 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक कानून का निर्माण किया । इसमें निम्न बातों को रखा गया –

- "विशिष्ट क्षेत्र", "अध्यापन वर्ष" तथा "बच्चा" इन शब्दों की उचित परिभाषा ।
- राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा को प्रारम्भ करने के संदर्भ में प्रस्तावित सूचना की स्पष्ट रूपरेखा का प्रविधान ।
- लड़के व लड़कियों के लिए अनिवार्यता का समकालीन प्रस्ताव ।
- अनिवार्य शिक्षा योजना की तैयारी के चरणों तथा उसके अनुमोदन की स्पष्ट रूप रेखा ।
- यदि कोई स्थानीय संस्था अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की उपेक्षा करती है, तो उसके लिए दिये गये निर्देशों का कियान्वयन करने के लिए योजना का प्रावधान ।

- अनिवार्य शिक्षा की प्रगतिशील भूमिका के लिए लागू किए जाने वाले निर्देशों का प्रावधान ।
- स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त व आवश्यक सुविधाओं वाले लक्ष्य की स्पष्ट परिभाषा ।
- एक उचित स्तर पर अनिवार्य शिक्षा योजना को लागू किये जाने वाले क्षेत्रो के बच्चों की सूची तैयार करना ।
- अनुपस्थिति रहने वाले बच्चों के लिए सुधारात्मक प्राविधान ।
- उपस्थिति नियमों को व्यावहारिक रूप हेतु उचित व स्पष्ट नियमों का प्राविधान ।
- ''उपस्थिति अधिकारियों'' तथा उनकी ''कार्य प्रणाली'' की ''राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा एक्ट'' की रूपरेखा को अधिक स्पष्ट करना ।

1.08.2 अन्य शैक्षिक संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा अनुच्छेद – 26 के अनुसार व्यक्ति स्वयं धार्मिक कार्यो से संबंधित विषयों का प्रावधान कर सकेगा ।

- अनुच्छेद 28 के अनुसार कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के विषय में स्वतंत्रता दी गई ।
- अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राजकोश द्वारा संचालित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।
- अनुच्छेद 29(1) के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा लिपि तथा संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है ।
- अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है ।
- अनुच्छेद 30(2) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायेगी ।
- अनुच्छेद 350 A के अनुसार हिन्दी भाषा का विकास किया जायेगा ताकि वो भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके ।

- अनुच्छेद 351 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि – "राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक लाभ का ध्यान में रखेगा (खासतौर पर पिछड़ी व जनजाति के लोगों के) तथा उन्हे सभी प्रकार के समाजिक न्याय दिलवायेगा व सभी प्रकार के शोषणों से बचायेगा"
- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है तथा स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को सौंपा गया है ।
- संविधान संशोधन के 11वीं और 12वीं अनुसूची में प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन और नियंत्रण का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं को दिया गया हैं ।

वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया । इसका आशय यह है कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें शिक्षा के संबंध में विधान बना सकती है । संविधान लागू होने से लेकर शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के पूर्व शिक्षा राज्य का विषय था । यदि किसी मामले में राज्य और केन्द्र सरकार के कानूनों में कोई अन्तर होता है तो केन्द्रीय कानून प्रभावी होगा । संप्रति अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर उपलब्ध अधिनियम राज्य सरकारों के हैं । केन्द्रीय कानून का अभाव है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे इस संबंध में कोई अधिनियम बनाती हैं या नहीं । शिक्षा के समवर्ती सूची में आने के बाद भी कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन सका ।

वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण हुआ जिसमें "सभी के लिए शिक्षा" के बुनियादी लक्ष्य की पुनरावृत्ति की गई तथा जाति, धर्म लिंग, गरीब/अमीर अथवा किसी विकलांगता के भेदभाव के बिना सभी बच्चों की समता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था का संकल्प लिया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षा के प्रकार एवं प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया । भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया है ।

भारतीय संविधान के इतिहास में यह पहला अवसर है कि मूल अधिकारों की सूची में शिक्षा को जोड़ा गया है । संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है । 93 वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा एवं राज्य सभा में पारित करने के बाद मूल अधिकार की धारा 21 के

पश्चात् 21–ए जोड़ा गया है । इसके द्वारा 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का न्यायिक अधिकार दिया गया है । शिक्षा को मौलिक अधिकार का संवैधानिक स्वरूप दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है वास्तव में इसके फलीभूत हो सकने हेतु अन्य विधिक व्यवस्थाएँ भी की जानी आपेक्षित है । 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य किये जाने के प्रकारान्तर से सामजिक निहितार्थ भी है । क्योकि शिक्षा के माध्यम से ही बालश्रम पर रोक, बालिकाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर, बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, सामाजिक जागरुकता तथा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभाव में सफलता पायी जा सकती है ।

भारत के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है । 93 वें संशोधन बिल को लोकसभा द्वारा 27 नवम्बर, 2001 को तथा राज्य सभा द्वारा 14 मई, 2002 को पारित किये जाने के बाद में संविधान की धारा 21 के पश्चात् एक नई धारा 21–A निम्नवत् जोड़ी गई–

"The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourtien year in such manner as the state may, by law, determine"

इसके साथ ही पूर्व की धारा 45 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है–

"The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six year"

इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 51–A में उपधारा (J) के पश्चात् एक उपधारा (K) निम्नवत् जोड़ी गयी है–

(k) "who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, ward between the age of six and fourteen years"

1.08.3 संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाएँ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 83वें संशोधन बिल को लौटाते हुए पुनः आलेखित करने का सुझाव 1997 में दिया था । संशोधित आलेख हेतु समिति के कतिपय सुझाव इस प्रकार थे –

- केन्द्र द्वारा अनुवर्ती विधि व्यवस्था की रुपरेखा या ढाँचा दिया जाय । इसमें केन्द्र सरकार द्वारा वहन होने वाले व्यय भार के अंश को भी इंगित किया जाय । शेष विस्तार राज्यों द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाय ।
- माता–पिता या दण्ड प्रावधानित करने से बचा जाए । राज्यों की बाध्यता हो कि वे सभी के लिए शिक्षा हेतु आपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएं ।
- गुणवत्ता पर बल दिया जाए तथा अध्यापक–क्षमता का संवर्द्धन किया जाय ।
- शिक्षा के अधिकार के अनुरक्षण में होने वाले वादों से उत्पन्न समस्याओं के सामना करने हेतु मार्ग/उपाय बताये जाय ।
- 8वीं कक्षा के बाद औपचारिक प्रमाण–पत्र दिया जाय ।
- निःशुल्क शिक्षा में अन्य अवयवों–पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री, गणवेश, दिन का भोजन, आवागमन जहाँ आवश्यकता हो आदि को भी शामिल किया जाय ।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा जाय ताकि वे अपनी सुविधानुसार लागू कर सकें ।
- नीति निर्देशक सिद्धान्तों का जहाँ तक संभव हो, पालन किया जाय ।

इस प्रकार सबके लिये शिक्षा के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समय–समय पर संविधान संशोधन करने के साथ–साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम के सभी को शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास किया है/किया जा रहा है ।

1.08.4 अन्य प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (अनिवार्य/निःशुल्क शिक्षा) हेतु किये गये प्रयास : स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात विभिन्न राज्यों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु निम्नानुसार कानून (अधिनियम) बनाकर प्रयास किये जा रहे है –

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के अधिनियम :

- मुम्बई प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1917
- बंगाल प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919
- बिहार एण्ड उड़ीसा मुम्बई प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919, संशेधित 1959
- यूनाइटेड प्रोविन्सेस प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1919

- पंजाब कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1919, संशोधित 1940, 1960
- मुम्बई सिटी प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1920 और 1922(1923)
- मद्रास प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1920, संशोधित 1937
- पटियाला प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926
- बीकानेर स्टेट कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1929
- असम प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926
- उत्तर प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1926
- जे.के. कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1934, संशोधित 1984
- मैसूर एलीमेंटरी एजूकेशन एक्ट 1940

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के अधिनियम :

- असम प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1947
- असम बेसिक एजूकेशन एक्ट 1954
- कोचीन फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1947
- मध्यप्रदेश कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1950, संशोधित 1956 और 1961
- अजमेर प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1952
- राजस्थान प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1964
- मद्रास एलीमेंटरी एजूकेशन एक्ट 1952
- हैदराबाद कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन एक्ट 1952
- हिमांचल प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1953
- भोपाल स्टेट कम्पलसरी प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1956
- सौराष्ट प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1961, संशोधित 1961
- कर्नाटक प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1983, संसोधित 1995
- केरल प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1958
- देहली प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1960
- आन्ध्र प्रदेश प्राईमरी एजूकेशन एक्ट 1961, संसोधित 1982
- मैसूर कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 1961
- असम एलीमेन्टरी एजूकेशन एक्ट 1962, संसोधित 2000

1.09.0 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तरप्रदेश मे संचालित की गई विभिन्न परियोजनाएं : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक परियोजनाये संचालित की गई । समय–समय पर भारत सरकार के सहयोग से संचालित की गई विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु निम्नानुसार प्रयास किया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु प्रदेश में संचालित की गई और जा रही विभिन्न परियोजनाये निम्नानुसार है –

1.09.1 बेसिक शिक्षा परियोजना कार्यक्रम : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अन्तर्गत प्रदेश के दस (बाद में जिलों के विघटन के बाद इनकी संख्या 17 हो गई) जिलों में विश्वबैंक की वित्तीय सहायता से वर्ष 1993 में एक परियोजना संचालित की गई । जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मई 1993 में पंजीकृत किया गया । यह एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित की गई है जो सामाजिक मिशन की भांति कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रही । बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया । यह परियोजना अक्टूबर 1993 में प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 तक चली । इस परियोजना में प्रदेश के 17 जिलों यथा– कौशाम्बी, वाराणसी, चित्रकूट, गोरखपुर, बाँदा, हाथरस, भदोही, ऊधमसिंह नगर, इटावा, चन्दौली, औरैय्या, सीतापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी और नैनीताल में संचालित की गई (वर्तमान में इसके तीन जिले पोड़ी, ऊधमहिं नगर एवं नैनीताल उत्तरांचल राज्य में हैं)।

इस परियोजना के कार्यक्रम घटक में पहला घटक उपागम विस्तार, दूसरा धारण प्रोत्साहन, तीसरा गुणवत्ता संवर्द्धन, चौथा क्षमता निर्माण, पॉचवा नियोजन शोध एवं मूल्यांकन तथा छटवाँ पर्यवेक्षण और अनुश्रवण लिया गया । इस परियोजना की अनुमानित लागत 193.9 मिलियन अमरीकी डालर या रुपये में 728.7 मिलियन थी । इस परियोजना के उद्‌देश्य निम्नानुसार थे –

- 6–10 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा 11–13 आयु वर्ग के 75 प्रतिशत बच्चों विशेषकर सभी अपवंचित वर्गों (बालिकायें, अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों) को उच्च प्राथमिक शिक्षा का उपागम प्रदान करना । और
- वर्ष 2000 तक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन और शिक्षापूर्ण करने की दरों का अभिवर्द्धन करना ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में कार्य किया गया –

1. **उपागम विस्तार :** इसे अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 1.5 किमी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किमी0 की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई । इसी प्रकार 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई । प्राथमिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा का प्रतिरूप (मांडल) उपलब्ध कराया गया ।

2. **धारण प्रोत्साहन :** इसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन और प्रबन्ध के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय, सहभागिता प्राप्त कर कार्यक्रम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन किया गया । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुनर्निर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित किया गया । समस्त प्रारंभिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा और शौचालय सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया तथा आवश्यकतानुसार अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया । विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वयवर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी उम्र की बालिकाओं के सगे भाई–बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारंभिक बाल देख–रेख और शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई । हल्के संयत अधिगम/शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था की गई । विद्यालयों, प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों, और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कर क्रियाशील बनाया गया । अन्य तृणमूल स्तरीय ढांचे जैसे महिला समूहों, युवा मंगल दलों आदि का सुदृढ़ीकरण/स्थापना की गई ।

3. **गुणवत्ता संवर्द्धन :** बाल केन्द्रित तथा क्रिया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक एवं छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःक्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन किया गया । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित शिक्षकों के लिए गुणवत्ता संवर्द्धन के कार्यक्रम संचालित किये गये । स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक, रोचक तथा अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धक किया गया । संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक संसाधन सहायता सुनिश्चित कराने के लिये अमले के नये पद सृजित किये गये । बालकेन्द्रित, रूचिपूर्ण, दक्षता आधारित शिक्षण–अधिगम सामग्रियों को विकसित कर पाठ्यपुस्तकों का संशोधन किया गया तथा बहुश्रेणी शिक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया ।

4. **क्षमता निर्माण :** राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय की स्थापना कर उसका सुदृढ़ीकरण किया गया । विशिष्ट क्षेत्रों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकें, अनुदेश सामग्री तथा मूल्यांकन प्रणाली और आधारभूत आंकलन, अध्ययन सम्पादन आदि में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया गया । राज्य शैक्षिक प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षण आयोजन, शैक्षिक नियोजन, और प्रबन्धन में प्रशासकों के लिए कार्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन, शैक्षिक सांख्यिकी का विश्लेषण, अभिलेखीकरण और प्रचार–प्रसार आदि में सांस्थानिक क्षमता का अभिवर्द्धन किया गया । कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्टाफ की व्यवस्था, उपकरण, पुस्तकें, वाहन आदि से जिला परियोजना कार्यालयों की स्थापना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया गया । शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता क्रियाकलापों के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्य हेतु परियोजना जिले के प्रत्येक विकास क्षेत्र (ब्लाक) में ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई । शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकेन्द्रित सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के मुख्यालय में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई । सामुदायिक सहायता को गतिशील, विद्यालय प्रबंध और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और घरेलू

(परिवार) सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना कर उन्हें क्रियाशील बनाया गया ।

5. **नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन** : नियोजन शोध एवं मूल्यांकन के लिये विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया को अपनाया गया । सभी स्तरों पर कार्यक्रम संघटकों का मूल्यांकन, कियान्वयन एवं उसके मूल्यांकन के लिये सभी स्तर पर शोध क्षमता का विकास किया गया ।

6. **पर्यवेक्षण और अनुश्रवण** : इसके अन्तर्गत परियोजना प्रबन्ध सूचना प्रणाली और शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से निर्माण कार्यों का तृतीय दल द्वारा मूल्यांकन, डी.पी. ई.पी. ब्यूरों द्वारा जिले और प्रदेश के वार्षिक कार्ययोजना और बजट की वार्षिक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा व्यवस्थाओं का अर्द्धवार्षिक अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना तथा प्रदेश और जिला स्तर कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालयी आंकड़ों के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिए शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विकास करना ।

1.09.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के बाद प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए वर्ष 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के रूप में समयबद्ध ढंग से प्रारम्भ किया । इसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना से अलग 22 जिलों यथा– बरेली, फिरोजाबाद, बदायूँ, हरदोई, ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, देवरिया, जे.पी. नगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, रामपुर, वाराणसी पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती एवं संतकबीर नगर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–।। वर्ष 1997 में लागू किया गया, जिसके लिये कुल परियोजना परिव्यय रु. 629. 93 करोड़ का रखा गया । इसके बाद प्रदेश के 38 जिलों (6 जिलों यथा बागेश्वर, पिथौरागढ़, तेहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य में चले गये है) में (जिलों के विघटन के फलस्वरूप इनकी संख्या 36 हो गयी है) अप्रैल 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। लागू किया गया । इस कार्यक्रम के लिये अनुमानित लागत 764.26 करोड़ निर्धारित की गयी । इस कार्यक्रम से प्रदेश के आच्छादित 32 जिलों जालौन, आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, अम्बेडकरनगर, फर्रुखाबाद,

कन्नौज, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, मऊ, गौतमबुद्ध नगर, महोबा, जौनपुर, झाँसी, कानपुर देहात, हमीरपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, प्रतागढ़, मुजफ्फरनगर, पडरौना, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं प्रतापगढ़ है । परियोजना के तीन प्रमुख पक्ष, भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, गुणवत्ता का सुधार, सम्प्राप्ति ह्रास में कमी लाना तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना था । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। और ।।। के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये –

- सभी 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराना ।
- बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों के नामांकन, धारण और सम्प्राप्ति स्तर में विद्यमान अन्तर को 5 प्रतिशत तक लाना ।
- भाषा तथा गणित में वर्तमान सम्प्राप्ति स्तर से 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करना ।
- ड्राप आउट दर को 10 प्रतिशत से कम करना ।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर की संस्था एवं प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन एवं प्रशासकों की दक्षता संवर्धन करना ।

इसकी प्रमुख रणनीतियाँ में योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता सुनिश्चित की गई । बालिका शिक्षा को विशेष जोर दिया गया । विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिये शिक्षकों की कार्य क्षमता का विकास किया गया । वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल दिया गया । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य्य विशेषताएं निम्नानुसार रही –

- विकेन्द्रित नियोजन और असमुच्चय लक्ष्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रणनीति का क्रियान्वयन ।
- जिलों में पांच वर्ष की परियोजना अवधि के लिए परियोजना प्रणाली का क्रियान्वयन ।
- वर्तमान कार्यक्रमों और संसाधनों के अभिसरण पर बल देते हुए योजनाबद्ध तरीके से समेकित समग्र उपागम का प्रयोग ।
- सघन सामुदायिक सहभागिता पर बल ।
- शोध और मूल्यांकन से प्राप्त पश्च पोषण की सहायता से गुणवत्ता युक्त पक्षों की प्रधानता ।

- प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम ।
- वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने में अधिकार सम्पन्न राज्य स्तरीय रजिस्टर्ड सोसायटी में क्रियान्वयन दायित्व निहित ।
- यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसकी 85 प्रतिशत परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है और शेष 15 प्रतिशत का योगदान प्रदेश सरकार करती है । भारत सरकार वित्त का स्रोत अंतराष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरण है ।
- सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिये प्रति जिला लगभग 30–40 करोड़ की धनराशि निर्धारित ।
- वित्तीय सहायता अतिरिक्त सहायता के सिद्धांत के रूप में दी जाती है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए परियोजना प्रारम्भ से पूर्व होने वाला परिव्यय राज्य सरकार द्वारा निरन्तर संरक्षित रहे । अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाले अभिकरणों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त पर्यवेक्षण मिशन द्वारा वर्ष में दो बार विशेष पर्यवेक्षण की व्यवस्था ।

1.09.3 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम : वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2001–02 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है । इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना । इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रीय तथा लिंग संबंधी अन्तरालों को खत्म करना है । इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्‌देश्य निम्नानुसार है –

- वर्ष 2003 तक विद्यालयों, शिक्षा गांरटी केन्द्रों, वैकल्पिक और वापस विद्यालय/शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना ।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पाँच की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें ।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी कर लें ।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषप्रद गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाय ।

- प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक सभी लिंग सम्बन्धी तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कराने पर बल ।
- वर्ष 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौम नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

नियोजन, प्रबंधन एवं सहयेागी संरचना में व्यावसायिक दक्षता की उन्नति के लिये निम्नानुसार उपाय किये गये –

- परियोजना के प्रबंधन दक्षता को बढ़ाने के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत मई 1993 में सबके लिये शिक्षा परियोजना परिषद का अलग से गठन किया गया । जिसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों और पर्याप्त भौतिक सुविधा से सृदृढ़ीकरण किया गया ।
- शैक्षिक नियेाजन और प्रबंधन, बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन, शोध और नीति विश्लेषण के लिये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जो वर्तमान में संचालित है । इसके माध्यम से जहाँ शैक्षिक प्रशासकों का विभिन्न कौशलों पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है वही दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों के माध्यम से शैक्षिक प्रगति की स्थिति देखी जाती है । समय–समय पर शासन का नीतिगत निर्णयों के लिये नीति निर्देशी नियम दिये जाते हैं ।
- शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के लिये जिला स्तरीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करना ।
- नियेाजन, प्रबंधन एवं व्यावसायिक सहायता के लिये सूचना प्रणाली को विकसित करना ।

1.09.4 जनशाला कार्यक्रम :जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ भारत सरकार के सहयोग से जनशाला कार्यक्रम वर्ष 1998 से लखनऊ जिलें में संचालित किया गया है । ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल की पाँच राष्ट्रीय संस्थाओं (यूनीसेफ, यूएनडीपी, यूनेस्को, यू एन एफ पी ए और आईएसओ) के सहयोग से राज्य एवं केन्द्र में प्रारम्भिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु चलाया गया । यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी मलीन बस्तियों के शिक्षा संबंधित बच्चों के लिये चलाया गया है, जिसका उद्‌देश्य जन सहभागिता के माध्यम

से आवश्यक एवं बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाना हैं । यह कार्यक्रम वर्ष 2004–05 तक पूर्ण हो गया है ।

इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं तथा विद्यालयों को प्रभावी बनाने के लिए समुदाय का सहयोग, प्रभावी प्रबन्धन, बच्चों के अधिकार के सम्बंध में विकासात्मक कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, अभिसरण कार्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण की ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिसमें बाल केन्द्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है । इसके लिए बहुश्रेणी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया । यह कार्यक्रम चुने गये जिलों में चलाए गये जो डी.पी.ई.पी. से आच्छादित नहीं थे । प्रदेश में यह कार्यक्रम लखनऊ जिले में संचालित किया गया ।

1.09.5 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना : यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत शिक्षण हेतु विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के अधीन देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया –

- पक्की ईटों से बने दो बड़े कमरे जिनके सामने एक बरामदा भी होगा ।
- कम से कम दो अध्यापक होंगे जिनमें यथासम्भव एक महिला होगी (धीरे–धीरे यह प्रयास होगा कि विद्यालय की हर कक्षा के लिए अलग–अलग एक–एक अध्यापक हो जाए) ।
- खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिये पुस्तकें एवं शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान किट, गणित किट आदि की उपलब्धता ।

1.09.6 सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है । इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया है–

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए ।
- माध्यमिक शिक्षकों के लिए ।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरान्त वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम (पीमोस्ट

सामान्य) को पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया । निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बात कही गई जिसमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके ।

1.09.7 प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (एस.ओ.पी.टी.): विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को इसका उत्तरदायित्व सौंपा है । इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में वर्ष 1993–94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गये । प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए गए– **1.** न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार दक्षताओं के विकास पर बल देना । **2.** ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग की क्षमता के वृद्धि करना तथा शिक्षकों को बाल केन्द्रित उपागम अपनाने के प्रोत्साहित करना ।

1.09.8 क्षेत्र सघन शिक्षा परियोजना : इस परियोजना का संचालन यूनीसेफ की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में पाँच राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में किया गया । प्रदेश में यह योजना राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (राज्य शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद द्वारा मिर्जापुर के दो विकास खण्ड़ों के 217 गाँवों में वर्ष 1992 से चलाई गई । इस योजना के उद्देश्य हैं –

- शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय के जीवन और विकास से सम्बन्धित उपायों का सहयोग ।
- पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- उन उपायों को विकसित करना जिनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता सक्रिय हो सके ।
- केन्द्र/राज्य सरकार और यूनीसेफ द्वारा विकास से सम्बन्धित संसाधनों को सम्मिलित करना ।

1.09.9 विद्यालयी शिक्षा की तैयारी–कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को विद्यालय के साथ सामंजस्य एवं विद्यालयीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार करना है । इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम छः सप्ताह से आठ सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है । इस कार्यक्रम में गीत, कहानी, खेलकूद एवं अन्य मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयीय क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है । इसमें विशेषतः वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल एवं गीत खेलकूद एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को विद्यालयी क्रियाकलापों के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया ।

1.09.10 प्री–विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. के तहत एक योजना का क्रियान्वयन हुआ है जिसके अन्तर्गत आँगनबाड़ी शिक्षा केन्द्र उन स्थानों में खोले गये जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे और शिक्षा की माँग थी । यहाँ 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए पोषाहार तथा साक्षरता की व्यवस्था की गई । ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र अभी भी चल रहे हैं । डी.पी.ई.पी. परियोजना के तहत शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं जहाँ 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है । इनमें पोषाहार की व्यवस्था की गयी है । परियोजना का प्रयास है कि इन केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय के निकट खोला जाए जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं अब जा सके और सभी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

1.09.11 रूचिपूर्ण शिक्षा : यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया । प्रथम चरण में राज्य के 15 जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था । पहले केवल कक्षा 1 को लिया गया था । इस योजना में चयनित प्रत्येक जिले से राज्य स्तर पर पाँच–पाँच सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए तथा जिले स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड से पाँच–पाँच सन्दर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक है । न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र स्तर पर कक्षा एक को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे –

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना ।

- विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाये रखना ।
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।
- विद्यालय में आनन्ददायी शैक्षिक क्रियाओं के आयोजन से बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना ।
- बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण (गीत, खेल, कहानी, मुखौटे, चित्रों, पैकेट बोर्ड द्वारा) प्रदान करना ।

1.09.12 औपचारिकेत्तर शिक्षा योजना : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति हेतु वर्ष 1980 में एक वैकल्पिक और लचीले शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार की गई जिसे अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया । यह योजना 6 से 14 आयु वर्ग के उन बच्चेां जो किसी कारण से विद्यालय छोड़ चुके है अथवा जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है और वे किसी कारण बस विद्यालय नहीं जा पाये है उनके लिये भारत सरकार के सहयोग से औपचारिक शिक्षा से इतर यह कार्यक्रम संचालित किया गया । इसके लिये पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री, शिक्षा केन्द्र का समय बच्चों के सुविद्या अनुसार निर्धारित किया गया । यह योजना वर्ष 2001 में समाप्त कर दी गई है ।

1.09.13 पोषाहार वितरण योजना : इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना है । आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों का एक बड़ा वर्ग कुपोषण का शिकार है । कुपोषण से मन्द बुद्धि बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका सम्बन्ध तथा सीधा प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है ।

यह योजना 15 अगस्त, 1995 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई है । उसी तिथि से यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू की गई । बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है । शुरु में जवाहर रोजगार योजना के द्वारा आच्छादित विकास खण्डों में यह योजना क्रियान्वित हुआ । इस समय प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों के सभी विकास खण्डों के शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में इस योजना को चलाया जा रहा है ।

1.09.14 शिक्षा मित्र योजना : उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकनुसार शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात को बनाये रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा जगत के सेवा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2000–01 से प्रारम्भ किया गया । यह योजना सेवा योजना परक योजना नहीं है, परन्तु इसका उददेश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने हेतु प्रेरित करना मात्र है । इन शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संस्तुति करने एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात किया जाता है तथा चयन के उपरान्त संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 30 दिवसीय प्रशिक्षण करने के पश्चात शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 20 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

1.09.15 सघन क्षेत्रीय विकास योजना : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जिसे 1992 में संशोधित किया गया है कि इस नीति में असमानताओं को दूर करने पर उन लोगो की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर जिन्हे अब तक समानता से वंचित रखा गया है । जहां तक अल्पसंख्यकों का शिक्षा से संबंध है इस नीति में यह उल्लेख किया है कि कुछ अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक रूप से वंचित है या पिछड़े हुए है । समानता और समाजिक न्याय के हित को ध्यान में रखकर यह योजना संचालित की गई है । उत्तर प्रदेश में यह योजना वर्ष 1994–95 से संचालित है ।

1.09.16 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना : यह योजना वर्ष 2000–01 से संचालित है । वर्णित योजना के अर्न्तगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनहीन एवं जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने के लिए 60 प्रतिशत की धनराशि जिलों का उपलब्ध कराई जाती है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003–04 से बेसिक सेक्टर की सभी योजनाये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से व्यवहृत की जाती है ।

1.09.17 बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम : नेपाल सीमा से लगे जिलों के सीमावर्ती खण्डों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम योजना चलाई गई है । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बलरामपुर तथा सिद्धार्थनगर जिलों को इस योजना के लिये चयनित किया गया है । इस योजना को 1999–2000 से संचालित

किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षा–कक्ष तथा चहार दिवारी के निर्माण हेतु राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है ।

1.09.18 इण्डस चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट : राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) उन क्षेत्रों में आरम्भ की गई थी, जहाँ जोखिम पूर्ण उद्योग–धंधे अधिक संख्या में मौजूद है। इस परियोजना के क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को समाकलित करने का प्रयास किया गया है। भारत में बाल श्रम एक बड़ी समस्या है । 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग एक करोड़ 12 लाख है। बाल श्रम के मुख्य कारण निर्धनता, अच्छी शिक्षा न मिल पाना, महिला–पुरूष के बीच भेदभाव, परिवारों का बड़ा होना आदि है । भारत में बच्चे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, कई तो ऐसे कामों में लगे है, जो उनके शारीरिक भावनात्मक और नैतिक विकास के लिए नुक्सानदेय होते है। भारत सरकार, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संस्थाओं, समुदाय के बीच काम करने वाले संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस समस्या से निबटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए है पर समस्या वैसी ही विकराल और जटिल बनी हुई है।

सन् 1987 की राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के आधार पर, श्रम मंत्रालय वर्ष 1988 से ही बाल श्रमिकों के पुर्नवास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित करता रहा है। ये परियोजनाएं ऐसे इलाकों में चलाई गई है। जहॉं जोखिमपूर्ण उद्योग और व्यवसाय अधिक संख्या में है। कल कारखानें एवं उद्योगों से जुड़े हुये परिवारों के ज्यादातर बच्चे उद्योग धन्धों से जुड़े होने के कारण स्कूल में नामांकन नहीं कराते हैं, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । बाल श्रमिकों की इस प्रकार एक बड़ी संख्या सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक है । यद्यपि बाल श्रम विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु अथक प्रयास किया गया है किन्तु बाल श्रम उन्मूलन में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुयी है । बालश्रम उन्मूलन हेतु इण्डस प्रोजेक्ट भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा युनाइटेड स्टेट के श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से प्रारम्भ किया गया है ।

इस परियोजनाओं में औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक–प्रशिक्षण के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की जाती है। देश भर में खतरनाक किस्म के काम–धंधों में लगे बच्चों की पुनर्वास के लिए अब तक 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा चुकी है। भारत 'अंतर्राष्ट्रीय

बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम' के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश (1992) है।

इस परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य इस प्रकार है।

- बाल श्रम कानूनों को लागू करने में तेजी लाना
- अनौपचारिक शिक्षा देना तथा औपचारिक विद्यालय में नामांकन कराना।
- रोजगार एवं आय के अवसर उपलब्ध कराना।
- आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना।

इस परियोजना का एक उद्‌देश्य अच्छे, भरोसेमन्द, और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों को विशेष स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपना है। यदि अच्छी गैर–सरकारी संस्थाएं या क्रियान्वयन एजेंसियां न मिलें तो इन विशेष स्कूलों को चलाने का काम परियोजना–सोसाइटियां करेंगी। परियेाजना सोसाइटी का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा और इसके सदस्यों में सम्बन्धित सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं, ट्रेड यूनियनों, आदि के सदस्य शामिल होगें। इसका लक्ष्य समूह खतरनाक किस्म के उद्योगों में काम करने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे है। इन बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों से हटा कर शिक्षा के माध्यम से विशेष स्कूलों में डाला जाता है। जहॉ उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, पोषण आदि प्रदान किया जाता है।

यह परियोजना बाल मजदूरी से मुक्त भविष्य के लिए टिकाऊ मांडल विकसित करने का एक प्रयास है। इसका उद्‌देश्य हर बच्चे को शिक्षा और बचपन का वह अधिकार प्रदान करना है, जो उससे छीना नही जाना चाहिए। यह 'बाल मजदूरी से मुक्त समाज' के सपने को साकार करने में समाज के सभी सदस्यों की सहायता और समर्थन प्राप्त करना चाहती है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए बाल मजदूरों का डाटा बेस (आंकड़े) तैयार किया जाता है। बाल मजदूरों का पता लगाने के लिए वार्ड/ मोहल्लेवार सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण में विभिन्न सेक्टरों में बाल मजदूरों, उनके परिवारों, उनके कार्य स्थल और कार्य–स्थितियों का खाका तैयार किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेतक तैयार किए जाएं ।

1.09.19 बालिका शिक्षा के लिये एन.पी.ई.जी.ई.एल.: नेशनल प्रोग्राम फार एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट एलीमेन्ट्रीलेवल (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालिका शिक्षा के सम्बर्द्धन का कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा में जेण्डर गैप को कम करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिये विद्यालय में विशेष सुविधा दिलाकर विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करायी जायेगी । शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा में बालिकाओं तथा माताओं की सहभागिता में वृद्धि करना, बालिकाओं के लिये सशक्तीकरण में शिक्षा की सहभागिता भी इस कार्यक्रम के लक्ष्य हैं ।

भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा संवर्द्धन हेतु विशेष कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स ऐट द एलीमेंट्री लेवल है तथा ऐसे विकासखण्ड जिसमें महिला साक्षरता दर 30.62 प्रतिशत से कम है तथा महिला एवं पुरुष साक्षरता दर 27.25 से ज्यादा गैप है की योजना में सम्मलित किया जाता है ।

उक्त कार्यक्रम के संचालन का उद्देश्य प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में पर्याप्त सुधार लाने के साथ साथ महिला साक्षरता में वृद्वि व जैण्डर गैप को भी कम करना है । इसके अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं, ड्राप आउट बालिकाओं, अधिक उम्र की बालिकाओं, ग्रह कार्य एवं सिबिलंग केयर में लगी बालिकाओं, घुम्मकड़ समुदाय की बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार विशेष कार्यक्रम जैसे ब्रिजकोर्स, ग्रीष्मकालीन शिविर, ऑगनवाड़ी केन्द्र, मीना मंच एवं कार्यनुभव शिक्षा आदि संचालित किये जायेंगे । राज्य स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रमों का संचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना समिति एवं ब्लॉक स्तर पर जेण्डर कोओर्डिनेशन द्वारा किया जायेगा ।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के अन्तर्गत निम्मलिखित कार्यकम संचालित किये जाने की व्यवस्था है –

- लिंग भेद संवेदीकरण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण का आयोजन ।
- चाइल्ड केयर सेण्टर की स्थापना ।
- ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन ।

- रैमेडियल कैम्प की व्यवस्था ।
- मांडल कलस्टर विद्यालय को विकसित करना ।
- छात्र मूल्यांकन की व्यवस्था ।
- ब्रिज कोर्स का आयोजन ।
- बालिकाओं के लिये स्टेशनरी, वर्कबुक, यूनीफार्म तथा सुरक्षा की व्यवस्था ।
- सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करना ।
- विद्यालय भवन/शौचालय की मरम्मत एवं रखरखाव ।
- पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, क्रीड़ा एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

1.10.0 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहॉ एक ओर सभी बस्तियों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विद्यालयीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं बच्चों के ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक–विद्यार्थी एवं विद्यार्थी–कक्षा अनुपात तर्क संगत बनाने के साथ पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्दित, गतिविधि आधरित और आनंददायी बनाने का प्रयास किया गया है तथा तदनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । विद्यालय को आकर्षक एवं शिक्षण–अधिगम प्रकिया को रोचक बनाने के लिये प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । लेकिन उसके बाद भी हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे है । इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की चुनौती हमारे सामने विद्यमान है । विद्यालय के शिक्षक/प्रधानाध्यापक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते है । विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित कतिपय प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है –

बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन : देखा जाता है कि गॉव वालों की शिक्षा के प्रति जागरुकता न होने के कारण व विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से वे अपने बच्चों को घरेलू कार्य में लगाये रखते है और उनको विद्यालय में नामांकित नहीं कराते है ।

बच्चों की नियमित उपस्थित : बच्चे अपने घर वालों के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाते है । इसके अलावा अपने छोटे भाई बहिन की देख–भाल भी करते है एवं अर्थोपार्जन से जुड़ जाते है, जिस कारण से विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं रहती ।

प्राकृतिक कठिनाइयॉ : ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं जो बाढ़ जैसी विपदाओं का सामना करते है । ऐसी स्थिति में विद्यालय बहुत कम दिन चल पाता है । पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों के होने के कारण अभिभावक संकटपूर्ण मार्गो के कारण भी अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते है ।

पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन : विद्यालयों में विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया की सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान है । पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन हेतु विकासखंड स्रोतकेन्द्र समन्यवक एवं संकुल स्रोतकेन्द्र समन्यवक द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण किया जाता है । विकासखंड स्रोतकेन्द्र समन्यवक एवं सकुल श्रोत केन्द्र समन्यवक के पास प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के साथ–साथ विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन का दायित्व निभाता है । विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण एवं क्षेत्र अत्यन्त वृहद होने से प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है जिस कारण से विद्यालय में तरह–तरह की समस्याए विद्यमान है ।

स्थान की समस्या : विद्यालयों के समक्ष स्थान की समस्या सदैव से बनी है । आज भी कुछ प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित है । प्रायः इनकी स्थिति अच्छी नहीं है । कही–कही तो विद्यालय टीन शेडो में भी संचालित है । इन विद्यालयों में वर्षा के दिनों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जिन विद्यालयों के पास स्वयं का भवन भी है उनमें बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है । साथ ही कुछ विद्यालय भवन काफी पुराने हो जाने के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित है । शहरी क्षेत्र में यह समस्या मुख्य रूप से विद्यमान है ।

अध्यापकों का पर्याप्त संख्या में न होना : अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी कम है, वही दूसरी ओर कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या काफी अधिक है । कुछ विद्यालय ऐसे भी है जो शिक्षको के आभाव में बंद पड़े है । शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति न होने के कारण विद्यालयों में अध्यापकों की अत्यन्त कमी है तथा वह निरन्तर

बढ़ती जा रही, क्योंकि वर्षवार अध्यापक सेवा निवृत्त होते जा रहे है । अध्यापकों की कमी के कारण छात्र अध्यापक अनुपात बहुत अधिक है जिसके कारण विद्यालय मे गुणावत्तापरक शिक्षा एवं शैक्षिक वातावरण का अभाव है । अध्यापकों के अभाव में बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते तथा गुणात्मक शिक्षा से वंचित रह जाते है ।

साधनो की समस्या : विद्यालयों में सामान्यतः बैठने के आसन, श्यामपट, फर्नीचर तथा सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है । पानी की व्यवस्था, शौचालय भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते है । कही पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधन स्टोर की शोभा बढ़ा रहे है और चार्ट्स आदि या होते ही नहीं और यदि होते है तो वे शिक्षण के लिये इस्तेमाल नहीं किये जाते है ।

आर्थित स्थिति : विद्यालयों की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है । धनाभाव के कारण विद्यालयों में न तो विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था रहती है और न खेलने का ही समुचित प्रबंधन रहता है । शिक्षण सामग्रियों का भी सर्वथा अभाव पाया जाता है । विद्यालय का वातावरण आवश्यक सुविधाओं के अभाव में बच्चों को आकर्षण हीन मालूम होता है । कई विद्यार्थी थोड़े दिन तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यालय में आना ही बंद कर देते है ।

सामाजिक कुरीतियां एवं अभिभावकों की शिक्षा : ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में बहुत से लोग झुग्गियों में रह रहे है और वे ज्यादातर अशिक्षित है इसलिए वे अपने बच्चेां की शिक्षा में किसी प्रकार की रूचि नहीं लेते है । वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते है । सामाजिक कुरीतियों के चलते ही ये लोग बच्चो को विद्यालय नहीं भेजते तथा बच्चो को रोजी रोटी के कार्य से जोड़ते हुए खतरनाक कार्यों में लगाकर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते है । 'बाल विवाह' विशेष अधिनियम की भी अवहेलना करके बच्चों का विवाह अल्प आयु में कर देते है, जिससे उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है ।

जनसंख्या वृद्धि : नगरीय क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास, औद्योगिकीकरण एवं रोजगार के अधिक अवसर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन नगरीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे फलस्वरूप कारखानों एवं अन्य असंगठित उद्योग धन्धों में बालश्रमिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है ।

समुदाय की भागीदारी : ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में प्रत्येक गांव स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति गठित है जो कि शैक्षिक उन्नयन, नियोजन एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत कार्य करती है । सक्रिय सामुदायिक भागीदारी आज की आवश्यकता है तथा आज एक चुनौती है । अतः ऐसे में हमारी जबाबदारी बनती है कि हम समिति के सदस्यों के साथ–साथ समुदाय के सदस्यों को जागरूक बनाये ।

बालिका शिक्षा : समाज मे जागरुपता की कमी के कारण विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम है । विद्यालय में बालिका शिक्षा की सही व्यवस्था (महिला शिक्षिका की उपलब्धता एवं अलग से लड़कियों के लिए शौचालय न होने के कारण) न होने के कारण भी अभिभावक बड़ी लडकियों को विद्यालय नही भेजते । अभिभावक लड़कियों को सुरक्षा की दृष्टि से भी दूर विद्यालय पढ़ने नहीं भेजते ।

सम्प्राप्ति : विभिन्न कारणों से बच्चे विद्यालयों में नामांकित नहीं होते है और जो होते भी है उन्हे विद्यालय रूचिपूर्ण न लगने के कारण नियमित विद्यालय नहीं आते और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते है । परिवारिक एवं अन्य कारणों के कारण बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आते है जिससे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता भी प्रभावित होती है ।

प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव : विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का पर्यात संख्या में न होने के कारण बच्चों की नियमितता तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित होती है ।

अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या : शिक्षा के क्षेत्र में जितनी लागत लगाई जा रही है, उसके अनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते है । जितने बच्चे नामांकित होते है, उनमें से कुछ बच्चे बार–बार उसी कक्षा में रिपीट कर जाते है तथा कुछ बीच में ही पढ़ाई छोड देते है । इस प्रकार रिपीटीशन एवं ड्रापआउट के कारण काफी अपव्यय होता है ।

भाषा संबंधी समस्या : कुछ विद्यालयों में बाहरी शिक्षक स्थानांतरित कर दिये जाते है और शिक्षक स्थानीय भाषा से परिचित नहीं होते है । ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को सही जानकारी सम्प्रषित नहीं कर पाते है जिससे बच्चे बीच में ही ड्रापआउट हो जाते है ।

विशिष्ट बच्चों की शिक्षा : कुछ बस्तियों में ऐसे बच्चे भी होते है जो विभिन्न शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त होते है । हमारे शिक्षक इस विषय में सही जानकारी के आभाव में उनको विद्यालय से नहीं जोड़ पाते है ।

बच्चों की अनुशासनहीनता : विद्यालय में 11 से 14 वर्ष के कुछ बच्चे विभिन्न कारणों से अनुशासन हीनता जैसी जटिल समस्या पैदा कर देते है । ऐसे में विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ।

इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखकर हमारा दायित्व है कि हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक सम्प्राप्ति के लिये एक कार्ययोजना एवं रणनीति बनाई जाय तथा उसका समाधान करने का प्रयास करे तो निश्चित ही हम इन चुनौतियों से आसानी से दूर कर सकते है ।

1.11.0 प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (शतप्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत ठहराव एवं गुण्वत्तापरक शिक्षा) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में समय–समय पर विभिन्न योजनायें संचालित की गई है । सभी योजनाओं का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 1 से 8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । येाजना द्वारा सही रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करे इसके लिये विभिन्न रणनीतियां निर्धारित की गई । इन रणनीतियों के सापेक्ष विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये । प्रस्तुत अध्याय में सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों को दिया गया है । ये हस्ताक्षेप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगाये गये हैं । प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार है –

1. उपागम विस्तार रणनीतियॉ : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतिया निर्धारित की गई है –

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी पर 300 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- 800 की आबादी वाले असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ।
- कक्षा – 1 तथा 2 में 30 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में (1 कि.मी. दूरी पर प्राथमिक विद्यालय न होने पर) शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत विद्या केन्द्र की स्थापना ।
- औपचारिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा का मॉडल निर्धारित किया गया ।

उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत खोले

गये है और वर्तमान में खोले जा रहे है । जिन बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है । वहाँ वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के लिये शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक नवाचार केन्द्र तथा ब्रिजकोर्स आवासीय एवं गैर आवासीय संचालित किये गये हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिये वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों को औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से सेवित किया जा रहा है । खोली गई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ एक ओर उनके लिये भवन का निर्माण किया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें शौचालय एवं हैण्ड पम्प आदि उपलब्ध कराये गये है ।

2. **धारण प्रोत्साहन रणनीतियॉ** : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गई है –

- **परियोजना के नियोजन, कियान्वयन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में समुदाय की सकिय सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यकम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना :** इसके अंतर्गत ग्राम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं के आंकलन से लेकर आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं की मांग समुदाय के माध्यम से की गई है । ग्राम स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक सुविधा एवं आवश्यक शैक्षिक सुविधा के लिये ग्राम स्तरीय कार्ययेाजना का निर्माण किया गया । ग्राम स्तरीय येाजना सूक्ष्म नियोजन के आधार पर की गई । ग्राम स्तरीय योजना के आधार पर कमशः संकुल संसाधन केन्द्र, विकास खण्ड संसाधन केन्द्र फिर अंत में जिले की कार्ययोजना तैयार की गई ।
- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुर्ननिर्माण/ अनुरक्षण सुनिश्चित करना** : इसके अन्तर्गत बहुत समय पूर्व निर्मित भवन जो पूरी तरह के जर्जर हो गये है तथा जो बच्चों के बैठने के लायक नहीं हैं या बाढ़ आदि के कारण जर्जर हो गये है। ऐसे भवनों के पुर्ननिर्माण की व्यवस्था की गई । आंशिक या छोटे–छोट मरम्मत योग्य भवनों के लिये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) रू0 5000/– की विद्यालय अनुरक्षण राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि विद्यालय के छोटे–छोटे मरम्मत करा कर उसकी पुताई आदि कर के विद्यालय को आकर्षक कार्य बनाया जा सके ।

- **अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण :** प्रत्येक विद्यालय में कक्षा–छात्र अनुपात 1:40 को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा–कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर आवश्यक कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये जा रहे है । प्रत्येक कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिये 70 हजार की राशि निर्धारित की गई है । यह राशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है । जिनके माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण किया जाता है ।
- **अतिरिक्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 1:40 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता :** शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- **समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल और शौचालय सुविधा प्रदान करना :** प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़को एवं लड़कियो के लिये अलग–अलग शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
- **विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वय वर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी बालिकाओं को सगे भाई बहनों की देख–रेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारभिक बाल देख–रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :** 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है वहाँ पर शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये है । इनके संचालक का उद्‌देश्य जहाँ एक ओर 3–6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार करना है वही दूसरी ओर छोटे बच्चों को शिशु शिक्षा केन्द्र भेजकर इन बच्चों की देखभाल करने वाले भाई बहनों को विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु भेजना है ।
- **शत प्रतिशत बालिकाओं की उपस्थित सुनिश्चित करना :** घरेलू काम काज जैसे भोजन पकाने का काम, छोटे भाई–बहिनों की देखभाल में मदद करना । असुरक्षा की भावना के कारण विद्यालय न भेजना । महत्वपूर्ण त्यौहारों के समय बालिकाओं को विद्यालय न भेजना आदि के कारण कुछ बालिकायें या तो बिल्कुल ही विद्यालय नहीं जा पाई और कुछ जाती भी है तो वे विभिन्न कार्यों के चलते नियमित विद्यालय नहीं जा पाती है ।

बालिकाओं को बालको के समान समानता दिलाने के लिये निम्नानुसार प्रयास किये गयें है –

ग्रीष्म कालीन शिविर : सामान्य तौर पर परीक्षा सत्र मार्च– अप्रैल होता है । इस समय खरीफ की फसल की कटाई चलती है । कृषक एवं मजदूर इस समय फसल काटने के लिये सपरिवार अपने खेतों में लग जाते हैं अथवा मजदूरी के लिये अन्यत्र चले हैं । इस समय बालिकायें अपने अभिभावकों का सहयोग करती है अथवा छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लगी रहती है । अतः ऐसी बालिकाओं के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये ग्रीष्मकालीन ब्रिजकोर्स चलाये जाते हैं ।

कार्यानुभव : रोजगारपरक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं को विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा से जोड़ा गया है । इसके अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में जूट का कार्य, ग्रीटिंग बनाना, कुटीर उद्योग से संबंधित, सिलाई–कढ़ाई आदि कार्य कराये जाते हैं । इस कार्य को सिखाने के लिये विद्यालय में एक अलग से अनुदेश नियुक्ति किया जाता है ।

मीना मंच : बालिकाओं में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास एवं सामाजिक जागरूकता हेतु चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव, नामांकन एवं अन्य प्रकार की अनेक समस्याओं के निदान पर विचार विमर्श किया जाता है । मीना मंच को सामग्री क्रय एवं खाता संचालन हेतु राशि दी जाती हैं । मीना मंच को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका को सुगमकर्ता के रूप में नामित किया गया है । मीना मंच हेतु अतिरिक्त कक्ष दिये जाने का प्राविधान है । बालिकाओं में तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु विद्यालयें में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया । जिसके माध्यम से बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

माडल कलस्टर डेवलेममेंट एप्रोच (एस.सी.डी.ए.): न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्डों के चिन्हित न्याय पंचायतों में कार्यक्रम का संचालन किया जाता है । उक्त न्याय पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु माँ–बेटी मेलों–मीना कैंपेन, पी.एल.ए. /पी.आर.ए. आदि का आयेाजन किया जा रहा है । ऐसे मजरों में महिला प्रेरक समूह, एम. टी.ए./पी.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण कराया गया है जहाँ स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है तथा बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन कराया जा रहा है ।

एन.पी.ई.जी.ई.एल. : कक्षा 1 से 8 की सुविधा वंचित लड़कियों के लिये एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियाान कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है । यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड में संचालित की गई है । शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड का तात्पर्य ऐसे विकास खण्ड से है जहाँ की ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है तथा जेण्डर गैप राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है । जम्मू काश्मीर के 13 जिलों के सभी विकास खण्ड जो उक्त शर्त को पूरा करते है और जो वर्ष 1991 की जनगणना में सम्मिलित नहीं किये गये थे । जिलों के ऐसे विकासखण्ड जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या 5 प्रतिशत तक हो तथा जहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम हो, उन्हें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है । चुनी गई गंदी बस्तियों को भी इसके अन्तर्गत रखा गया है ।

इसमें रणनीति के अंर्तगत बालिका शिक्षा को समुदाय, शिक्षक, अशासकीय सदस्य आदि के माध्यम से गतिशील करना है । यह प्रक्रिया आधारिक कार्यक्रम है जिनमें सामुदायिक दायित्व और स्थानीय सहयोग मुख्य रूप से समग्र कार्यक्रम में सम्मिलित है । समग्र घटक यह सुविधा उपलब्ध कराते है कि सभी विकासखण्ड अपनी योजना में आवश्यकतानुसार गतिविधि आयोजित करे । यह योजना विकासखण्ड के निम्नांकित लक्ष्यों एवं शर्तों पर आधारित है –

- विद्यालय से बाहर लड़कियां ।
- शालात्यागी लड़कियां ।
- अधिक आयु की बालिकायें जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की ।
- कामकाजी लड़कियां ।
- निचले सामाजिक समूह की बालिकायें ।
- कम उपस्थिति वाली बालिकायें ।

बालिका शिक्षा में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री, सी.डी. फिल्म और अन्य सामग्री जो पुस्तकों के विकास, पुनर्निरीक्षण, बालिका शिक्षा के विकास में मार्गदर्शन के लिये जेण्डर संबंधीपूरक अध्ययन सामग्री जिसमें जीवन कौशल जुड़े हो की सामग्री का निर्माण करना । महिलाओं और लड़कियों में स्वसम्मान और स्वविश्वास को बढ़ाने के लिये सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रम को धनात्मक हस्ताक्षेपी भूमिका प्रदान करने के लिये

गति देना जिससे वे महिलाओं के प्रति समाज, शिष्टाचार और आर्थिक क्षेत्रों में मान्यता तथा सहयोग के साथ धनात्मक तस्वीर बने –

- शिक्षा में विषयवस्तु और प्रक्रिया को अपनाकर जेण्डर संबंधी रूढ़ियों को तोड़ना ।
- प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में बालिका शिक्षा की भागीदारी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये सहयेागी सुविधाओं को आवश्यक सहयागी एवं समन्वय से उपलब्ध कराना ।
- विद्यालय, समुदाय एवं घर में बालिका शिक्षा के लिये अच्छे वातावरण का समुदाय के सहयोग से निर्माण करना । और
- प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना ।

समेकित शिक्षा की व्यवस्था : समाज के लगभग के 10 प्रतिशत बच्चे जो किसी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगाात्मक कमी के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से छूट जाते हैं, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्रप्ति नहीं हो पाती । अतः सर्व शिक्षा के अन्तर्गत इन विशेष प्रकार की आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष योजना बनाई गयी है । जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाले तथा विद्यालयों से बाहर रहने वाले 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कराते हुए मेडिकल एसिसमेंट कैम्प, उपकरण एवं उपस्कर का वितरण, विकलांगता प्रमाण–पत्रों का वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगता को 5 श्रेणियों (दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता, विकलांगता जन्य क्षीणता, अधिगम अक्षमता तथा मासिक अक्षमता) पर विचार किया गया है । परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा विद्यालयों में किया जाता है । बच्चों के रोगो का चिन्हांकन कर निदान हेतु परामर्श दिया जाता है । मेडिकल ऐसेसमेंट कैम्प में बच्चों का परीक्षण किया जाता है । अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिये विद्यालय में भवन निर्माण में आवश्यक ढ़लान या रैम्प का निर्माण कराया जाता है जिसमें बच्चें बिना किसी कठिनाई के विद्यालय भवन में पहुँच । विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय के समस्त अध्यापकों को प्रतिवर्ष विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । सर्व शिक्षा

कार्यक्रम में इन बच्चों को शैक्षिक सुविधा हेतु रूपये 1200/– की राशि प्रति बच्चे की दर से निर्धारित की जाती है ।

विद्यालयों, प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिये प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कियाशील बनाना : प्रारम्भिक शिक्षा की सम्पूर्ण देख–रेख का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया जाता है । ये समितियां विद्यालय स्थापना, उनका प्रबंधन, नियत्रण करती है । ये समितियाँ अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निम्न रूप में करती है –

पर्यवेक्षणीय : इसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण, छात्रवृत्तियों का वितरण, अध्यापकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन का वितरण तथा बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर बल दिया गया है ।

प्रबंधकीय/प्रशासकीय : इसके अंर्तगत –

- निर्माण कार्य – विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय तथा स्वच्छ जल अपूर्ति हेतु हैण्डपम्प ।
- विद्यालय से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना ।
- विद्यालय के लिए ग्राम के नवयुवकों में से शिक्षा मित्रों तथा शिक्षा गारंटी योजना के आधीन आचार्य जी का चयन और नियुक्ति ।

वित्तीय : इसके अंर्तगत –

- ग्राम शिक्षा समिति के लेखों का रख–रखाव तथा ग्राम प्रधान का प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से परिचालन ।
- ग्राम शिक्षा समिति के अधीन प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, हैण्डपम्प, विद्यालय अनुदान रू. 2000/–, अनुरक्षण अनुदान रू. 5000/– एवं शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री कय, ई.सी.सी.ई. हेतु शिक्षण/अधिगम/खेल सामग्रियों का कय आदि हेतु प्राप्त अनुदानों का व्यवहरण ।

संकुल संसाधन केन्द्रों (न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों) ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यो के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक सहायता सुनिश्चित कराना : बी.आर.

सी./सी.आर.सी. स्थापना के पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पठन–पाठन की देख–रेख एवं प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन की अपेक्षा जिला स्तरीय संस्थानों से की जाती थी । बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष बढ़ रहे विद्यालयों तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में पठन–पाठन के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसमर्थन का सर्वथा आभाव पाया गया । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार हेतु "उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा" के अंतर्गत संकुल स्तर पर "संकुल संसाधन केन्द्र" जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शन में क्रियाशील किये गये हैं । इनके गठन की संकल्पना यह है कि ये विद्यालय स्तर पर बच्चों तथा शिक्षकों को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये केन्द्र समस्त शैक्षिक गतिविधियों जैस प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बच्चों की प्रतियोगिताओं तथा सह–शैक्षिक क्रियाकलापों की कार्यवाही इकाई के रूप में कार्य करेंगे ।

प्रत्येक संकुल एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर समन्वयकों के पद सृजित किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश में 9832 अकादमिक पद सृजित किये गये हैं । इनके यात्रा, आकस्मिक व्यय, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण आदि के लिये विभिन्न मद में अलग–अलग राशि उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में नगरीय शैक्षिक संसाधन केन्द्रों की स्थान कर उक्तानुसार दायित्व सौपें गये हैं ।

नवाचार शिक्षा को प्रोत्साहित करना – विद्यालय में नवाचार के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में जोड़ने के लिये बालिका शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, ई.सी.सी.ई. एवं अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षा मद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू. 50 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है । इस राशि का उपयोग जिले विभिन्न गतिविधियों में करके बच्चों की विद्यालय में नियमितता सुनिश्चित करते हैं ।

अध्यापकों की उपलब्धता – प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक । उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

मुफ्त पाठ्य पुस्तकें – सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें । प्राथमिक स्तर पर जिनकी लागत रू. 50/– प्रति बच्चा है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर रू. 150/– प्रति बच्चा है तय की गयी है ।

3. **गुणवत्ता संवर्द्धन रणनीतियाँ :** इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं –

- **बाल केन्द्रित तथा किया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक और छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःक्रिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यकम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन :** पाठ्य पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये पुस्तकों में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । पुस्तकों में अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं । पुस्तकें बच्चों के स्वअधिगम को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है । पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । जिसमें बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को व्यावहारिक बनाया गया है । निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के साथ विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं के लिये निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग के रूप में अपनाया गया है ।
- **सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के गुणवत्ता का संवर्द्धन करना :** सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे अग्रेंजी प्रशिक्षण, कलस्टर प्रशिक्षण, समेकित प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण है । इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षामित्रों को सेवा पूर्व 30 दिवसीय कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु पर प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- **शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं तथा हस्तपुस्तिकाओं का विकास :** प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक विषय के पुस्तकों पर आधारित शिक्षकों के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है । जिसमें पाठ्यवस्तु के प्रस्तुत करने की विषयवस्तु योजनाबद्ध कम में दर्शायी गयी है । इस सामग्री में जहाँ पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण तरीका दिया गया है वहीं बच्चों का मूल्यांकन आदि कैसे करें को विस्तार से दिया गया है ।
- **स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक रोचक तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन करना :** कक्षा में शिक्षण

प्रक्रिया को गतिविधि आधारित, बाल केन्द्रित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये जहाँ एक ओर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है वही प्रति शिक्षक को प्रतिवर्ष रू. 500/– की राशि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है । इस राशि के उपलब्ध कराने का उद्देश्य शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री या अन्य सामग्री का उपभोग कर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करना है । साथ ही नवाचारात्मक, शिक्षण अधिगम में बढ़ावा दे ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागे ।

- **शोध, अनुश्रवण और मूल्यांकन –** विद्यालयों के अनुश्रवण बच्चों के मूल्यांकन तथा विभिन्न स्तर पर शोध आदि कार्य हेतु प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू. 1400/– की दर से राशि निर्धारित की गई है ।

4. क्षमता संवर्द्धन रणनीतियाँ – इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं :

- **राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना** – शैक्षिक प्रबंधकों के लिये शैक्षिक आंकड़ो के विश्लेषण, अभिलेखीकरण, प्रचार–प्रसार, संस्थानिक क्षमता का संवर्द्धन आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की स्थापना की गई है । इसमें 5 विभाग तथा 3 सहयोगी विभाग है । विभागों में योजना एवं नीति नियोजन, शोध मूल्यांकन एवं नवाचार, प्रबंधन, शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विभाग तथा सहयोगी विभाग में कम्प्यूटर, प्रशिक्षण तथा पुस्तकालय है । इसके प्रारम्भ में स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया । वर्तमान में राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है । वर्तमान में संस्थान जहाँ एक ओर शैक्षिक प्रबंधको का विभिन्न प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करता है । वही दूसरी ओर शासन को विभिन्न नीतिगत निर्णय में सहयोग प्रदान करता है । प्रदेश स्तर की शैक्षिक कार्य योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । प्रारंम्भिक शिक्षा संबंधित विभिन्न शोध कार्य किये जाते है ।
- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) की संस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण** – राज्य स्तर पर अकादमिक सहयोग प्रदान करने करने के लिये राज्य

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापित है । ये शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विभिन्न अध्ययन कार्य में सहयोग प्रदान करता है । विभिन्न परियोजना के माध्यम से संस्थान को जहाँ वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है वहीं अतिरिक्त भौतिक संसाधन के साथ वहां कार्यरत स्टाफ का क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

- विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का प्रति वर्ष क्षमता संवर्द्धन किया जाता है ।
- सामुदायिक सहायता को गतिशील बनाने, विद्यालय प्रबन्धन और समुदाय प्रबंधित विद्यालय निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील करने हेतु प्रशिक्षण देना ।
- **ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को सुदृढ़ करने के साथ क्षमता संवर्द्धन करना :** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जहॉ एक और भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है वही वहॉ के स्टाफ के क्षमता संवर्द्धन हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण आदि आयोजित किये गये है ताकि वे अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सके । इसके लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों को शोध कार्य, क्रियात्मक शोध, संस्थागत प्रबंधन एवं कार्ययोजना आदि के क्षेत्र में क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

5. **नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन रणनीतियॉ** : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित हैं –

- **विकेन्द्रित नियोजन प्रकिया** – प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नियोजन प्रकिया अपनाया गया है । इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर से समुदाय के सहयोग से शिक्षा की आवश्यकता का आंकलन कर गाँव वार शिक्षा की योजना का निर्माण किया गया है । इसके बाद कमशः विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर इन सूचनाओं का संकलन कर उसका विश्लेषण कर जिले की कार्ययोजन का निर्माण किया जाता है । यह योजना पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है ।

- **नियोजन/कियान्वयन में शोध निवेश** – विभिन्न रणनीतियों के कियान्वयन की प्रगति को जानने के लिये समय–समय पर विभिन्न शोध कार्य आयोजित किये जाते हैं । शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के आधार पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का आंकलन कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ।
- **कार्यक्रम संगठनों का मूल्यांकन** : इसके अन्तर्गत सबके लिये शिक्षा हेतु लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों की प्रगति जानने के लिए समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है ।

6. **पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन** – प्रदेश और जिले स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिये त्रैमासिक परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालय आंकड़ो के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिये वार्षिक शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणानी को लागू किया गया है ।

1.12.0 प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता: स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं । इन्ही प्रयासों के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश के 54 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (शेष जिलों में बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित की जा चुकी है), प्राथमिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन, धारण तथा गुणात्मक शिक्षा को सुनिशिचित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया । जिनके अन्तर्गत विद्यालयीन सुविधा के साथ–साथ विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सभी 6–11 वय वर्ग के सभी बच्चों को नामांकित कराकर पाँच वर्ष की नियमित शिक्षा गुणवत्ता के साथ दी जा सके । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारंभिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन काफी विस्तार हुआ है । वर्ष 2001 से प्रदेश के सभी जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को विभिन्न हस्ताक्षेपों के माध्यम से भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गयें है तथा जा रहे है ।

विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है । समुदाय को जागरुक बनाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको उनके अधिकारों एवं दायित्व से अवगत कराया गया है । विषय वस्तु को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं जेण्डर/ समाजिक भेद मुक्त बनाया गया है । शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है । संकुल केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है । बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपी उपाय किये जा रहे है । सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपी उपाय कितने सफल रहे यह जानना वर्तमान संदभ्र में आवश्यक हो जाता है ।

यदि हम स्वतंत्रता के बाद विद्यालयीन शिक्षा के संदर्भ में हुए अध्ययन का अवलोकन करते है तो पाते है कि देश में माध्यमिक शिक्षा में 1951 में प्रथम पीएच.डी. शोध कार्य हुआ । 80 के दशक तक देश में 208 शोध कार्य हुए है (50 के दशक में 9, 60 के दशक में 25, 70 के दशक में 68 तथा 80 के दशक में 106 शोध कार्य) ये शोधकार्यों मोटेतौर पर 10 क्षेत्रों से (इतिहास, प्रगतिसर्वे, सार्वभौमीकरण, बच्चों के उपलब्धि स्तर, पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन, विद्यालय प्रकिया , शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा व्यवस्था, शोध आवश्यकता) संबंधित हैं ।

इन शोध कार्यों में से 36 प्रतिशत पीएच.डी. स्तर के 5 प्रतिशत एन.सी.ई.आर.टी. प्रोजेक्ट अध्ययन, 20 प्रतिशत एस.आई.ई./एस.सी.ई.आर.टी. प्रोजेक्ट अध्ययन तथा 44 प्रतिशत अन्य प्रोजेक्ट थे । प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण विकासशील देशों में यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है । अपव्यय अवरोधन, अनुपस्थित, दर्ज एवं उपलब्धि में मुख्य समस्यायें है । ये समस्याये क्षेत्र एवं नीति आधारित है । विभिन्न दशकों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए अध्ययनों में से 50 के दशक में 6 अध्ययन, 60 के दशक में 8, 70 के दशक के 21 तथा 80 के दशक में 29 अध्ययन हुए है ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा कार्यक्रम से माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शोध कार्य जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हुए है । लेकिन विश्वविद्यालय स्तर अभी भी इस क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है । दवे पी.एन. एवं मुर्थी सी.जी. ने 1994 में लगभग 1800 शोध कार्य के सारांश का अध्ययन किया जिनमें से 54 शोधकार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे जो कि कुल शोध कार्य का 3 प्रतिशत है । अर्थात प्राथमिक स्तर अभी भी इस क्षेत्र में काफी पिछड़ा है ।

भारत देश में विश्वविद्यालय एवं शासन स्तर पर प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के लिए बहुत ही कम शोध हुए है । विश्वविद्यालय स्तर के बी.एड., एम.एड. स्तर के शोधकार्यों में भी सेकण्डरी स्तर को ही प्राथमिकता दी गई है । पीएच.डी. स्तर के अधिकतर शोधकार्यों प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा से अछूते दिखाई पड़ रहे हैं । वर्तमान में शासन स्तर से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर अनेक हस्तक्षेप शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए लगाये गये हैं। ये हस्तक्षेप कितने प्रभावी रहे इनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है । इसी लिए प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ता यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों का बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा हैं ।

1.13.0 शोध समस्या का कथन : प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य के चार जिलों में किया गया है । अध्ययन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन में शोध का कथन है –

"प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन"

"A study of the impact of various interversions for Universalisation of Elementary Education under Sarva Shiksha Abhhiyan "

1.14.0 प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्याः प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसकी व्याख्या निम्नानुसार है –

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम : सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से संचालित किया गया एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत वर्ष 2010 तक सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

हस्तक्षेप :– हस्तक्षेप से तात्यपर्य है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए हमने जो शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रमुख हस्तक्षेप निम्नांनुसार है –

- **अध्यापक :** प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक । एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो अध्यापक । उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक ।
- **स्कूल/वैकल्पिक स्कूल शिक्षा सुविधा :** प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के भीतर । असेवित बस्तियों में राज्य मानदण्डों के अनुसार नए स्कूल खोलने अथवा ईजीएस जैसे स्कूल खोलना ।
- **उच्च प्राथमिक स्कूल/शाखा :** प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित आवश्यकता के अनुसार किन्तु अधिकतम सीमा प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों के लिए एक उच्च प्राथमिक स्कूल/शाखा ।
- **कक्षा कक्ष :** प्रत्येक अध्यापक अथवा प्रत्येक ग्रेड/कक्षा के लिए, प्राथमिक स्तर पर इनमें से जो भी कम हो इस प्रावधान के साथ एक कमरा और कम से कम दो अध्यापकों वाल प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में बरामदे सहित दो क्लास रुम । उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में प्रधानाध्यापक के लिए एक कमरा ।
- **मुफ्त पाठ्यपुस्तकें :** प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु ।
- **सिविल निर्माण कार्य :** 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा में निर्माण कार्य यथा प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन,अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुर्ननिर्माण, मरम्मत आदि
- **स्कूल भवनों का रखरखाव और मरम्मत :** प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 5000/– रु.

- ईजीएस को नियमित स्कूल के रुप में स्तरोन्नयन करना अथवा राज्य मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक स्कूल खोलना
- **स्कूल अनुदान :** बेकार पड़े स्कूल उपस्करो के प्रतिस्थापन के लिए प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल को 2000/– रु. प्रतिवर्ष ।
- **अध्यापक अनुदान :** प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सकूल के प्रति अध्यापक 500/– रु. प्रतिवर्ष
- **अध्यापक प्रशिक्षण :** प्राथमिक प्रतिवर्ष सभी अध्यापकों के लिए 20 दिवसीय सेवाकालीन पाठ्यक्रम तथा नव–प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय दिशा अनुकूलन प्रशिक्षण की व्यवस्था
- **समुदाय का प्रशिक्षण :** एक गांव में एक वर्ष में अधिक से अधिक 8 व्यक्तियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण ।
- **विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान :** विकलांग बच्चों के समेकन के लिए प्रत्येक बच्चे के संबंध में 1200/– तक प्रति वर्ष ।
- **अनुसंधान,मूल्याकन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :** प्रत्येक स्कूल के लिए प्रतिवर्ष 1400/–रु.
- **नवाचार :** बालिका शिक्षा, प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा ,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षां , इसके लिये प्रत्येक नवाचार को 15 लाख रु. तक । प्रत्येक जिले को अधिकतम 50 लाख रु. प्रति वर्ष ।
- **व्लाक संसाधन केन्द्र/ संकुल संसाधन केन्द्र :** जहां कही भी आवश्यकता है व्लाक संसाधन केन्द्र हेतु 6 लाख और संकुल संसाधन केन्द्र हेतु 2 लाख रु. अधिकतम
- **स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेपी उपाय :** शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के आधीन पहले से ही अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना ।

प्रारम्भिक शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए 1–8 तक की शिक्षा से है ।

सार्वभौमीकरण : सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों का सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव तथा गुणवत्तापरक सम्प्राप्ति ।

नामांकन : नामांकन का तात्यपर्य है कि विद्यालय में कक्षावार कितने बच्चे दर्ज है । इसे प्रवेश दर के रुप में भी जाना जाता है ।

ठहराव : ठहराव का तात्यपर्य है कि विद्यालय में कक्षावार दर्ज बच्चों में से कितने बच्चे नियमित शिक्षा प्राप्त की ।

ड्रापआउट : ड्रापआउट से तात्यपर्य है कि नामांकित बच्चों में से कितने बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया ।

गुणवत्तापरक शिक्षा : गुणवत्ता परक शिक्षा से तात्यपर्य है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने बच्चे पास होते हैं ।

शैक्षिक उपलब्धि : विले और एन्ड्रूज (1955) के अनुसार विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक उद्देश्यों का मापन है, जो उन्होंने विद्यालय में अर्जित किया है । सामान्यतया, शैक्षिक उपलब्धि को परीक्षा में प्राप्त अंकों से आंका जाता है । इस अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि से आशय है कक्षा 5 / 8 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं समग्र के अंकों के प्रतिशत से है ।

विद्यालय में उपस्थिति : उपस्थिति का आशय विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थित दिनों की संख्या से है । इसको प्रतिशत में लिया गया है । इस अध्याय में उपस्थिति से आशय कक्षा 5 में विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा तक कितने दिन विद्यालय आया, के प्रतिशत से लिया गया है ।

1.15.0 प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य : किसी भी कार्य को करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य/उददेश्य को निर्धारित करें । बिना उददेश्य के निर्धारित किये हम अपनी शोध की सही स्थिति तक नहीं पहुॅच सकते है । लक्ष्य का निर्धारण कर लेने से शोध कार्य को एक निश्चित दिशा मिल जाती है । बिना उददेश्यों के निर्धारित किये शोध कार्य करने से धन, समय और परिश्रम आदि की क्षति होती है और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता है । अतः किसी भी कार्य को करने के पहले उददेश्यों का निर्धारण करना अत्याधिक आवश्यक होता है ।

वर्तमान शोध कार्य सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में क्या प्रभाव पड़ा है को ध्यान में रखकर किया जा रहा है । प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गये हैं –

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना ।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
7. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।
8. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
9. सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना ।

1.16.0 शोध परिकल्पनायें : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अर्न्तगत समय–समय पर विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये है । गतिविधियों के रुप में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपो के प्रभाव को जानने के लिए शोध में शून्य परिकल्पनाये प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी जॉच उददे्श्य को ध्यान में रखकर की गई । प्रत्येक परिकल्पना पर अलग–अलग हस्तक्षेप के प्रभाव को देखा गया । अध्ययन में

जिलेवार विश्लेषण किया गया । प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाये निर्धारित की गई है –

1.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

1.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.3 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.4 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.5 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.6 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

3.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में को सार्थक अंतर नहीं है ।

3.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

3.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.4 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.5 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.6 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.7 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.8 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.9 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.10 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.11 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.12 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.13 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.1 जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.2 क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.3 लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

9.1 जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

9.2 क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

अध्याय–द्वितीय

अध्ययन के लिये चयनित प्रदेश एवं जिलों का परिचय

2.01.0 प्रस्तावनाः प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अर्न्तगत समय–समय पर विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये है । शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेप कितने प्रभावी रहे जानने के लिये शोधकर्ता ने प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया है । राज्य की विशालता तथा कार्य को सुगम बनाने के लिये शोधकर्ता ने प्रथम स्त्रोत से जानकारी केवल प्रदेश के चार जिलों जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति है को अपने संकलन में लिया है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों का समान्य एवं शैक्षिक परिचय इस अध्याय में दिया गया है ।

2.02.0 शोध हेतु चयनित प्रदेश एवं जिलों का सामान्य परिचय : प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश तथा उसके चार जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर)का चयन प्रदेश की भैागोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर लिया है ताकि प्रदेश का प्रतिनिधित्व हो सके । अध्ययन के लिये चयनित जिलों तथा प्रदेश का परिचय निम्नानुसार है –

2.02.1 उत्तर प्रदेशः उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है । प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,92889 किलोमीटर है । यह क्षेत्रफल के अनुसार देश का पॉचवा सबसे बड़ा राज्य है । इसका कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7 प्रतिशत है । इसमें 13 संम्भाग, 809 विकास खण्ड़ है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 16,60,52,859 (देश की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत) है जिसमें से 8,74,66,301 पुरुष एवं 7,85,86,558 महिलाएं है । प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति का है । प्रदेश की कुल साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है । पुरुष साक्षरता दर 70.23 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 42.98 प्रतिशत है ।

2.02.2 इलाहाबाद जिला : जिला इलाहाबाद गंगा एवं यमुना नदी के पावन तट पर स्थित इलाहाबाद, उ0प्र0 का एक प्रमुख शहर एवं सबसे आबादी वाला जिला है । यह जिला उत्तर में प्रतापगढ़ और जौनपुर, पूर्व में मिर्जापुर और संत रविदास नगर तथा पश्चिम में कौशाम्बी और फतेहपुर जिलों से घिरा है । इसकी दक्षिणी सीमा इसे मध्य प्रदेश राज्य से अलग करती है । जिला इलाहाबाद उत्तरी अक्षांश 24.7 डिग्री और 25.47 डिग्री के बीच तथा पूर्वी देशान्तर 81.9 डिग्री और 81.21 डिग्री के बीच बसा हुआ है उत्तर से दक्षिण तक 101 कि0मी0 और पूरब से पश्चिम तक इसकी लम्बाई 117 कि0मी है । समुद्र तल से अधिकतम ऊँचाई 63.57 मीटर झूँसी के निकट है ।

इलाहाबाद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 5248.2 वर्ग किलोमीटर है जिमसें नगर क्षेत्र का क्षेत्रफल 116.2 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 5132 वर्ग किलोमीटर है । जिले में कृषि योग्य भूमि का 90 प्रतिशत भाग सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अधीन होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है वहीं अनुसूचित जाति के अधिकांश लोगों के भूमिहीन होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है जिनसे लोगों को स्थायी/अस्थायी रोजगार मिला हुआ है । जिले के फूलपुर में स्थापित इफ्को कारखाना भी लोगों के रोजगार का एक प्रमुख साधन है। बड़े उद्योग की स्थापना होने एवं लोगों के व्यापार एवं ईट भट्ठा तथा पत्थर की गिट्टी एवं सिलिका सैण्ड उद्योग से जुडे होने के कारण जिले की आर्थिक पृष्ठ भूमि सामान्यतः ठीक है ।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की कुल जनसंख्या 4936105 है । कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 74.4 प्रतिशत है तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 25.6 प्रतिशत है । जनसंख्या में पुरुष तथा महिला का प्रतिशत क्रमशः 53.13 प्रतिशत एवं 46.87 प्रतिशत है । जनपद मं अनुसूचित जाति की आबादी 21.24 प्रतिशत है । महिला एवं पुरुष की जनसंख्या निम्नवत है –

विवरण	पुरुष	महिला	योग
कुल जनसंख्या वर्ष 2001	2626448	2309657	4936105

स्त्रोत – जनगणना 2001

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में पुरुष महिला लिंग अनुपात 1000:888 तथा जनसंख्या वृद्धि दर 2.67 प्रतिशत प्रति वर्ष है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 62.1 प्रतिशत है जिसमें कुल पुरुष साक्षरता दर 75.8 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 46.4 प्रतिशत है । वर्ष 1991 व वर्ष 2001 की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है –

कमांक	विवरण	वर्ष 1991 का प्रतिशत	वर्ष 2001 का प्रतिशत	वृद्धि
1.	कुल साक्षरता	46.3	62.2	15.8
2.	कुल पुरुष साक्षरता	63.1	75.83	12.7
3.	कुल महिला साक्षरता	26.8	46.4	19.6

स्त्रोत – जनगणना 2001

2.02.3 झॉसी जिलाः झॉसी जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है । इसके पूर्व में हमीरपुर एवं महोबा जिले है और उत्तर में जालौन जिला है । इस जिले के दक्षिण में ललितपुर जिला स्थित हैं व दक्षिण तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी तथा दतिया जिलों की सीमायें हैं । यह जिला उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पश्चिम सीमा पर 25.30 डिग्री और 24.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 78.40 डिग्री और 79.25 डिग्री देशान्तर दिशाओं के मध्य स्थित है ।

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5025 वर्ग कि0मी0 है, जिसे दो पृथक–पृथक भौतिक इकाईयों में बांटा गया है । जिले की जलवायु समशीतोष्ण है जिसके कारण ग्रीष्मकाल में काफी गर्मी और शीतकाल में काफी ठण्ड पड़ती है । जिले में वर्षा का सामान्य औसत 850 मि0ली0 है लेकिन वर्षा कभी अधिक और कभी कम होती है । झॉसी जिले में बी0एच0ई0एल0 एवं पारीछा थर्मल पावर (तापीय विद्युत परियोजना) जैसे औद्योगिक केन्द्र हैं । रानीपुर में हैण्डलूम के वस्त्र प्रसिद्व हैं । जिले में टूरिस्ट केन्द्र (पर्यटन स्थल) भी हैं । जिले के अधिकॉश लोग खेती से जुड़े हैं, इसके बाद व्यवसायी एवं मजदूरी वर्ग हैं । ग्रेनाइट की खदानों पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं । महिलायें कृषि कार्य में सहयोग करती हैं । कुछ महिलायें एव बच्चे बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं ।

झाँसी जिले की जनसंख्या वर्ष 1991 में 14.30 लाख थी जो 2001 जनगणना के अनुसार 3.17 लाख की वृद्धि हुई व इस समय 17.47 लाख हो गयी है । इसमें से 9.34 लाख पुरुष तथा 8.13 लाख महिलायें हैं । जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 1029164 है जिसमें से 550028 पुरुष एवं 471136 महिलायें हैं नगर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 717551 है जिसमें 384090 पुरुष तथा 33349 महिलायें हैं । 1991 की जनसंख्या में 3.17 लाख की वृद्धि हुई है । यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 2.22 प्रतिशत है व औसतन 1000 पुरुषों के बीच 870 महिलायें हैं । यहाँ जनसंख्या धनत्व 348 प्रति वर्ग कि0मी0 है ।

1991 की कुल जनसंख्या			2001 की कुल जनसंख्या		
पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
766736	663556	1430292	934118	812597	1746715

श्रोत्र: जनगणना 2001

जिले में 10 विकास खण्ड है । जिले में जनसंख्या की सधनता 348 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है । वर्ष 1991 की गणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 51.60 थी जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 66.80 एवं महिलाओं की साक्षरता दर 33.80 थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 66.69 थी जिसमें पुरुष साक्षरता 80.11 एवं महिला साक्षरता 51.21 है । जिले की साक्षरता दर में कुल 15.09 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । पुरुषों की साक्षरता में 13.31 तथा महिलाओं की साक्षरता में 17.40 की वृद्धि हुयी है । जिले में जनसंख्या की वृद्धि 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

2.02.4 सिद्धार्थ नगर जिला: जिला सिद्धार्थ नगर की भौगोलिक संरचना एक कटोरे की भांति है। इसका मध्य भाग पूरब की ओर ढ़ाल लिये हुए कुछ गहरा है। इससे वर्षा के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती । जिले की भूमि मटियार दोमट, बलुआर है। नदियां एवं जलाशय की दृष्टि से जिला धनी है। जिले से हो कर बहने वाली नदियों में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, एवं प्रासी मुख्य है। इसके साथ ही सात पहाड़ी नाले भी जिले में प्रवाह करते है। जोकि नदियों में आ कर मिल जाते है। जिनमें बानगंगा अर्रा, जमुआर मुख्य है।

उत्तर में नेपाल राज्य पूर्व में महराजगंज दक्षिण में बस्ती तथा पश्चिम में बलरामपुर जिले की सीमाये हैं। नेपाल राज्य से लगी सीमा 76 किमी लम्बी है। जिले की उर्ध्वाधर लम्बाई 65 किमी है। इस जिले का क्षेत्रफल, 2956 वर्ग किमी है। जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.20 प्रतिशत है। जिसमें 2926.3 ग्रामीण क्षेत्र तथा 29.7 नगरीय क्षेत्र है। जिले में 5

तहसीले, 152 संकुल स्त्रोत केन्द्र, 1015 ग्रामपंचायते हैं। दो संसदीय क्षेत्र व 6 विधान सभा क्षेत्र है। 298855.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। 109195 हेक्टेयर में एक से अधिक बार फसलों की खेती की जाती है। बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण यहां के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं जिसका व्यापक प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। 29 दिसम्बर , 1988 को बस्ती जिले से पृथक कर सिद्धार्थ नगर का सृजन किया गया और इसे जिला मुख्यालय बनाया गया।

जिले की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आँकड़ों के अनुसार जिले की कुल आबादी का 79.29 प्रतिशत कृषक सीमान्त श्रेणी के कृषक हैं। जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जिले में 2661 लघु इकाईयां कार्यरत है। जिसमें 8242 लोग नियोजित है। जिले के अधिकांश आबादी मेहनत मजदूरी का कार्य करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले की कुल जनसंख्या 2169732 है जिसमें पुरूषों की संख्या 1118082 तथा महिलाओं की संख्या 1051650 है। जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी. 741 है तथा लिंग अनुपात 946 है। जनसंख्या की कुल दशकीय बृद्धि 26.78 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 2038598 है। किन्तु विकास खण्ड सांथा (सन्तकबीर नगर) की जनसंख्या सम्मिलत हो जाने से जिले की जनसंख्या 2169732 है। जिले में 1991 की जनसंख्या के अनुसार 26.78 प्रतिशत की बृद्धि हुयी है । यहां पर 3.81 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र तथा 96.19 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.70 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक की 21.01 प्रतिशत है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2956 वर्ग किमी है। जो प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.02 प्रतिशत है। इसमें से 2926.3 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र है तथा 29.7 वर्ग किमी नगरीय क्षेत्रफल है। जिले में 298855 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल साक्षरता 27.16 प्रतिशत थी। जिसमे पुरूषों की 40.92 प्रतिशत, तथा महिलाओं की 11.95 थी। वर्ष 2001 के जनगणना में कुल साक्षरता 43.97 प्रतिशत है तथा पुरूषों की 58.68 प्रतिशत, महिलाओं की 28.35 प्रतिशत है। जिले का साक्षरता विवरण निम्नांकित है–

तहसीले, 152 संकुल स्त्रोत केन्द्र, 1015 ग्रामपंचायते हैं। दो संसदीय क्षेत्र व 6 विधान सभा क्षेत्र है। 298855.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। 109195 हेक्टेयर में एक से अधिक बार फसलों की खेती की जाती है। बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण यहां के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं जिसका व्यापक प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। 29 दिसम्बर , 1988 को बस्ती जिले से पृथक कर सिद्धार्थ नगर का सृजन किया गया और इसे जिला मुख्यालय बनाया गया।

जिले की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आँकड़ों के अनुसार जिले की कुल आबादी का 79.29 प्रतिशत कृषक सीमान्त श्रेणी के कृषक हैं। जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जिले में 2661 लघु इकाईयां कार्यरत है। जिसमें 8242 लोग नियोजित है। जिले के अधिकांश आबादी मेहनत मजदूरी का कार्य करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार सिद्धार्थनगर जिले की कुल जनसंख्या 2169732 है जिसमें पुरूषों की संख्या 1118082 तथा महिलाओं की संख्या 1051650 है। जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी. 741 है तथा लिंग अनुपात 946 है। जनसंख्या की कुल दशकीय बृद्धि 26.78 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 2038598 है। किन्तु विकास खण्ड सांथा (सन्तकबीर नगर) की जनसंख्या सम्मिलत हो जाने से जिले की जनसंख्या 2169732 है। जिले में 1991 की जनसंख्या के अनुसार 26.78 प्रतिशत की बृद्धि हुयी है । यहां पर 3.81 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र तथा 96.19 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.70 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक की 21.01 प्रतिशत है। जिले का कुल क्षेत्रफल 2956 वर्ग किमी है। जो प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.02 प्रतिशत है। इसमें से 2926.3 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र है तथा 29.7 वर्ग किमी नगरीय क्षेत्रफल है। जिले में 298855 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल साक्षरता 27.16 प्रतिशत थी। जिसमे पुरूषों की 40.92 प्रतिशत, तथा महिलाओं की 11.95 थी। वर्ष 2001 के जनगणना में कुल साक्षरता 43.97 प्रतिशत है तथा पुरूषों की 58.68 प्रतिशत, महिलाओं की 28.35 प्रतिशत है। जिले का साक्षरता विवरण निम्नांकित है–

विवरण	1991 जनगणना के अनुसार	2001 जनगणना के अनुसार
कुल साक्षरता प्रतिशत	28.35	43.97
पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत	40.92	58.68
महिलाओ का साक्षरता प्रतिशत	11.95	28.35
ग्रामीण साक्षरता	25.9	34.05
नगरीय साक्षरता	53.8	57.71

स्रोत : 2001 की जनगणना

वर्ष 1991 में 01 वर्ग किमी में 586 लोग निवास करते थे। वर्ष 2001 में जनसंख्या घनत्व बढ़कर 741 हो गया है। वर्ष 1991 में 1000 पुरूष के सापेक्ष लिंग अनुपात 933 तथा वर्ष 2001 में 1000 पुरूष के सापेक्ष 946 है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला लिंग अनुपात घटा है परन्तु जिला सिद्धार्थनगर में महिला लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। जनसंख्या में दशकीय बृद्धि के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1991 में जिले के सृजन के बाद पहली जनगणना में सिद्धार्थनगर की कुल जनसंख्या 1618932 थी। इसमें 846877 पुरुष व 772055 स्त्रिया थी। वर्ष 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 2169732 है जिसमें पुरुषों की संख्या 1118082 तथा महिलाओं की संख्या 1051650 है। इस प्रकार कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 26. 78 प्रतिशत है।

जिले का प्रशासनिक ढ़ाचा 14 विकास खण्डों पर आधारित है। जिले में कुल 1015 ग्रामपंचायते हैं। जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड सांथा को सम्मिलित करते हुए कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 1078 है। जिसकी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था जिला सिद्धार्थनगर द्वारा की जाती है। इसी प्रकार जिले में कुल 152 संकुल स्त्रोतकेन्द्र हैं। जिला संत कबीर नगर के विकास खण्ड सांथा को सम्मिलित करते हुए कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 160 है। जिसकी शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था सिद्धार्थनगर जिले द्वारा की जाती है।

2.02.5 सीतापुर जिलाः जिला सीतापुर गोमती तथा घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित हैं । इसका कुल क्षेत्रफल 5743 वर्गकि0मी0 है। जो लखनऊ मण्डल के कुल क्षेत्रफल का 18.5 प्रतिशत तथा प्रदेश का 2.38 प्रतिशत है। जिले के उत्तर में लखीमपुरखीरी, दक्षिण पूर्व में लखनऊ, बाराबंकी, पूर्व में बहराईच तथा पश्चिम में हरदोई, जिले से सीमा बनाती है। मानचित्र के अनुसार यह जिला 27.6 डिग्री व 27.54 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 80.10

डिग्री व 81.24 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । समुद्रतल से 100 से 150 मीटर के मध्य स्थित है। जिले में प्रमुख नदियाँ घाघरा, गोमती, कढ़िना किवानी एवं सरायन है। जनपद में दोमट मटियार, बलुई एवं चिकनी मिटिटयॉ पाई जाती हैं। जिले के उत्तरी भाग में अपेक्षाकृत वर्षा कुछ अधिक होती है, क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के निकट पड़ता है। वनों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1.1 प्रतिशत है।

जिले में जीविकोपार्जन के लिये 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ कि भूमि समतल एवं उपजाऊ है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, मूँगफली, मक्का, तिलहन आदि फसलें पैदा होती हैं। सीतापुर का अधिकांश क्षेत्र मैदानी, जो कि शारदा नहर से सिंचित एवं उपजाऊ है। इसके कारण जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ चावल, गेहूँ, उड़द, गन्ना एवं तिलहन की प्रमुख फसलें होती हैं, खैराबाद एवं लहरपुर में दरी उद्योग विकसित हैं। जहा से देश देशान्तर को दरियों का निर्यात होता है। गन्ने की फसलें आर्थिक रूप से अच्छा योगदान करती हैं। जिले में 5 चीनी मिलें, आटा मिले, दाल मिलें, तेल मिलें एवं रूई, खण्डसारी इकाईयॉ संचालित है। गॉजरी क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विकासखण्ड रामपुरमथुरा में एक सूत मिल स्थापित की गई है। जिले में कुल जनसंख्या 3619661 है, जिनमें कुल 1941374 पुरूष तथा 1678287 महिलायें है। वर्ष 2001 की साक्षरता 55.67 प्रतिशत है जिसमें पुरूष 74.52 प्रतिशत तथा महिला 37.46 प्रतिशत है। जिले में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 497 प्रतिवर्ग कि0मी0है।

जिले में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर 833 स्त्रियाँ है। जिले में वर्ष 1991 के सापेक्ष जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्विदर 24 प्रतिशत है।

कुल जनसंख्या	कुल पुरूष जनसंख्या	कुल महिला जनसंख्या	कुल 0–6	पुरूष 0–6	महिला 0–6	कुल अनुसूचित	पुरूष अनुसूचित	महिला अनुसूचित
3619661	2168469	1883880	1095729	716101	379628	1195297	641732	553565

स्रोतः– जनगणना 2001

जिले की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नानुसार है –

कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरूष साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता प्रतिशत
1645845	1082372	563473	55.67%	74.52%	37.46%

स्रोतः– जनगणना 2001

जिले में विकासखण्डों की कुल संख्या 19 है। कुल 1329 ग्रामसभा , तथा 2348 राजस्व ग्राम (ग्राम पंचायतें) है।

2.03.0 अध्ययन हेतु चयनित प्रदेश एवं जिलों की शैक्षिक प्रगति : प्रस्तुत अध्ययन के लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों का लिया गया है, जिनकी शैक्षिक प्रगति नीचे दी गई है । अध्ययन में चयनित प्रदेश एवं जिलों की जिलेवार शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है –

2.03.1 उत्तर प्रदेश राज्य की शैक्षिक प्रगतिः प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की गई है और कुछ परियोजनायें वर्तमान में संचालित है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001–02 सें संचालित है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत जहाँ एक ओर प्रत्येक बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है तथा जा रहे है । विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाने के लिये तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायी, रुचिपूर्ण एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिये प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न मदों में प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है । समुदाय को जागरुक बनाने के लिये उनको प्रशिक्षण दिया गया है तथा उनको उनके अधिकारों एवं दायित्व से अवगत कराया गया है । विषय वस्तु को बालकेन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं जेण्डर/ समाजिक भेद मुक्त बनाया गया है । शिक्षकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है । संकुल केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की स्थापना कर उनको अकादमिक दृष्टि से मजबूत बनाया गया है तथा विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक तंत्र की क्षमता संवर्धन का प्रयास किया गया है । बालिका शिक्षा, अपवंचित वर्ग एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपी उपाय किये जा रहे है । विभिन्न हस्ताक्षेपी उपाय के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति: वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधक प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 122941 (72.76 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 6219 (3.68 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 699 (0.41 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालय 37350 (22.10 प्रतिशत) तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1689 (1.00 प्रतिशत) है । उत्तर प्रदेश में 2.8 प्राथमिक विद्यालय के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय । वर्ष 1994 के बाद प्रदेश में 40.31 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 50.43 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 33.76 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 61.28 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 12.61 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये है ।

भवन की स्थिति : प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निमार्ण कार्य कराया गया है और आगे कराया जा रहा है उसके बावजूद अभी तक विभिन्न कारणों से शतप्रतिशत विद्यालयों में पक्का भवन नहीं उपलब्ध कराया जा सका है । वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विद्यालय के प्रकारवार भवनों की स्थिति का प्रतिशत निम्नानुसार है–

विद्यालय का प्रकार	भवन की स्थिति					
	पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	जनकारी अप्राप्त
प्राथमिक विद्यालय	96.44	1.04	0.15	0.03	1.53	0.82
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	92.60	1.74	0.21	0.03	4.42	1.00
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	93.84	1.29	0.00	0.00	4.15	0.72
उच्च प्राथमिक विद्यालय	96.05	0.70	0.04	0.01	1.98	1.23
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	94.55	0.36	0.06	0.00	3.97	1.07
सभी प्रकार के विद्यालय	96.14	0.98	0.13	0.02	1.77	0.96

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

कक्षाकक्ष की स्थिति: विद्यालय के प्रकार के अनुसार वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष की स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 3.4, उच्च प्राथमिक से संलग्न

प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 6.0, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 7.9, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 3.9 तथा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 10.3 कक्षा कक्ष है । कक्षा– कक्षों का वितरण निम्नानुसार है –

(प्रतिशत में)

कक्षा–कक्षों की संख्या	विद्यालय के प्रकार				
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
एक कक्षीय	0.86	0.32	0.72	0.38	0.36
दो कक्षीय	22.02	2.52	3.29	2.52	1.78
तीन कक्षीय	30.90	9.31	11.16	41.02	7.93
चार से छः कक्षीय	40.45	28.69	23.03	44.21	23.51
सात से दस कक्षीय	4.96	42.69	26.47	7.67	18.95
ग्यारह से पंद्रह कक्षीय	0.60	11.95	15.88	1.91	18.24
पंद्रह से अधिक	0.15	3.42	18.03	0.95	27.41

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार कक्षाकक्ष की स्थिति विद्यालय के प्रकार के अनुसार निम्नानुसार है–

(प्रतिशत में)

विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष की स्थिति का प्रतिशत		
	अच्छी स्थिति	आंशिक मरम्मत की आवश्यकता	बृहद मरम्मत की आवश्यकता
प्राथमिक विद्यालय	76.41	19.17	4.42
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	85.48	12.97	1.56
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	87.80	11.01	1.19
उच्च प्राथमिक विद्यालय	8089	15.82	3.29
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	87.33	10.66	2.01
सभी प्रकार के	78.50	17.64	3.86

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

नामांकन की स्थितिः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्मर पर 25649289 बच्चे नामांकित है जिसमें से 13117860 (51.14 प्रतिशत) बालक एवं 12531429 (48.86 प्रतिशत) बालिका तथा लैगिंक समानता अनुपात 0.96 है । उच्च प्राथमिक स्तर पर 6513225 बच्चे नामांकित है जिसमें से 3433354 (52.71 प्रतिशत) बालक एवं 3079871 (47.29 प्रतिशत) बालिका तथा लैगिंक समानता अनुपात 0.90 है । भारत देश का प्राथमिक स्तर पर लैगिंक समानता अनुपात 0.93 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लैगिंक समानता अनुपात 0.91 है।

अनुसूचित जाति का नामांकन : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबधंन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 27.03 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 48.45 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 27.41 प्रतिशत (अनुसूचित जाति नामांकन में अनुसूचित जाति बालिका का नामांकन 46.86 प्रतिशत) है । जबकि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 0.59 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 46.88 प्रतिशत) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.54 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति नामांकन में अनुसूचित जनजाति बालिका का नामांकन 43.87 प्रतिशत) है ।

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थितिः वर्ष 2006–2007 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	नामांकन			लैगिंक समानता अनुपात
		बालक	बालिका	योग	
1.	प्राथमिक विद्यालय	75000	54653	129653	0.73
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	16917	12911	29828	0.76

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

शिक्षकों की स्थितिः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उनसे संलग्न विद्यालयों में 608638 शिक्षक कार्यरत है जिनमें से 72.80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में, 5.42 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में, 0.62 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालयों में, 19.64 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.52 प्रतिशत हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में में शिक्षक कार्यरत है । प्रति विद्यालय औसतन शिक्षक निम्नानुसार कार्यरत है–

विद्यालयों का प्रकार				
प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायरसेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
3.6	5.3	5.4	3.2	5.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

पैरा शिक्षकों की संख्याः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पैरा शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	लिंग	
	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	72813	80962
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	326	199
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	23	12
उच्च प्राथमिक विद्यालय	256	89
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	66	10
कुल	73484	81273

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

शिक्षकों की योग्यताः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	शिक्षकों की योग्यता							
	सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल/पीएच.डी.	अन्य	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	4.28	11.71	26.00	35.93	21.56	0.36	0.13	0.03
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3.22	14.27	14.27	41.69	26.01	0.25	0.18	0.09
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3.76	3.25	13.44	40.56	37.88	0.54	0.19	0.40
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.21	3.82	27.89	38.41	26.33	0.23	0.06	0.03
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1.97	2.29	7.47	36.35	51.23	0.43	0.11	015

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

पैरा शिक्षकों की योग्यताः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पैरा शिक्षकों की योग्यता वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	पैरा शिक्षकों की योग्यता				
	जे.वी. ,जे.वी.टी. या उसके समकक्ष	एस.वी., सी.वी., एस.बी.टी. या उसके समकक्ष	एल.टी., बी.टी., बी.एड़. या उसके समकक्ष	एम.एड़. या उसके समकक्ष	जनकारी अप्राप्त
प्राथमिक विद्यालय	55.25	2.51	10.17	1.26	30.80
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	65.99	1.45	20.35	1.74	10.47
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25.00	8.33	45.83	12.50	8.33
उच्च प्राथमिक विद्यालय	63.37	5.13	25.27	1.47	4.76
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	26.32	3.51	56.14	5.26	8.77

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

वर्ष 2005–06 में पैरा शिक्षक सहित प्रदेश में निम्नांकित शिक्षकों नें सेवा पश्चात प्रशिक्षण वर्ष 2005–06 में प्राप्त किया है ।

(प्रतिशत में)

विद्यालय का प्रकार	लिंग	
	बालक	**बालिका**
प्राथमिक विद्यालय	17.78	19.07
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1.26	1.31
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1.70	1.45
उच्च प्राथमिक विद्यालय	14.07	14.00
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.55	0.49

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी अनुपातः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार –

- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 1:55 उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:61, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय में 1:63, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:44 तथा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:48 कक्षा विद्यार्थी अनुपात है ।
- उत्तर प्रदेश के 12.81 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 23.33 प्रतिशत उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 24.03 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 9.92 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 13. 50 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 100 से अधिक है ।

- प्रदेश के 52.18 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, 40.11 प्रतिशत उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 27.68 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय, 25.79 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 20.16 प्रतिशत हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 60 से अधिक है ।

अन्य भौतिक संसाधनों की प्रगतिः वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकडों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पेय जल, शौचालय कम्प्यूटर रैप एवं खेल के मैदान की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है ।

विद्यालय का प्रकार	स्वच्छ पीने का पानी	शौचालय	लड़कियों के लिये शौचालय	कम्प्यूटर सुविधा	रैंप की सुविधा	खेल का मैदान
प्राथमिक विद्यालय	98.37	86.97	76.65	4.17	32.83	63.83
उच्च प्राथमिक के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	96.97	94.57	90.59	11.56	14.46	82.83
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के साथ संलग्न प्राथमिक विद्यालय	95.65	92.85	88.70	14.02	14.59	86.12
उच्च प्राथमिक विद्यालय	93.04	89.80	80.63	6.37	25.97	68.09
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	99.25	94.91	90.76	11.84	10.30	89.70

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत : वर्ष 2006–2007 के शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के बोर्ड परीक्षा में उपलब्धि के स्तर की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	उत्तीर्ण का प्रतिशत	प्राथमिक स्तर कक्षा 5		उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	96.92	96.74	96.40	94.31
2.	60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण का प्रतिशत	33.36	31.92	32.34	18.65

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े (2006–2007)

2.03.2 इलाहाबाद जिले की शैक्षिक प्रगति : शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
प्राथमिक विद्यालय	2244	284	2155	171
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	14	359	11	167
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	17	3	7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	801	374	764	301
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	2	2	2
योग	3064	1036	2935	648

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
	शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
प्राथमिक विद्यालय	526288	63648	514599	43476
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4596	142339	3515	72773
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	284	6017	284	3120
उच्च प्राथमिक विद्यालय	89054	91768	86672	79333
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	746	737	746	737
योग	620968	304509	605816	199439

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत)

क्रमाक	वर्ग	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	अनुसूचित जाति	30.2	25.4
2.	अनुसूचित जाति में बालिका	49.2	45.4
3.	जनजाति	0.16	0.14
4.	जनजाति में बालिका	51.6	48.8
5.	पिछड़े वर्ग	53.4	49.0
6.	पिछड़े वर्ग में बालिका	50.3	46.3
7.	मुस्लिम	7.1	5.1
8.	मुस्लिम में बालिका	49.4	52.2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2006–07	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	2.2	0.5	0.0	28.9	0.0
3.	60 विद्यार्थी–कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	33.7	26.3	30.0	10.0	0.0
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	10.9	1.3	0.0	2.2	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	93.0	97.1	95.0	94.6	75.0
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	87.4	95.7	90.0	88.5	75.0
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	95.7	99.2	90.0	87.2	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	99.8	100.0	100.0	99.8	100.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	89.2	3.1	4.5	49.2	50.3
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	1.0	0.4	0.0	12.4	0.0
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय का प्रतिशत	13.0	34.9	45.0	40.1	75.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

कक्षा									
1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
165582	152906	137688	117771	102973	676920	91165	82812	74580	248557

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	सकल / शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
1.	सकल नामांकन अनुपात	93.9	100.3	50.8	60.7
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	80.2	87.3	39.6	45.6

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी एवं कक्षा–विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	सूचकांक (2006–07)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामाकन का प्रतिशत	50.3	48.4	54.3	45.9	40.6
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	62	106	117	55	71
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	51	45	36	31	26
4.	50 या उससे कम नामाकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	2.3	0.8	5.0	22.0	0.0

5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	13.4	48.3	50.0	15.1	50.0
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	49.5	44.5	50.0	26.6	4.8
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	36.9	34.0	35.0	58.7	0.0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	**विद्यालय का प्रकार**	**विद्यालय की स्थिति (2006–07)**					
		पक्का	**आंशिक पक्का**	**कच्चा**	**टेन्ट**	**बहु प्रकार**	**बिना भवन**
1.	प्राथमिक विद्यालय	2464	16	2	0	23	23
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	357	5	0	0	9	2
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	20	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1139	8	0	0	26	2
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	0	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा–कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.सं.	**विद्यालय का प्रकार**	**कक्षाकक्ष (2006–07)**				
		कुल कक्षा–कक्ष	**अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत**	**आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत**	**बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत**	**अन्य कक्ष**
1.	प्राथमिक विद्यालय	11596	82.3	15.1	2.6	3046
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3238	69.6	29.4	1.0	716
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	177	74.6	25.4	0.0	39
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	5749	84.8	13.0	2.1	1736
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	57	100.0	0.0	0.0	2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
	सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	153	509	1454	2534	1623	30	6	0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	20	69	827	459	3	0	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	3	2	35	14	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	57	137	653	1531	924	2	0	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	7	1	5	5	0	0	0
पैराशिक्षक की योग्यता	57	85			537	3	3	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक			पैराशिक्षक		
	कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	9586	3416	2893	0	1421	1856
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1384	768	616	0	0	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	54	27	27	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3307	2425	879	0	3	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	21	20	1	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	594	480	1074	41	45	86
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	61	52	123	3	7	10
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	336	155	491	26	8	34
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	1	2	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	303	301	320	307	293	1524	104	92	83	279
2.	बालिका	165	244	256	247	221	1133	79	83	68	230
	योग	468	545	576	554	514	2657	183	175	151	509

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में ड्राप आउट दर 2.4 प्रतिशत, कक्षा 2 में ड्राप आउट दर 1.4 प्रतिशत, कक्षा 3 में ड्राप आउट दर 8.0 प्रतिशत, कक्षा 4 में ड्राप आउट दर 1.6 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में ड्राप आउट दर 4.3 प्रतिशत है ।

प्रमोशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में प्रमोशन दर 95.3 प्रतिशत, कक्षा 2 में प्रमोशन दर 97.3 प्रतिशत, कक्षा 3 में प्रमोशन दर 91.0 प्रतिशत, कक्षा 4 में प्रमोशन दर 90.4 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में प्रमोशन दर 97.7 प्रतिशत है ।

रिपीटीशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में रिपीटीशन दर 2.3 प्रतिशत, कक्षा 2 में रिपीटीशन दर 1.2 प्रतिशत, कक्षा 3 में रिपीटीशन दर 1.0 प्रतिशत, कक्षा 4 में रिपीटीशन दर 0.8 प्रतिशत, कक्षा 5 में रिपीटीशन दर 0.7 प्रतिशत, कक्षा 6 में रिपीटीशन दर 0.6 प्रतिशत, कक्षा 7 में रिपीटीशन दर 0.3 प्रतिशत तथा कक्षा 8 में रिपीटीशन दर 0.3 प्रतिशत है ।

ट्रांजीशन एवं ठहराव दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 97.7 तथा ठहराव दर 79.1 प्रतिशत है ।

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया –

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.7	97.9	98.1	96.3
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	36.4	32.3	41.4	36.4

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

2.03.3 झांसी जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	1140	265	1026	101
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	13	129	4	58
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	6	0	1
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	413	140	384	33
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	12	17	8	10
	योग	1580	557	1422	203

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	174947	37866	156117	13693
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1883	26192	391	12888
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2248	1522	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	49372	14563	46544	4040
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1393	2668	383	905
	योग	229843	82811	203435	31526

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत)

क्रमांक	वर्ग	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	अनुसूचित जाति	32.8	34.0
2.	अनुसूचित जाति में बालिका	47.5	43.7
3.	जनजाति	0.28	0.92
4.	जनजाति में बालिका	39.6	43.4
5.	पिछड़े वर्ग	51.5	46.3
6.	पिछड़े वर्ग में बालिका	48.7	45.0
7.	मुस्लिम	3.3	3.5
8.	मुस्लिम में बालिका	47.3	48.1

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है –

प्रगति सूचकांक वर्ष 2006–07	विद्यालय का प्रकार				
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	0.9	0.0	0.0	0.7	0.0
एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	1.1	0.7	0.0	10.1	0.0
60 विद्यार्थी–कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	17.8	20.4	12.5	9.6	3.4
नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	15.2	8.5	25.0	5.6	3.4
बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	80.3	92.3	100.0	85.4	86.2
विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	62.2	85.2	75.0	63.1	65.5

विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	96.3	98.6	100.0	93.9	93.1
बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	82.2	6.7	59.6	77.2	34.3
जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	0.4	0.8	0.0	6.9	0.0
बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय का प्रतिशत	15.4	23.2	25.0	49.9	62.1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक स्तर पर 233514 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 22698 बच्चे नामांकित थे । कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

कक्षा									
1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
48684	49752	47135	45292	42651	233514	29025	27417	22698	79140

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
1.	सकल नामांकन अनुपात	101.5	97.9	52.4	63.6
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	91.5	87.1	43.0	53.9

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी एवं कक्षा–विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	सूचकांक (2006–07)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से सलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	48.8	44.8	26.4	45.4	46.1
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	40	42	94	38	34
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	40	34	37	30	18
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	8.8	19.0	37.5	17.4	37.9
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	3.5	12.0	37.5	5.6	13.8
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	42.2	43.3	72.5	28.2	25.2
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	34.4	57.0	12.5	57.0	17.2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2006–07)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	1357	14	4	0	9	11
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	131	2	0	0	2	7
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	0	0	0	1	1
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	531	6	1	0	3	12
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	26	0	0	0	1	2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा–कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2006–07)				
		कुल कक्षा–कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
1.	प्राथमिक विद्यालय	5312	87.9	9.1	3.0	1380
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	835	92.3	7.4	0.2	196
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	101	88.1	11.9	0.0	16
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	2124	87.8	10.0	2.3	665
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	222	86.5	11.3	2.3	58

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है –

क्रम क्र.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	133	550	935	1250	714	7	1	20
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	28	19	70	346	173	6	0	12
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	9	9	15	0	0	5
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	82	55	518	622	378	4	0	1
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	12	42	61	1	0	3
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	45	83	1082	444	95	2	1	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैराशिक्षक		
	कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	5347	2224	1386	0	865	872	0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	668	370	284	0	9	5	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	40	11	29	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1661	1192	468	0	1	0	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	119	89	30	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

कमांक	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	579	293	872	15	12	29
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	43	28	71	7	1	8
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	2	0	1	1
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	229	52	281	0	8	8
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	12	2	14	10	0	10

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	89	78	89	114	108	478	47	60	53	160
2.	बालिका	56	69	63	77	68	333	35	30	37	102
	योग	145	147	152	191	176	811	82	90	90	262

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में ड्राप आउट दर 5.9 प्रतिशत, कक्षा 2 में ड्राप आउट दर 6.6 प्रतिशत, कक्षा 3 में ड्राप आउट दर 8.5 प्रतिशत, कक्षा 4 में ड्राप आउट दर 9.6 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में ड्राप आउट दर 29.8 प्रतिशत है ।

प्रमोशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में प्रमोशन दर 93.1 प्रतिशत, कक्षा 2 में प्रमोशन दर 92.1 प्रतिशत, कक्षा 3 में प्रमोशन दर 89.8 प्रतिशत, कक्षा 4 में प्रमोशन दर 88.7 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में प्रमोशन दर 67.1 प्रतिशत है ।

रिपीटीशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में रिपीटीशन दर 1.0 प्रतिशत, कक्षा 2 में रिपीटीशन दर 1.3 प्रतिशत, कक्षा 3 में रिपीटीशन दर 1.7 प्रतिशत, कक्षा 4 में रिपीटीशन दर 1.7 प्रतिशत, कक्षा 5 में रिपीटीशन दर 3.1 प्रतिशत, कक्षा 6 में रिपीटीशन दर 1.4 प्रतिशत, कक्षा 7 में रिपीटीशन दर 1.4 प्रतिशत तथा कक्षा 8 में रिपीटीशन दर 1.8 प्रतिशत है ।

ट्रांजीशन एवं ठहराव दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 67.1 तथा ठहराव दर 82.9 प्रतिशत है ।

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया –

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.1	96.7	96.7	96.3
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	46.0	45.0	38.5	41.5

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

2.03.4 सिद्धार्थनगर जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	1441	97	1419	81
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	24	1	19
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	548	61	540	57
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	25	0	25
	योग	1992	207	1960	182

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	269182	24147	264726	20624
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	69	6166	69	5072
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	39272	10417	38527	9284
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	214	4478	0	4478
	योग	308737	45208	303322	39458

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत)

क्रमांक	वर्ग	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	अनुसूचित जाति	24.4	25.1
2.	अनुसूचित जाति में बालिका	48.6	42.4
3.	जनजाति	0.10	0.0
4.	जनजाति में बालिका	49.0	0.0
5.	पिछड़े वर्ग	59.3	48.9
6.	पिछड़े वर्ग में बालिका	47.7	39.3
7.	मुस्लिम	15.0	16.3
8.	मुस्लिम में बालिका	40.7	37.5

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2006–07	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का	4.8	0.0	0.0	55.5	0.0

	प्रतिशत					
3.	60 विद्यार्थी–कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	42.0	16.0	0.0	2.8	7.4
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	2.3	4.0	0.0	0.5	0.0
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	81.6	76.0	0.0	77.8	92.6
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	66.2	68.0	0.0	59.1	92.6
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	99.1	100.0	0.0	82.6	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	918	1.1	0.0	79.0	4.6
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	2.9	0.0	0.0	34.4	0.0
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय का प्रतिशत	21.9	52.0	0.0	25.9	74.1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

कक्षा									
1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
83313	71496	59609	45907	37306	297631	23249	19066	13999	56314

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत)

क्रमांक	सकल / शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
1.	सकल नामांकन अनुपात	10206	106.7	26.9	33.3
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	94.2	93.7	21.6	24.7

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी एवं कक्षा–विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	सूचकांक (2006–07)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	48.0	41.9	0.0	42.4	36.0
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	63	39	0	42	27
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	56	35	0	21	15
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	2.8	8.0	0.0	47.5	14.8
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	15.3	16.0	0.0	10.2	3.7
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	31.8	19.3	0.0	18.6	14.3
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	40.8	24.0	0.0	72.9	3.7

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2006–07)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	1535	1	0	0	0	2
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	23	0	0	0	1	1
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	591	1	0	0	1	16
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	26	0	0	0	0	1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा–कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2006–07)				
	कुल कक्षा–कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
प्राथमिक विद्यालय	5198	83.0	13.6	3.3	1733
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	180	95.6	3.9	0.6	39
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0.0	0.0	0.0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2337	89.2	8.8	2.0	765
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	320	95.3	3.1	1.6	69

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
	सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	59	326	851	698	206	4	4	0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7	17	48	61	26	0	0	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	16	34	428	502	198	2	0	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	2	20	89	64	0	0	0
पैराशिक्षक की योग्यता	8	57	1655	562	203	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है –

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैराशिक्षक		
		कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	4631	1802	346	0	1356	1127	0
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	161	128	31	0	2	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1180	960	220	0	0	0	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	175	150	25	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रम सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	499	163	662	21	10	31
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	19	4	23	1	0	1
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	129	25	154	5	4	9
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	8	5	13	9	0	9

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**योग**	**6**	**7**	**8**	**योग**
1.	बालक	162	162	168	134	109	735	64	40	34	138
2.	बालिका	115	126	107	89	83	520	55	37	26	118
	योग	277	288	275	223	192	1255	119	77	60	256

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में ड्राप आउट दर 12.5 प्रतिशत, कक्षा 2 में ड्राप आउट दर 12.1 प्रतिशत, कक्षा 3 में ड्राप आउट दर 15.8 प्रतिशत, कक्षा 4 में ड्राप आउट दर 18.7 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में ड्राप आउट दर 33.5 प्रतिशत है ।

प्रमोशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में प्रमोशन दर 86.6 प्रतिशत, कक्षा 2 में प्रमोशन दर 87.5 प्रतिशत, कक्षा 3 में प्रमोशन दर 83.9 प्रतिशत, कक्षा 4 में प्रमोशन दर 81.0 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में प्रमोशन दर 66.1 प्रतिशत है ।

रिपीटीशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में रिपीटीशन दर 0.9 प्रतिशत, कक्षा 2 में रिपीटीशन दर 0.4 प्रतिशत, कक्षा 3 में रिपीटीशन दर 0.3 प्रतिशत, कक्षा 4 में रिपीटीशन दर 0.2 प्रतिशत, कक्षा 5 में रिपीटीशन दर 0.4 प्रतिशत, कक्षा 6 में रिपीटीशन दर 0.1 प्रतिशत, कक्षा 7 में रिपीटीशन दर 0.1 प्रतिशत तथा कक्षा 8 में रिपीटीशन दर 0.1 प्रतिशत है ।

ट्रांजीशन एवं ठहराव दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 66.1 तथा ठहराव दर 49.2 प्रतिशत है ।

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया –

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.0	98.1	97.6	97.5
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	32.1	28.4	30.7	29.4

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

2.03.5 सीतापुर जिले की शैक्षिक प्रगति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले की शैक्षिक प्रगति निम्नानुसार है –

विद्यालयों की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में विद्यालयों की स्थिति वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल विद्यालय		ग्रामीण विद्यालय	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	2578	523	2507	425
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	21	43	19	36
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	15	2	11
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	751	171	730	136
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	8	9	8	8
	योग	3362	761	3266	616

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : विद्यालय के प्रकार एवं क्षेत्र के आधार पर जिले में वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	कुल नामांकन		ग्रामीण नामांकन	
		शासकीय	अशासकीय	शासकीय	अशासकीय
1.	प्राथमिक विद्यालय	557698	115871	543206	95949
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5605	12178	5061	10653
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	550	3964	186	3153
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	107644	36000	103253	28723
5.	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1752	2121	1752	1881
	योग	673249	170134	653458	140359

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन का प्रतिशत निम्नानुसार है –

(आंकड़े प्रतिशत)

क्रमांक	वर्ग	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	अनुसूचित जाति	365	38.6
2.	अनुसूचित जाति में बालिका	49.2	48.2
3.	जनजाति	0.14	0.05
4.	जनजाति में बालिका	49.4	42.0
5.	पिछड़े वर्ग	42.5	34.5
6.	पिछड़े वर्ग में बालिका	49.3	48.0
7.	मुस्लिम	5.0	3.2
8.	मुस्लिम में बालिका	47.6	47.7

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शैक्षिक सूचकांक की स्थिति : विद्यालय के प्रकार के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	प्रगति सूचकांक वर्ष 2006–07	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च शिक्षा से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल /हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0
2.	एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत	4.1	6.3	5.3	11.4	5.9

3.	60 विद्यार्थी–कक्षा अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	43.7	26.6	21.1	18.4	5.9
4.	नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	5.9	6.3	0.0	1.5	11.8
5.	बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	95.1	96.9	100.0	92.2	100.0
6.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है	88.2	95.3	94.7	84.4	82.4
7.	विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है	98.5	98.4	94.7	94.9	100.0
8.	बिना ब्लैकबोर्ड के विद्यालयों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9.	शासकीय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत	82.8	31.5	12.2	74.9	45.2
10.	जिन विद्यालयों में एक शिक्षक है उनमें नामांकन का प्रतिशत	4.1	6.6	7.4	6.2	6.2
11.	बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय का प्रतिशत	24.2	46.9	63.2	55.4	70.6

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में विभिन्न वर्ष में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

कक्षा									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**योग**	**6**	**7**	**8**	**योग**
156505	149147	139474	127251	115572	687949	51040	45664	45664	155434

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	सकल/शुद्ध नामांकन	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
		2005–06	2006–07	2005–06	2006–07
1.	सकल नामांकन अनुपात	129.4	139.0	43.3	51.7
2.	शुद्ध नामांकन अनुपात	100.0	100.0	29.8	42.2

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–विद्यार्थी एवं कक्षा–विद्यार्थी अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है –

क्र.	सूचकांक (2006–07)	विद्यालय का प्रकार				
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक से सलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	बालिका नामांकन का प्रतिशत	49.4	49.3	51.3	48.9	50.2
2.	शिक्षक विद्यार्थी अनुपात	74	72	68	54	62
3.	कक्षा विद्यार्थी अनुपात	57	45	28	40	32
4.	50 या उससे कम नामांकन वाले विद्यालयों का प्रतिशत	3.3	6.3	5.3	14.2	11.6
5.	100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशत	26.3	31.3	31.6	17.9	23.5
6.	महिला शिक्षकों का प्रतिशत	39.4	34.0	10.6	25.2	16.1
7.	1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशत	36.7	43.8	26.3	59.0	29.4

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विद्यालयों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के भवन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय की स्थिति (2006–07)					
		पक्का	आंशिक पक्का	कच्चा	टेन्ट	बहु प्रकार	बिना भवन
1.	प्राथमिक विद्यालय	2988	36	2	0	62	1
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	61	0	0	0	3	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	18	0	0	0	1	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	901	6	0	0	14	0
05.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	17	0	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

कक्षाकक्ष की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा–कक्षों की स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	कक्षाकक्ष (2006–07)				
	कुल कक्षा कक्ष	अच्छे कक्षा कक्ष का प्रतिशत	आंशिक मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	बृहद मरम्मत योग्य कक्षाकक्ष का प्रतिशत	अन्य कक्ष
प्राथमिक विद्यालय	11760	57.1	40.4	2.5	3400
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	392	62.8	37.2	0	63
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	162	81.5	18.5	0	14
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3615	57.3	39.7	3.0	1118
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	120	63.3	36.7	0	15

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

शिक्षकों की योग्यता (पैरा शिक्षकों के अतिरिक्त) : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं पैरा शिक्षकों की योग्यता निम्नानुसार है –

क्रम क्र.	विद्यालय का प्रकार	योग्यता							
		सेकण्डरी के नीचे	सेकण्डरी	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल	अन्य	कोई जानकारी नहीं
1.	प्राथमिक विद्यालय	719	754	1717	1651	950	21	10	0
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	23	5	60	100	56	0	0	0
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	2	16	27	20	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	244	190	757	904	539	4	2	0
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	5	20	16	17	0	0	0
6.	पैराशिक्षक की योग्यता	334	158	888	1479	417	6	3	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

लिंग वार शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लिंगवार शिक्षकों स्थिति निम्नानुसार है –

विद्यालय का प्रकार	नियमित शिक्षक				पैराशिक्षक		
	कुल	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं	पुरुष	महिला	कोई जानकारी नहीं
प्राथमिक विद्यालय	9096	3929	1893	0	157 9	1695	0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	247	162	82	0	1	2	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	66	58	7	0	1	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2647	1975	665	0	6	1	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	62	52	10	0	0	0	0

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रम. सं.	विद्यालय का प्रकार	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1138	557	1695	32	16	48
2.	उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	28	7	35	1	0	1
3.	उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	12	0	12	0	0	0
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	315	89	404	19	8	27
5.	हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	7	1	8	1	0	1

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति : वर्ष 2006–07 के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार जिले में कक्षावार विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति निम्नानुसार है –

क्रमांक	लिंग	कक्षावार नामांकन									
		1	2	3	4	5	योग	6	7	8	योग
1.	बालक	209	214	210	198	151	982	72	43	49	164
2.	बालिका	173	174	178	152	116	793	32	35	37	104
	योग	382	388	388	350	267	1775	104	78	86	268

स्रोतः नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

ड्राप आउट दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में ड्राप आउट दर 3.2 प्रतिशत, कक्षा 2 में ड्राप आउट दर 3.1 प्रतिशत,

कक्षा 3 में ड्राप आउट दर 3.3 प्रतिशत, कक्षा 4 में ड्राप आउट दर 3.9 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में ड्राप आउट दर 43.9 प्रतिशत है ।

प्रमोशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 3 में प्रमोशन दर 94.9 प्रतिशत, कक्षा 4 में प्रमोशन दर 94.6 प्रतिशत तथा कक्षा 5 में प्रमोशन दर 54.6 प्रतिशत है ।

रिपीटीशन दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में रिपीटीशन दर 1.8 प्रतिशत, कक्षा 2 में रिपीटीशन दर 1.6 प्रतिशत, कक्षा 3 में रिपीटीशन दर 1.8 प्रतिशत, कक्षा 4 में रिपीटीशन दर 1.5 प्रतिशत, कक्षा 5 में रिपीटीशन दर 1.5 प्रतिशत, कक्षा 6 में रिपीटीशन दर 0.8 प्रतिशत, कक्षा 7 में रिपीटीशन दर 0. 4प्रतिशत तथा कक्षा 8 में रिपीटीशन दर 0.4 प्रतिशत है ।

ट्रांजीशन एवं ठहराव दर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में ट्रांजीशन दर 54.6 तथा ठहराव दर 96.7 प्रतिशत है ।

सम्प्राप्ति स्तर : वर्ष 2006–07 के जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों का उपलब्धि का स्तर निम्नानुसार पाया गया –

कमाक	परिणाम का विवरण	कक्षा			
		5		8	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	उत्तीर्ण का प्रतिशत	93.1	92.5	92.3	91.6
2.	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	27.0	26.0	28.0	30.0

स्रोत: नीपा रिपोर्ट एवं जिला शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली आंकड़े (2006–07)

अध्याय–तृतीय

शोध से संबंधित अध्ययन

3.01.0 प्रस्तावना : किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने के पूर्वु शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करें । इसकी उपयोगिता इससे सिद्व होती है कि शोधार्थी शोध कार्यों के पूर्व इतिहास एवं उसके करने की विद्या से परिचिय हो सकें । संबंधित साहित्य का अध्ययन अनुसंधानकर्ता के लिये उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसके अनुसंधान की मौलिकता को आधार प्रदान करता हैं । क्षेत्र में हुये कार्य, उसकी विधि तथा निष्कर्ष के आधार पर अनुसंधानकर्ता, समस्या चयन, उसकी रूपरेखा तथा शोधविधि का निर्माण करना काफी सरल हो जाता है । यहॉ जॉन डब्लू बेस्ट की युक्ति उचित तथा पूर्ण लगती है कि "व्यवहारिक रुप में सम्पूर्ण मानव ज्ञान, पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है । यदि हम पुस्कालय का सहारा नहीं लेते तो हम पूर्व के हुए कार्य को पुनः दोहराकर समय नष्ट करते हैं ।

केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सदियों में एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा कर उस कार्य को अपने अध्ययन के आधर पर आगे बढ़ा सकता है। मानव ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं– ज्ञान को एकत्र करना, एक दूसरे तक पहुँचाना और ज्ञान में वृद्धि करना। यह तथ्य अनुसंधान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि वास्तविकता के समीप लाने का निरन्तर प्रयास करता है। व्यावहारिक रूप में तो धन की भाँति सम्पूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों तथा पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नये रूप में प्रारम्भ करता है । ज्ञान के विस्तृत भण्डार में उसका निरन्तर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किये गये प्रयासों की सफलता को सम्भव बनाता है। सहित्य अध्ययन के आधार पर अनुसंधान कर्त्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं। यदि हुआ है तो किस स्तर का हुआ है और इसमें किस क्षेत्र में आगे अध्ययन किया जा सकता है ।

अनुसंधान कर्ता द्वारा किये जाने वाले शोध कार्य के लिए आधार भूमि पूर्व से संचित ज्ञान एवं पूर्व सम्पादित शोध ही होते हैं । किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिये शोध–कर्त्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भाँति अवगत होना चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में इस ज्ञान का भंडार उपलब्ध है, इसकी जानकारी प्रत्येक शोधार्थी के लिए अनिवार्य होती है । इस जानकारी के आभाव में शोधार्थी द्वारा किया जाने वाला सम्पूर्ण प्रयास दिशा हीन रहता है, ज्ञान विकास की दिशा में उसका योगदान शून्य रहता है तथा उसका समस्त प्रयास निर्थक रहता है । अतः शोध समस्या का अन्तिम रुप में चयन करने से पूर्व शोधार्थी को संबंधित साहित्य एवं सूचनाओं का संग्रह तथा उसकी समीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है । संबंधित साहित्य के अध्ययन से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रस्तावित समस्या के किन–किन पहलुओं पर संबंधित कार्य पूर्व में हो चुके हैं तथा किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है । सभी अनुसंधान विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते है कि शोध प्रक्रिया कि सबसे लंबी सीढ़ी संबंधित साहित्य का अवलोकन एवं उसकी समीक्षा है ।

अनुसंधान विधि में साहित्य शब्द किसी विषय के अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और शोध अध्ययन आते हैं । 'समीक्षा' शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य की समीक्षा का कार्य अत्यन्त सृजनात्मक एवं थकाने वाला होता है । क्योंकि शोधकर्त्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए प्राप्त ज्ञान को विलक्षण रूप से एकत्र करना होता है। साहित्य के पुनर्निरीक्षण के दो पक्ष होते है । प्रथम पक्ष के अन्तर्गत, समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचानना तथा जिस भाग से हम पूरी तरह अवगत नहीं है उसको पढ़ना आता है । हम उन विचारों और परिणामों का विकास करते हैं, जिनके आधार पर अध्ययन किया जायेगा । साहित्य के पुनर्निरीक्षण के द्वितीय पक्ष में शोध अभिलेख के भाग में इन विचारों को लिखना निहित है । यह भाग शोधकर्त्ता और पढ़ने वाले दोनों के लिए लाभकारी है । शोधकर्त्ता के लिये यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है तथा पढ़ने वालों के लिए यह विचारों और अध्ययन के लिए आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है ।

'समीक्षा' और 'साहित्य' दोनों शब्दों का ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भिन्न अर्थ है। ऐतिहासिक शोध में शोध–कर्त्ता को प्रकाशित तथ्यों के पुनर्निरीक्षण की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है, वह ऐसी नई जानकारी को खोजने और एकत्र करने का प्रयास करता है जो पहले कभी प्रकाशित नहीं हुई और न ही जिस पर कभी विचार हुआ। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में ऐतिहासिक शोध में 'साहित्य की समीक्षा' में उपलक्षित विचार और प्रक्रिया के भिन्न अर्थ है। किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी नींव को बनाता है, जिसके ऊपर भविष्य का कार्य किया जाता है। यदि हम साहित्य की समीक्षा द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान की नींव बनाने में असमर्थ होते हैं तो हमारा कार्य सम्भवतया तुच्छ और प्रायः उस कार्य की नकल मात्र ही होता है जो कि पहले ही किसी के द्वारा किया जा चुका है।

सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में साहित्य की समीक्षा तथ्यों को एकत्र करके पहले से ही तैयार किये गये कार्यों की विभिन्नता को प्रदान करता है। इन शोध विधियों में साहित्य का पुनर्निरीक्षण, नये विषयों में एकत्र किये गये नये तथ्यों से किये जाने वाले नये अध्ययनों के लिए अतीत से प्राप्त सन्दर्भों को जानने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक विधि में हम अतीत को कभी भी अस्वीकार नहीं करते और उसमें साहित्य की समीक्षा ही तथ्यों को एकत्र करने की विधि है। इस सन्दर्भ में प्रयुक्त किये गये साधन शोध के 'आधार' तथा पुनर्निरीक्षित की गयी सामग्री 'तथ्य' होते है। अतः ऐतिहासिक शोध में साहित्य के पुनर्निरीक्षण का प्राथमिक कार्य शोध तथ्य प्रदान करना है।

अनुसंधान को अपने क्षेत्र तथा समस्या से संबंधित पूर्व में हो चुके अनुसंधानों का सर्वेक्षण करने से कई लाभ मिलते हैं । उसे यह बोध होता है कि समस्या से संबंधित अनुसंधानो में शोधार्थी ने किस न्यादर्श का किस प्रकार चयन किया है । शोध के लिए प्रत्येक उपकरण का तो उसे ज्ञान होता है साथ ही विभिन्न शोधकर्ताओं ने किन–किन चरों का तथा किन–किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अथवा प्रयास किए, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है । परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी विश्लेषण व प्राप्त निष्कर्षो की जानकारी भी मिलती है, जिससे शोधार्थी को अछूते पक्षों में शोध कार्य करने की सूझ भी प्राप्त होती है । इस प्रकार संबंधित शोध का अध्ययन शोध कार्य प्रारम्भ करने की पहली सीढ़ी है । साहित्य का पुनरावलोकन करने के बाद ही शोधार्थी अपने कार्य की आधार शिला रख सकते है ।

3.02.0 साहित्य सर्वेक्षण का महत्व : किसी भी संबंधित साहित्य की समीक्षा से अनुसंधानकर्ता को उसके द्वारा किये जाने वाले शोधकार्य की सीमा के निर्धारण करने में सहायता मिलती है । संबंधित साहित्य के ज्ञान से अनुसंधानकर्ता को अन्य के द्वारा किये गये कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वह अलाभप्रद व अनुपयोगी समस्याओ तथा उसी क्षेत्र में फिर से शोध करने से बच सकता है । वह ऐसे क्षेत्र को चुनाव कर सकता है जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ । इसके द्वारा इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है कि पूर्व में किये गये अनुसंधान में किस प्रकार की अनुशंसाएँ की गई थी । साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व को हम विन्दुवार निम्न रूपों में समझ सकते हैं–

- शोधार्थी का शोध से संबंधी जानकारी प्राप्त होती है ।
- शोध समस्या को सीमित रखने व दिशा देने में सहायता मिलती है, क्योकि पूर्व में हो चुके अनुसंधान की जानकारी मिल जाती है ।
- शोध सामग्री एकत्र करने में उपयुक्त साधनों, कारणों, विधियों एवं परीक्षणों को खोजने में सहायता मिलती है ।
- शोध परिणामों की वैद्यता सिद्व करने के तरीको की जानकारी मिलती है ।
- विचारणीय शोध के लिए निर्देशों अथवा सन्दर्भों की धारणाओं को र्निमित करने में ।
- समस्या क्षेत्र के शोध की वस्तुस्थिति को समझने में ।
- शोध विधियों और तथ्यों के विश्लेषीकरण को आधार प्रदान करने में ।
- विचारणीय अनुसंधान की सफलता और निष्कर्षों की उपयोगिता व महत्ता की सम्भावना को जॉचने के लिए ।
- शोध के उद्देश्य, सीमाओं और परिकल्पनाओं के विश्लेषीकरण के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी देने में ।
- महत्वपूर्ण चरों को खोजना।
- जो हो चुका है उससे जो करने की आवश्यकता है उसको पृथक करना।
- शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिए अध्ययनों का संकलन करना।
- समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका सम्बन्ध और प्राप्त अध्ययनों से इसके अन्तर को निर्धारित करना।
- शोध परिणामों के विश्लेषण एवं व्याख्या करने में ।

साहित्य सर्वेक्षण के दो साधन हैं– प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष साधनों में इस समस्या से संबंधित पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकें, लेख, सरकारी प्रतिवेदन, एम.एड. तथा पीएच.डी. स्तर पर लिखे गये शोध, निबंध आदि आते है, जबकि अप्रत्यक्ष संसाधन में शैक्षिक अनुसंधान का विश्वकोश, एजुकेशनल सर्वेक्षण, एजुकेशनल इन्डैक्स डायरेक्टरी एवं इयर बुक ऑफ एजुकेशन एवं एजुकेशनल रिसर्च आदि की गणना की जाती है ।

3.03.0 सम्बंधित साहित्य के समीक्षा की आवश्यकता : सम्बंधित साहित्य की समीक्षा आवश्यक निम्नलिखित कारणों से है–

- प्रत्येक अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों द्वारा किये गये अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की जानकारी से भली–भाँति परिचित हो । वास्तविक शोध की योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता है ।
- शोधकार्य की कार्य योजना बनाने में प्रारम्भिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों की समीक्षा करता है, इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्त्ता को एक दिशा का संकेत देता है ।
- यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है । शोधकर्त्ता साहित्य के पुनर्निरीक्षण के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है । यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है । अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद–विवाद किया जा सकता है ।

3.04.0 देश–विदेश में किये गये अध्ययन : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लिये भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकारे समय समय विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है । वर्तमान में वर्ष 2001–02 से सर्व शिक्षा अभियान संचालित है । शोधकर्ता ने सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये किये गये प्रयास का अध्ययन करने के लिये पूर्व में हुए शोध अध्ययन का अध्ययन किया । इसके लिए एन.सी.ई.आर.टी. न्यूपा एडसिल आदि द्वारा प्रकाशित शैक्षिक अनुसंधान के सर्वेक्षणों का अवलोकन किया गया तथा विदेश में आयोजित अनुसंधानों के सर्वेक्षण हेतु Dissertation Abstract Introduction International तथा

Psychological Abstract का अवलोकन किया जिससे शोधार्थी को कुछ लेख प्राप्त हुए, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है –

- **स्टीवर्ट (1975)** ने कक्षा में होने वाले शाब्दिक व अनुभावात्मक व्यवहारों तथा संज्ञानात्मक अन्तरक्रियाओं में संबंध का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि जिन कक्षाओं में व्याख्यान हेतु कम समय का उपयोग करने वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके विद्यार्थियों की प्रक्रियाओं का विकास कम होता है । संज्ञानात्मक प्रकिया विकास के मापों तथा शिक्षक प्रश्नों के रूप में वर्गाकृत वार्तालाप में सार्थक सकारात्मक, सहसंबंध होता है । व्याख्यान व प्रश्नों के उपयोग में संतुलन, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को बढ़ाता है ।

- **कोइन (1998)** ने पठन, गणित में न्यूनतम दक्षता परीक्षण पर विद्यार्थियों की विशेषताओं का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के संचयी अभिलेख का उपयोग किया । इसके लिए जाति, लिंग, माता–पिता का व्यवसाय, मानसिक योग्यता, उपस्थित व उनकी उपलब्धि ग्रेड में तथा स्टेअनफोर्ड का पठन व गणित निष्पति परीक्षण आदि चरो का उपयोग किया गया । इस अध्ययन हेतु दो विद्यालयों के कक्षा 8 के 234 शहरी मध्यम वर्ग के शिक्षार्थियों को शोध कार्य हेतु न्यादर्श के रुप में चयन किया गया । डिसक्रिमेंट एनालिसिस फंक्सन प्रविधि द्वारा यह पाया गया कि, पठन परीक्षण दक्षताओं के सदस्यों की शुद्वता 88.2 प्रतिशत जबकि गणित परीक्षण में शुद्वता 84.2 प्रतिशत पाई गयी । परिणाम यह प्रदर्शित करते है कि दक्षता परीक्षणेां में अनुर्तीण होने वाले विद्यार्थियों में दक्षतायें उच्च अंश तक विद्यमान है ।

- **रथ व सरकार (1960)** ने कटक शहर के तीन उच्च और तीन पिछड़ी जातियेां का अध्ययन किया और पाया कि सभी जातियों के अधिकांश सदस्य समाज में सबके लिये समान सामाजिक आर्थिक सुविधायें होना ठीक समझते हैं, और इस संदर्भ में जातिवाद का विरोध करते थे । इसके पश्चात रथ व सरकार (1960) ने अर्न्तजातियों में मानसिक स्तर का भी अध्ययन किया और पाया कि इन जातियों के मानसिक स्तर में सार्थक अंतर था । इनकी अभिरूचियों में भी अंतर पाया गया । उच्च जाति की अवधारणा पिछड़ी जाति की अवधारणा से सार्थक रूप से अधिक पायी गई ।

- **सिंह (1960)** ने आगरा शहर और पास के ग्रामीण क्षेत्रों के 4–10 आयु वर्ष के बालकों में जातीय चेतना के विकास का अध्ययन किया और पाया कि जातीय चेतना का विकास लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक तेजी से विकसित होता है । जातीय चेतना ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में तथा निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति में शीघ्र और तेजी से छोटी उम्र में ही विकसित होती है ।

- **कुरेशी (1960–66)** ने किशोरों के सेल्फ इमेज का सामाजिक आर्थिक आधार पर अध्ययन किया और पाया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर (एस.ई.एस.) वाले अपनी सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देते हैं । उच्च, मध्यम एवं निम्न एस.ई.एस. के व्यक्तियों के क्रमशः सुरक्षा, मान्यता और अक्रामकता की प्रेरणा अधिक पायी जाती है ।

- **जुल्का (1961– 62)** ने 7 से 11 वर्ष से ऊपर दो समूह के 140 भील जाति के बालकों का अध्ययन किया । अध्ययन में बौद्धिक क्षमता, प्रेरणा स्तर, दूरदर्शिता में कमी पायी गई । आकांक्षा का स्तर उच्च पाया गया । भावुकता पर कमजोर नियंत्रण पाया गया व अधिक तनावयुक्त पाये गये ।

- **बर्न्सटेन (1962)** ने आदिवासियों की भाषा संबंधी समस्या का अध्ययन किया और पाया कि छोटी कक्षाओं में बच्चों पर उनकी घरेलू भाषा का अधिक असर पड़ता है । इसके लिये शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का सहारा लेना चाहिये ।

- **राघवन (1966)** ने ग्रामीण और लंबे समय से शहर में बसे छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन किया । अध्ययन में ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के छात्रों में अधिक उपलब्धि पायी गई । औद्योगिक शहरी समुदाय में उन्मुखीकरण अधिक पाया गया ।

- **बिगनाड़ (1972)** ने सामाजिक–आर्थिक स्तर और अपेक्षित व्यवसाय में संबंध का अध्ययन किया । अध्ययन से प्रमुख निष्कर्ष निकले कि जितना सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, उतना ही अपेक्षित व्यवसाय का भी स्तर ऊँचा होगा ।

- **विलियम (1973)** ने प्राथमिक विद्यालय के तीन समूहों के छात्रों की स्व अवधारणा का अध्ययन किया और पाया कि कक्षा में बहुसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की स्व अवधारणा अल्पसंख्यक समूह के सामाजिक असंतुलित छात्रों की अपेक्षा धनात्मक पायी गई । सफेद प्रजाति के विद्यार्थियों की अपेक्षा काले विद्यार्थियों के समूह में अधिक स्व अवधारणा पायी गई ।

- **श्रीवास्तव (1974)** ने अपराधी बालकों के व्यक्तित्व प्रतिमान का अध्ययन किया और पाया कि उनमें बौद्धिक योग्यता और सामाजिक अन्तर्क्रिया कम पायी गयी, परन्तु दैनिक क्रिया कलापों में आत्मविश्वास देखा गया ।

- **सिंह (1976)** ने कोटा जिले के गबड़ा गांव के सांस्कृतिक सम्पर्क और व्यक्तित्व प्रतिमानों का रोर्शा परीक्षण, सामाजिक आर्थिक स्तर, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया । इस अध्ययन के लिये 150 न्यादर्श का चयन सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक स्तर पर किया गया और पाया गया कि "सांस्कृतिक सम्पर्क का व्यक्तित्व निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है " ।

- **गुप्ता (1978)** ने उच्च एवं निम्न जाति की स्व अवधारणा का अध्ययन किया । उच्च वर्ग की अपेक्षा हरिजन वर्ग के विद्यार्थियों की उपलब्धि, आत्मविश्वास लघुता ग्रंथि, भावनात्मक स्थिरता आदि गुणों का मध्यमान स्कोर सार्थक रूप से अधिक पाया गया ।

- **गुप्ता (1979)** ने कम नियंत्रण वाली कक्षाओं के विद्यार्थियों में अधिक नियंत्रण वाली कक्षाओं के विद्यार्थियों की अपेक्षा परिकल्पना निमार्ण, मान्यताओं के निर्धारण, खोज अभिकल्पित व कियान्वित करने, चरों को समझने, सावधानी पूवर्क निरीक्षण करने , प्रदत्तों का अभिलेखन करने, चरों को समझाने, परिणामों का विश्लेषण व निर्वचन करने और नये ज्ञान का संश्लेषण करने आदि योग्यताओं का अधिक विकास होता है ।

- **एन.सी.ई.आर.टी. (1988),** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तकनीकी निर्देशन तथा सहयोग के अन्तर्गत डॉ.दवे(1988) ने प्राथमिक स्तर पर छात्र उपलब्धि का अध्ययन किया । इसे 15 राज्यों में प्रारम्भ किया गया तथा इसके प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य के 30 विद्यालयों को इस कार्य के लिए चुना गया । 1980–84 के दौरान लगभग 2,480 विद्यालयों जिसमें लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया । इस परियोजना के उददेश्य विद्यालयों के नामांकन, ठहराव का अध्ययन करना, विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर जिस सीमा तक विकसित होते है, उसे सुनिशिचित करना तथा विद्यार्थी, विद्यालयी, सामाजिक एवं सास्कृतिक कारकों का न्यूनतम अधिगम स्तरों के भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के छात्र उपलब्धि के साथ संबंध देखना था । अध्ययन

में पाया गया कि कक्षा 1 में भाषा में छात्र उपलब्धि बहुत अच्छी है तथा कक्षा 3 में न्यूनतम से अच्छी है एवं कक्षा 4 में न्यूनतम है । इसी प्रकार पर्यावरण विज्ञान में कक्षा 1 तथा 2 में दो विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छी थी तथा कक्षा 4 में सामान्य से नीचे ।

- **मेटाकॉफ, (1985)** ने पारम्परिक विधि तथा दक्षता आधारित शिक्षण विधि का गणित की उपलब्धियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया । अनुसंधान में कक्षा 5, 6, 7 व 8 के शिक्षार्थियों कि गणित के प्राप्ताकों पर दो शिक्षण विधियों के प्रभाव का अध्ययन किया । प्रत्येक कक्षा से 40 विद्यार्थियों का एक प्रयोगिक समूह चुना गया और उन्हे दक्षता आधरित विधि द्वारा पढ़ाया गया । प्रत्येक कक्षा से चयनित 40 विद्यार्थियों को नियंत्रित समूह मानकर पारम्परिक विधि द्वारा पढ़ाया गया, इसके पश्चात परीक्षण लिया गया तथा कोवेरियन्स सांख्यिकी के माध्यम से विशलेषण किया गया । एक वर्ष प्रयोग करने के बाद प्रायोगिक व नियंत्रित समूह में सार्थक अंतर पाया गया ।

- **कुलहमान, केरोन (1985)** ने प्राथमिक दक्षता परीक्षण परिणामों का प्राथमिक विद्यालयों की संगठनात्मक विशेषताओं व विद्यार्थियों की विशेषताओं के साथ संबंध का अध्ययन किया । इस हेतु कक्षा 2,3 व 4 के 1986 व 1982 वर्ष में सभी विद्यार्थियों का दक्षता परीक्षण किया गया । शोध का उददे्श्य यह ज्ञात करना था क्या विद्यालयों की संगठनात्मक संरचना व विद्यार्थियों की विशेषताओं का दक्षता परीक्षण के प्राप्तांको पर कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं । इस हेतु चार प्रकार के विद्यालय चुने गये जिनसे विभिन्न परिवारों के विद्यार्थियों को लिया गया । इनसे (1) एक माता–पिता व दो माता–पिता वाले (2) दोपहर का भोजन मुफ्त, आधी कीमत व पूरी कीमत चुकाकर करने वाले विद्यार्थी थे । विद्यार्थियों कि गणित पठन की दक्षताओं की जॉच की गई तथा यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि कक्षा 2 के पठन के प्राप्तांक व गणित के प्राप्तांको पर विद्यालय–विद्यार्थी की विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है । मल्टीपल रिग्रेशन एनालसिस द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन व विद्यार्थियों की विशेषताओं का विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की पठन व गणित की दक्षताओं के साथ कोई सार्थक संबंध नहीं है ।

- **हेनरी (1985)** ने प्रवेश स्तर पर विद्यार्थी मामलो के व्यावसाइयों की व्यावसायिक दक्षताओं का अध्ययन किया । टेकसाल के चार वर्षीय पब्लिक संस्थाओं के 246 पूर्ण कालिक व्यवसाइयों के 26 दक्षताओं पर प्रतिक्रियायें प्राप्त की गई, जिसमें से 191 (77 प्रतिशत) का ही विशलेषण में प्रयोग किया गया । प्राप्त उत्तरों को वर्णात्मक सांख्यिकी व काईवर्ग परीक्षणों की सहायता से विश्लेषण किया गया ।

- **डेम्बी(1986)** ने "गेरी व इंडियाना सामुदायिक विद्यालयों की न्यूनतम दक्षता परीक्षण का व्यक्तिक अध्ययन" किया । फरवरी 1974 में शिक्षार्थियों में पठन, गणित, लेखन व मौखिक अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर अर्ज़ित करने हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इसे हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता बताया गया । अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि यदि उचित परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही निदानात्मक परीक्षण कराये जाये तो सकारात्मक परीणामों की आशा की जा सकती है । अध्ययन से यह भी निष्कर्ष सामने आया कि न्यूनतम दक्षता परीक्षण में "गेरी पब्लिक स्कूल" अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा ।

- **कॉल्स जॉन(1987)** ने पेलिसनवेनिया में आद्यौगिक की ग्राफिक कला की प्रवेश स्तर पर दक्षताओं का अध्ययन किया । अध्ययन में व्यवसायिक तकनीकी शिक्षकों व ग्राफिक्स कला उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की तुलना भी की गई । इस हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण कर 346 के न्यादर्श को डाक द्वारा प्रशनावली भेजी गई । 190 का एक समूह उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों का था, जबकि दूसरा 56 व्यावसायिक विद्यालयों में ग्राफिक कला विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का था । एकत्रित दलों का विशलेषण यह प्रदर्शित करता है कि विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षक तकनीकी दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं जबकि उद्योगों में कार्यरत लोग संज्ञानात्मक दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं । यह भी तथ्य सामने आया कि दानों समूहों के लोग पर्याप्त व्यवसायिक दक्षताएँ रखते हैं । उद्योगो में कार्यरत व्यक्तियों की तुलना में व्यवसायिक शिक्षक प्रारंम्भिक आवश्यक दक्षताओं पर अधिक बल देते हैं । 60 प्रतिशत दक्षताओं में से 40 – 49 प्रतिशत को वांछिंत माना गया किन्तु आवश्यक नहीं । शोध के परिणामों का उपयोग पाठ्चर्या विकास व परिवर्तन हेतु किए जाने की सिफारिश की गई ।

- **पाण्डेय (1987)** ने शैक्षिक दुश्चिन्ता मापनी का निर्माण किया तथा वंचित विद्यार्थियों में शैक्षिक दुश्चिन्ता का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि अधिक वंचित लड़कियों में कम वंचित लड़कों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक दुश्चिन्ता होती है । अधिक तथा कम वंचित लड़कों की शैक्षिक दुश्चिन्ता में कोई अंन्तर नहीं होता है । कम वंचित लड़कियों और अधिक वंचित लड़कों की हिन्दी विषय में निष्पत्ति शैक्षिक दुश्चिन्ता से नकारात्मक रूप से सहसंबंधित है । कम वंचित लड़कों की विज्ञान में निष्पत्ति तथा शैक्षिक दुश्चिन्ता में नकारात्मक सहसंबंध होता है । अधिक वंचित लड़कियों की समाजिक अध्ययन में निष्पत्ति शैक्षिक दुश्चिन्ता से नकारात्मक रूप से संबंधित होती है ।

- **चौहान (1989)** ने प्रमापीकृत गणित दक्षता परीक्षण व लिंग का संबंध ज्ञात किया । यह पता लगाया गया कि चूंकी विश्वविद्यालय स्तर पर स्त्री, पुरुष की गणित की दक्षताओं में काफी अंतर है । अतः गणित की दक्षताओं पर महाविद्यालय की श्रेणी महाविद्यालय का चयन व नागरिकता के प्रभाव का भी अध्ययन किया । अध्ययन में अंक गणित व बीज गणित की दक्षताओं में स्त्रियों व पुरुषों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

- **व्हाइटल (1989)** ने पेनिसलवेनिया में न्यूनतम दक्षता परीक्षण (कक्षा 5 गणित) की अनुदेशन वैद्यता का परीक्षण किया । इस अध्ययन में पाठ्यसामग्री अनुदेशन तथा गणितीय क्षमताओं का संबंध ज्ञात किया । अध्यापक अनुमान एवं विद्यार्थियों की प्रदर्शित क्षमता का "प्रोडक्ट मूवमेंट विधि" द्वारा सार्थक सह संबंध पाया गया ।

- **गिलिम रोनाल्ड (1989)** ने भाषा अधिगम में वांछित (एम.एल.एल.) बच्चों की मौखिक भाषा, पठन व लेखन की दक्षताओं का अध्ययन किया । अध्ययन का उददेश्य मौखिक भाषा दक्षता व भाषा की लिखित दक्षताओं में सह–संबंध ज्ञात करना था, ताकि मौखिक व लिखित भाषा के संबंध में प्रचलित दो विभिन्न सिद्वांतों के संबंध में कुछ अनुदेशक प्रविधियों का पता लगाया जा सके ।

- **इक्का (1990)** ने उड़ीसा में स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास का अध्ययन किया । प्राथमिक स्तर पर अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 73.48 प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर कक्षा छोड़ देते हैं । प्राथमिक स्तर पर 12.44 प्रतिशत तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 15.89 प्रतिशत रूद्धता है और 13.5 प्रतिशत शिक्षा इनमें पाई जाती है । शिक्षा में कमी का मुख्य कारण इनके लिये उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजना का अपनी शिक्षा के लिये लाभ न उठाना है ।

- **प्रभातचन्द्र (1990)** ने आदिवासी छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक रूचियों का अध्ययन किया तथा इसका बौद्धिक उपलब्धि, सामाजिक, आर्थिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया । उत्तरदाताओं में विशेषज्ञता के स्तर व व्यावसायिक विकास की निरंतरता में सार्थक अंतर पाया गया । लिंग, आयु, उच्चतम डिग्री, व्यावसाय, संतुष्टि, पद व सेवा काल से जैसे निराश्रित चरों का उत्तरदाताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं में कोई सार्थक अंतर का उल्लेख नहीं है । व्यावसायिक विकास हेतु संगोष्ठियों, सहयोगियों से चर्चाएं, कार्यशालाओं एवं सेमीनार प्रविधियों को अधिक से अधिक पसंद किया गया । सांख्यिकी विश्लेषण से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि इस स्तर पर कार्यरत व्यक्ति अपने व्यावसायिक विकास के प्रति सजग है ।

- **मलहोत्रा (1992)** ने निबोकर के आदिवासियों पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया । इस अध्ययन में आधुनिक शिक्षा का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन का आदिवासियों पर प्रभाव का अध्ययन किया ।

- **पाण्डा, पी.एन. (1993)** ने गतिविधि युक्त शिक्षण तथा मूल्यांकन व्यूह रचना के प्रभाव को विद्यार्थी उपलब्धि धारण पर देखा । अध्ययन के प्रतिदर्श में 1993–94 के सभी कक्षा 1 के विद्यार्थी सम्मिलित थे । उपकरण में 5 निष्कर्ष–संदर्भित इकाई परीक्षण थे । यह एक पोस्ट डिजाइन अध्ययन था इसमें उपचारात्मक निर्देशों के साथ इकाईवार परीक्षण किया गया ।

- **सिद्दीकी (1994)** ने अधिक व कम अधिगम बोझ महसूस करने वाले हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा पॉच में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समाजिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन किया । अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले अधिक अधिगम बोझ महसूस करने वाले विद्यार्थी, अधिक बोझ कम महसूस करने वालों की अपेक्षा चार समाजिक व्यवहार कम प्रदर्शित करते थे – मित्रों की कठिनाइयों पर ध्यान देना, शिक्षकों की आज्ञा का पालन, माता–पिता की आज्ञा का पालन व शिक्षकों का सम्मान प्राप्त करना । वे जिन व्यवहारों को अपेक्षाकृत अधिक प्रदशित करते थे वे हैं – शिक्षकों से कम बात करना, कक्षा में शान्त रहना, पड़ोसियों के घर न जाना तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग न लेना । हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से अधिक अधिगम बोझ महसूस करने वाले विद्यार्थी कम अधिगम बोझ महसूस करने वालों की अपेक्षा जिन व्यवहारों को कम प्रदर्शित करते है वे हैं – सहपाठियों से मधुर संबंध कायम रखना, सहपाठियों को मनाना ताकि गृहकार्य पूरा किया जा सके, नये मित्र बनाना तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भाग लेना । वे प्रतियोगिता की भावना में काम करने संबंधी व्यवहार को अपेक्षाकृत अधिक प्रदर्शित करते हैं ।

- **चन्द्रबोस (1994)** ने अपने लघुशोध में "उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 3 के विद्यार्थियों की न्यूनतम अधिगम स्तर के अन्तर्गत निर्धारित गणित की दक्षताओं का तुलनात्मक अध्ययन" किया । इन्होंने दक्षताओं के अध्ययन के लिए न्यादर्श के रुप में 4 विद्यालयों का चयन किया और इनकी दक्षताओं का अध्ययन करते हुए काई वर्ग द्वारा इनकी तुलना की । इससे निष्कर्ष निकला कि लड़के और लड़कियों की दक्षता में सार्थक अन्तर है ।

- **ग्रेवाल (1995)** ने "दक्षता आधारित शिक्षण में प्रयोग "एक अध्ययन किया । इसके अन्तर्गत डेमोस्ट्रेशन विद्यालय के 14 अध्यापकों के समूह को जो कि न्यूनतम प्रपत्र(एन. सी.ई.आर.टी.1990) में उल्लेखित दक्षता आधारित उपागम द्वारा प्राथमिक विद्यालयी विषय के शिक्षण को लिया था । शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिन्दी, अग्रेजी (दूसरी भाषा के रुप में), गणित तथा पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 पढ़ाये गये । इन 14 शिक्षकों को शिक्षण में न्यूनतम उपागम की जानकारी हेतु 1995 में आर.आइ.ई. के कैम्पस में तीन सप्ताह की कार्यशाला में सम्मिलित किया गया । 1995–96 के

शैक्षिक सत्र में यह प्रयोग किया गया । सामान्य विद्यालय अवधि (प्रातः 8 से 1.30 मध्यान्ह) तक कक्षा 1 से 60 विद्यार्थियों (36 बालक तथा 24 बालिका) को सभी विषय पढ़ायें गये । पर्यावरण अध्ययन हेतु चार्ट, पिक्चर, वास्तविक वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग में लायी जाने वाली शिक्षण–अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई गई । यह पाया गया कि पर्यावरण अध्ययन 1 तथा 2 में 73 प्रतिशत विद्यार्थी पारांगत हो गये तथा 27 प्रतिशत अपारंगत रहे । वे विद्यार्थी (अपरांगत विद्यार्थी) जिन्हे उपचारात्मक शिक्षण दिया गया उनमें से 58 प्रतिशत पारांगत हो गये ।

- **केसवानी, एस. (1995–96)** डेमोन्स्ट्रेशन विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में प्राथमिक स्तर पर दक्षता आधारित अनुदेशन कार्यक्रम का अध्ययन किया । यह अध्ययन 1995–96 के शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से 5 तक दक्षता आधारित अनुदेशन से प्राप्त उपलब्धि पर आधारित था । इनमें जिन पक्षों को सम्मिलित किया गया वे थे –शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएँ, विद्यार्थी उपलब्धियों का मूल्यांकन, उपचारात्मक उपायों का विकास तथा उपलब्धि परीक्षण । अन्य परिणामों के साथ यह पाया गया कि अपारांगत विद्यार्थी "नान–मास्टर" कक्षा 3 में अन्य कक्षाओं की अपेक्षा अधिक है । चूंकि कक्षा तीन निम्न एवं उच्च कक्षाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती है, इसलिए अध्यापकों को इस कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

- **पाण्डा, एस.सी.(1995)** ने अध्ययन में उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तावित कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तकों से न्यूनतम अधिगम स्तर से संबंधित दक्षताओं को पहचाना तथा उन्हीं पुस्तको से उच्चतर अधिगम स्तर की दक्षताओं का चुनाव किया तथा विद्यार्थियों द्वारा उच्च अधिगम स्तर की दक्षताओं का चुनाव किया तथा विद्यार्थियों द्वारा उच्च अधिगम स्तर की प्राप्ति में दक्षता आधरित शिक्षण के प्रभाव को सुनिश्चित किया । इस अध्ययन में भुमनेश्वर, उड़ीसा के उडीया माध्यम के विद्यालय के कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रुप में चुना गया । इसमें 2 समूह बनाये गये । एक समूह में 32 तथा दूसरे समूह में 32 विद्यार्थी थे । अध्ययन में प्री–टेस्ट, पोस्ट–टेस्ट व प्रायोगिक डिजायन का चुनाव किया गया । प्रत्येक बालक के बुद्वि परीक्षण हेतु "कलर्ड रेयान प्रोगेसिव मैडिसेज" का प्रयोग किया गया । इसे अतिरिक्त दक्षता निष्कर्ष संदर्भित अध्यापक निर्मित परीक्षण विकसित किया गया जो छात्रों के प्रारंभिक तथा अन्तिम

व्यवहार का मापन कर सके । इस अध्ययन में पाया गया कि दोनों समूहों की उपलब्धि में सार्थक अन्तर है, जिसका कारण था विधि में अन्तर । दक्षता आधारित अनुदेशन से पारंपरिक विधि की अपेक्षा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए । प्रायोगिक समूह में 87.5 प्रतिशत ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये जबकि कन्ट्रोंल समूह में केवल 27.75 प्रतिशत विद्यार्थी ही 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सके । इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि दक्षता आधारित अनुदेशन अधिक प्रभावशाली है ।

- **भद्र, सुशान्ति (1995–96)** ने पर्यावरण अध्ययन मे दक्षता आधारित शिक्षण से प्राप्त परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया । इसके लिए डी.एम.एस. विद्यालय भुमनेश्वर के कक्षा 5 से 90 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया । 45–45 विद्यार्थियों के दो समूह बनाये गये । एक समूह में दक्षता आधरित उपागम का प्रयोग कर पढ़ाया गया तथा दूसरे समूह के बच्चों को पारंपरिक शिक्षण दिया गया । इस अध्ययन में पाया गया कि शिक्षण निर्मित परीक्षण पर विद्यार्थियों के अधिक अंक है जिन्हे दक्षता आधरित प्रशिक्षण दिया गया ।

- **शर्मा, जिबेश(1997)** ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया । अध्ययन के लिए असम राज्य के सोनितपुर जिले के विश्वनाथ चरिअली विकासखंण्ड के 40 विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों का नामांकन सामान्य जाति की तुलना में अच्छा नहीं पाया गया । बालिकाओं का ठहराव नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काफी बढ़ा है ।

- **सरोज(1997)** ने अपने शोध में "न्यूनतम अधिगम स्तर पर प्राथमिक स्तर के बालको की पर्यावरण में उपलब्धि" पर अध्ययन किया । इन्होंने न्यादर्श के रुप में प्रायोगिक स्कूल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर का चयन किया । जिसमे 36 बालक कक्षा 3, 34 बालक कक्षा 4 तथा 47 बालक कक्षा 5 के न्यादर्श के रुप में चुने गये । इनकी दक्षता की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षण के आधार पर किया गया । इससे परिणाम निकले कि उन विद्यार्थियों में से 30 प्रतिशत विद्यार्थी दक्षता अर्जित कर पायें, जबकि कक्षा

अध्यापक द्वारा 94 प्रतिशत दक्षता अर्जित कर चुके थे । इस प्रकार काई वर्ग परीक्षण के द्वारा इन शिक्षार्थियों में सार्थक अन्तर पाया गया ।

- **अली, ए.एन.एम; इरसाद और अहमद, यास्मिन (1997)** ने प्राथमिक शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए न्यादर्श के रूप में आंध्रप्रदेश राज्य के दर्रान्ग जिले के 17 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, बच्चों एवं उनके अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि औसतन प्रत्येक परिवार में 6.2 व्यक्ति है । कम उम्र में शादी करना, रूढ़िवादी नेतत्व, भौगोलिक कारक, रहन–सहन आदि बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है ।

- **जार्ज, डी.; सिंह, देवेन्द्र और आनंद, जी.(1997)** ने सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के भिवनी, गुढ़गॉव और महेन्द्रगढ़ जिलों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि तीनों जिलों में 40 प्रतिशत लड़कियां घरेलू कार्य, 25 प्रतिशत आर्थिक स्थिति तथा 18 प्रतिशत विद्यालय में संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं है । तीनों जिलों में बालिकाओं के ठहराव की समस्या पायी गई । लड़कियों का उपलब्धि स्तर विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्र में कम पाया गया । विभिन्न प्रोत्साहन योजना के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों की सहभागिता विद्यालय में अच्छी पाई गई ।

- **मोहन, नरेन्द्र; सिंघल, आर.सी. और लाल, रतन(1998)** ने प्राथमिक स्तर की उपलब्धि का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के जिंद, हिसार, कैथल एवं सिरसा जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों को लिया गया । बच्चों के उपलब्धि का मूल्यांकन भाषा एवं गणित विषय में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 से 5 में हिसार एवं सिरसा जिलेां का नामांकन उच्च तथा जिंद एवं कैथल जिलेां में कम पाया गया । सबसे अधिक अनुसूचित जाति के बच्चे सिरसा जिले में (43.2 प्रतिशत) नामांकित पाये गये । हिसार जिले में अनुसूचित जाति की लड़कियों का नामांकन लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया । हिसार जिले में लड़कियों का ठहराव लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया । शेष तीनों जिलों में ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन लड़कियों का ड्रापआउट लड़कों की तुलना में अधिक पाया गया ।

- **प्रभा, स्नेह(1998)** ने नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए एक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित तथा एक गैर अच्छादित जिले को लिया गया । अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के रोहतक एवं हिसार जिले के एक–एक विकासखण्ड को लिया गया । अध्ययन में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से अच्छादित जिले में बच्चों का नामांकन एवं ठहराव अन्य जिले से अधिक पाया गया ।

- **छुरिया, जगदआनंद और मोहन्ती, अराधना(1998)** ने बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए नयादर्श के रूप में उड़ीसा राज्य के बोलनगिर जिले के पुनिनतला विकासखंण्ड के 10 विद्यालयों से विभिन्न स्तर की जानकारी प्राप्त की । अध्ययन में पाया गया कि बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए शिक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति द्वारा समुदाय को प्ररित किया गया है । शिक्षक, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी बनाया है तथा हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम संचालित किये गये है ।

- **नायक, के. बी. और पुजारी, एम.(1998)** ने अनुसूचित जन जाति के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के बढ़ानें में आ रही समस्याओं का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए उड़ीसा राज्य के बोलनगिर कस्बे के बत्रापारा गंदी बस्ती को लिया । अध्ययन में पाया गया कि अभिभावकों में चेतना का आभाव है । वे बच्चों को छोटे भाइयों के देखभाल एवं मजदूरी जैसे कार्य में लगा देते है । उच्च कक्षाओं (कक्षा 4 एवं कक्षा 5) में ड्रापआउट अधिक पाया गया । अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के गरीब बच्चों की उपस्थिति मे अन्तर नहीं पाया गया ।

- **राजपूत, ऊषा (1998)** ने "कक्षा 4 के विद्यार्थियों में सामाजिक ज्ञान की चयनित दक्षताओं का मूल्यांकन" के अन्तर्गत निर्धारित समाजिक ज्ञान की दक्षताओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेंर में किया । जिसमे न्याादर्श के रूप में राजस्थान राज्य के अजमेंर जिले के केकड़ी पंचायत समिति के जिला परिषद द्वारा संचालित 10 विद्यालयों तथा लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित अराई पंचायत समित के 10

विद्यालयों के 175 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो कक्षा 4 में अध्ययनरत थे । जिसमे 117 बालक एवं 58 बालिकाये थीं । इन्होंने मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक अध्ययन की 5 दक्षताये चुनी, जिन पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया । मूल्यांकन द्वारा बालक एवं बालिकाओं पर अन्तर ज्ञात करने के लिए काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया । जिसके परिणामों में पाया गया कि अधिकांश दक्षताओं में बालक व बालिकाओं की सामाजिक अध्ययन की दक्षताओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है । यह भी पाया गया कि लोक–जुम्बिश परियोजना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिला परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से दक्षता अर्जन में आगे थे ।

- **मलहोत्रा, सुधा (1998)** ने प्रोत्साहन योजना का बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में क्या प्रभाव पड़ता है, का अध्ययन किया, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के 5 विकास खण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में इन्सेन्टिव योजना (पोषाहार एवं अनुसूचित जाति को छात्र वृत्ति) लागू थी, वहाँ पर बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं नियमितता उन विद्यालयों से काफी अधिक थी जहां इन्सेन्टिव योजना लागू नहीं है । बालकों का नामांकन बालकाओं के अपेक्षा अधिक पाया गया । जाति के आधार पर नामांकन में अंतर नहीं पाया गया । पिछड़ी जाति के बच्चों के नामांकन का प्रतिशत शेष जाति की अपेक्षा काफी अधिक पाया गया ।

- **भंडारी, सुधेशना (1998)** ने बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए सीतापुर जनपद के तीन विकास खण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है वहाँ पर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के परिणाम बहुत अच्छे है ।

- **मेनन, प्रमिला (1998)** ने ग्राम शिक्षा समिति की नामांकन एवं ठहराव में कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के हिसार एवं जिंद जिलों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी जगह शिक्षा समितियां गठित है । गठित समितियां राज्य सरकार के मार्गदर्शी नियम के अनुसार नामांकन एवं ठहराव में सहयोग करती है । समिति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है ।

- **दस्तगीर, गुलाम (1998)** ने समुदाय एवं अन्य घटक का मुस्लिम बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद विकास खण्ड का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि मोहल्ला शिक्षा समितियॉ पालकों को बच्चों को (मुख्य रूप से लड़कियों) विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करती है । मौलवी भी मुस्लिम लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करते है ।

- **वर्गिश, एन.व्ही.; संजीव, के.यस. और बिजूलाल, एम.व्ही.(1998)** ने बच्चों के सीखने के स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन दिल्ली राज्य में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 2 में मलयालम विषय का उपलब्धि स्तर उच्च तथा गणित विषय का मलयालम की तुलना में निम्न पाया गया । अर्न्तविकास खण्ड कक्षा 2 में अन्तर कम पाया गया । जबकि कक्षा 4 में मलयालम के उपलब्धि स्तर में काफी अन्तर पाया गया । कक्षा 4 के 60 प्रतिशत बच्चों का उपलब्धि स्तर उत्तीर्ण (40 प्रतिशत) तथा भाषा में 29 प्रतिशत पाया गया । कक्षा 2 एवं 4 में बच्चों के ट्राजीशन होने के साथ उपलब्धि स्तर में गिरावट पायी गई । प्रबंधन आदि का बच्चों के उपलब्धि स्तर पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला ।

- **जमन, रफिकुर और ठाकुर, जी.सी.(1998)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के जिलों में सामाजिक प्रगति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए असम राज्य के बोरपेटा, बोनगैगॉव, गोलपारा, कोकराझांर और सोनीतपुर जिलों के 50 गॉव के 10–10 परिवारों को यादृच्छिक विधि से लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का नामांकन अनुसूचित जाति के बच्चों की तुलना में काफी अधिक है । लगभग 44.7 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते है । लगभग 38 प्रतिशत अभिभावक स्वयं के विश्वास एवं 14.6 प्रतिशत अधिकार युक्त बनाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करते है ।

- **वर्गिश, एन.व्ही. एवं मेहता, अरुण सी.(1998)** ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया । अध्ययन के लिए 16 राज्य से न्यादर्श का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1996–97 में महिला

शिक्षकों की संख्या 36 प्रतिशत पायी गई तथा लगभग 88 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित पाये गये । बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात बहुत ही कम पाया गया । शाहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की तुलना में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है । वर्ष 1950–51 से 1989–90 के बीच प्रति बच्चा खर्च में 21 गुने की वृद्धि हुई है । वृद्धि प्राथमिक स्तर पर 17 गुना तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 13 गुना तथा सेकण्डरी स्तर पर 6 गुना पायी गई । विकसित जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की लागत 22 से 32 लाख, मध्यम विकसित जिले में 14 से 20 लाख तथा आंशिक विकसित जिले में 4 से 12 लाख के बीच पाई गई ।

- **अग्रवाल, यस.(1999)** ने प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन एवं ठहराव के ट्रेन्डस का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये 14 राज्यों के 119 जिलो को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि सकल नामाकन अनुपात एवं ठहराव में सभी जिलों में बृद्धि हृई है । अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में भी वृद्धि हुई है ।

- **सैकिया, तुलाधर(1999)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों का नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव का अध्ययन किया । इसके लिए असम राज्य के दर्रान्ग जिले के डलगॉव एवं उदलगुरी विकासखण्ड के 60 विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से लिया गया । अध्ययन में संकुल समन्वयक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक से जानकारी प्राप्त की गई । अध्ययन में पाया गया कि 1995 से 1998 के बीच नामांकन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नियमित उपस्थिति में 3 प्रतिशत बढ़ी है । ठहराव दर बढ़ी है तथा ड्रापआउट दर में काफी कमी आई है ।

- **कौर, हरविंदर (1999)** ने अभिभावकों के प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अनुभव संबंध में प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण का अध्यन किया । इसके लिए न्यादर्श के रूप में पंजाब राज्य के रोपेर जिले के 400 अभिभावको को जिसमें 200 अशाकीय विद्यालय तथा 200 शासकीय विद्यालय के अभिभावक थे को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि अशासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक अधिकतर संख्या में समस्या का अनुभव शैक्षिक अमले, प्रशासन एवं परीक्षा प्रणाली से करते है, जबकि शासकीय

विद्यालय के बच्चों के अभिभावक अधिकतर संख्या में समस्या का अनुभव समाजिक आर्थिक कारकों का प्रेरणा और मनोविनोदात्मक गतिविधियों को पृथक–पृथक करने में करते है । उच्च आय वाले अभिभावक अधिक मात्र में समस्याओं का अनुभव शैक्षिक अमले, प्रशासनिक दृष्टि कोण एवं परीक्षा प्रणाली से करते है । जबकि कम आय वाले अभिभावक अधिक मात्रा में समस्याओं का अनुभव भैतिक संसाधनों की उपलब्धता से करते है । अशासकीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावक, जो उच्च आय वर्ग और उच्च शैक्षिक स्तर के है, वे अधिक भाग में समस्याओं का अनुभव शैक्षिक अमले, प्रशासनिक दृष्टि कोण, परीक्षा प्रणाली जो सामाजिक अभिप्रेरणा तथा मनोरंजन गतिविधियों का अनुगमन करते है । जबकि शासकीय विद्यालय के बच्चेां के अभिभावक जिनके बच्चे कम आय वर्ग तथा शैक्षिक योग्यता रखते है वे अधिकतर समस्याओं का अनुभव भौतिक सुविधा के क्षेत्र में करते है । अशासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक जो उच्च आय एवं उच्च शैक्षिक योग्यता के है वे उच्च गुणवता की प्राथमिक शिक्षा चाहते है, जबकि शासकीय विद्यालय के बच्चों के अभिभावक जो कम आय एवं योग्यता को रखते है । वे आधार भूत सुविधाओं को शासकीय विद्यालय में चाहते है ।

- **अग्रवाल, यस. (1999)** ने दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया । अध्ययन के लिऐ दिल्ली राज्य के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय का चयन किया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालयों में उपलब्ध अनुदेशात्मक सामग्री में से 15–20 प्रतिशत सामग्री कार्य योग्य नहीं थी और असंचालित है तथा अनुदेशात्मक कार्य में उपयोग नहीं होता है । कक्षा 1 के बच्चों के सभी बच्चों का भाषा में माध्य प्राप्तांक 80.2 प्रतिशत तथा गणित में 78.2 प्रतिशत है । गणित में हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम के बच्चों के प्रतिशत प्राप्तांक में सार्थक अंतर पाया गया । लड़कियों का गणित में माध्य प्रतिशत बहुत कम पाया गया । अनुसूचित जाति के बच्चों का माध्य प्राप्तांक सामान्य जाति के बच्चों से 8 से 10 प्रतिशत कम पाया गया । जेंडर के आधार पर माध्य प्राप्तांक में भाषा एवं गणित में साफ अंतर देखने को मिला । उपस्थिति दर एम.सी.डी. विद्यालयों में कम (80प्रतिशत – 82प्रतिशत) पाई गई जबकि अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 87–88 प्रतिशत पाई गई । शिक्षक की अनुपस्थिति विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है । जो बच्चे नर्सरी शिक्षा प्राप्त की है, उनका उपलब्धि स्तर नर्सरी शिक्षा न प्राप्त करने वाले बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया । सिर्फ 6 प्रतिशत

अनुसूचित जाति बच्चे गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकित है । जबकि एम.सी.डी. के विद्यालय में 26.5 प्रतिशत बच्चे नामांकित है । 13 प्रतिशत बच्चे शिक्षक की भाषा को समझने में कठिनाई महसूस करते है । अग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चें का भाषा में 47.8 प्रतिशत तथा गणित में 49.7 प्रतिशत माध्य प्राप्तांक पायें गये । अर्द्ध शासकीय विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार वे विगत 5 वर्षो में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । हिन्दी माध्यम के विद्यालय में गणित पढ़ाने वाले 63 प्रतिशत शिक्षक कक्षा 10 से अधिक गणित नहीं पढ़ी है । अशासकीय विद्यालयों में भी यह स्थिति अलग नहीं है ।

- **शास्त्री, व्ही.एन.व्ही.के.(1999)** ने आदिवासी बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए आंध्रप्रदेश राज्य के बैरांगल, कुरनूल एवं विजयनगर जिलों के 32 विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि, आदिवासी बच्चों के नामांकन में काफी अधिक वृद्धि हुई है । ड्रापआउट, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुनः नामांकित हुए है । मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से बच्चों का ठहराव बढ़ा है । खेती के समय बच्चों की अनुपस्थिति काफी बढ़ जाती है । ड्रापआउट का कारण बच्चों की आर्थिक स्थिति, शिक्षक अनुपस्थिति एवं शिक्षा का स्थानीय भाषा का उपयोग न करना पाया गया । बच्चों का उपलब्धि स्तर संतोष जनक स्तर का नहीं पाया गया ।

- **अग्रवाल, यस. (2000)** ने पहुच एवं ठहराव के झुकाव का अध्ययन किया । इसके लिये 13 प्रदेश के 127 जिला प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि पहुँच एवं ठहराव में सार्थक वृद्वि पाई गई है । वर्ष 1997–98 से 1998–99 के बीच कुछ गिरावट नामांकन में पाई गई और असम में ज्यादा पाई गई । कक्षा 1 के नामांकन में सार्थक गिरावट जिलों में पाई गई । सकल नामांकन अनुपात दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम से अच्छादित प्रथम चरण के जिलों के राज्य हरियाण एवं तमिलनाडू तथा दूसरे चरण के जिलों के राज्य असम, बिहार हरियाणा में तुलनात्मक रूप में कम पाया गया । शुद्व नामांकन अनुपात दर 53 जिलों में 75 से कम तथा 32 जिलों में 95 से अधिक पाई गई । प्रथम चरण 40 जिलों में से 40 में शुद्व नामांकन अनुपात 95 से अधिक पाया गया । जबकि द्वितीय चरण के 19 प्रतिशत जिलों

में शुद्व नामांकन अनुपात 95 प्रतिशत से आधिक पाया गया । वर्ष 1999–2000 के अनुसार औसतन शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रथम चरण के जिलों में 38.3 तथा द्वितीय चरण के जिलों में 48.4 पाया गया । सबसे अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात (60.0 से अधिक)उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल एवं सबसे कम (लगभग 28) केरल में पाया गया । वर्ष 1999–2000 के आंकडो के अनुसार औसतन कक्षा विद्यार्थी अनुपात प्रथम चरण के जिलों में 39.9 तथा द्वितीय चक्र के जिलों मे 51.8 पाया गया । महिला शिक्षिकायें सबसे कम (15.8 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल एवं सबसे अधिक (73.6 प्रतिशत) द्वितीय चरण के जिलों केरल में पाई गई । औसतन प्रथम चरण के जिलों में 34.9 प्रतिशत तथा द्वितीय चरण के जिलों में 30.9 प्रतिशत महिलायें पायी गयी । वर्ष 1997–98 और 98–99 के अनुसार सभी के रिपीटीशन दर में 6.4 से 5.9 प्रतिशत की कमी प्रथम चरण में तथा 9.1 से 8.4 की कमी द्वितीय चरण के जिलों में पाई गई । सबसे अधिक सभी की रिपिटीशन दर (10.0) असम, गुजरात, बिहार, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश के जिलों मे पाई गई । वर्ष 1999–00 मे प्रथम चरण के 29 जिलों तथा द्वितीय चरण के 56 जिलों में जेण्डर संवेदी सूचकांक 95 से अधिक पाया गया । वर्ष 1999–2000 में प्रथम चरण के 72 जिलों में 50 तथा द्वितीय चरण के 37 जिलों मे से 16 में अनुसूचित जाति का सामाजिक संवेदी सूचकांक 105 से अधिक पाया गया । समग्र रूप मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य के प्रथम चरण के जिलों मे प्रगति धनात्मक पाई गई जबकि द्वितीय चरण के जिलों में संतोष जनक स्तर की नहीं पाई गयी ।

- **चालम, के.यस. (2000)** ने अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय भेजने में प्रोत्साहन की स्थिति का अध्ययन किया। इसके लिये आन्ध्रप्रदेश के 19 जिलों के विद्यालय जाने एवं न जाने वाले बच्चों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि 90 प्रतिशत ग्रामीण दलित बच्चों को विद्यालय में मिलने वाली प्रोत्साहन योजना से परिचित नहीं है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे कक्षा 1 में नामांकन के बाद कक्षा 7 तक पहुँच जाते है। विद्यालय स्तर की गणित से ग्राम शिक्षा समिति आदि के दलित समुदाय के लोग परिचित नहीं है। छः जनपदों महबूब नगर, निजामबाद, अहिलाबाद, मेडक, विजियानगरम और नेलोटे में अनुसूचित जाति के बच्चों का कम नामांकन एवं उच्च ड्रापआउट दर पाई गई।

- **रेड्डी, जी.नरसिम्हा (2000)** ने विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये नेल्लोरे जिले के 10 शहरी, ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 50 प्रतिशत विद्यालयों के समिति के सदस्य विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान के उपयोग से परिचित नहीं है। 35 प्रतिशत विद्यालय समिति के सदस्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई मार्गदर्शी अनुदान संबंधी नियम के परिचित नहीं है। समय पर अनुदान विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। अधिकतर विद्यालयों में अनुदान राशि का उपयोग अलमारी, कुर्सी, टेबिल आदि के क्रय पर उपयोग करते है। 80 प्रतिशत समिति के सदस्य समझते है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुदान को उपयोग करने का दायित्व है। 30 प्रतिशत विद्यालय समिति के सदस्यों के अनुसार अनुदान राशि से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में सुधार हुआ है तथा कक्षाकक्ष शिक्षण के लिये आकर्षक हुए है। 50 प्रतिशत प्रधानाध्यापक विद्यालय सुविधा के लिये उपयोग किये जाने अनुदान की कोई योजना नहीं बनाते है। 33 प्रतिशत अर्द्ध शहरी तथा 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाध्यापक अनुदान राशि के उपयोग का कैशबुक एवं भण्डारण पंजी रखते है। 40 प्रतिशत शिक्षक अनुदान की राशि की उपयोग की कोई योजना नहीं बनाते है। 50 प्रतिशत शहरी तथा 33 प्रतिशत ग्रामीण शिक्षक ने वर्ष 97–98 में आवश्यक सामग्री का क्रय किया। अधिकतर शिक्षकों के अनुसार अनुदान राशि से बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि हुई है। सिर्फ 20 प्रतिशत शिक्षक सभी विषयों के लिये अनुदान का उपयोग करते है।

- **जोसेफ, याजली (2000)** ने आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर बालिका नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का अध्ययन किया (ई.सी.सी.ई.केन्द के संदर्भ में) । अध्ययन के लिए महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों का चयन किया गया । अध्ययन में मध्य प्रदेश के बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रेरित पाये गये । वे छोटे–छोटे बैग विद्यालय ले जाते है । महाराष्ट्र में कम उम्र के बच्चो की देखभाल के लिए संचालित केन्द्र अच्छा कार्य कर रहे है । अभिभावकों के अनुसार लड़कियों के लिए संचालित ई.सी.सी.ई. से शिक्षा में बदलाव आया है । उनके अनुसार केन्दो में और सुधार करने की आवश्यकता है । निरीक्षणकर्ता के अनुसार समुदाय का इन केन्दो के

लिए विभिन्न रूप में सहयोग मिलता है । शिक्षक की अनुपस्थिति अध्ययन में लिये गये केन्दो में अधिक पाये जाने के कारण अभिभावक अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने में डरते हैं ।

- **ठाकुर, एस.एल. (2000)** ने प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों की गुणवत्ता पसन्द का अध्ययन किया । इसके लिये हिमांचल प्रदेश के 4 डी0पी0ई0पी0 एवं नांन डी0पी0ई0पी0 जिले का चयन किया गया । अध्ययन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को लिया गया । अभिभावकों के अनुसार वे अपने बच्चों को अशासकीय विद्यालय में नामांकित कराना चाहते है । क्योकि उनके पास अच्छा विद्यालय भवन, सुविधायें, शिक्षक, अनुशासन जैसी सुविधा देते है । अभिभावकों के अनुसार शासकीय विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है । नये शिक्षक की शिक्षण के प्रति नया दृष्टिकोण है । वे नई शिक्षण विधा को अपनाते है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र में बदलाव आया है ।

- **वासवी, ए.आर. और कामराज, कत्यायनी (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय प्रक्रम में क्षेत्र व समुदाय के आर्थिक, पारिस्थितिक और समाजिक परिवेश के प्रभाव का अध्ययन किया । इस अध्ययन के लिए कर्नाटक राज्य के 5 जिलों का चयन किया गया । अध्ययन से वे कारक जो विद्यालय के संचालन को प्रभावित करते है में विद्यालय की स्थापना की समस्या, समुदाय विद्यालय समय सारणी ,काम काजी बच्चे, शहर आधारित शैक्षिक अवसर, धार्मिक अल्पसंख्यता , समय आधारित पलायन तथा शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक तथा ग्राम शिक्षा समिति का दृष्टिकोण आदि पाये गये ।

- **बनर्जी, पी. (2000)** ने बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धि के लिये जवाबदेह कारकों और शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय चर के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश के धार एवं छतरपुर जिलों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में 48 प्राथमिक विद्यालय धार के एवं 24 प्राथमिक विद्यालय छतरपुर के लिये गये । अध्ययन में पाया गया कि आधारित सुविधा दोनों जिलो में बहुत ही ठीक पायी गयी । अधिकतर विद्यालयों में प्रर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री एवं आधारित सुविधा पाई गई । विद्यालय अनुदान राशि के उपयोग से समूह चर्चा में लोग संतुष्ट नहीं पाये गये । मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना बच्चों में उत्साह

जागृत करने तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं पायी गयी । धार जिले में सभी बच्चों का कक्षा 5 में प्रतिशत माध्य उपलब्धि भाषा में 40.4 प्रतिशत, गणित में 35.5 एवं पर्यावरण अध्ययन में 37.7 प्रतिशत जबकि छतरपुर जिले में भाषा में 28.8, गणित में 26.2 और पर्यावरण अध्ययन में 24.0 प्रतिशत पायी गयी । कक्षा 2 के बच्चों का प्रतिशत माध्य उपलब्धि धार जिले में गणित में 22.10 प्रतिशत तथा छतरपुर में 10 प्रतिशत पाई गई । जबकि हिन्दी में धार जिले में 36.0 प्रतिशत तथा छतरपुर जिले में 31.6 प्रतिशत पाई गई । दोनों जिलों के आधे से अधिक विद्यार्थी अपने गृह कार्य में अभिभावकों का सहयेाग नहीं पाते हैं । जो बच्चे घर में गृह कार्य में अभिभावकों का सहयोाग प्राप्त करते है उनका उपलब्धि स्तर सहयोग न पाने वाले बच्चो से अधिक पाया गया । जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नातक/ स्नातकोत्तर थे वहां के बच्चों का उपलब्धि स्तर हाई स्कूल उत्तीर्ण शिक्षकों की तुलना में अधिक पाया गया । धार जिले में हाई स्कूल से कम उत्तीर्ण शिक्षक होते हुए भी बच्चों की उपलब्धि स्तर आश्चर्यजनक रूप में अच्छी पायी गई ।

- **योगेन्द्र, के. और अरोरा, आर. पी.; हुरिया, ए.आर.; दया किशन** (2000) ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मिड टर्म अध्ययन किया । अध्ययन के लिये हरियाणा राज्य के गुढ़गॉव, मोहिन्दरगढ़ और भिवानी जिले का चयन किया गया । अध्ययन में 50 विद्यालयों (40 ग्रामीण एवं 10 नगरीय) से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि भाषा में कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का उपलब्धि स्तर का परास 56.62 प्रतिशत से 64.87 प्रतिशत तथा समग्र रूप में 62.03 प्रतिशत पाया गया । इसी प्रकार गणित में औसतन उपलब्धि 62.22 प्रतिशत पायी गई । कक्षा 4 एवं 5 के बच्चो का माध्य प्राप्तांक प्रतिशत शब्द ज्ञान में 54.67 प्रतिशत से 56.82 प्रतिशत एवं औसतन 55.62 प्रतिशत पाया गया और पढ़ने की दक्षता में 37.24 प्रतिशत से 41.28 प्रतिशत एवं औसतन 40.34 प्रतिशत पाया गया । भाषा शिक्षण की समझ का मिला जुला प्राप्तांक 37.24 प्रतिशत से 41.28 प्रतिशत एवं औसतन 40.34 प्रतिशत पाया गया । गणित में औसतन माध्य प्रतिशत 38.33 प्रतिशत पाया गया । जिलेवार प्रतिशत माध्य का परास 36.44 प्रतिशत से 40.84 प्रतिशत पाया गया । बेस लाइन सर्वे के आधार एवं मिडटर्म सर्वे में कक्षा 1 एवं 2 में भाषा एवं गणित की उपलब्ध स्तर में सार्थक वृद्धि पाई गयी । इसी कारण कक्षा 4 एवं 5 में भी भाषा एवं गणित के उपलब्धि स्तर में सार्थक वृद्धि पाई गई ।

- **राज्य परियोजना कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कर्नाटक** (2000) ने प्राथमिक स्तर के नामांकन के सापेक्ष कोहार्ट अध्ययन के लिये कर्नाटक राज्य के 16 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों को चिन्हित किया गया । अध्ययन से चार वर्ष में प्राथमिक शिक्षा सफलता पूर्वक पूरा करने वाले बच्चों का प्रतिशत 67.5 प्रतिशत एवं क्तवच वनज त्ंजम 17.9 प्रतिशत पाया गया । प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों में जेण्डर गैप में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति का प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर सामान्य की तुलना में कम पायी गयी ।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (2000)** ने बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना की प्रगति को जानना था । इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रदेश के 12 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जिलों में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि 10 जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक है । शहरी, ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं अन्य बच्चों के उपलब्धि स्तर के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से कम पाया गया तथा बालक एवं बालिकाओं दोनों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया ।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (2000)** ने कक्षाकक्ष का अवलोकन कर कक्षा में संचालित होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में संचालित बेसिक शिक्षा परियोजना के जिलों को लिया गया। अध्ययन में शिक्षक एवं बच्चों के बीच आदर का भाव देखने को मिला। शिक्षक एवं बच्चे शिक्षण के दौरान विषयवस्तु पर चर्चा करते है। अधिकतर विद्यालयों में कक्षा–कक्ष के अन्दर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया सहभागिता आधारित देखने को मिली।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (2000)** ने बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परियोजना की प्रगति को जानना था। इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन प्रदेश के 12 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित जिलों में किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 10

जिलों के कक्षा 2 एवं 5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया। शहरी, ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के उपलब्धि स्तर एवं अन्य बच्चों के उपलब्धि स्तर के बीच का अन्तर 5 प्रतिशत से कम पाया गया। बालक एवं बालिकाओं दोनों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत से अधिक पाया गया।

- **शर्मा, ए.के. पूर्व निदेशक (एन.सी.ई.आर.टी.) (2000)** ने शिक्षक प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर एवं फिरोजाबाद जनपद का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई तथा उनकी उपस्थिति नियमित हुई। शिक्षक शिक्षण के दौरान अपने पूर्व ज्ञान का अधिक प्रयोग करते है। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा एवं विषयवार व्यवस्थित करते है। शिक्षक एवं बच्चों के संबंधों के बीच अधिकतर औपचारिकता रहती है। शिक्षक बच्चों को शिक्षण के दौरान कम प्रतिभागिता कराते है।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) (2000)** ने बेसिक शिक्षा परियोजना के 6 जनपदों में ड्रापआउट का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उधमसिंह नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, बाँदा, इलाहाबाद एवं बाराबंकी का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी जिलों के कोहार्ट ड्राप आउट दर में कमी आई है । सभी 6 जिलों में बालक एवं बालिकाओं के कोहार्ट ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला । अनुसूचित जाति एवं अन्य जाति के बच्चों के बीच ड्राप आउट में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिला । कक्षा 1 में रिपीटीशन दर सबसे अधिक तथा कक्षा 5 में सबसे कम पाई गई । जाति वार रिपीटीशन दर में खास अन्तर नहीं पाया गया । लड़कों का सकल नामांकन अनुपात लड़कियों की तुलना में अधिक पाया गया ।

- **श्रीवास्तव, टी.के.; अहूजा, सुनीशा; गुप्ता, प्रतिभा दास एवं झा, प्रभात (2000)** ने वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थ नगर का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि बालशाला और आवासीय शिविरों में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका है । वैकल्पिक केन्द्रों में अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का भरपूर अवसर

प्रदान किया गया है । एक बड़ी संख्या में इन केन्द्रों से बच्चे औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं । पूर्वोल्लिखित चार जनपदों से तीन हजार बच्चे औपचारिक विद्यालयों में आ चुके हैं । इनका नामांकन कुल बच्चों का 16 प्रतिशत है ।

- **कुमार, योगेन्द्र और अरोरा, आर.पी.; चौधरी, ममता (2000)** ने बालिकाओं के ड्राप आउट की घटना एवं कारकों का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के 3 गाँव का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सबसे अधिक ड्राप आउट कक्षा 3 एवं 5 में पाया गया । जिसमें सबसे अधिक ड्राप आउट का प्रतिशत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में पाया गया । अधिकतर ड्राप आउट होने वाली लड़कियाँ 9 से 12 वय वर्ग की पाई गयी । अधिकतर ड्राप आउट लड़कियों के अभिभावक निरक्षर है । बालिकाओं के ड्राप आउट का मुख्य कारण घर में कार्य करना तथा बच्चों की देखभाल करना पाया गया । कम उम्र में शादी हो जाना भी ड्राप आउट का कारण पाया गया । परिवार की आर्थिक स्थिति भी ड्राप आउट का कारण पाया गया ।

- **सीथारमन, निर्मला (2000)** ने आन्ध्रप्रदेश के कामकाजी बच्चों पर अध्ययन किया । इसके लिये खतरनाक उद्योगों, कृषि मजदूरी, घरेलू कार्य, मजदूरी आदि में लगे प्रदेश के 19 जिलों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि 33 प्रतिशत पिछडी जाति, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 18 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति एवं 27 प्रतिशत अन्य जाति के अभिभावकों के अनुसार 69 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्य से संलग्न है । 76 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार वे बिना किसी प्रोत्साहन राशि के भी विद्यालय भेजना चाहते है । 55 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि बच्चों को विद्यालय भेजने के लिये अभिभावकों को प्रोत्साहित करती है तथा वे घर की वित्तीय समस्या को कम करने में सहयोग प्रदान करती है । अधिकतर विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के अनुसार वे गरीबी के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते । 85 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार बच्चों को विद्यालय भेजने से उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने की बात कहते है, जबकि 63 प्रतिशत अभिभावक प्रोत्साहन राशि के बारे में जानते ही नहीं है । कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में बच्चों का नामांकन कम है ।

- **कौर, रंदीप और देका, यू. (2000)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये असम राज्य के दरंग और मोरिगाँव जिलों का चयन किया गया । अध्ययन 63 विद्यालय के 1045 बच्चों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालयों में सामग्री की उपलब्धता के बावजूद शिक्षण अधिगम सामग्री का विद्यालय में उपयोग नहीं होता है, शिक्षक कक्षाकक्ष में जाने के पूर्व किसी प्रकार की योजना नहीं बनाते है, उपलब्धि स्तर लक्ष्य से काफी कम पाया गया, गणित शिक्षण की विधि पारम्परिक तथा शिक्षक केन्द्रित है, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन शिक्षण को पुस्तक के माध्यम से कराया जाता है ।

- **बोरा, एच. के. (2000)** ने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की शिक्षण विधि की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । इसके लिये मोरी गाँव जिले के 2 विकास खण्ड के 9 संकुल स्रोत केन्द्र के 30 विद्यालयों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि अधिकतर शिक्षक पर्यावरण अध्ययन की नई शिक्षण विद्या के प्रति धनात्मक विचार रखते है तथा बच्चे प्रकृति अध्ययन के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि रखते है ।

- **अली, मो. अहमद, जाफर (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उपलब्धि स्तर का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये असम राज्य के बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड के 41 विद्यालयों के 1000 विद्यार्थियों का चयन किया । अध्ययन कक्षा 2 एवं 4 के विद्यार्थियों पर किया गया । कक्षा 4 के 464 विद्यार्थियों में से 260 बालक एवं 204 बालिकायें तथा कक्षा 2 के 646 विद्यार्थियों में से 309 बालक तथा 337 बालिकायें थी । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 2 की बालिकाओं का उपलब्धि स्तर अक्षर एवं शब्द पढ़ने में बालकों की तुलना में सार्थक अधिक पाया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का अक्षर एवं शब्द पढ़ने में उपलब्धि स्तर अच्छा पाया गया, बालक एवं बालिकाओं का प्राप्तांक, नम्बर पहचानने, जोड़ एवं घटाने में समान पाया गया , अनुसूचित जाति के बच्चों का प्राप्तांक, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की तुलना में अच्छा पाया गया । जबकि कक्षा 4 में बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया । ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के आधार पर भी उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, बालकों के उपलब्धि का प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में अधिक था, लेकिन अन्तर सार्थक नहीं पाया गया , लगभग 80 प्रतिशत शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के उपलब्धि का प्राप्तांक उत्तीर्ण अंक तक ही पाया गया ।

- **चौधरी, बी.पी. (2000)** ने आनंददायी सिखाने का कक्षा 1 के विद्यार्थियों की उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन गुजरात राज्य के 225 विद्यालयों पर किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1994 के नामांकन के सापेक्ष 1997 में 20 प्रतिशत अधिक नामांकन हुआ । 72 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार आनंददायी शिक्षण बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ।

- **बेहुरी, दीप्ति बंदना (2000)** ने प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रवृत्ति परीक्षा की उपलब्धि के कारकों का अध्ययन किया । इसके लिये हरियाणा राज्य के 4 जिलों कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और गुड़गाँव का चयन किया गया । प्रत्येक जनपद से 10 विद्यालयों को लिया गया जिसमें 5 विद्यालय उच्च उपलब्धि के (''ए'' कोटि) तथा 5 विद्यालय निम्न उपलब्धि (''बी'' कोटि) के थे । अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे कक्षा 5 के विभागीय परीक्षा में बैठे उनमें से ''ए'' कोटि के विद्यालय के बच्चे मैरिट में आये तथा उनको छात्रवृत्ति दी गई जबकि 'बी'' कोटि के बच्चे मेरिट में चिन्हित नहीं हुये । ''ए'' कोटि के अधिकतर विद्यालयों में भौतिक संसाधन, वाहन सुविधा बहुत अच्छी है । अधिकतर कक्षा में वर्ग है । शिक्षक डायरी लिखते है तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था करते है । ''ए'' कोटि के अधिकतर विद्यालय शहरी क्षेत्रों में है जिनका प्रभावी प्रबंधन है । प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कार्य दक्षता उच्चकोटि की है । ''ए'' कोटि के विद्यालयों के बच्चों की योग्यता ''बी'' कोटि के विद्यालयों से बहुत अच्छी है ।

- **ब्रह्म कामेश्वर (2001)** ने वैकल्पिक शिक्षा की प्रभावकारिता का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये असम राज्य के कोकराझार एवं बोनगैगाँव जिले के 5 विकासखण्ड के 22 संकुल स्रोत केन्द्र के 22 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में भौतिक संसाधन यथा भवन, टेबिल कुर्सी आदि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधा का अभाव है जबकि खेल के मैदान की पर्याप्त सुविधा है। बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तक एवं अभ्यास पुस्तिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में पर्याप्त है। शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता नगण्य है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति जबावदेह नहीं है।

* **दवे, अंजली; मेहरोत्रा, निशी; रस्तोगी, राधा एवं भटनागर, सुमन** (2001) ने आदर्श संकुल विकास उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया । इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बदायूँ, गोण्डा एवं बाराबंकी जनपद का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदर्श संकुल विकास उपागम के माध्यम से समुदाय एवं शिक्षा विभाग में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिला, बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में दोगुनी वृद्धि हुई । आदर्श संकुल विकास उपागम को सफल बनाने में समुदाय के साथ–साथ महिला प्रेरक समूहों की प्रभावशाली भूमिका रही है तथा अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है ।

* **शर्मा, निर्मला; नाथ, एन.; ककोत्य; यस. फूकनम और गोस्वामी, जी.** (2001) ने कक्षा 1 में नामांकन के ह्रास के कारणों का अध्ययन किया । इसके लिये असम राज्य के मोरिगाँव जिले के 40 विद्यालयों के 40 गाँव के 400 घरों से तथा 110 शिक्षकों से जानकारी अध्ययन हेतु एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1997–98 की तुलना में नामांकन का ह्रास 2000 में अधिक हुआ । कक्षा 4 के 40–60 प्रतिशत शिक्षक, शिक्षण–अधिगम सामग्री का निर्माण करते है, जबकि कुछ ही शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते है । 60–70 प्रतिशत शिक्षक एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते है । 50–70 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण में उपस्थित होने में रुचि नहीं लेते है और 30–50 प्रतिशत सहयोग एवं नियमित उपस्थिति के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण रखते है ।

* **बिन्दु(2001)** ने आदिवासी शिक्षा के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये केरल राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 3 जिलों कर्सोगुड, पलक्काड़ और वयनाड़ का चयन किया गया । अध्ययन में प्रश्नावली एवं सर्वे विधि का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदिवासी जाति के बच्चों के घर का वातावरण उनके विकास के लिये सौहार्दपूर्ण नहीं है । उनके अधिकतर अभिभावक निरक्षर हैं । सिर्फ 1/10 आदिवासी जाति के बच्चे पाठ्यसहगामी क्रियाओं में उच्च स्तर पर प्रतिभाग करते हैं तथा 2/3 निम्न स्तर पर प्रतिभाग करते हैं । आदिवासी बच्चों एवं उनके अभिभावकों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षा बहुत ही निम्न स्तर की पायी गयी । नया पाठ्यक्रम आदिवासी बच्चों के लिए रुचिकर पाया गया ।

- **नायक, ए.एल. (2001)** ने भील बच्चो के माइग्रेशन का शिक्षा में प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आदिवासियों की अच्छी कृषि जमीन न होने तथा अनियमित तथा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण वे जहां अच्छी मजदूरी मिलती है बच्चो के साथ माइग्रेट हो जाते है । अधिकतर भील परिवार अधिक धन की कमाई तथा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमित आधार पर माइग्रेट होते रहते हैं । माइग्रेशन के उपरान्त कमाई राशि को उधारी वापस करने तथा शादी आदि में उपयोग करते है । वे 5–6 माह तक साल भर में बाहर रहते है । अभिभावकों के लौटने के बाद भी कुछ महीने बाद तक बच्चे विद्यालय नहीं आते । माइग्रेशन के बाद जो बच्चे विद्यालय आते है वे बहुत कमजोर होते हैं, जिस कारण से वे विद्यालय से ड्रापआउट हो जाते हैं ।

- **डायट, कसर्गोड, इडुक्की (2001)** ने प्राथमिक विद्यालयों में जेण्डर आधारित गतिविधि एवं कक्षा–कक्ष अभ्यास का अध्ययन किया । अध्ययन केरल राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित जिलों में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि बालक एवं बालिकायें अलग अलग पंक्ति में कक्षा में बैठते हैं । शिक्षक, लड़कों को अधिकतर निर्देश देते है जब कि लड़कियों को बहुत कम । लेकिन प्रश्न आदि पूछने या समझाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं । शिक्षक द्वारा बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से प्रोत्साहित करते हैं । विद्यालय का नेतृत्व हमेशा बालक द्वारा किया जाता है । जब कि कक्षा मानीटर में लड़कियां भी प्रतिनिधित्व करती हैं । विद्यालय आधारित कार्य अधिकतर बालकों को दिये जाते हैं । लड़कियों को सभा एवं विद्यालय उत्सव मनाने जैसे दायित्व दिये जाते है । कक्षा–कक्ष में बालक एवं बालिकाएं समान रूप से प्रतिभाग करते हैं, लेकिन दायित्व लड़कों को ही दिये जाते हैं । बालक एवं बालिकायें अलग–अलग समूहों में अलग–अलग खेल खेलते हैं । वे एक दूसरे के खेल खेलने का दायित्व नहीं देते हैं । सफाई सम्बन्धी कार्य बालिकाओं को ही दिये जाते हैं । मारने एवं डाटने का कार्य बालकों के साथ तथा चिकोटी का कार्य लड़कियों के साथ किया जाता है ।

- **जयलक्ष्मी, टी.के. (2002)** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम के जिलों का टर्मिनल एसेसमेन्ट सर्वे किया । इसके लिये कर्नाटक राज्य के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

के 4 जिलों बेलगौम, कोलर, मंडया एवं रैचुर का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 में भाषा में सभी का प्रतिशत माध्य प्राप्तांक बेसलाइन सर्वे में 55.49 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 70.75 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 73.25 प्रतिशत पाया गया । जबकि गणित में बेसलाइन सर्वे में 49.08 प्रतिशत मिड़टर्म सर्वे में 70.0 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 71.70 प्रतिशत पाया गया । कक्षा 3 में भाषा में सभी का प्रतिशत माध्य प्राप्तांक बेसलाइन सर्वे में 35.67 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 46.65 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 51.25 प्रतिशत तथा गणित में बेसलाइन सर्वे में 39.75 प्रतिशत, मिड़टर्म सर्वे में 44.56 प्रतिशत एवं टर्मिनल सर्वे में 45.56 प्रतिशत पाया गया ।

- **राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट (2002)** ने सफल विद्यालय प्रबंधन पर एक अध्ययन किया । इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सफल विद्यालयों की विशेषताओं का पता लगाना, सफल विद्यालय प्रबन्धन में विभिन्न कारकों की भूमिका का अध्ययन करना तथा प्रधानाध्यापकों के प्रबन्ध कौशल तथा नेतृत्व–क्षमता का अध्ययन करना। अध्ययन में, विशेष रूप से विद्यालय प्रबन्धन में, प्रधानाध्यापकों की भूमिका, विद्यालय समुदाय के साथ सम्पर्क तंत्र तथा डायट, बी.आर.सी. और सी.आर.सी. (एन.पी. आर.सी.) द्वारा शैक्षिक अनुसमर्थन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। अध्ययन हेतु पाँच प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जिनमें से तीन परिषदीय विद्यालय तथा दो प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय लिए गए। उन प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जो श्रेणीकरण के मानकों के आधार पर तीन वर्षों से 'ए' श्रेणी में अपनी सफलता के कारण चिहिनत किये गये थे। इन विद्यालयों का चयन सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के अनुरोध के पश्चात् पाँच जनपदों से किया गया अर्थात् झाँसी, सोनभद्र, लखनऊ, मथुरा तथा इलाहाबाद। प्राइवेट विद्यालयों का चयन उनकी लोकप्रियता, जनता की उनके प्रति धारणा तथा उनकी कार्यक्षमता के आधार पर किया गया। ये पाँच विद्यालय प्राथमिक विद्यालय रहमतनगर, गोसाईगंज, लखनऊ, प्राथमिक विद्यालय, झारोकलाँ, दुद्धी, सोनभद्र, प्राथमिक विद्यालय पालरी, योजना विकास खण्ड, झाँसी, महर्षि पतंजली विद्यामन्दिर, प्रयाग, इलाहाबाद तथा अमरनाथ विद्या आश्रम, मथुरा थे । क्षेत्र के अधिकारियों तथा प्रधानाध्यापकों को इस अध्ययन का महत्व स्पष्ट करने के पश्चात् उनसे समय लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, अभिभावकों, ग्राम शिक्षा समिति (व्ही.ई.सी.) के सदस्यों से विद्यालय के अलग–अलग पक्षों पर विस्तृत

जानकारी प्राप्त की गई। शोधकर्त्ताओं को काफी समय विद्यालयों में व्यतीत हुआ और बहुत मुक्त वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उभरकर सामने आए। विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त होना आवश्यक है परन्तु गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए केवल यही आधार नहीं है। विद्यालयों को सफल बनाने में प्रधानाध्यापकों की भूमिका श्रेष्ठतर प्रमाणित हुई है। जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में कुशल नेतृत्व की क्षमता है वे विद्यालय निस्संदेह पर्याप्त संसाधनों में कमी के बावजूद प्रभावी तथा सफल विद्यालय बन जाते हैं। विद्यालयों में एक सुखद वातावरण बनाने, शिक्षकों को प्रेरित करने तथा बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में प्रधानाध्यापक की प्रमुख भूमिका है। पाँच परिषदीय तथा प्राइवेट विद्यालयों की केस स्टडी यह दर्शाती है कि सफल विद्यालय केवल परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुए है वरन् प्रधानाध्यापक के गतिशील प्रभाव नेतृत्व, नियोजन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, दार्शनिक चिंतन तथा कुशल प्रबन्धन की क्षमता का परिणाम है। "संसाधन मात्र ही सफलता की गारंटी नहीं है, कर्तव्य–पालन के प्रति निष्ठा बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती है।" प्रधानाध्यापक आदर्श भूमिका का निर्वहन करता है। वह समय से विद्यालय आता है ताकि उसके शिक्षक कभी विलम्ब से न आएँ, वह शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण करने में सहयोग प्रदान करता है, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा समुदाय से अच्छा तालमेल बनाए रखता है और शिक्षकों से एक मित्र तथा सलाहकार की तरह सम्बन्ध बनाए रखता है। विद्यालय को सफल बनाने में प्रधानाध्यापक नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का प्रयोग अधिक करता है। सफल विद्यालयों में शिक्षण रुचिपूर्ण होती है। यहाँ शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के अच्छे व्यवहार तथा कार्य को सराहा जाता है और भविष्य में और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोनों प्रकार के विद्यालयों (परिषदीय तथा प्राइवेट) में बच्चों को कक्षाकार्य तथा गृहकार्य नियमित रूप से दिया जाता है और शिक्षकों द्वारा जाँच के उपरान्त अभिभावकों को निदान सम्बन्धी पश्चपोषण प्रदान किया जाता है। जिन बच्चों को सम्प्राप्ति–स्तर कम है उन्हें विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा दी गई है जिससे बच्चों का सम्प्राप्ति–स्तर बढ़ सके। यद्यपि परिषदीय तथा प्राइवेट विद्यालयों के भौतिक संसाधनों में बहुत अंतर है, फिर भी प्रधानाध्यापक की दूरदर्शिता एवं नियोजन द्वारा समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावकों तथा बच्चों के सहयोग से इन विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

- **सचितानंद, (2002),** ने उत्तरप्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के जिलों में नामांकन, ठहराव, ड्रापआउट एवं कम्पलीशन दर का अध्ययन किया । अध्ययन में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से अच्छादित जिलों में से देवरिया एवं सोनभद्र जिलों से 2–2 विकासखण्ड़ों को लिया गया । इसके अंतर्गत 78 विद्यालयों, 95 शिक्षकों 95 ग्राम शिक्षा समितियों एवं 132 अभिभावकों से उक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1999–00 से 2000–2001 में कक्षा 3 के बालकों का नामांकन बढ़ा है तथा कक्षा 4 एवं 5 में घटा है । लड़कियों का नामांकन कक्षा 2 के बाद गिरा है । मुस्लिम लड़कियों का दोनों अकादमिक सत्र में नामांकन गिरा पाया गया । विद्यालय से ड्रापआउट बच्चों में से अधिकतर बच्चे प्रथम पीढ़ी के विद्यालय आने वाले बच्चे पाये गये । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के अंतर्गत किये जा रहे प्रयास से इस क्षेत्र में काफी सफलता मिली है ।

- **सीमैट, इलाहाबाद (2002),** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय के जिलों में नामांकन एवं ठहराव का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से अच्छादित 22 जिलों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1997 से 2000 में कोहर्ट ड्रापआउट दर 1 प्रतिशत घटी है । विद्यालय के शिक्षकों का ज्यादा संख्या में सेवानिवृत होने के कारण शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 : 91 पाया गया । कक्षा 1 एवं 2 में ड्रापआउट कम तथा कक्षा 3 एवं 4 में बढ़ा पाया गया । ललितपुर जिले में रिपीटीशन दर 8 प्रतिशत तथा बरेली जिले में सबसे कम 0.1 प्रशित पाई गई । सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में काफी प्रगति पाई गई ।

- **सीमैट, इलाहाबाद (2003),** ने प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई शिक्षक संदर्शिका की उपयोगिता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के दो जिलों प्रतापगढ़ एवं फतेपुर को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि न्यादर्श के विद्यालयों में शिक्षण संदर्शिका के उपयोग के कारण 30–35 प्रतिशत कक्षाओं में काफी अच्छा शिक्षण पाया गया । 67 प्रतिशत शिक्षकों ने संदर्शिका को काफी उपयोगी बताया । लगभग 51 प्रशित शिक्षक संदर्शिका को कक्षा शिक्षण के दौरान उपयोग करते पाये गये । संदर्शिका को एक सफल उपकरण के रूप में विद्यालय में पाया गया ।

- **सीमैट, इलाहाबाद (2003),** ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता का अध्ययन किया । अध्ययन में प्रदेश के इलाहाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी, बॉदा, गोरखपुर एवं सहारनपुर जिलों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि चित्रकूट जिले में 13320 बच्चे कक्षा 5 पास होते है और उनमें से 11117 बच्चे कक्षा 6 में नामांकित होते है । 2203 बच्चे 3 कि.मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण विद्यालय से वंचित रह जाते है । चित्रकूट में 138 बस्तियां ऐसी पाई गई जिनकी जनसंख्या 500 से 800 है लेकिन उनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है । जिले का वर्ष 2001 में ट्रांजीशन दर 83.46 प्रतिशत पायी गया । इलाहाबाद जिले में 3460, शहारनपुर में 4366, कौशाम्बी में 3075, गोरखपुर में 8687 तथा बॉदा में 2805 बच्चे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा न होने के कारण शिक्षा से वंचित पाये गये । शहारनपुर में 159, कौशाम्बी में 187, गोरखपुर में 279 तथा बॉदा में 130 बस्तियां ऐसी है जहॉ निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उच्चप्राथमिक शिक्षा की सुविधा की आवश्यकता है ।

- **कुमार, डी. (2002),** ने प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता उन्नयन में समुदाय के दृष्टिकोण का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के शाहजहॉपुर एवं जे. पी. नगर जिलों को लिया गया । प्रत्येक जिले से 20 विद्यालयों, 20 ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों तथा 200 अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की गई । अध्ययन में पाया गया कि समुदाय के लोग बच्चों को विद्यालय में नियमित भेजने में मुख्य भूमिका निभाते है । समुदाय के लोग ग्राम शिक्षा समितियों में अशिक्षित व्यक्तियों को सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं पाये गये । 51.25 प्रतिशत अभिभावकों को उनकी क्या भुमिका है स्पष्ट नहीं थी । ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठके होती है तक्षा वे बच्चों की शिक्षा के संबंध में चर्चा करते है ।

- **राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) 2002** ने नामांकन, ठहराव तथा अधिगम सम्प्राप्ति में परिवार तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के दो जनपदों, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर का चयन किया गया । इस अध्ययन में कुछ मुख्य परिणाम संकेत देते हैं कि यदि अभिभावक शिक्षित हो या शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों तो वे निस्सन्देह अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, उनके

सम्प्राप्ति–स्तर के लिए बराबर अध्यापकों से सम्पर्क बनाए रखेगें । बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं– इन सब पर ध्यान देंगे । अभिभावकों से वार्ता के द्वारा ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है । वे रोज विद्यालय जाना चाहते हैं । 93 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार–विनिमय करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं । अध्ययन के बीच, साक्षात्कार के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं पर भी दृष्टि गई जैसे अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर यह शंका उनके मन में सदा बनी रहती है कि क्या शिक्षा उनके बच्चों को कुछ बना पायेगी । अध्ययन के समय देखा गया कि अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है और यही कारण है कि वे किसी न किसी बहाने कभी घर के काम काज को लेकर और कभी गरीबी की दुहाई देकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं ।

- **जोसेफ, आर.ए. (2002),** ने विकलांग बच्चों को विद्यालय लाने में शिक्षक एवं अभिभावको की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के बरेली जिले का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षक विकलांग बच्चों के शिक्षण से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करते । शिक्षक विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से औसतन संतुष्टि पाये गये । बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को घर से विद्यालय भेजने में साधन के अभाव के कारण समस्या का सामना करते पाये गये ।

- **श्रीवास्तव, मयंक (2002)** ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जनपद का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है । बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई । पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला । अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई । सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है, बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है ।

- **अग्रवाल, आर. (2002),** ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षको की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के उन्नाव जिले के 4 विकासखण्ड के 6 विद्यालयों को यादृक्षिक विधि से चयनित किया गया । अध्ययन में पाया गया कि महिला शिक्षक समुदाय से संबंधित कार्य में बहुत कम प्रतिभाग करती है । महिला शिक्षक कार्यशाला एवं संगोष्ठी में भी बहुत कम प्रतिभाग करती है । सिर्फ 50 प्रतिशत शिक्षिका ही शिक्षक संदर्शिका को विद्यालयीन समस्या को दूर करने में उपयोग करती पाई गई । 45.6 प्रतिशत समुदाय के सदस्यों ने बताया कि महिला शिक्षक बच्चों में जाति एवं धर्म के आधार पर अंतर करती है । 92.86 प्रतिशत शिक्षिकाये अपनी नियुक्ति दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं चाहती है ।

- **गरिया, पी.एस. (2002),** ने शैक्षिक अनुसमर्थन के क्षेत्र में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, संकुल श्रोत केन्द्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के 2 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 विकास खण्ड संसाधन केन्द्र , 32 संकुल श्रोत केन्द्र तथा 80 विद्यालयों के 174 शिक्षकों से जानकारी एकत्रित की गई । अध्ययन में पाया गया कि पीलीभीत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रभावी रूप से शैक्षिक अनुसमर्थन नहीं पहुँचा पा रही है । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिना प्रार्चाय के संचालित है । जबकि हरदोई जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अच्छी तरह से अकादमिक सहयोग प्रदान कर पा रही है । हरदोई जिले के संकुल श्रोत केन्द्र पूरी तरह से संचालित है जबकि पीलीभीत के प्रभावी रुप से संचालित नहीं पाये गये । जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास पर्याप्त अभिकर्मियों के न होने के कारण वह पर्याप्त सहयोग प्रदान नहीं कर पा रही है । विकास खण्ड संसाधन केन्द एवं, संकुल श्रोत केन्द्र द्वारा दिये जा रहे सहयोग से शिक्षक संतुष्ट नहीं पाये गये ।

- **मिश्र, करुणा शंकर (2002)** ने बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों की पांचवीं कक्षा के विद्याथियों के बौद्धिक प्रकियाओं पर कक्षा अन्तर्कियाओं, अधिगम दबाब व विद्यालयी सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन इलाहाबाद जनपद के 281 विद्यार्थियों पर किया गया । अध्ययन में ग्रामीण बच्चों की बौद्धिक प्रकियाएं अधिगम दबाब से नकारात्मक रूप से संबंधित पाई गई, सुविद्याहीन विद्यालयों की कक्षाओं में शिक्षक व विद्यार्थी संज्ञानात्मक अन्तर्कियाओं का प्रयोग कम करते हैं । ग्रामीण व नगरीय

विद्यार्थियों की प्रात्यक्षिक विभेदन योग्यता अधिगम दबाब से नकारात्मक रूप संबंधित पाई गई तथा नगरीय विद्यार्थियों की संरक्षण योग्यता उनके द्वारा प्रत्यक्षीकृत कक्षा वातावरण से संबंधित नहीं पाई गई ।

- **कुलकर्णी, एस. (2002),** ने विकास खण्ड संसाधन केन्द एवं, संकुल श्रेात केन्द्र समन्यवकों के लिये आवश्यक अकादमिक सहयोग की आवश्यकता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के बदांयू जिले से 6 विकास खण्ड संसाधन केन्द, 14 संकुल श्रेात केन्द्र एवं 78 शिक्षकों तथा ललितपुर जिले से 2 विकास खण्ड संसाधन केन्द, 5 संकुल श्रेात केन्द्र तथा 15 शिक्षकों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर के संसाधन नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये पर्याप्त नहीं है । ललित पुर जिले की अकादमिक संरचना पूरी तरह से व्यवस्थिति पाई गई । संकुल श्रेात केन्द्र को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं है । संकुल श्रेात केन्द्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर भी पूरी तरह से कठिन बिन्दुओं को दूर करने में कठिनाई महसूस करते है ।

- **गोयल, एस. (2003),** ने उत्तरप्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत पैरा शिक्षकों की कार्य प्रणाली की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन में न्यादर्श के रूप में प्रदेश के दो जिलों के 32 गॉव के पैराशिक्षकों (शिक्षामित्रों) से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि शिक्षामित्र स्थानीय होने के कारण वह समय से विद्यालय खोलता है । विद्यालय तथा समुदाय से उसके अच्छे संबंध है । वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा लड़कियों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखता है ।

- **एनट्रिप एवं सीमैट (2003)** द्वारा सफल विद्यालय प्रबंधन पर अध्ययन किया गया । इसके लिए 5 सफल प्राथमिक विद्यालयों (3 शासकीय एवं 2 अशासकीय) का चयन किया गया । इसका प्रमुख उद्‌देश्य यह जानना था कि एक सफल विद्यालय के प्रबंधन में कौन से कारकों की भूमिका है । इसके अन्तर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य की भूमिका समुदाय के सहयोग एवं पर्यवेक्षणकर्ता के सहयोग का अध्ययन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अच्छा नेतृत्व करते है, जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अच्छे परिणाम हैं । सभी विद्यालयों में समुदाय का सहयोग भी उच्च स्तर का पाया गया तथा पर्यवेक्षणकर्ता का सहयोग धनात्मक पाया गया ।

- **पाण्डेय, के.ए. (2003),** ने उत्तर प्रदेश के कोल, पानकी, खरवार, घेरोस जाति के लिए उपलब्ध प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा का अध्ययन किया । अध्ययन में प्रदेश के मिर्जापुर, चित्रकूट एवं सोनभद्र जिलों के 14 विकासखण्डों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विद्वालयों में शिक्षक तथा शिक्षामित्र उपलब्ध नहीं है । अभी भी विद्यालय जाने योग्य उम्र के आदिवासी बच्चे विद्यालय से बाहर है । बच्चों को मुफ्त ड्रस उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है । आदिवासी महिलाये शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत है । बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को घरेलू कार्य में व्यस्त रखते है ।

- **विनायक (2003)** ने विद्यालय स्तर पर गठित ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 32 जिलों में से 4 जिलों (आगरा, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और झांसी) को भौगोलिक दृष्टिकोण से चयन किया गया । इन चारों जिलों से दो–दो विकास खण्डों का चयन किया गया । प्रत्येक विकासखण्ड से 4–4 संकुल स्त्रोत केन्दों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जहाँ भी ग्राम शिक्षा समिति सक्रिय है वहाँ छात्रों के नामांकन उपस्थिति तथा ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । विद्यालय समय से खुलते है तथा शिक्षण अधिगम में सुधार हुआ है । शिक्षकों तथा अध्यापकों का समय से विद्यालय आना शुरू हो गया है । शिक्षक अभिभावक बैठकों तथा माता–शिक्षक संघ की मीटिंग के फलस्वरूप समुदाय की सहभागिता बढ़ी है ।

- **सीमैट, इलाहाबाद (2003),** ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के जिलों में ड्रापआउट दर का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों महराजगंज, हरदोई, ललितपुर, बाराबंकी और मुरादाबाद में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि ड्रापआउट दर 52 प्रतिशत से 32 प्रतिशत हुआ है । जैण्डर एवं समाजिक गैप कम हुआ है । सकल नामांकन अनुपात 72.87 से 101.3 प्रतिशत एवं शुद्ध नामांकन अनुपात 62.6 से 83.2 हुआ है । कक्षा 1 एवं 2 में प्रमोशन नीति के बावजूद रिपीटीशन पाया गया । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 : 62 पाया गया ।

- **वयस्त, जे. एस. (2003),** ने उत्तर प्रदेश के तृतीय चरण के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित वैकल्पिक विद्यालयों का मूल्यांकन किया । अध्ययन में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 से अच्छादित दो जिलों बुलंदशहर एवं बिजनौर को लिया। अध्ययन में पाया गया कि विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में वैकल्पिक विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है ।

- **मंसूरी, जेड. एच. (2004),** ने उत्तरप्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के जिलों के शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसमर्थन प्रणाली का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि 80 प्रतिशत विद्यालयों के शिक्षक बच्चों को अपनी बात कहने के लिये प्ररित करते है । 78.3 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा गतिविधियों में प्रतिभाग करते है । 31.7 प्रतिशत शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करते है । अधिकतर शिक्षकों ने विद्यालय में उपलब्ध कराई गई शिक्षण संदर्शिका को काफी उपयोगी बताया । शिक्षकों के अनुसार प्रशिक्षण से उनकी कार्य पद्धति में बदलाव आया है ।

- **सीथराम, आर. (2005),** ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये किये गये प्रयास पर समाजिक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर विकलांग बच्चे अपने सहयोगी बच्चों के साथ उच्च प्राथमिक की तुलना में भय मुक्त पाये गये । परिवार की आय, सामाजिक स्थिति का विकलांगता बच्चों की शिक्षा में सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ा । विकलांग बच्चों का सोशल–मैट्रिक स्थिति का उनके अकादमिक उपलब्धि में सार्थक प्रभाव पाया गया ।

- **ओ.आर.जी. (2005)** ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (सुल्तानपुर, ललितपुर, महराजगंज, बहराइच, मुजफ्फरनगर) से 150 विद्यालयों का चयन किया गया । अध्ययन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में धनात्मक स्थिति पाई गई । प्राथमिक विद्यालयों में समग्र ड्रापआउट 22 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 प्रतिशत पाया गया तथा विद्यालय की भैातिक एवं शैक्षिक स्थिति में काफी सुधार पाया गया ।

- **विस्वनाथन, जी. (2005),** ने तामिलनाडू के विल्लुपुरम एवं कांडला जिले के विकासखण्ड संसाधन केन्द्र की संचालन व्यवस्था का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि दोनों जिलों के विकासखण्ड संसाधन केन्द्र काफी अच्छी स्थिति में संचालित है । ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों का दृष्टिकोण उच्च स्तर तथा समान पाया गया । लिंग एवं उम्रवार शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

- **ओ.आर.जी. (2005)** ने कक्षा 2 के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन शिक्षामित्र एवं नियमित शिक्षकों के कक्षा शिक्षण के संदर्भ में किया । इसके लिए उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लगभग 1000 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि शिक्षामित्र द्वारा पढ़ायें गये विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, नियमित शिक्षकों द्वारा पढ़ायें गये विद्यार्थियों से काफी अच्छा पाया गया ।

- **सरस्वथी, एल. (2005),** ने तामिलनाडू के मदुरी जिले के प्रारम्भिक स्तर पर पर्यावरण विज्ञान में सीखने की कठिनाईयों को चिन्हित किया । अध्ययन में पाया गया कि विज्ञान गेजुएट और गेजुएट में बहुत ही कम कठिनाईया कक्षा 6 की कमेस्ट्री में पाई गई । कक्षा 7 में अधिक क्षेत्र में कठिनाईयां पाई गई । सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण के कारण अधिकतर कठिनाईयों पर शिक्षक एवं बच्चों को समस्या नहीं आती है ।

- **ओ.आर.जी. (2005)** ने विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के ड्रापआउट का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (रायबरेली, झांसी, आजमगढ़ बुलंदशहर एवं फैजाबाद) के 15 विकासखण्ड के 150 विद्यालयों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि ड्रापआउट में पूर्व की तुलना में काफी कमी आई है । प्रथम दो कक्षाओं (कक्षा 1 एवं 2) में ड्रापआउट दर अधिक पाई गई तथा बड़ी कक्षाओं में ड्रापआउट दर में क्रमशः कमी पाई गई ।

- **संथानम, पी. (2005),** ने सीखने की कठिनाईयों पर उपचारात्मक कार्यक्रम का अध्ययन किया । अध्ययन तामिलनाडू के त्रिरुवल्लोरे एवं वेल्लूपुरत जिले में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि उपचारात्म शिक्षण के बाद सीखने की कठिनाई वाले बच्चों का उपलब्धि स्तर काफी अच्छा हुआ है ।

- **गोयल, सलोनी (2005)** ने विद्यालय परिवेश के सुधार एवं बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में विद्यालय ग्रेड़िग प्रणाली की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (भदोही, फैजाबाद, उन्नाव, हमीरपुर एवं मथुरा) का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विद्यालय ग्रेड़िग के कारण विद्यालय के भौतिक परिवेश में काफी सुधार आया है तथा बच्चों की उपलब्धि में काफी प्रगति हुई है ।

- **तिवारी, अशुतोष (2006)** ने "उत्तर प्रदेश में ' सभी के लये शिक्षा' कार्यक्रम की संकल्पना, रणनीतियों एवं कियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया । प्रस्तुत अध्ययन को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयें की शिक्षा तक सीमित रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु किये गये प्रयासों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन ,सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समय–समय पर किये गये कार्यों पर प्रमुख शोध रिपोर्ट के निष्कर्षों का अध्ययन, विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा सबके लिये शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में कठिनाइयों/बाधाओं का अध्ययन करना तक सीमित रखा गया। अध्ययन में उत्तर प्रदेश में सभी के लिये शिक्षा हेतु किये गये कार्य को न्यादर्श के रूप में लिया गया । इसके अतिरिक्त झाँसी मण्डल के तीन जनपदों से प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोत से विस्तृत जानकारी को एकत्र करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया । अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के नामांकन, ठहराव , नियमित उपस्थिति एवं गणवत्तापरक शिक्षा में पूर्व की स्थिति से वर्तमान में काफी वृद्धि हुई है।

- **दुरास्वामी, एम. (2006),** ने तामिलनाडू की प्रारभ्भिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव का अध्ययन किया । अध्ययन में तामिलनाडू राज्य के चेन्नई एवं पेरम्बलूर जिलों को न्यादर्श के रुप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान में 68 प्रतिशत बालिका (5 से 15 वर्ष) चेन्नई एवं 70 प्रतिशत (5 से 15 वर्ष) पेरम्बलूर जिले में नामांकित है । ड्रापआउट दर चेन्नई के बाद पेरम्बूर में अधिक पाया गया ।

- **तिवारी, मृदुला (2006),** ने "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन" उत्तरप्रदेश राज्य के चित्रकूट मण्डल के के हमीरपुर, महोबा, बॉदा एवं चित्रकूट जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय नियमितता(उपस्थिति), लेखन

दक्षता, विषयवार उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया । इसमे न्यादर्श के रूप में प्रत्येक जिले से 30–30 विद्यालयों का चयन भी यादृच्छि विधि से किया गया । कुल 1200 बच्चों को न्यादर्श के रूप में लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि शैक्षिक उपलब्धि पर लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया तथा लिंग, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया गया । विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर लिंग, परिवार की आय, विद्यालय की जिलेवार स्थिति और लिंग एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया, लिंग जाति एवं परिवार के आय के बीच अन्तर्क्रिया, तथा विद्यालय की क्षेत्रवार एवं जिलेवार स्थिति के बीच अन्तर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पाया गया । विद्यार्थियों की लेखन दक्षता पर लिंग , जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति तथा परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अन्तर्क्रिया का सार्थक प्रभाव पाया गया । विद्यार्थियों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि में भाषा विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा , परिवार के व्यवसाय तथा लिंग एवं ज़ाति के बीच अन्तर्क्रिया , लिंग एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं आकार के बीच अन्तर्क्रिया तथा लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव पाया गया । गणित विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय तथा लिंग एवं जाति के बीच अन्तर्क्रिया, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव दिखाई पाया गया । पर्यावरण अध्ययन विषय के उपलब्धि स्तर में लिंग, परिवार की आय, परिवार की शिक्षा परिवार के व्यवसाय , विद्यालय की जिलेवार स्थिति तथा जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया और लिंग, जाति एवं परिवार की आय के बीच अन्तर्क्रिया सार्थक प्रभाव पाया गया । बच्चों के ठहराव पर लिंग, जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय का सार्थक प्रभाव पाया गया ।

- **ग्लोबल आइडिया (2006),** ने उत्तरप्रदेश के विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय एवं इनकी स्वच्छता सुविधा तथा उसके उपयोग की स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के 5 जिलों आगरा, बागपत, बिजनौर, गोरखपुर एवं ललितपुर जिलों के 125 विद्यालयों जिसमें 72 प्राथमिक एवं 53 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे । इन विद्यालयों में 44 शहरी तथा 8 ग्रामीण क्षेत्र के थे । अध्ययन में पाया गया कि 83 प्रतिशत विद्यालयों में कम लागत के शैचालय की सुविधा उपलब्ध है । इनमें से 87 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 77 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है । 80 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कियों एवं लड़कों के लिये अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है । विद्यालयों में उपलब्ध शौचालयों में से 81.7 प्रतिशत बालक तथा 80.7 प्रतिशत बालिकाये शौचालय का उपयोग करती है । ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय का उपयोग शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक पाया गया। 85 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय अच्छी स्थिति में पाये गये । अध्ययन में 81 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा शौचालय के काफी नजदीक पाई गई, जिसकी दूरी शौचालय से 25 मीटर या उससे कम है । 94 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छता विभिन्न अंतराल में देखी जाती है । 59 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की स्वच्छता सप्ताह में देखी जाती है । 15 प्रतिशत विद्यालयों में गंदगी के कारण लड़कियां शौचालय का उपयोग नहीं करती है । 98 प्रतिशत विद्यालयों में हैण्डपम्प के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध है । 75 प्रतिशत विद्यालयों में हाथ धोने की क्रिया नियमित की जाती है ।

- **विमर्श (2006),** ने कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिये 16 से 31 अगस्त 2006 के मध्य किये गये उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के बदायू, बहराइच, झांसी, खुशीनगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी एवं फरुखाबाद जिलों के 100 विद्यार्थियों जिनमें से 10 सामान्य, 62 पिछड़े वर्ग, 25 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के थे को लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की कमजोरियाँ कम हुई है तथा उनके उपलब्धि स्तर में सुधार आया है ।

- **सेव (2006),** ने वैकल्पिक विद्यालयों के बच्चों का मुख्य धारा से न जुड़ पाने के कारणों का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के वाराणसी, सिद्धार्थनगर, शाहंजहांपुर, हरदोई एवं ललितपुर जिलों से 15 विकासखण्डों को लिया गया । प्रत्येक

विकासखण्ड से 2 संकुल केन्द्र तथा प्रत्येक संकुल से 2 प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया । अध्ययन में उपकरण के रूप में वैकल्पिक शाला अनुदेशक अनुसूची, ग्राम शिक्षा समिति साक्षात्कार अनुसूची, अभिभावक साक्षात्कार अनुसूची एवं अकादमिक अधिकारियों के लिये साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वैकल्पिक विद्यालय के बच्चें का उपलब्धि स्तर ठीक न होने के कारण कक्षा 1 एवं 2 में वे काफी समय तक अध्ययन करते रह जाते है । दूसरा कारण बच्चें के नामांकन पर विशेष ध्यान न दिया जाना तथा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात का अधिक होने के कारण तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कमजोर होना पाया गया ।

- **ए. आर.जी. (2006),** ने प्राथमिक स्तर पर अग्रेजी शिक्षक प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली, गोरखपुर एवं झांसी जिलों के 200 प्राथमिक विद्यालयों में किया गया । अध्ययन में उपकरण के रूप में शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची, कक्षा कक्ष अवलोकन तथा बच्चों के उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न चरण में प्रशिक्षण होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता नीचे के स्तर पर कम होते गई है । 40 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार प्रशिक्षण से उन्हे काफी फायदा मिला है जबकि 60 प्रतिशत के अनुसार कुछ फायदा हुआ है ।

- **पाण्डेय, सुषमा (2006),** ने उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, जालौन, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं मेरठ जिले के 35 विकासखण्ड के 102 विद्यालयों के 2960 बच्चों में किया गया । अध्ययन में उपकरण के रूप में गणित एवं विज्ञान उपलब्धि परीक्षण, कक्षा कक्ष अवलोकन अनुसूची, शिक्षक अभिवृत्ति मापनी तथा विद्यार्थी साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आयोजित प्रशिक्षण का स्तर संतोष जनक था । प्रत्येक दिन प्रशिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक कक्षा कक्ष की स्थिति निर्मित कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई । 90 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण को काफी उपयोगी बताया । प्रशिक्षण के आधार पर 62 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय में प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करते पाये गये ।

- **महतो, आर.के. (2007),** ने अरुणचल राज्य के सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गुणात्मक शिक्षा के लिये किये गये प्रयास का अध्ययन किया । अध्ययन में अरुणाचल राज्य के तीन जिलों वेस्ट कमांग, पाम्पूपारे एवं ईस्ट सियांग को लिया गया । न्यादर्श में 300 शिक्षक, 1000 बच्चों को लिया गया । अध्ययन में पाया गया कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गुणात्मक शिक्षा पर सार्थक पहल की गई है जिससे बच्चों का विद्यालय में ठहराव बढ़ा है ।

- **पाण्डेय, संजय (2008),** ने प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का कक्षा शिक्षण अधिगम में उपयोग का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के आगरा, झांसी, शहारनपुर, शाहजहॉपुर एवं वाराणसी जिलों के 20 विकासखण्डों के 200 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें 424 बच्चों तथा 407 शिक्षकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में उपकरण के रूप में शिक्षक अनुसूची, विद्यार्थी अनुसूची, कक्षा कक्ष अवलोकन अनुसूची का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2005–06 में उपलब्ध कराई गई शिक्षण अधिगम सामग्री राशि में से आगरा जिले में 100 प्रतिशत, झांसी में 95 प्रतिशत, शाहारनपुर में 86 प्रतिशत, वाराणसी में 82 प्रतिशत तथा शाहजहांपुर में 76 प्रतिशत उपयोग किया गया । जबकि वर्ष 2006–07 में उपलब्ध कराई गई शिक्षण अधिगम सामग्री राशि में से आगरा जिले में 90 प्रतिशत, झांसी में 97 प्रतिशत, शाहारनपुर में 86 प्रतिशत तथा शाहजहांपुर में 86 प्रतिशत उपयोग किया गया । जो शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का उपयोग नहीं करते उनमें से 62 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार जगह की उपलब्धता का न होना बताया गया । 20 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का उपयोग अकादमिक के अतिरिक्त कार्य में करते है । 76 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री बाजार से बनी बनाई खरीदते है और बनाते भी है, लेकिन 12 प्रतिशत शिक्षक सिर्फ बना बनाया खरीदते है । 50 प्रतिशत बच्चों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री से किसी अवधारणा को सीखने में सरलता आती है । शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से गुणवत्ता शिक्षा, 67 प्रतिशत में उच्च स्तर तथा 33 प्रतिशत में सामान्य स्तर की पाया गई ।

- **मेहता, एल.एम. (2008),** ने यूनीसेफ द्वारा गुणवत्मक शिक्षा के लिये उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले में किये गये प्रयोग के परिणाम का अध्ययन किया । यह अध्ययन

उत्तरप्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के 150 प्राथमिक विद्यालयों तथा झांसी जिले के 50 विद्यालयों में किया गया । अध्ययन में 27 अधिकारियों, 298 प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक, 301 बच्चों तथा 215 अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में 253 कक्षा कक्ष की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया गया । परीक्षण कक्षा 2 के 904 विद्यार्थियों में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि कक्षा 1 एवं 2 में ललितपुर में बच्चों का नामांकन कमशः बढ़ा है । अध्ययन में ललितपुर जिले में 59 प्रतिशत अच्छे तथा 36 प्रतिशत सामान्य स्तर के कक्षा कक्ष पाये गये जबकि झांसी जिले मे 54 प्रतिशत अच्छे तथा 44 प्रतिशत सामान्य स्तर के कक्षा कक्ष पाये गये । ललितपुर जिले में किये गये प्रयास में 31 प्रतिशत गुणवत्ता में प्रगति आई है । बच्चों की नियमितता तथा रुचि का प्रतिशत 28 प्रतिशत पाया गया । नई विधि तथा शिक्षण गुणवत्ता तथा शिक्षण अधिगम प्रकिया में 27 प्रतिशत तथा भैतिक वातावरण में 18 प्रतिशत की प्रगति पाई गई । कुल मिलाकर ललितपुर की प्रगतिदर 81 से 100 प्रतिशत के बीच पाई गई ।

- **शर्मा, चेतन (2008),** ने कक्षा 1 एवं 2 के लिये निर्मित अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के अलीगढ़, हरदोई, जालौन, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर जिलों का चयन किया गया । अध्ययन में 400 विद्यालयों से जानकारी एकत्र की गई तथा 330–340 कक्षा–कक्षों का भी अवलोकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि अभ्यास पुस्तिकाये समय पर विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई । सिर्फ 49 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार अभ्यास प्रस्तिकाओं के उपयोग से बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है । 54 प्रतिशत शिक्षक बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं को नियमित जांचते है जबकि हरदोई जिले के शिक्षक नियमित अभ्यासपुस्तिकाओं को नहीं जॉंचते । 60 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पुस्तकों के बीच कोई समन्वय नहीं है ।

- **पाण्डेय, सुषमा (2008),** ने उच्च प्राथमिक स्तर पर गठित मीना मंच की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के फतेहपुर, रायबरेली, बरेली, इटावा एवं बस्ती जिले से क्रमशः 55, 78, 87, 79, 69 मीना मंच केन्द्रों को चयनित किया गया । जिसमें से 12000 विद्यार्थियों एवं 4000 अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि 43.75 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना कक्षा कक्ष स्थापित किये गये है । 88 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिका द्वारा मीना मंचों का संचालन किया जा रहा है । 31.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना पुस्तकालय स्थापित है । 75.28 प्रतिशत उच्च प्रथामिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का चार्ट विद्यालय में बनाया गया है । 55.74 प्रतिशत बालिकाये सही उम्र में विद्यालय में नामांकित नहीं होती । 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना किट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है । मीना मंच अपने निर्धारित कार्य को 60 प्रतिशत तक पूरा करने की कोशिश कर रहे है ।
- **शुक्ला, ए. और सपाल, आर. (2008),** ने कस्तूरबागांधी विद्यालय एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, बुलंदशहर, झांसी, कानपुर देहात, महराजगंज, महोबा एवं शाहजहांपुर जिलों के 14 कस्तूरबागांधी विद्यालय तथा 14 उच्च परिषदीय विद्यालयों को लिया गया । अध्ययन में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लड़कियों का नामांकन काफी संतोष जनक पाया गया । अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाओं का कस्तूरबागांधी विद्यालय में तथा अल्पसंख्यक तथा पिछड़े एवं समान्यवर्ग की बालिकाओं का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अच्छा पाया गया । कस्तूरबागांधी विद्यालयों में बच्चों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत पाया गया । बहुत ही कम लड़कियों का प्रतिश्सत 10

प्रतिशत से कम पाया गया । अधिकतर लड़कियों के उपलब्धि का प्रतिशत 30 से 50 प्रतिशत के बीच पाया गया । जबकि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लड़कियों का अंक प्रतिशत 50 प्रतिशत के नीचे पाया गया । अधिकतर लड़कियों का अंक 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच पाया गया ।

- **बत्रा, रजनी (2008),** ने समेकित शिक्षा के अंर्तगत संचालित किये गये ब्रिजकोर्स के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के बॉदा, फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर जिलों से 4 – 4 विकासखण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में प्रत्येक जिले से 40 बच्चों तथा 40 अभिभावकों को (लखनऊ से 35) का चयन किया गया । अध्ययन में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार पाया गया कि 86.3 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित है । 2556 बच्चों में से 19.2 प्रतिशत बच्चो जो नियमित विद्यालय जाने से बड़े उम्र के हैं वे आवासीय ब्रिजकोर्स में अध्ययन कर रहे है । अध्ययन के लिये चिन्हित 212 शिक्षकों में से 84.9 प्रतिशत शिक्षकों ने इस ब्रिजकोर्स को काफी उपयोगी बताया । 66.98 प्रतिशत शिक्षकों ने यह भी स्वीकार किया कि वे विद्यालय के कोर्स के कारण इन बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते है । 37.26 प्रतिशत के अनुसार बच्चों की चंचलता के कारण उन्हे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाने में असुविधा होती है । शिक्षकों ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने में विशेष रुचि नहीं दिखाते जिनके कारणों में 46.69 प्रतिशत अधिक विकलांगता का होना, 46.22 प्रतिशत विकलांगता के प्रकार, 30.66 प्रतिशत परिवार की रुचि, 41.51 प्रतिशत विकलांग बच्चों के सीखने की दक्षता है । 64 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति भी शिक्षा में रुचि न लेने का कारण है । कुल मिलाकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में ब्रिजकार्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है ।

- **अहमद, मुस्ताक (2008),** ने उत्तरप्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के आजमगढ़, मेरठ, बहराइच उन्नाव एवं बॉदा से 25 विकासखण्डों का चयन किया । प्रत्येक विकासखण्ड से 15 प्राथमिक एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया । न्यादर्श में कुल 235 प्राथमिक एवं 169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया । अध्ययन में उपकरण के रूप में विद्यालय जानकारी संकलन प्रपत्र, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थिति अनुसूची, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षामित्र के लिये प्रश्नावली तथा समुदाय एवं अभिभावको के लिये चेक लिस्ट का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वष्र के कुल दिनों में 62 प्रतिशत (225 दिन) शिक्षण के लिये निर्धारित है इनमें से 74 प्रतिशत दिन (167 दिन) शिक्षक शिक्षण कार्य में उपयोग करता है । शिक्षकों के विद्यालय में अनुपस्थिति रहने में 37 से 43 प्रतिशत कारण शिक्षक की स्वयं की कमजोरी तथा 40 से 43 प्रतिशत परिवारिक बिमारी के कारण नियमित विद्यालय नहीं आता है । विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति के संदर्भ में जाति एवं लिंग के आधार पर कोई अंतर नहीं पाया गया । शोध कर्ता के प्रथम भ्रमण में अधिक तथा द्वितीस भ्रमण में अनुपस्थिति कम पाई गई जिसके प्रमुख कारण विद्यालय में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी के साथ अभिभावकों के सहयोग में कमी पाया गया ।

- **श्रीवास्तव, रंजना (2008),** ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये लगाये गये हस्ताक्षेप किस सीमा तक सफल हो पाये है का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के रामपुर, महराजगंज, अम्बेड़कर नगर, हमीरपुर एवं मिर्जापुर जिले सं 10 विकासखण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण विकासखण्ड के 30 प्राथमिक विद्यालयों 116 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 328 अनुसूचित

जाति/ जनजाति ग्राम जहाँ अधिक संख्या मे अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोग रहते है को लिया गया । अध्ययन में 667 प्रधनाध्यापक एवं शिक्षक, 653 अभिभांवक, 300 ग्राम प्रधान तथा 314 अनुसूचित जाति/ जनजाति समुदाय के सदस्यों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन के लिये स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि पिछले अकादमिक सत्र में 53 प्रतिशत असेवित बस्तियों में विद्यालय खोले गये है । 35 प्रतिशत असेवित बस्तियों में वैकल्पिक विद्यालय संचालित किये गये हैं । रामपुर जिले में अनुसुचित जाति के बच्चों का उच्च नामांकन तथा 52 प्रतिशत का ठहराव पाया गया । अध्ययन में चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से सिर्फ 3 विद्यालयों कि लड़कियों को साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

विश्लेषणः संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि विगत कुठ वर्षो में प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में काफी शोध अध्ययन हुये है और इनमें से अधिकतर सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है । इन शोध अध्ययनों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जहाँ आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है वही हस्तक्षेपों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद हुई प्रगति का अध्ययन किया गया है । प्रदेश में पूर्व में हुये अध्ययनों से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये हस्तक्षेपों से काफी प्रगति हुई है ।

अध्याय–चतुर्थ

शोध प्रविधि

4.01.0 प्रस्तावना : किसी भी शोध कार्य में शोध प्रकिया शोध कार्य के चयन से लेकर उसके पूरा करने तक की प्रकिया की जानकारी उपलब्ध कराती है । किसी भी शोध समस्या पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक है कि शोधकर्ता पहले शोध की प्रकिया को जाने । बिना शोध प्रकिया को जाने इधर–उधर की निरूद्देश्य क्रियाओं से कभी–कभी चमत्कारिक परिणाम अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु अधिकांश स्थितियों में कोई सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है । किसी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उसके समाधान की प्रकिया से परिचित हो । अर्थात शोधकर्ता अपनी समस्या को सही प्रकार से जब ही समझ एवं प्रस्तुत कर सकता है जबकि उसे समस्या से संबंधित व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी हो । इसके लिये शोधकर्ता को इन कठिनाइयों को अपने दिमाग में रखते हुए एक आधारभूत सिद्धान्त का परिपालन करना होता है । इस प्रकार अगर समस्या का समाधान करना हो तो यह सामान्यतः शोधकर्ता को जानना आवश्यक है कि समस्या क्या है ? शोध समस्या के लिये हमें किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? तथा इसे पूरा करने में कितना समय और धन की आवश्यकता होगी? आदि।

समस्या से ही शोध का प्रारम्भ होता है। शोध का प्रथम चरण समस्या है। बिना समस्या के शोध सम्भव नहीं है। समस्या एक प्रश्न है जिसका समाधान ढूँढ़ना होता है। कभी–कभी समस्याओं की पहचान करते समय शोधकर्ता उद्देश्य या लक्ष्य से भटक जाता है। वह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि वास्तव में उनकी समस्या क्या है? ऐसी परिस्थिति में शोधकर्त्ता को उन बिन्दुओं पर केन्द्रित रहना चाहिए जो शोध समस्या के लिये आवश्यक हो। इसी लिये शाधकर्ता शोध कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है । शोध समस्या के चयन के ठीक बाद शोध प्रारूप तैयार करते हैं, जो न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होती है । शोध प्रारूप एक योजना होती है, जो शोधकर्ता को उददेश्य के वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है । इसके अन्तर्गत शोध उद्देश्य, न्यादर्श चयन प्रकिया, प्रदत्तों के संकलन के लिये उपयोग किये जाने वाले उपकरण, उनके परीक्षण का तरीका तथा प्रदत्तों के सारणियन एवं विश्लेषण की प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता

है । इस प्रकार शोध प्रारूप के अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं में प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके तथा परिकल्पनाओं की पुष्टि हो सके ।

शोधकार्य में शोधकर्ता को समस्या के चयन से निष्कर्षों तक की क्रियाओं को पहचानना अत्यंत्र अवश्यक होता है । शोध–प्रविधि में शोध की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से नियोजन किया जाता है । शोध विधि में प्रकरण तथा प्रविधियों को दिया जाता है, जिससे समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढ़ंग से प्राप्त किया जा सके । शोध प्रक्रिया एवं प्रविधियों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ।

शोधविधि में समस्या सम्बन्धी सामान्य क्रियाओं को किया जाता है तथा सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की सहायता से परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है । उनकी पुष्टि के लिए प्रकरणों, परीक्षणों का चयन किया जाता है तथा प्रदत्तों का संकलन किया जाता है । अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन उक्त सभी विधियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है । प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर जिलों में किया गया है । अध्ययन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । अध्ययन में शोध अध्ययन के विभिन्न पदों का अनुसरण किया गया जिसके अंतर्गत शोध उद्देश्य, न्यादर्श, शोध उपकरण, शोध उपकरणों का प्रशासन प्रदत्तों का संकलन, उनका सारणीयन तथा उसके विश्लेषण के लिये प्रयुक्त सांख्यिकी प्राविधियां तथा अंत में प्राप्त निष्कर्ष एवं उसकी व्याख्या को दिया गया है ।

4.02.0 शोध का शीर्षक : प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक निम्नानुसार है –

''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन''

"A study of the impact of various intervensions for Universalisation of Elementary Education under Sarva Shiksha Abhhiyan "

4.03.0 शोध के चर : किसी भी शोध कार्य में चरों को विशेष महत्व दिया जाता है । शोध के अनुसार चरों की भूमिकायें बदलती रहती है । उद्देश्य एवं परिकल्पना चरों की भूमिकाओं को निर्धारित करते है । चर से तात्यपर्य बस्तु, घटना, चींज के गुणों से होता है, जिसे मापा जा सकता है । चरों द्वारा हम यह निर्णय लेते है कि समान परिस्थिति के विभिन्न न्यादर्श लेने पर एक ही निष्कर्ष प्राप्त हो सकेंगे तथा जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाये उनके अर्थ की विश्वसनीयता बनी रहे । प्रस्तुत शोध में स्वतंत्र चर के रूप में लिंग (पुरुष, महिला), क्षेत्र (शहरी, ग्रामीण), जिला, अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा आश्रित चर के अंर्तगत नामांकन, ठहराव, गुणात्तक शिक्षा, दृष्टिकोण आदि को लिया गया है ।

4.04.0 शोध समस्या की सीमाएं : किसी भी प्रकार के शोध में उसकी सीमाओं का निर्धारण करना शोधकर्ता के लिये बहुत आवश्यक है । क्योंकि यदि शोधकर्ता सीमाओं का निर्धारण नहीं करता तो शोध से प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने में कठिनाई आती है और पूरा अध्ययन कई स्थानों पर बिखरा–बिखरा दृष्टिगत होता है । सीमाओं का निर्धारण न होने पर शाधकर्ता को अध्ययन पर नियंत्रण स्थापित करने में परेशानी आती है । अतः शोधकार्य में आँकड़ों के संकलन करने के पूर्व शोधकर्ता को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शोधकार्य की सीमाओं का निर्धारण कर लेना आवश्यक है जिससे शोधकार्य में शोधकर्ता का पूरा नियंत्रण रहे तथा वह उसे सही दिशा प्रदान कर सके । इस शोध अध्ययन कार्य में भी शोधकर्ता ने शोध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी सीमाओं का निर्धारण किया है जो निम्नानुसार है –

- प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश 4 जिलों इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर तक सीमित रखा ।
- अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभैमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव जानने तक सीमित किया गया ।
- अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयो पर किया गया जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है ।
- अध्ययन में शासकीय विद्यालयों को ही शामिल किया गया ।

4.05.0 शोध न्यादर्श : किसी भी शोध कार्य में न्यादर्श का महत्वपूर्ण स्थान है । व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोधकार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। शोधकर्ता को सही दिशा तथा सार्थक बनाने के लिये न्यादर्श शोध कार्य का आधार होता है । यह आधार जितनी मजबूत होगा, शोध कार्य भी उतना सुदृढ़ होगा । आधुनिक युग में अधिकांश शोधकार्य में प्रतिचयन विधि या न्यादर्श रीति द्वारा किये जाते हैं । सांख्यिकीय विधि का विश्वास है कि किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से चुनी गई न्यादर्श इकाईयों में वे सभी विशेषताएं पायी जाती हैं, जो पूरी जनसंख्या में अन्तर्निहित होती है । हमारे अधिकांश निर्णय चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न हों, इसी तथ्य पर आधारित होते हैं । अतः यथेष्ठ इकाईयों का प्रतिदर्श चुनकर सम्पूर्ण क्षेत्र की विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है ।

किसी भी शोधकार्य में न्यादर्श का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्याकि किसी शोधकार्य में यह जानना अत्याधिक आवश्यक है कि किस प्रकार न्यादर्श की इकाइयों का जनसंख्या में से चयन किया जाय जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके । सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना कठिन होता है तथा कभी–कभी असम्भव भी होता है । न्यादर्श प्रविधि शोध कार्य को व्यावहारिक तथा समय, धन–शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बनाती है। इसलिये न्यादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाए कि वह जनसंख्या (समष्टि) का प्रतिनिधित्व करें वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रमपूर्ण होंगे। न्यादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए अगर आकार पर्याप्त नहीं होगा तो वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगा। न्यादर्श का आकार अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करता है। न्यादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध एवं मितव्ययी बनाया जाता है । शोधकार्य के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है । शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण वास्तव में न्यादर्श का आकार तथा उसकी प्रविधि पर निर्भर होता है । एक शुद्ध रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले न्यादर्श से शोध के सामान्यीकरण के बारे में अधिक से अधिक सूचनायें प्रस्तुत करता है ।

सामाजिक विषयों, व्यावहारिक विज्ञानों के शोधकार्यों एवं सांख्यिकीय विधियों के लिए न्यादर्श मूल आधार होता है । यदि न्यादर्श का चयन समुचित नहीं किया गया तब कोई सांख्यिकीय विधि परिणामों एवं निष्कर्षों को नहीं सुधार सकती है । वास्तव में न्यादर्श, शोध की प्रमुख प्रविधि है । शोधकर्त्ता को इसके ज्ञान तथा कौशल की जानकारी होनी चाहिए । न्यादर्श के चयन में ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है कि जनसंख्या से चयन की गई इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर सकें । प्रत्येक इकाई को न्यादर्श में सम्मिति होने का समान अवसर दिया जाय । सही न्यादर्श के चयन से समय एवं धन की बचत होती है, तथा अधिक सत्यता का ज्ञान होता हैं । प्रस्तुत शोध में निम्नानुसार न्यायदर्श लिया गया –

- द्वितीय आंकड़े के रूप में राज्य के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आकड़ों का उपयोग किया गया । इसके अलावा प्राथमिक आंकड़े के रुप में 4 जिलों के यादृच्छि विधि से चयनित विद्यालयों तथा वहॉ के प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों से उपकरण से जानकारी एकत्र की गई ।
- प्रत्येक जिले से 40–40 विद्यालयों का चयन जिसमे से 20 प्राथमिक एवं 20 उच्च प्राथमिक स्तर के थे का चयन यादृच्छि विधि से किया गया । सभी विद्यालय शासकीय थे । चयनित विद्यालयों में से 40 प्रतिशत शहरी तथा 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के थे ।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 15 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक विधिलय से 10 बच्चों का चयन किया गया जिसमे बालक एवं बालिका दोनों शामिल है ।
- संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई ।
- ग्रामशिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक, संकुल समन्वयक, बी.आर.सी.सी., जिला एवं राज्य स्तर के आकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों का साक्षात्कार आदि ।

अध्ययन में लिये गये न्यादर्श का विस्तृत विवरण एक दृष्टि में निम्नानुसार है –

जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार न्यादर्श

क्र.	न्यादर्श विवरण	प्रकार	जिले का नाम				
			इलाहाबाद	झांसी	सिद्धार्थ नगर	सीतापुर	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	शहरी	8	8	8	8	32
		ग्रामीण	12	12	12	12	48
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी	8	8	8	8	32
		ग्रामीण	12	12	12	12	48
3.	प्राथमिक विद्यालय	शहरी (बालक)	60	60	60	60	240
		शहरी (बालिका)	60	60	60	60	240
		ग्रामीण (बालक)	90	90	90	90	360
		ग्रामीण (बालिक)	90	90	90	90	360
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी (बालक)	40	40	40	40	160
		शहरी (बालिका)	40	40	40	40	160
		ग्रामीण (बालक)	60	60	60	60	240
		ग्रामीण (बालिक)	60	60	60	60	240
5.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	13	12	11	10	46
		शहरी (महिला)	11	12	13	14	50
6.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	18	22	25	23	88
		ग्रामीण (महिला)	18	14	11	13	56
7.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	12	11	10	11	44
		शहरी (महिला)	12	13	14	13	52
8.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	19	15	10	13	57
		ग्रामीण (महिला)	17	21	26	23	87
9.	प्रशासनिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	8	6	5	6	25
		पुरुष (ग्रामीण)	4	3	3	3	13
		महिला (शहरी)	4	3	2	3	12
		महिला(ग्रामीण)	1	1	1	1	4
10.	अकादमिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	10	9	9	10	38
		पुरुष (ग्रामीण)	8	8	6	8	30
		महिला (शहरी)	8	9	7	10	34
		महिला(ग्रामीण)	4	2	2	4	12
11.	ग्राम शिक्षा समिमि के सदस्य	पुरुष	23	21	19	21	84
		महिला	15	11	11	9	44
12.	अभिभावक	पुरुष	40	40	40	40	160
		महिला	20	20	20	20	80

4.06.0 प्रस्तुत शोध की विधि : प्रस्तुत शोध में चयनित जिलों से 40–40 विद्यालयों (20 प्राथमिक एवं 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय) का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। निर्धारित उपकरण के माध्यम से चिन्हित न्यादर्श के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई। इसके अलावा द्वितीय स्त्रोत से उपलब्ध जानकारी का भी संकलन किया गया। फिर इस जानकारी को उददेश्यवार सारणीकरण के उपरान्त सांख्यिकी विधियों से उददेश्यवार विश्लेषित कर परिकल्पनाओं का सत्यापन किया गया। अंत में परिणामों के आधार पर सुझाव तथा भावी शोध हेतु समस्यायें प्रस्तुत की गई।

4.07.0 शोध उपकरण : किसी शोध कार्य में प्रदत्तों को संकलित करने हेतु कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। सफल शोध के लिये उपयुक्त उपकरणों का चयन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी शोध कार्य में उपकरणों का विकास तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि एक मैकेनिक को इंजन या मशीन को ठीक करने के लिये उन्ही उपकरणों का उपयोग करना, जो मशीन को ठीक कर सके। एक शोधकर्ता को एक ऐसे वैज्ञानिक उपकरण या प्रक्रिया का चयन करना पड़ता है, जिसके आधार पर अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध हो सके, विश्वसनीय परीक्षण प्राप्त हो, परीक्षण वैध हो, वस्तुपरक परिणाम प्राप्त हो तथा अध्ययन में कम से कम खर्च लगे।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उपकरण ऐसा होना चाहिये जिसके द्वारा अध्ययन में विशेष सुविधा रहे। उत्तरदाताओं से मैत्री की भावना बनी रहे तथा अनुमति लेने में कठिनाई न हो तथा जिसकी प्रक्रिया बहुत कठिन व असुविधाजनक न हेा। इस शोधकार्य में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया है जिनका विवरण निम्नासार है –

(1). विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिये प्रश्नावली : इस प्रश्नावली के दो खण्ड है। खण्ड 'अ' और खण्ड 'ब'। खण्ड 'अ' में 45 प्रश्न है जो विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे कक्षा कक्ष, फर्नीचर, स्वच्छ पीने का पानी, शैाचालय, खेल का मैदान, चहार दिवारी, मैप, खेल की सामगी, पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम सामगी आदि के अलावा शिक्षको की उपलब्धता तथा विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओं के लिये राशि की उपलब्धता। उक्त सभी जानकारियों को वर्ष 2001 एवं वर्तमान स्थिति में लिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर

हॅा या नहीं में लिये गये है । खण्ड 'ब' में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में भैतिक संससाधनों, वित्तीय संसाधनों, मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, बच्चों के नामांकन, बच्चों की नियमितता, बच्चों के ठहराव, बच्चों की उपलब्धि स्तर, शिक्षक की नियमितता, शिक्षक की कार्य कुशलता, मानीटरिंग प्रणाली, अकादमिक सहयोग, समुदायिक सहयोग आदि में यदि कोई बदलाव आया है तथा उस बदलाव के क्या कारण है के बारे में विस्तार से जानकारी चाही गई है ।

(2). **विद्यालय शिक्षकों के लिये प्रश्नावली :** इस प्रश्नावली के दो खण्ड है। खण्ड 'अ' और खण्ड 'ब' । खण्ड 'अ' में 40 प्रशन है । इन प्रश्नों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों के लिये किये गये प्रयास से संबधित जानकारी सहमत एवं असहमत में चाहीं गई है । उक्त सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है । इसके अंतर्गत निम्नाकित प्रकार की जानकारी ली गई है –

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/ जा रहे हैं ।
- विद्यालय को प्रतिवर्ष मूल–भूत आवश्यकता हेतु रू. 2000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यालय की छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।
- विद्यालय को प्रतिवर्ष विद्यालय रख–रखाव मद में रू. 5000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा आनंददायी बना है ।
- प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।
- सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।
- शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है ।
- मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।

- मध्याह्न भोजन व्यवस्था से बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजते हैं ।
- शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
- कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।
- विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय के निर्माण से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ा है ।
- महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक विद्यालय में भेजने लगे है ।
- विद्यालय में हैण्ड पम्प की सुविधा हो जाने से बच्चों को स्वच्छ जल मिल रहा है तथा बच्चे पानी के बहाने घर को नहीं भागते ।
- विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।
- ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।
- विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।
- अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से प्रत्येक कक्षा के लिये एक कक्ष उपलब्ध हुआ है ।
- एन.पी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।
- शिक्षक एवं समुदाय के बीच के संबंध अच्छे हुये है ।
- मानीटरिंग व्यवस्था के कारण शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे है ।
- प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।
- विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।
- विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।
- बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।
- न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।
- शिक्षको की उपलब्धता से कक्षा 5 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है ।
- शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षकों के कार्य कौशल में बदलाव आने से बच्चों का ठहराव काफी बढ़ा है ।
- शिक्षण विद्या में बदलाव आने से बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम हुआ है।
- विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जा रहे है।
- प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।
- विद्यालय स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये किये गये प्रयास से उनकी विद्यालय में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है ।
- समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रक्षिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चों का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।
- न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों से शिक्षण कार्य में आने वाली बाधाओं का समाधान हो जाता है ।
- समुदायिक सहभागिता से विद्यालय के शिक्षण कार्य में प्रगति हुई है ।

खण्ड 'ब' में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में भैतिक संससाधनों, वित्तीय संसाधनों, मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, बच्चों के नामांकन, बच्चों की नियमितता, बच्चों के ठहराव, बच्चों की उपलब्धि स्तर, शिक्षक की नियमितता, शिक्षक की कार्य कुशलता, मानीटरिंग प्रणाली, अकादमिक सहयोग, समुदायिक सहयोग आदि में यदि कोई बदलाव आया है के बारे में विस्तार से जानकारी चाही गई है ।

(3).सर्वशिक्षा अभियान के प्रति प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन मापनी: इस प्रश्नावली में 30 प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है । इसमें पूर्ण सहमत पर 4 अंक, सहमत पर 3, अनिश्चित पर 2 , असहमत पर 1 तथा पूर्ण असहमत पर 0 अंक का अधिभार निर्धारित किया गया । इस अभिवृत्ति मापनी में न्यूनतम स्कोर 0,(30×0 = 0), अधिकतम स्कोर 120, (30 × 4 = 120) तथा औसतन स्कोर 60, (30 × 2 = 6 0) है ।

(4). प्रशासनिक/अकादमिक अधिकारियों के लिये प्रश्नावली : इस प्रश्नावली के दो खण्ड है। खण्ड 'अ' और खण्ड 'ब' । खण्ड 'अ' में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किये गये प्रयास से संबधित जानकारी सहमत एवं असहमत में चाहीं गई है । उक्त सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है । इसके अंतर्गत निम्नाकित प्रकार की जानकारी ली गई है –

- निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- सभी विद्यालयों में पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने से बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।
- विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे है।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।
- बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है जिससे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ी है।

- समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।
- नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी है/जा रही है जिससे बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
- पर्यवेक्षण से शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है
- शिक्षक की फील्ड सम्बंधी कठिनाइयों को उच्च स्तरीय कार्यालय द्वारा दूर किया जाता है ।
- शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये है ।
- शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते है ।
- सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रुचिकर हुआ है ।
- शिक्षक विद्यालय के सभी अभिलेखों का व्यवस्थित रखते है ।
- बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ।
- बच्चों की औसतन उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।
- कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।
- लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है ।
- औसतन उपस्थिति में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।
- लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।
- लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।
- शिक्षक बच्चों में जाति एवं लिंग के अनुसार किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं करते है ।
- विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं पर शिक्षक/प्रधानाध्यापक चर्चा करके निकलवाते है ।

- शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करते है
- प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के बीच अच्छे सामाजिक संबंध विकसित हुये है ।
- वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।
- विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है ।
- ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।
- पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित है जिससे बच्चे उनके पढ़ने में रुचि लेते है।
- पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।
- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।
- विभिन्न प्रशिक्षण के कारण शिक्षक / प्रधानाध्यापक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।
- विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है जिससे विद्यालय के परिवेश सुन्दर होने के साथ शिक्षण कार्य गुणवत्ता युक्त हुआ है।
- सभी स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है ।
- विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्नता स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।
- विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है
- विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।
- वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से बच्चें का नामांकन बढ़ा है ।
- नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चें को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।
- प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।

खण्ड 'ब' में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में भैतिक संससाधनों, वित्तीय संसाधनों, मानवीय संसाधनों की उपलब्धता, बच्चों के नामांकन, बच्चों की नियमितता, बच्चों के ठहराव, बच्चों की उपलब्धि स्तर, शिक्षक की नियमितता, शिक्षक की कार्य कुशलता, मानीटरिंग प्रणाली, अकादमिक सहयोग, समुदायिक सहयोग आदि में यदि कोई प्रगति हुई है के बारे में विस्तार से जानकारी चाही गई है ।

(5). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक / अकादमिक अधिकारियों के दृष्टिकोण का अध्ययन : इस प्रश्नावली में 30 प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है । इसमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्ण असहमत में से किसी एक पर सही का चिन्ह लगााकर देना है । इसमें पूर्ण सहमत पर 4 अंक, सहमत पर 3, अनिश्चित पर 2 , असहमत पर 1 तथा पूर्ण असहमत पर 0 अंक का अधिभार निर्धारित किया गया । इस अभिवृत्ति मापनी में न्यूनतम स्कोर 0, ($30 \times 0 = 0$), अधिकतम स्कोर 120, ($30 \times 4 = 120$) तथा औसतन स्कोर 60, ($30 \times 2 = 60$) है ।

(6). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण का अध्ययन : इस प्रश्नावली के दो खण्ड है। खण्ड 'अ' और खण्ड 'ब' । खण्ड 'अ' में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के दृष्टिकोण तथा खण्ड 'ब' में सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत गॉव में हुई प्रगति के संबंध में जानकारी चाही गई है । खण्ड 'अ' में 25 प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है । प्रश्नों के उत्तर सहमत, अनिश्चित तथा असहमत में से किसी एक पर सही का निशान लगााकर देना है । इसमें सहमत पर 2, अनिश्चित पर 1 , असहमत पर 0 अंक का अधिभार निर्धारित किया गया । इस अभिवृत्ति मापनी में न्यूनतम स्कोर 0, ($25 \times 0 = 0$), अधिकतम स्कोर 50, ($25 \times 2 = 50$) तथा औसतन स्कोर 25, ($25 \times 1 = 25$) है । खण्ड 'ब में विगत कुछ वर्षो में शिक्षा के संबंध मे आये बदलाव तथा उसके कारणों पर जानकारी चाही गई है ।

(7). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन : इस प्रश्नावली के दो खण्ड है। खण्ड 'अ' और खण्ड 'ब' । खण्ड 'अ' में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण तथा खण्ड 'ब' में सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत गॉव में हुई प्रगति के संबंध में जानकारी चाही गई है । खण्ड 'अ' के सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के

है । इसमें सहमत पर 2, अनिश्चित पर 1, असहमत पर 0 अंक का अधिभार निर्धारित किया गया । इस अभिवृत्ति मापनी में न्यूनतम स्कोर 0, (25 × 0 = 0), अधिकतम स्कोर 50, (25 × 2 = 50) तथा औसतन स्कोर 25, (25 × 1 = 25) है । खण्ड 'ब' सें गॉव की शिक्षा से संबंधित जानकारी को संकलित किया गया है ।

(8). **विद्यालय जानकारी संकलन प्रपत्र** : बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि, उपस्थित आदि जानने के लिए विद्यालयजानकारी संकलन प्रपत्र का उपयोग किया गया ।

4.08.0 शोध उपकरणों का प्रशासन एवं फलांकन : शोध उपकरणों का प्रशासन अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसके माध्यम से ही प्राप्त जानकारी के माध्यम से उद्देश्यवार परिकल्पनाओं की सत्यता की जांच की जाती है । अतः उपकरणों के प्रशासन में उददेश्य ध्यान में रखते हुए सही न्यादर्श लेना चाहिये, जिससे वास्तविक परिणाम प्राप्त किये जा सके तथा वह पूरे समष्टि का प्रतिनिधित्व करे । अधिकांश शैक्षिक शोधों में प्रदत्तों का संकलन या तो प्रमाणिक परीक्षणों के द्वारा या स्वयं निर्मित शोध उपकरणों द्वारा किया जाता है । इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रदत्त प्राप्त हो जाते है, जिसके द्वारा एक अध्ययन में सही परिणाम तक पहुँचा जा सके । शोध उपकरणों के प्रशासन से पहले शोधकर्ता ने अपना परिचय तथा अपने आने के उद्देश्य को बताया । प्रारम्भ में 10–20 मिनट सामान्य चर्चा की । बाद में परीक्षण से सम्बन्धित कुछ सामान्य चर्चा की एवं परीक्षण से संबंधित जानकारी दी गई । उन्हे यह भी बताया गया कि प्रदत्त जानकारी का उपयोग केवल शोध कार्य में ही किया जाएगा । प्रदत्त जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा । समय–सीमा का कोई खास बंधन नहीं है । ग्राम शिक्षा समिति एवं अभिभावकों से जानकारी पूंछ कर स्वयं में भरना पड़ा । परीक्षण समाप्ति पर उपकरण को वापस करने के लिए कहा गया । शोधकर्ता द्वारा उपकरणों के प्रशासन करते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा गया, जो निम्नलिखित है –

- सभी से सामान्य वातावरण में बैठकर जानकारी एकत्र की गई ।
- प्रारम्भिक जानकारियों को यथा स्थान पर पूर्ती कराया गया ।
- निर्देशों के समझ में न आने पर पुनः समझाया गया ।
- शोधकर्ता द्वारा निर्देशों को स्पष्ट रूप से बताया गया ।

मापनी के प्रशासन के लिए प्रत्येक विद्यालय से विद्याथियों (बालक एवं बालिका) का यादिृच्छिक विधि से चयन किया गया । विद्यालयों में विद्यार्थियों के संबंध में उपलब्ध जानकारी का विद्यालय के रजिस्टर से प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की गई ।

न्यादर्श में सम्मिलित सभी इकाइयों पर शोध उपकरण के प्रशासन के द्वारा उत्तर प्राप्त कर लिए गए । इसके पश्चात् इन उत्तर परीक्षण के विभिन्न कारकों के अलग–अलग प्राप्तांक प्राप्त किये गए । इसके अतिरिक्त चर के आधार पर जानकारी संकलन के पश्चात उसको सारणीकृत किया गया ।

4.9.0 प्रदत्तों का सारणीयन : प्रदत्तों के संकलन के बाद उसका सरणियन उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है । सारणीयन, प्रदत्तों को क्रमबद्ध, स्पष्ट, संक्षिप्त व बोधगम्य क्रम प्रदान करता है, ताकि उसके सांख्यिकीय विश्लेषण व विवेचन में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध हो सके। सारणीयन विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तरों की संख्याओं के प्रकारों को उनके उपयुक्त संवर्गों में अभिलेखित किये जाने को ही कहते हैं । संवर्गीकृत सामग्री के सारणीयन के पश्चात ही सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है । सारणीयन में आंकड़ों को स्तम्भों तथा पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि शोध अध्ययन की समस्या में उठाये गये प्रश्नों के समुचित उत्तर उपलब्ध हो सकें ।

शोधकार्य केवल तथ्यों को संकलित करने तक की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ तो तब ही होता है, जबकि हम तथ्यों को संग्रह कर चुके होते हैं तथा उन आँकड़ों को प्रदर्शन योग्य बनाने के लिए उनका सारणियन करते हैं । प्रारम्भिक संकलित तथ्यों का रूप बड़ा ही विस्तृत व उलझा हुआ होता है, वर्गीकरण अर्थात् मूल या प्रारम्भिक सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गो में प्रस्तुतीकरण किये बिना न तो विश्लेषण ही सम्भव है और न ही कोई वैज्ञानिक शोधकर्ता निश्चित निष्कर्ष ही ज्ञात कर सकता है । वर्गीकरण प्रक्रिया, संकलित सामग्री या प्रदत्तों को व्यवस्थित व संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें समान व असमान लक्षणों से युक्त सामग्री को पृथक–पृथक करके विभिन्न संवर्गों में रखा जाता है । इस प्रक्रिया को शोध में उपयोग करने से, विश्लेषण, परिणामों व निष्कर्षों

के सामान्यीकरण की क्रिया में सरलता के साथ वैज्ञानिकता के गुण का भी समावेश हो जाता है । शोध अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न हस्ताक्षेपों को आवश्यकतानुसार लिंग, जिले, विद्यालय की स्थिति (शहरी/ग्रामीण) के आधार पर सारणीयन किया गया ।

4.10.0 प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनाईयां : एक शोधकर्ता को यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि कितना और किस प्रकार के प्रदत्तो का संकलन किस सीमा पर और कब किया जाये । अनुसंधानकर्ता को इस बात का भी ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है, कि किस प्रकार के प्रदत्तों के संकलन के लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाय जिससे सही–सही न्यादर्श प्राप्त हो सके । प्रदत्तों के संकलन में निम्नांकित कठिनाईयां आई–

- द्वितीयक स्त्राोत से जानकारी प्राप्त करने के लिये कई बार विभिन्न कार्यालयों में सम्पर्क करना पड़ा ।
- विभिन्न स्तरों से आंकड़ों के संकलन करने के कारण अधिक समय लगा ।
- अधिकतर अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के निरक्षर होने के कारण उनसे जानकारी एकत्र करने में अधिक समय लगा ।
- कुछ प्रधानाध्यापक जानकारी देने में इधर–उधर कर रहे थे, इसलिये उन्हें लगातार समझाकर जानकारी प्राप्त करने में अधिक समय लगा ।
- जब अभिभावकों के बीच जाकर जानकारी एकत्र की गई तो वे जानकारी देने के बजाय अपनी समस्यायें बताने लगे ।
- यह जानकारी किस लिए ली जा रही है के बारे में समझाने में काफी समय लगा ।
- कुछ जगह एक साथ कई सदस्यों के आ जाने से भी जानकारी लेने में असुविधा हुई ।
- प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों से जानकारी लेने तथा उन्हे वास्तविकता को बताने में काफी समय लगा ।

4.12.0 प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियां : प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के के इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर जिलो से 160 (80 प्राथमिक एवं 80 उच्च प्राथमिक अर्थात प्रत्येक जिले से 40 विद्यालय) विद्यालयों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 15 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय से 10 बच्चों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । शोध में उपयोग में किये जाने वाले उपकरणों की सहायता से जानकारी एकत्र की । इसके अलावा उनके अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों से संबंधी जानकारी एकत्रित की गई । विद्यालय पंजी के द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थित एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर उनका शैक्षिक स्तर का पता लगाया । शोध समस्या से संबंधित संकलित प्रदत्तों के सारणीयन करने के उपरान्त, उदद्देश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापन कर उनसे उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है । प्रस्तुत अध्ययन में "प्रतिशत", "माध्य", "प्रमाप विचलन","प्रसरण विश्लेषण" ('F' परीक्षण) सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है ।

अध्याय पंचम

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

5.1.0 प्रस्तावना: प्रत्येक शोधकार्य में शोधकर्ता उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये उपकरणों का प्रयोग करके सूचनायें एकत्र करता है । एकत्रित सूचनाओं को सुव्यवस्थित व उपयुक्त प्रारुप में प्रदर्शित करने से शोधकर्ता को अपने शोधकार्य के उददेश्यों की प्राप्ति तो होती है, उसे परिकल्पनाओं के सत्यापन में भी सहायता प्राप्त होती है । अतः प्रदत्तों का विश्लेषण, सारणीयन व निर्वचन शोधकार्य का महत्वपूर्ण चरण है । इससे प्रदत्तों को सार्थक बनाया जाता है । शोधकार्य में सामग्री के संकलन के बाद उसके व्यवस्थिति विश्लेषण–सम्पादन, गुण–स्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । तथ्यों या सामग्री का मात्र संकलन करना शोधकार्य में कोई महत्व नहीं रखता है, जब तक कि उनका क्रमबद्ध एवं तार्किक कार्य–कारण सम्बन्धों के अनुसार विश्लेषण एवं सामान्यीकरण नहीं किया जाता है । अर्थात शोधकार्य में आंकड़ों के संकलन, सारणीयन के पश्चात सामग्री का विश्लेषण अति महत्वपूर्ण कार्य है । सामग्री के विश्लेषण के आधार पर उसकी व्याख्या करना तथा उससे निष्कर्ष निकालना शोध कार्य का अंतिम चरण है । सामग्री के विश्लेषण से शोध के प्रारम्भ में प्रतिपादित प्रश्नों या परिकल्पनाओं के उत्तर दिये जाते है । प्रस्तुत अध्याय में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये संचालित सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है ।

प्रथम अध्याय में शोध का औचित्य, उद्देश्य एवं परिकल्पना सहित दिये गये हैं । अध्याय द्वितीय में अध्ययन के लिये चयनित जिलों की शैक्षिक प्रगति तथा अध्याय तीन में शोध से संबंधित साहित्य का अध्यन दिया गया है । शोध प्रविधि का वर्णन अध्याय चार में किया गया है । इसी अध्याय में प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाई गई सांख्यिकी विधियों का भी उल्लेख किया गया है । वर्तमान अध्याय (अध्याय पॉच) में प्रदत्तों के विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त परिणामों की उद्देश्यवार व्याख्या निम्न विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की गई है –

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना ।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
7. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।
8. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
9. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना ।

5.02.0 उददेश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापनः किसी शोध समस्या के चयन के उपरान्त उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है । शोध उद्देश्य के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्धारण किया जाता है । परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिये चयनित न्यादर्श के संकलन के पश्चात उनका सारणीयन करते है, तदोपरान्त विभिन्न सांख्यिकी विधियों की सहायता से परिकल्पनाओं का सत्यापन करते है । शोध अध्ययन में लिए गये उद्देश्य के आधार पर परिकल्पनाओं का सत्यापन निम्नानुसार किया गया है –

5.02.1 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना :

इस शोधकार्य का प्रथम उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना है । सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 1 से 8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । योजना सही रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करे इसके लिये विभिन्न रणनीतियां निर्धारित की गई । इन रणनीतियों के सापेक्ष विभिन्न हस्तक्षेप लगाये गये । ये हस्तक्षेप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगाये गये हैं । ये हस्ताक्षेप शिक्षा की आवश्यकता पर आधारित हैं । इन हस्तक्षेपों के लियें सभी जिले अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष कार्य योजना प्रस्तुत करते है जो प्रत्येक बसाहट की आवश्यक शैक्षिक सुविधा पर आधारित होती है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु लगाये गये प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार है –

1. उपागम विस्तार : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतिया निर्धारित की गई है –

- मैदानी क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी पर 300 की आबादी वाली असेवित बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ।
- 800 की आबादी वाली असेवित बस्तियों में 3 किलोमीटर की परिधि में नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
- कक्षा 1 तथा 2 में 30 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में (1 कि.मी. दूरी पर प्राथमिक विद्यालय न होने पर) शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत विद्या केन्द्र की स्थापना ।
- औपचारिक विद्यालयों से बाहर वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा का मॉडल निर्धारित किया गया ।

उपरोक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार खोले गये है और वर्तमान में खोले जा रहे है । जिन बस्तियों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय

खोला जाना संभव नहीं है वहाँ वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के लिये शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक नवाचार केन्द्र तथा आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किये गये हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिये वैकल्पिक नवाचार केन्द्र संचालित किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश के शत प्रतिशत बस्तियों को औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से सेवित किया जा चुका है ।

2. धारण प्रोत्साहन : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गई है –

- **परियोजना के नियोजन, कियान्वयन और प्रबंधन के सभी पहलुओं में समुदाय की सकिय सहभागिता प्राप्त करना तथा कार्यकम के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देना :** इसके अंतर्गत ग्राम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं के आंकलन से लेकर आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं की मांग समुदाय के माध्यम से की गई है । ग्राम स्तर पर उपलब्ध शैक्षिक सुविधा एवं आवश्यक शैक्षिक सुविधा के लिये ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया गया । ग्राम स्तरीय योजना सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तैयार की गई है । ग्राम स्तरीय योजना के आधार पर कमशः न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, विकास खण्ड के संसाधन केन्द्र फिर अंत में जिले की कार्य योजना तैयार की गई ।

- **प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के नियमित पुर्ननिर्माण/अनुरक्षण सुनिश्चित करना :** इसके अन्तर्गत बहुत समय पूर्व निर्मित भवन जो पूरी तरह के जर्जर हो गये है तथा जो बच्चों के बैठने के लायक नहीं हैं या बाढ़ आदि के कारण जर्जर हो गये है, ऐसे भवनों के पुर्ननिर्माण की व्यवस्था की गई । आंशिक या छोटे–छोट मरम्मत योग्य भवनों के लिये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय) रू0 4000/– या 7500/– (तीन कमरों से कम वाले विद्यालय के लिये रु. 4000/– प्रति विद्यालय तथा तीन कमरों से अधिक वाले विद्यालय के लिये रु. 7500/– प्रति विद्यालय) की विद्यालय अनुरक्षण राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि विद्यालय के छोटे–छोटे मरम्मत करा कर उसकी पुताई आदि कर के विद्यालय को आकर्षक बनाया जा सके ।

- **अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण :** प्रत्येक विद्यालय में कक्ष–छात्र अनुपात 1:40 को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा–कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर आवश्यक कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये जा रहे है । प्रत्येक कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिये 70 हजार की राशि निर्धारित की गई है । यह राशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है । जिनके माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का निर्माण किया जाता है ।

- **अतिरिक्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 1:40 के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की उपलब्धता :** शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।

- **समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल और शैचालय सुविधा प्रदाना करना :** प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड़को एवं लड़कियो के लिये अलग–अलग शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

- **विद्यालय तैयारी के लिए 3–6 वय वर्ग के बच्चों को तैयार करने और बड़ी बालिकाओं को सगे भाई बहनों की देख–रेख की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए प्रारभिक बाल देख–रेख और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :** उसे 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है वहाँ पर शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये है । इनके संचालक का उद्देश्य जहाँ एक ओर 3–6 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार करना है वही दूसरी ओर छोटे बच्चों को शिशु शिक्षा केन्द्र भेजकर इन बच्चों की देखभाल करने वाले भाई बहनों को विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु भेजना है ।

- **शत प्रतिशत बालिकाओं की उपस्थित सुनिश्चित करना :** घरेलू काम काज जैसे भोजन पकाने का काम, छोटे भाई–बहिनों की देखभाल में मदद करना । असुरक्षा की भावना के कारण विद्यालय न भेजना । महत्वपूर्ण त्यौहारों के समय बालिकाओं को विद्यालय न भेजना आदि के कारण कुछ बालिकायें या तो बिल्कुल ही विद्यालय नहीं जा पाई और कुछ जाती भी है तो वे विभिन्न कार्यों के चलते नियमित विद्यालय नहीं जा पाती है । बालिकाओं को बालको के समान समानता दिलाने के लिये निम्नानुसार प्रयास किये गयें है ।

  - **ग्रीष्म कालीन शिविर :** सामान्य तौर पर परीक्षा सत्र मार्च–अप्रैल होता है । इस समय खरीफ की फसल की कटाई चलती है । कृषक एवं मजदूर इस समय फसल काटने के लिये सपरिवार अपने खेतों में लग जाते हैं अथवा मजदूरी के लिये अन्यत्र चले हैं । इस समय बालिकायें अपने अभिभावकों का सहयोग करती है अथवा छोटे भाई–बहनों की देखरेख में लगी रहती है । अतः ऐसी बालिकाओं के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये ग्रीष्मकालीन ब्रिजकोर्स चलाये जाते हैं ।

  - **कार्यानुभव :** रोजगारपरक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं को विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा से जोड़ा गया है । इसके अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में जूट का कार्य, ग्रीटिंग बनाना, कुटीर उद्योग से संबंधित, सिलाई–कढ़ाई आदि कार्य कराये जाते हैं । इस कार्य को सिखाने के लिये विद्यालय में एक अलग से अनुदेश नियुक्ति किया जाता है ।

  - **मीना मंच :** बालिकाओं में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास एवं सामाजिक जागरूकता हेतु चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव, नामांकन एवं अन्य प्रकार की अनेक समस्याओं के निदान पर विचार विमर्श किया जाता है । मीना मंच को सामग्री कय एवं खाता संचालन हेतु राशि दी जाती हैं । मीना मंच को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका को सुगमकर्ता के रूप में नामित किया गया है । मीना मंच हेतु अतिरिक्त कक्ष दिये जाने का प्राविधान किया गया है ।

बालिकाओं में तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु विद्यालयें में कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया । जिसके माध्यम से बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जायेगी ।

- **मांडल कलस्टर डेवलेममेंट एप्रोच (एस.सी.डी.ए.):** न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्डों के चिन्हित न्याय पंचायतों में कार्यक्रम का संचालन किया जाता है । उक्त न्याय पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु माँ–बेटी मेलों, मीना कैंपेन, पी.एल.ए./पी.आर.ए. आदि का आयेाजन किया जा रहा है । ऐसे मजरों में जहाँ स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है महिला प्रेरक समूह, एम.टी.ए./पी.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण कराया गया है, जिससे बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन कराया जा सके।

- **एन.पी.ई.जी.ई.एल. :** कक्षा 1 से 8 की शिक्षा सुविधा वंचित लड़कियों के लिये एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियाान कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है । यह कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में संचालित किया गया है । शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड का तात्पर्य ऐसे विकास खण्ड से है जहाँ की ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है तथा जेण्डर गैप राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है । बालिका शिक्षा को समुदाय, शिक्षक, अशासकीय सदस्य आदि के माध्यम से गतिशील करना है । यह प्रकिया आधारिक कार्यक्रम है जिनमें सामुदायिक दायित्व और स्थानीय सहयोग मुख्य रूप से समग्र कार्यक्रम में सम्मिलित है । पुनर्निरीक्षण, बालिका शिक्षा के विकास में मार्गदर्शन के लिये जेण्डर संबंधी पूरक अध्ययन सामग्री जिसमें जीवन कौशल जुड़े हो की सामग्री का निर्माण किया गया है ।

- **समेकित शिक्षा की व्यवस्था** (शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना) : समाज में लगभग 10 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो किसी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगाात्मक कमी के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से छूट जाते हैं जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतः सर्व शिक्षा के अन्तर्गत इन विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों को

विद्यालय में लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष योजना बनाई गयी है । जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाले तथा विद्यालयों से बाहर रहने वाले 6 से 18 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कराते हुए मेडिकल एसिसमेंट कैम्प, उपकरण एवं उपस्कर का वितरण, विकलांगता प्रमाण–पत्रों का वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है । विकलांग बच्चों की शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगता की निम्न 5 श्रेणियों (दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता, विकलांगता जन्य क्षीणता, अधिगम अक्षमता, मासिक अक्षमता) पर विचार किया गया है ।

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा विद्यालयों में किया जाता है । बच्चों के रोगों का चिन्हांकन कर निदान हेतु परामर्श दिया जाता है । मेडिकल ऐसेसमेंट कैम्प में बच्चों का परीक्षण किया जाता है । अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिये विद्यालय में भवन निर्माण में आवश्यक ढ़लान या रैम्प का निर्माण कराया जाता है जिसमें बच्चें बिना किसी कठिनाई के विद्यालय भवन में पहुँच सके । विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय के समस्त अध्यापकों को प्रतिवर्ष विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । सर्व शिक्षा कार्यक्रम में इन बच्चों को शैक्षिक सुविधा हेतु रूपये 1200/– की राशि प्रति बच्चे की दर से प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है ।

- **विद्यालयों, प्रारम्भिक बाल देख–रेख एवं शिक्षा केन्द्रों और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विकास और अनुरक्षण के लिये प्रबंध शक्तियों के साथ ग्राम शिक्षा समितियों को अधिकार सम्पन्न कियाशील बनाना :** प्रारम्भिक शिक्षा की सम्पूर्ण देख–रेख का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को दिया जाता है । ये समितियां विद्यालय स्थापना, उनका प्रबंधन, नियत्रण करती है ।

- **संकुल संसाधन केन्द्रों, ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय के कार्यो के निष्पादन के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए नियमित अकादमिक सहायता सुनिश्चित कराना :** बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्थापना के पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पठन–पाठन की देख–रेख एवं प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन की अपेक्षा जिला स्तरीय संस्थानों से की जाती थी ।

बढ़ती जनसंख्या के सापेक्ष बढ़ रहे विद्यालयों तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में पठन–पाठन के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसमर्थन का सर्वथा आभाव पाया गया । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार हेतु "उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा" के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर "न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र", विकासखण्ड संसाधन केन्द्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शन में क्रियाशील किये गये हैं । इनके गठन की संकल्पना यह है कि ये विद्यालय स्तर पर बच्चों तथा शिक्षकों को सपोर्ट एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ये केन्द्र समस्त शैक्षिक गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बच्चों की प्रतियोगिताओं तथा सह–शैक्षिक क्रियाकलापों की कार्यवाही इकाई के रूप में कार्य करेंगे ।

प्रत्येक संकुल एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर समन्वयकों के पद सृजित किये गये हैं । वर्तमान में प्रदेश में 9832 अकादमिक पद सृजित किये गये हैं । इनके यात्रा, आकस्मिक व्यय, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण आदि के लिये विभिन्न मद में अलग–अलग राशि उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में नगरीय शैक्षिक संसाधन केन्द्रों की स्थान कर उक्तानुसार दायित्व सौपें गये हैं ।

- **नवाचार शिक्षा** : विद्यालय में नवाचार के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में जोड़ने के लिये बालिका शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, ई.सी.सी.ई. एवं अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षा मद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू. 50 लाख की राशि प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराई जाती है । इस राशि का उपयोग जिले विभिन्न गतिविधियों में करके बच्चों की विद्यालय में नियमितता सुनिश्चित करते हैं ।

- **अध्यापकों की उपलब्धता** : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक । प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक । उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

- **मुफ्त पाठ्य पुस्तकें** : सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें । प्राथमिक

स्तर पर जिनकी लागत रू. 50/– प्रति बच्चा है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर रू. 150 प्रति बच्चा तय की गयी है ।

3. **गुणवत्ता संवर्द्धन :** इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं –

- **बाल केन्द्रित तथा किया आधारित अधिगम को प्रोत्साहन और शिक्षक और छात्र के बीच द्विमार्गीय अन्तःकिया की सुविधा देने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का पुनरीक्षण एवं संशोधन :** पाठ्य पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये पुस्तकों में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । पुस्तकों में अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये हैं । पुस्तकें बच्चों के स्वअधिगम को ध्यान में रखते हुये तैयार की गई है । पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार बदलाव किया गया है । जिसमें बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को व्यावहारिक बनाया जा सके । निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के साथ विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण को शिक्षण अधिगम प्रकिया के अंग के रूप में अपनाया गया है । इसके अतिरिक्त कक्षा 1 और 2 में अध्ययनरत बच्चों को कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती है ताकी उन्हे अभ्यास के पर्याप्त अवसर मिल सके ।

- **सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के गुणवत्ता का संवर्द्धन करना :** सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष 20 दिन के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे अग्रेंजी प्रशिक्षण, कलस्टर प्रशिक्षण, समेकित प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण है । इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षामित्रों को सेवा पूर्व 30 दिवसीय कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु पर प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- **शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं तथा हस्त पुस्तिकाओं का विकास :** प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक विषय की पुस्तकों पर आधारित शिक्षकों के लिये शिक्षण संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है । जिसमें पाठ्यवस्तु के प्रस्तुत करने की

विषयवस्तु योजनाबद्ध क्रम में दर्शायी गयी है । इस सामग्री में जहाँ पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण तरीका दिया गया है, वहीं बच्चों का मूल्यांकन आदि कैसे करें को विस्तार से दिया गया है ।

- **स्थानीय पर्यावरण में उपलब्ध परिचित सामग्रियों से नवाचारात्मक रोचक तथा शिक्षण अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए शिक्षकों का उत्साहवर्द्धन करना:** कक्षा में शिक्षण प्रकिया को गतिविधि आधारित, बाल केन्द्रित एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये जहाँ एक ओर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है वही प्रति शिक्षक को प्रतिवर्ष रू. 500/- की राशि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है । इस राशि के उपलब्ध कराने का उद्देश्य शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री या अन्य सामग्री का उपयोग कर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग करना है । साथ ही नवाचारात्मक, शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देना, ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि जागे ।

- **शोध, अनुश्रवण और मूल्यांकन :** विद्यालयों के अनुश्रवण बच्चों के मूल्यांकन तथा विभिन्न स्तर पर शोध आदि कार्य हेतु प्रति विद्यालय के अनुसार प्रति वर्ष रू. 1400/- की राशि उपलब्ध कराई जाती है । राशि का उपयोग विभिन्न स्तर से मूल्यांकन, मांनीटरिंग एवं शोध कार्य में किया जाता है ।

4. क्षमता संवर्द्धन : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित की गयी हैं –

- **राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) की स्थापना :** शैक्षिक प्रबंधकों के लिये शैक्षिक आंकड़ो के विश्लेषण, अभिलेखीकरण, प्रचार–प्रसार, सांस्थानिक क्षमता का संवर्द्धन आदि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है । इसमें 5 विभाग तथा 3 सहयोगी विभाग है । विभागों में योजना एवं नीति नियोजन, शोध मूल्यांकन एवं नवाचार, प्रबंधन, शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विभाग तथा सहयोगी विभाग में कम्प्यूटर, प्रशिक्षण तथा पुस्तकालय है । इसके प्रारम्भ में स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया । वर्तमान में राज्य सरकार के

सहयोग से संचालित है । वर्तमान में संस्थान जहाँ एक ओर शैक्षिक प्रबंधको का विभिन्न प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करता है । वही दूसरी ओर शासन को विभिन्न नीतिगत निर्णय में सहयोग प्रदान करता है । प्रदेश स्तर की शैक्षिक कार्य योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । प्रारंम्भिक शिक्षा संबंधित विभिन्न शोध कार्य किये जाते है ।

- **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) की संस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण :** राज्य स्तर पर अकादमिक सहयोग प्रदान करने करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापित है । ये शिक्षक प्रशिक्षण, नूतन पाठ्यक्रम विकास पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, मूल्यांकन प्रणाली तथा विभिन्न अध्ययन कार्य में सहयोग प्रदान करता है । विभिन्न परियोजना के माध्यम से संस्थान को जहाँ वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है, वहीं अतिरिक्त भौतिक संसाधन के साथ वहां कार्यरत स्टाफ का क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

- विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का प्रति वर्ष क्षमता संवर्द्धन किया जाता है ।

- सामुदायिक को गतिशील बनाने, विद्यालय प्रबन्धन और समुदाय प्रबंधित विद्यालय के निर्माण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण और परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को कियाशील करने हेतु प्रति वर्ष उन्हे प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को सुदृढ़ करने के साथ क्षमता संवर्द्धन करना :** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जहॉ एक और भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है वही वहॉ के स्टाफ के क्षमता संवर्द्धन हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण आदि आयोजित किये गये है ताकि वे अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सके । इसके लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों को शोध कार्य, कियात्मक शोध, संस्थागत प्रबंधन एवं कार्ययोजना आदि के क्षेत्र में क्षमता संवर्द्धन किया गया है ।

5. नियोजन, शोध एवं मूल्यांकन : इसके अन्तर्गत निम्नानुसार रणनीतियाँ निर्धारित हैं –

- **विकेन्द्रित नियोजन प्रकिया :** प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकेन्दीकृत नियोजन की प्रकिया अपनाया गया है । इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर से समुदाय के सहयोग से शिक्षा की आवश्यकता का आंकलन कर गाँववार शिक्षा की कार्य योजना का निर्माण किया गया है । इसके बाद कमशः विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर इन सूचनाओं का संकलन कर उसका विश्लेषण कर जिले की कार्ययोजन का निर्माण किया जाता है । यह योजना पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है ।

- **नियोजन/कियान्वयन में शोध निवेश :** विभिन्न रणनीतियों के कियान्वयन की प्रगति को जानने के लिये समय–समय पर विभिन्न शोध कार्य आयोजित किये जाते हैं । शोध कार्य से प्राप्त परिणामों के आधार पर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति का आंकलन कर कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ।

- **कार्यकम संगठनों का मूल्यांकन** : इसके अन्तर्गत सबके लिये शिक्षा हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रगति जानने के लिए समय–समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है ।

6. **पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन :** प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यकम के अनुश्रवण के लिये त्रैमासिक परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा विद्यालय आंकड़ो के संग्रह, संचयन और विश्लेषण के लिये वार्षिक शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है ।

उपरोक्त लगाई गई रणनीतियों से प्राप्त हो रहे परिणाम का समय–समय पर मूल्यांकन कर पता करते है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं कि नहीं । यदि लक्ष्य संतोषजनक नहीं है तो कुछ रणनीतियों में बदलाव करके शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है । सर्वशिक्षा अभियान कार्यकम के अंतर्गत वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक 13796 प्राथमिक विद्यालय, 13406 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 65398 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 9734 हैण्ड पम्प तथा 7338 शौचालय का निर्माण कराया गया है । इसके अतिरिक्त 66310 शिक्षकों तथा 167273 शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन पर पड़ा है । सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है । बच्चों के नामांकन के अतिरिक्त भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात घटा है । वर्ष 2004–05 में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1: 77 था जो 2006–07 में घटकर 1: 49 है । वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है । विभिन्न शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष तथा शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित हो रही है ।

इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न वर्षों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं तथा किये जा रहे है । साथ ही विद्यालयों को भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराकर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये प्रयास किये गये है । शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं शैक्षिक अभिकर्मियों के फीड़ बैक से स्पष्ट होता है कि सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार सर्वशिक्षा कार्यक्रम अभियान कार्यक्रम मार्गदर्शिका, राज्य एवं जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट कार्ययोजना, राज्य परियोजना कार्यालय मार्गदशिका, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट है कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों के सभी बस्तियों में आवश्यकता आधारित विभिन्न हस्तक्षेप लगाये गये हैं और इन हस्तक्षेपों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों से काफी प्रगति हुई है और इस प्रगति में जिले और क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण) कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.02.2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना है । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में संचालित है । इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की वित्तीय साझेदारी नौवीं योजना के दौरान 85:15, दसवीं योजना के दौरान 75:25 और तदनुसार 50:50 के अनुपात में रखी गई है । इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । अब तक लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के सापेक्ष इसकी प्रगति निम्नानुसार है –

(अ).भौतिक संसाधन की प्रगतिः सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्ययन के लिये चयनित जिलो की भौतिक संसाधनो की प्रगति की स्थिति निम्नानुसार है ।

(1). विभिन्न वर्ष में शासकीय विद्यालय की स्थितिः सर्व शिक्षा अभियान के अतर्गत विभिन्न वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये है । खोले गये विद्यालयों के आधार पर विभिन्न वर्षो में अध्ययन के लिये चयनित जिलों में विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.1

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2029	2104	2156	2244
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	47	11	14
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	27	1	3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	431	446	691	801
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	14	2	2
योग	**2469**	**2638**	**2861**	**3064**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े

जिला झांसीः

सारणीः 5.2

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	996	1107	1110	1140
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7	8	13	13
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	2	2	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	220	338	349	413
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	3	9	12
योग	**1227**	**1458**	**1483**	**1580**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.3

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	1237	1264	1400	1441
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	5	0	1
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	200	233	514	548
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	1	1	2
योग	**1439**	**1503**	**1915**	**1992**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.4

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2255	2742	2499	2578
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	10	115	91	21
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	23	18	4
उच्च प्राथमिक विद्यालय	441	536	617	751
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	5	8	9	8
योग	**2715**	**3424**	**3234**	**3362**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(2). विभिन्न वर्ष में खोले गये शासकीय ग्रामीण विद्यालयों की स्थितिः सर्व शिक्षा अभियान के अतर्गत विभिन्न वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये गये है । ये विद्यालय सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार संचालित किये गये हैं । संचालित किये गये विद्यालयों के आधार पर विभिन्न वर्षो में अध्ययन के लिये चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में खोले गये विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.5

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	1915	2023	2068	2155
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6	47	8	11
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	27	1	3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	403	413	658	764
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	14	2	2
योग	**2327**	**2524**	**2737**	**2935**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.6

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	903	993	989	1026
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5	3	4	4
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	207	314	320	384
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	3	8	8
योग	**1118**	**1313**	**1321**	**1422**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.7

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	1222	1250	1382	1419
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	5	0	1
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	194	227	509	540
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	0	0	0
योग	**1417**	**1482**	**1891**	**1960**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.8

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2154	2646	2431	2507
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	9	114	87	19
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	22	16	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	414	481	597	730
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	7	9	8
योग	**2582**	**3270**	**3140**	**3266**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(3). 1995 के बाद स्थापित विद्यालयों का प्रतिशतः वर्ष 1995 के बाद स्थापित किये गये विद्यालय तथा वर्ष 2003–04 के बाद के विभिन्न वर्षो की प्रगति, अध्ययन के लिये चयनित जिलो में निम्नानुसार रही–

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.9

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	26.8	29.3	33.7	36.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	18.1	26.0	30.4	34.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	29.7	16.7	35.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	41.8	40.9	52.2	58.7
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	4.3	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.10

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	20.8	29.6	31.5	34.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	29.7	51.0	55.9	57.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	12.5	12.5
उच्च प्राथमिक विद्यालय	27.7	54.4	51.7	57.0
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	8.0	17.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.11

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	30.6	31.9	38.7	40.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6.3	16.0	19.0	24.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	41.1	50.0	71.3	72.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	4.0	3.7

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुर:

सारणी: 5.12

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	26.5	23.2	32.6	36.7
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	41.4	43.6	48.2	43.8
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	33.3	34.3	37.1	26.3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	38.2	32.4	52.6	59.0
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	9.1	33.3	33.3	29.4

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(4). सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में जिलेवार खोले गये प्राथमिक विद्यालय

सारणी: 5.13

कमांक	जिला	वर्ष 2001–02 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2002–03 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2003–04 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2004–05 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2001 से 2007 तक स्वीकृत विद्यालय
1.	अलीगढ़	60	57	13	23	230
2.	हाथरस	29	20	75	0	181
3.	**इलाहाबाद**	**66**	**60**	**60**	**85**	**391**
4.	कौशाम्बी	5	0	65	0	202
5.	कानपुर नगर	40	3	75	47	205
6.	इटावा	30	25	21	33	191
7.	औरैया	18	30	52	0	187
8.	गोखपुर	20	15	15	15	185
9.	बॉदा	30	4	15	61	177
10.	चित्रकूट	28	62	15	15	172
11.	**सीतापुर**	**20**	**9**	**60**	**97**	**281**
12.	लखनऊ	60	60	0	13	203
13.	सहारनपुर	25	3	16	14	86
14.	वाराणसी	25	15	51	5	132
15.	चन्दौली	45	5	10	0	116
16.	भदोही	15	3	0	29	114
17.	महाराजगंज	0	0	92	6	148
18.	**सिद्धार्थनगर**	**0**	**0**	**72**	**96**	**270**
19.	गोण्डा	0	0	15	89	154
20.	बलरामपुर	0	0	50	22	121
21.	बदायूँ	0	0	59	221	336
22.	लखीमपुर खीरी	0	0	118	43	341
23.	ललितपुर	0	0	86	32	132
24.	पीलीभीत	0	0	20	0	69
25.	बस्ती	0	0	50	82	160
26.	संतकबीरनगर	0	0	81	0	135
27.	मुरादाबाद	0	0	76	71	192
28.	जे.पी.नगर	0	0	70	0	139
29.	शाहजहाँपुर	0	0	0	0	138
30.	सोनभद्र	0	0	64	20	164
31.	देवरिया	0	0	40	15	127
32.	हरदोई	0	0	83	63	253
33.	बरेली	0	0	0	108	277

34.	फिरोजाबाद	0	0	138	51	274
35.	आगरा	0	0	17	80	191
36.	एटा	0	0	40	41	201
37.	मैनपुरी	0	0	66	23	192
38.	मथुरा	0	0	24	38	115
39.	फतेहपुर	0	0	55	30	170
40.	प्रतापगढ़	0	0	56	38	151
41.	कानपुर देहात	0	0	86	145	304
42.	फर्रूखाबाद	0	0	45	70	173
43.	कन्नौज	0	0	40	0	180
44.	फैजाबाद	0	0	63	88	170
45.	अम्बेदकरनगर	0	0	45	0	122
46.	सुल्तानपुर	0	0	0	15	87
47.	कुशीनगर	0	0	68	67	313
48.	**झाँसी**	**0**	**0**	**53**	**9**	**109**
49.	जालौन	0	0	50	9	86
50.	हमीरपुर	0	0	19	9	59
51.	महोबा	0	0	11	4	43
52.	उन्नाव	0	0	0	162	228
53.	रायबरेली	0	0	66	59	200
54.	मेरठ	0	0	0	2	11
55.	बुलन्दशहर	0	0	53	13	122
56.	गाजियाबाद	0	0	7	0	16
57.	जी.बी.नगर	0	0	42	0	76
58.	बागपत	0	0	11	0	19
59.	मुजफ्फरनगर	0	0	0	1	10
60.	बिजनौर	0	0	15	21	79
61.	गाजीपुर	0	0	48	19	157
62.	जौनपुर	0	0	0	0	152
63.	आजमगढ़	0	0	53	77	273
64.	बलिया	0	0	73	56	247
65.	मऊ	0	0	18	16	71
66.	मिर्जापुर	0	0	65	19	157
67.	बाराबंकी	0	0	32	60	192
68.	बहराइच	0	0	90	49	397
69.	श्रावस्ती	0	0	68	0	150
70.	रामपुर	0	0	75	0	101
	योग	**516**	**601**	**3781**	**4557**	**13796**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

(5). सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों जिलेवार खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालय

सारणी: 5.14

कमांक	जिला	वर्ष 2001–02 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2002–03 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2003–04 स्वीकृत नवीन विद्यालय	वर्ष 2004–05 स्वीकृत नवीन विद्यालय	र्व 2001 से 2007 तक स्वीकृत विद्यालय
1.	अलीगढ़	25	50	76	10	226
2.	हाथरस	13	20	22	0	131
3.	**इलाहाबाद**	**25**	**50**	**150**	**95**	**438**
4.	कौशाम्बी	25	25	50	0	232
5.	कानपुर नगर	35	8	122	37	237
6.	इटावा	20	40	90	12	215
7.	औरैया	30	21	117	0	285
8.	गोखपुर	30	57	76	34	204
9.	बॉदा	39	11	82	3	151
10.	चित्रकूट	25	38	51	2	151
11.	**सीतापुर**	**30**	**70**	**125**	**41**	**381**
12.	लखनऊ	21	52	17	19	199
13.	सहारनपुर	22	53	100	29	296
14.	वाराणसी	30	0	62	5	135
15.	चन्दौली	50	17	33	0	179
16.	भदोही	30	40	49	13	174
17.	महाराजगंज	0	21	89	66	226
18.	**सिद्धार्थनगर**	**0**	**20**	**200**	**156**	**364**
19.	गोण्डा	0	18	97	118	278
20.	बलरामपुर	0	22	141	76	282
21.	बदायूँ	0	25	50	99	294
22.	लखीमपुर खीरी	0	21	71	31	323
23.	ललितपुर	0	22	67	21	205
24.	पीलीभीत	0	24	81	0	135
25.	बस्ती	0	23	103	123	279
26.	संतकबीरनगर	0	20	76	0	136
27.	मुरादाबाद	0	23	97	83	295
28.	जे.पी.नगर	0	22	103	0	202
29.	शाहजहाँपुर	0	25	95	0	270
30.	सोनभद्र	0	15	130	15	238
31.	देवरिया	0	26	64	32	226
32.	हरदोई	0	30	31	39	197
33.	बरेली	0	19	19	61	194

34.	फिरोजाबाद	0	22	66	39	214
35.	आगरा	0	22	58	68	351
36.	एटा	0	23	32	9	161
37.	मैनपुरी	0	22	67	17	168
38.	मथुरा	0	22	89	39	231
39.	फतेहपुर	0	23	55	20	223
40.	प्रतापगढ़	0	27	63	12	177
41.	कानपुर देहात	0	21	67	0	270
42.	फर्रुखाबाद	0	20	70	73	243
43.	कन्नौज	0	18	67	13	221
44.	फैजाबाद	0	22	105	49	185
45.	अम्बेदकरनगर	0	19	56	0	229
46.	सुल्तानपुर	0	37	25	14	163
47.	कुशीनगर	0	20	113	39	349
48.	**झाँसी**	**0**	**24**	**96**	**9**	**223**
49.	जालौन	0	21	115	43	264
50.	हमीरपुर	0	18	46	22	143
51.	महोबा	0	18	56	34	177
52.	उन्नाव	0	15	45	80	235
53.	रायबरेली	0	28	92	49	209
54.	मेरठ	0	24	34	0	72
55.	बुलन्दशहर	0	21	129	65	374
56.	गाजियाबाद	0	13	56	0	82
57.	जी.बी.नगर	0	18	57	0	202
58.	बागपत	0	13	25	14	85
59.	मुजफ्फरनगर	0	25	70	22	205
60.	बिजनौर	0	24	73	73	274
61.	गाजीपुर	0	24	41	65	286
62.	जौनपुर	0	37	43	0	329
63.	आजमगढ़	0	30	70	100	421
64.	बलिया	0	26	57	80	284
65.	मऊ	0	21	99	14	216
66.	मिर्जापुर	0	23	92	0	212
67.	बाराबंकी	0	22	104	66	289
68.	बहराइच	0	21	53	65	346
69.	श्रावस्ती	0	21	132	0	208
70.	रामपुर	0	24	99	0	77
	योग	**450**	**1767**	**5353**	**2413**	**16167**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

(6). सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में निर्माण कार्य

सारणी: 5.15

वर्ष	प्राथमिक	उच्च	अतिरिक्त कक्ष	हैण्डपम्प	शौचालय
2001–2002	516	450	3174	408	1958
2002–2003	601	1767	2773	703	1126
2003–2004	3781	5353	4282	1214	4254
2004–2005	4557	2413	18552	0	0
2005–2006	4141	2663	65398	7409	0
2006–2007	–	3521	82017	0	0
योग	13796	16167	176296	9734	7338

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

(7). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2001–02 से वर्ष 2006–07 तक जिलेवार निर्मित किये गये अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय एवं हैण्डपम्प

सारणी: 5.16

क्रमांक	जिला	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	शौचालय	हैण्डपम्प
1.	आगरा	2999	54	237
2.	अलीगढ़	2018	330	229
3.	**इलाहाबाद**	**4286**	**219**	**536**
4.	अम्बेडकर नगर	2659	29	83
5.	औरैया	1767	66	63
6.	आजमगढ़	5443	30	132
7.	बदांयू	3573	184	144
8.	बागपत	536	23	75
9.	बहराइच	3120	100	332
10.	बलिया	3274	72	231
11.	बलरामपुर	2420	131	6
12.	बॉदा	1544	179	198
13.	बाराबंकी	3728	115	40
14.	बरेली	3009	223	200
15.	बस्ती	3337	243	152
16.	भदोही	1381	332	130
17.	विजनौर	3016	20	111
18.	बुलंदशहर	2400	40	0
19.	चंदौली	2290	47	121

20.	चित्रकूट	1328	90	151
21.	देवरिया	2570	90	108
22.	एटा	3029	90	177
23.	इटावा	1927	90	210
24.	फैजाबाद	2133	100	96
25.	फर्रूखाबाद	2171	24	39
26.	फतेपुर	2703	50	41
27.	फिरोजाबाद	1632	30	165
28.	गौतम बुद्धनगर	546	13	0
29.	गजियाबाद	1960	31	0
30.	गाजीपुर	3439	48	178
31.	गोण्डा	3759	290	311
32.	गोरखपुर	3575	300	180
33.	हमीरपुर	703	17	110
34.	हरदोई	4935	309	539
35.	हाथरस	1253	297	12
36.	जालौन	1253	33	116
37.	जौनपुर	4247	27	299
38.	**झांसी**	**1717**	**89**	**96**
39.	ज्योती बापुले नगर	1805	120	33
40.	कन्नौज	1534	12	51
41.	कानपुर देहात	1588	45	0
42.	कानपुर नगर	3050	325	142
43.	कौशांबी	1790	62	158
44.	कुशीनगर	3821	65	119
45.	लखीमपुर खीरी	4135	215	183
46.	ललितपुर	1387	15	206
47.	लखनऊ	2413	507	168
48.	महराजगंज	2561	165	121
49.	महोबा	1374	35	160
50.	मैनपुरी	1802	34	93
51.	मथुरा	1714	30	214
52.	मउ	2472	21	216
53.	मेरठ	1382	120	74
54.	मिर्जापुर	1997	24	150
55.	मुरादाबाद	3872	185	124
56.	मुजफ्फर नगर	1883	99	119
57.	पीलीभीत	2107	40	0
58.	प्रतापगढ़	3884	32	41

59.	रायबरेली	3365	20	46
60.	रामपुर	2494	25	41
61.	शहारनपुर	2169	46	173
62.	संत कबीर नगर	1467	30	71
63.	शाहजहांपुर	2785	70	197
64.	**सिद्धार्थनगर**	**1995**	**170**	**382**
65.	**सीतापुर**	**4002**	**112**	**134**
66.	सोनभद्र	1419	32	0
67.	श्रावस्ती	1449	35	112
68.	सुल्तानपुर	4017	53	43
69.	उन्नाव	3804	49	167
70.	वाराणसी	3079	120	94
	योग	**176296**	**7368**	**9734**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

(8). अन्य शैक्षिक प्रगतिः

- वर्ष 2006–07 में कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कार्य पुस्तिका के साथ सभी कक्षा के बच्चों का पाठ्यपुस्तके उपलब्ध कराई गई ।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 19705 मीना मंचों का गठन किया गया जिनके अंतर्गत सभी मीना मंचो में मीना किट दी गई ।
- वर्ष 2005–06 में 80 लाख तथा 2006–07 में 86 लाख बालिकाओं को विद्यालय यूनीफार्म दिये गये ।
- वर्ष 2005–06 में 50 तथा वर्ष 2006–07 में 51 आवासीय ब्रिजकोर्स तथा 2006–07 में 8590 गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किये गये ।
- विद्यालयों में अब तक 57500 रैपों का निर्माण विकलांग बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये किया जा चुका है ।
- वर्ष 2006–07 में 5693 शिक्षा गारंटी केन्द्र तथा 3590 वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये ।
- वर्ष 2006–07 में 828 मान्यता प्राप्त मदरसों को सुदृढ़ किया गया ।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये भौतिक संसाधनों की प्रगति (तालिका कमांक 5.1 से 5.16) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भौतिक संसाधनो में सभी जिलों में कमशः प्रगति हुई है । चूकी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी बस्तियों

में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के सिद्धान्त पर आधारित है । अतः हम कह सकते है कि सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से सभी जिलों की सभी बस्तियों में पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यालय खोलने के साथ अन्य शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

(ब). मानवीय संसाधन की प्रगतिः शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 : 40 रखने तथा नये विद्यालयों की स्थापना को ध्यान में रखकर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक तथा शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा रही है । प्रदेश में पर्यवेक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिये विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत (संकुल संसाधन केन्द्र) संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है जिनके लिये अलग से पदों का सृजन किया गया है ताकि वे समय–समय पर विद्यालय का भ्रमण कर शिक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सके । प्रदेश में वर्ष 2006–07 की स्थिति में 893 विकास खण्ड श्रोत केन्द्र समन्वयक एवं 8255 संकुल श्रोत केन्द्र समन्वयक कार्यरत है । प्रदेश में प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों के कार्य क्षमता के विकास के लिये राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण के अतिरिक्त शोध कार्य किये जाते है। इसके अतिरिक्त अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों की कार्य कौशल का बढ़ाया जा सके । विभिन्न वर्षो में हुई शिक्षको एवं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का विवरण निम्नानुसार है –

सारणीः 5.17

वर्ष	शिक्षकों की नियुक्ति	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति	योग
2001–2002	7458	6108	13566
2002–2003	5672	371	6043
2003–2004	19170	67111	86281
2004–2005	9815	10495	20310
2005–2006	9345	74753	83898
2006–2007	14850	8435	23285
योग	**66310**	**167273**	**233583**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

सारणी क्रमांक 5.17 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न वर्षो में शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों की विद्यालय में नियुक्ति की गई है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार निम्नानुसार नियमित शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है ।

लिंगवार नियमित शिक्षकों की स्थिति : अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार नियमित शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबाद:

सारणी: 5.18

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	6850	3030	2160	7029	2836	2153	9142	3498	2957	9586	3416	2893
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	692	497	195	263	172	80	1086	575	509	1384	768	616
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	27	21	6	113	76	31	59	26	33	54	27	27
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2329	1645	676	1810	1341	442	3041	2267	772	3307	2425	879
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	126	95	31	94	81	13	35	33	2	21	20	1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.19

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	3852	2218	1369	4161	2226	1501	4877	2423	1698	5347	2224	1386
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	585	279	306	565	293	272	773	388	373	668	370	284
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	4	0	42	16	36	60	16	44	40	11	29
उच्च प्राथमिक विद्यालय	979	742	237	1286	943	341	1589	1127	456	1661	1192	468
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	25	25	0	28	24	4	108	79	29	119	89	30

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणीः 5.20

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	2843	1658	365	3095	1702	351	4410	1786	332	4631	1802	346
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	141	129	12	138	118	20	127	105	22	161	128	31
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1027	854	13	918	755	161	1123	923	200	1180	960	220
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	162	151	11	126	110	16	157	140	17	175	150	25

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.21

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	6622	3541	1738	5926	3221	971	7657	3420	1581	9096	3929	1893
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	156	106	45	461	330	124	446	276	152	247	162	82
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	40	20	20	104	86	16	115	94	21	66	58	7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2395	1854	532	1432	1057	232	2104	1617	463	2647	1975	665
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	94	74	20	33	27	6	61	49	10	62	52	10

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

लिंगवार पैरा शिक्षकों की स्थिति : अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार पैरा शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.22

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	1651	866	785	2038	1010	1028	2687	1249	1438	3277	1421	1856
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	11	6	5	2	1	1	0	0	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	3	0	27	25	2	2	2	0	3	3	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.23

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	258	162	96	434	296	138	755	470	285	1737	865	872
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	7	7	0	14	9	5
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	2	0	6	1	5	1	1	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.24

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	820	558	262	1042	666	376	2292	1274	1018	2483	1356	1127
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.25

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	1343	937	406	1732	1341	391	2646	1544	1102	3274	1579	1695
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	2	0	7	7	0	18	11	7	3	1	2
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	0	2	2	0	7	7	0	1	1	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	9	9	0	142	141	1	21	18	3	7	6	1
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

उपर्ययुक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न वर्षो में शिक्षकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है । चूकी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है । अतः यह वृद्धि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हुई है । अतः हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलेवार एवं क्षेत्रवार मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

(स). वित्तीय संसाधन की प्रगतिः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच की वित्तीय साझेदारी के आधार पर वार्षिक कार्य योजना एवं वजट के अनुमोदन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवश्यकता आधारित राशि उपलब्ध कराई जाती है । इसमें केन्द्र और राज्य अपने–अपने अंश दान को मिलाकर देते है । नौवीं योजना के दौरान 85:15, दसवीं योजना के दौरान 75:25 का अंश दान केन्द और राज्य के बीच और तदनुसार 50:50 के अनुपात में केन्द और राज्य के बीच राशि का अंश दान दिया जा रहा है । प्रदेश को विभिन्न वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है–

सारणीः 5.26

वित्तीय संसाधनों की प्रगति

(राशि लाख में)

कमांक	वित्तीय वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि	राज्य से प्राप्त राशि	योग
1	2004–05	87761.00	29253.75	117014.75
2	2005–06	182799.00	60933.29	243732.29
3	2006–07	206654.00	68884.67	275538.67

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यकम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

वर्षवार प्रदेश को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि को हम निम्नांकित ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं–

ग्राफ कमांक : 5.1

जिले एवं वर्षवार उपलब्ध कराये गये बजट को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं –

सारणीः 5.27

(राशि लाख में)

कमांक	जिला	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07	योग
1.	आगरा	4528.44	7090.59	11619.03
2.	अलीगढ़	4172.20	4301.93	8474.13
3.	**इलाहाबाद**	**8042.37**	**8312.25**	**16354.62**
4.	अम्बेडकर नगर	3257.87	5434.65	8692.52
5.	औरैया	3444.55	3260.57	6705.12
6.	आजमगढ़	5920.54	10660.36	16580.9
7.	बदांयू	5446.70	7351.67	12798.37
8.	बागपत	1223.30	1686.32	2909.62
9.	बहराइच	4647.16	7765.33	12412.49
10.	बलिया	4873.00	6221.73	11094.73
11.	बलरामपुर	3840.03	4444.59	8284.62
12.	बॉदा	3794.46	3704.64	7499.1
13.	बाराबंकी	4767.55	7197.22	11964.77
14.	बरेली	4634.60	6691.57	11326.17
15.	बस्ती	4466.18	6046.24	10512.42
16.	भदोही	2887.47	3438.21	6325.68
17.	विजनौर	3964.28	5642.62	9606.9
18.	बुलंदशहर	4557.25	5798.54	10355.79
19.	चंदौली	2641.42	3843.75	6485.17
20.	चित्रकूट	2789.25	3089.13	5878.38
21.	देवरिया	4245.68	5738.81	9984.49
22.	एटा	3636.99	6034.12	9671.11
23.	इटावा	3914.35	3708.96	7623.31
24.	फैजाबाद	3185.10	4101.88	7286.98
25.	फर्रूखाबाद	3429.67	4217.63	7647.3
26.	फतेपुर	3606.30	5408.39	9014.69
27.	फिरोजाबाद	3725.32	4367.33	8092.65
28.	गौतम बुद्धनगर	1336.15	1803.91	3140.06
29.	गजियाबाद	1640.91	3139.44	4780.35
30.	गाजीपुर	4362.50	6815.57	11178.07
31.	गोण्डा	4867.73	6518.66	11386.39
32.	गोरखपुर	5099.28	6884.02	11983.3
33.	हमीरपुर	2069.55	1950.55	4020.1
34.	हरदोई	5052.73	9205.99	14258.72
35.	हाथरस	2399.44	2628.79	5028.23
36.	जालौन	3003.73	3835.45	6839.18

37.	जौनपुर	3042.22	2908.51	5950.73
38.	**झांसी**	**5176.91**	**9400.35**	**14577.26**
39.	ज्योती बापुले नगर	3089.41	3791.34	6880.75
40.	कन्नौज	2516.37	4357.64	6874.01
41.	कानपुर देहात	3513.46	4195.27	7708.73
42.	कानपुर नगर	3080.96	5736.78	8817.74
43.	कौशांबी	3836.17	3868.61	7704.78
44.	कुशीनगर	4549.48	8059.31	12608.79
45.	लखीमपुर खीरी	5189.94	8801.38	13991.32
46.	ललितपुर	2619.08	3376.87	5995.95
47.	लखनऊ	5629.29	6931.12	12560.41
48.	महराजगंज	3162.98	5401.18	8564.16
49.	महोबा	2021.22	2967.09	4988.31
50.	मैनपुरी	3045.59	3705.89	6751.48
51.	मथुरा	3532.91	3859.76	7392.67
52.	मउ	3016.83	4298.69	7315.52
53.	मेरठ	1955.58	2299.75	4255.33
54.	मिर्जापुर	3352.02	4802.67	8154.69
55.	मुरादाबाद	4560.37	8002.73	12563.1
56.	मुजफ्फर नगर	3114.50	3917.69	7032.19
57.	पीलीभीत	2470.05	3735.37	6205.42
58.	प्रतापगढ़	3881.79	7124.07	11005.86
59.	रायबरेली	4285.59	5594.30	9879.89
60.	रामपुर	2408.37	4946.75	7355.12
61.	शहारनपुर	3621.60	4898.62	8520.22
62.	संत कबीर नगर	2713.27	2609.62	5322.89
63.	शाहजहांपुर	4471.26	6412.73	10883.99
64.	**सिद्धार्थनगर**	**2465.11**	**3505.85**	**5970.96**
65.	**सीतापुर**	**4484.41**	**5473.65**	**9958.06**
66.	सोनभद्र	6005.58	8749.02	14754.60
67.	श्रावस्ती	3192.23	3849.13	7041.36
68.	सुल्तानपुर	3920.99	6722.91	10643.9
69.	उन्नाव	4374.08	6867.79	11241.87
70.	वाराणसी	4640.20	4382.90	9023.10
	राज्य परियोजना कार्यलय	1776.00	4004.00	5780.00
	योग	**264180.57**	**367900.98**	632081.6

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न वर्षो में जिलों को उनकी आवश्यकता पर आधारित राशि उपलब्ध कराई गई है ।

(द). अध्ययन के लिये चयनित जिलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समित के सदस्यों का सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन के क्षेत्र में हुई प्रगति पर अभिमत : सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन के क्षेत्र में हुई प्रगति के संबंध में अध्ययन के लिये चयनित जिलो के शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समित के सदस्यों का अभिमत प्राप्त किया गया । अभिमत से प्राप्त परिणाम निम्नानुसार हैं –

प्रधानाध्यापको का अभिमतः अध्ययन के लिये चयनित विद्यालयों के 160 प्रधानाध्यापकों से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अभिमत हॉ या नहीं में प्राप्त किये गये । प्राप्त अभिमत का विशलेषण प्रतिशत में करने पर हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

सारणीः 5.28

क.	विवरण	अभिमत	
		हॉ	नहीं
1	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त थे?	0.00	100.00
2	वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त है?	95.00	5.00
3	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक थी?	15.00	85.00
4	वर्तमान में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक है?	85.00	15.00
5	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में अधिकतर बच्चे पढ़ने के लिये आते थे?	5.00	95.00
6	वर्तमान में आपके विद्यालय में लगभग शतप्रतिशत बच्चे पढ़ने के लिये आते है?	95.00	5.00
7	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त थे?	96.85	3.15
8	वर्तमान में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त है?	97.5	2.50
9	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में फर्नीचर पर्याप्त था?	5.00	95.00
10	वर्तमान में आपके विद्यालय में फर्नीचर पर्याप्त है?	100.00	0.00
11	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था थी?	25.00	75.00
12	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है?	97.50	2.50
13	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था थी ?	18.75	81.25
14	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है ?	98.75	1.25

15	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था थी?	0.00	100.00
16	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था है ?	75.00	25.00
17	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में खेल का मैदान था?	12.50	87.50
18	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में खेल का मैदान है?	37.50	62.50
19	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में चहार दिवारी थी?	18.75	81.25
20	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में चहार दिवारी है?	31.25	68.75
21	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध थे?	15.00	85.00
22	यदि हॉ तो पर्याप्त था ?	2.50	97.50
23	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध है?	97.50	2.50
24	यदि हॉ पर्याप्त है ?	81.25	18.75
25	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में खेल की सामगी उपलब्ध थी?	2.50	97.50
26	यदि हॉ पर्याप्त था ?	0.00	100.00
27	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में खेल की सामगी उपलब्ध है?	97.50	2.50
28	यदि हॉ पर्याप्त है ?	63.75	36.25
29	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध था?	8.75	91.25
30	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त थी?	0.00	100.00
31	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है?	86.25	13.75
32	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त है?	48.75	51.25
33	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध थी?	0.00	100.00
34	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	0.00	100.00
35	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध है?	100.00	0.00
36	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है?	87.50	12.50
37	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिये राशि उपलबध थी?	0.00	100.00
38	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	0.00	100.00
39	वर्तमान में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओ के पूर्ति के लिये राशि उपलबध है?	100.00	0.00
40	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है?	100.00	0.00
41	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था थी?	11.25	88.75

42	वर्तमान में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था है?	85.00	15.00
43	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों का नामांकन बढ़ा है।	91.25	8.75
44	सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये प्रयास से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । क्या इस मत से आप सहमत है?	95.00	5.00
45	सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । क्या आप इस मत से सहमत?	97.50	2.50

सारणी के अभिमत के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2001–02 के सापेक्ष भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।

शिक्षकों का अभिमतः अध्ययन के लिये चयनित विद्यालयों के 480 शिक्षकों से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अभिमत हॉ या नहीं में प्राप्त किये गये । प्राप्त अभिमत का विशलेषण प्रतिशत में करने पर हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

सारणीः 5.29

क्र.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1.	सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है	90.21	9.79
2.	विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/जा रहे हैं ।	85.83	14.17
3.	विद्यालय को प्रतिवर्ष मूल–भूत आवश्यकता हेतु रू. 2000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यालय की छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।	81.25	18.75
4.	विद्यालय को प्रतिवर्ष विद्यालय रख–रखाव मद में रू. 5000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा आनंददायी बना है ।	93.13	6.88
5.	प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।	87.29	12.71
6.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।	80.42	19.58

7.	शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है ।	81.25	18.75
8.	मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।	68.13	31.88
9.	मध्याह्न भोजन व्यवस्था से बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।	68.75	31.25
10.	छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजते हैं ।	85.83	14.17
11.	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।	90.63	9.38
12.	कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।	90.83	9.17
13.	विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय के निर्माण से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ा है ।	92.29	7.71
14.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक विद्यालय में भेजने लगे है ।	85.83	14.17
15.	विद्यालय में हैण्ड पम्प की सुविधा हो जाने से बच्चों को स्वच्छ जल मिल रहा है तथा बच्चे पानी के बहाने घर को नहीं भागते ।	90.00	10.00
16.	विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।	75.00	25.00
17.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।	78.75	21.25
18.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।	87.08	12.92
19.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से प्रत्येक कक्षा के लिये एक कक्ष उपलब्ध हुआ है ।	62.92	37.08
20.	एन.पी.आर.सी एवं बी.आर.सी समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।	66.04	33.96
21.	शिक्षक एवं समुदाय के बीच के संबंध अच्छे हुये है ।	72.92	27.08
22.	मानीटरिंग व्यवस्था के कारण शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे है ।	71.88	28.13
23.	प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।	88.54	11.46
24.	विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।	87.71	12.29
25.	विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापक के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।	85.83	14.17
26.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।	92.50	7.50

27.	बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।	85.83	14.17
28.	न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।	83.54	16.46
29.	शिक्षको की उपलब्धता से कक्षा 5/8 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है ।	83.75	16.25
30.	शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षकों के कार्य कौशल में बदलाव आने से बच्चों का ठहराव काफी बढ़ा है ।	86.04	13.96
31.	शिक्षण विद्या में बदलाव आने से बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम हुआ है।	81.25	18.75
32.	विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	81.04	18.96
33.	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	82.92	17.08
34.	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	81.04	18.96
35.	वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जा रहे है।	71.04	28.96
36.	प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।	82.92	17.08
37.	समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चेां का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।	82.92	17.08
38.	विद्यालय स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये किये गये प्रयास से उनका विद्यालय में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है ।	85.21	14.79
39.	न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों से शिक्षण कार्य में आने वाली बाधाओं का समाधान हो जाता है ।	83.54	16.46
40.	समुदायिक सहभागिता से विद्यालय के शिक्षण कार्य में प्रगति हुई है ।	81.67	18.33
	प्रतिशत माध्य	**82.34**	**17.66**

उपरोक्त अभिमत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्व भौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रयास किये गये हैं ।

प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों का अभिमतः अध्ययन के लिये चयनित विद्यालयों के 168 प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अभिमत हॉ या नहीं में प्राप्त कि ये गये ।

प्राप्त अभिमत का विश्लेषण प्रतिशत में करने पर हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हु ये –

सारणी: 5.30

क्र.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।	95.83	4.17
2.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।	94.64	5.36
3.	सभी विद्यालयों में पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने सब बच्चों की नियमिततता बढ़ी है ।	94.05	5.95
4.	विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे है।	80.36	19.64
5.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।	83.93	16.07
6.	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है जिससे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ी है।	75.00	25.00
7.	समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।	88.69	11.31
8.	नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी है/जा रही है जिससे बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्वें का नामांकन बढ़ा है।	73.81	26.19
9.	पर्यवेक्षण से शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है	86.31	13.69
10.	शिक्षक की फील्ड सम्बंधी कठिनाइयों को उच्च स्तरीय कार्यालय द्वारा दूर किया जाता है ।	66.07	33.93
11.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये है ।	82.74	17.26
12.	शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते है ।	85.12	14.88
13.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रुचिकर हुआ है ।	94.05	5.95
14.	शिक्षक विद्यालय के सभी अभिलेखों का व्यवस्थित रखते है ।	93.45	6.55
15.	बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ।	74.40	25.60

16.	बच्चों की औसतन उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।	60.71	39.29
17.	कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।	79.76	20.24
18.	लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है ।	82.14	17.86
19.	औसतन उपस्थिति में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	80.36	19.64
20.	लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	71.43	28.57
21.	लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।	81.55	18.45
22.	शिक्षक बच्चों में जाति एवं लिंग के अनुसार किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं करते है ।	92.86	7.14
23.	विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं पर शिक्षक/प्रधानाध्यापक चर्चा करता निकलवाते है ।	85.12	13.69
24.	शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करते है	91.67	8.33
25.	प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के बीच अच्छे सामाजिक संबंध विकसित हुये है ।	95.24	4.76
26.	वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।	97.62	2.38
27.	विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है ।	95.24	4.76
28.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।	74.40	25.60
29.	पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित है जिससे बच्चे उनके पढ़ने में रुचि लेते है।	86.31	13.69
30.	पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।	92.26	7.74
31.	विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।	78.57	21.43
32.	विभिन्न प्रशिक्षण के कारण शिक्षक/प्रधानाध्यापक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।	76.79	23.21
33.	विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है जिससे विद्यालय के परिवेश सुन्दर होने के साथ शिक्षण कार्य नियमित हुआ है।	81.55	18.45

34.	सभी स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है ।	82.74	17.26
35.	विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।	77.98	22.02
36.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है	75.60	24.40
37.	विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।	76.79	23.21
38.	वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।	86.31	13.69
39.	नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।	80.95	19.05
40.	प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।	77.98	22.02
	प्रतिशत माध्य	**83.26**	**16.74**

उपरोक्त अभिमत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में भैातिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं ।

ग्राम शिक्षा समिति का अभिमतः अध्ययन के लिये चयनित विद्यालयों के 128 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अभिमत हॉ या नहीं में प्राप्त किये गये । प्राप्त अभिमत का विश्लेषण प्रतिशत में करने पर हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हु ये –

सारणीः 5.31

क.	प्रश्न	सहमत	आशिक सहमत	असहमत
1.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।	94.53	2.34	3.13
2.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय की भौतिक सुविधाओं प्रगति हुई है ।	96.09	1.56	2.34
3.	विद्यालय में कक्षा–कक्षों तथा शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है ।	87.50	6.25	6.25
4.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।	79.69	6.25	14.06

5.	समुदाय के लोगों की अपने बच्चों की शिक्षा सुविधा के प्रति रूचि बढ़ी है ।	66.41	11.72	21.88
6.	समुदाय के लोग सतत् विद्यालय के सम्पर्क में रहते हैं ।	78.13	9.38	12.50
7.	ग्राम शिक्षा समिति को दिये गये प्रशिक्षण से वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हुये हैं ।	93.75	1.56	4.69
8.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये हैं ।	77.34	7.81	14.84
9.	विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।	76.56	7.81	15.63
10.	बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।	93.75	1.56	4.69
11.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।	85.94	3.91	10.16
12.	शिक्षकों के शिक्षण शैली में बदलाव आया है ।	76.56	9.38	14.06
13.	शिक्षक मन लगाकर शिक्षण कार्य कराते हैं ।	75.00	14.06	10.94
14.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेदभाव में कमी आई है ।	78.13	7.03	14.84
15.	शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर भी चर्चा कर दूर करने में सहयोग प्रदान करते हैं ।	85.94	7.81	6.25
16.	विद्यालय स्तरीय विभिन्न समस्याओं पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में चर्चा करके दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।	82.03	3.91	14.06
17.	शिक्षक स्थानीय बोली में शिक्षण कार्य कराते हैं ।	69.53	7.03	23.44
18.	गाँव के सभी बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते है ।	92.19	3.91	3.91
19.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।	78.13	7.81	14.06
20.	शिक्षक प्रत्येक बच्चे के नाम से परिचित है ।	70.31	15.63	14.06
21.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय के प्रति समुदाय की धनात्मक सोच में वृद्धि हुई है ।	70.31	7.81	21.88
22.	विगत कुछ वर्षों में विद्यालय की मूल–भूत सुविधा की कमी की पूर्ति हुई है ।	85.94	7.81	6.25
23.	बच्चों, शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है ।	93.75	1.56	4.69
24.	बच्चों में लागू की गई प्रोत्साहन योजनायें काफी प्रभावी हैं ।	93.75	4.69	1.56
25.	बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है ।	85.94	6.25	7.81
	प्रतिशत माध्य	**82.69**	**6.59**	**10.72**

अभिभावको का अभिमत: अध्ययन के लिये चयनित विद्यालयों के 240 अभिभावकों से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में अभिमत हॉ या नहीं में प्राप्त कि ये गये । प्राप्त अभिमत का विशलेषण प्रतिशत में करने पर हमें निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हु ये –

सारणी: 5.32

क्र.	प्रश्न	सहमत	आंशिक सहमत	असहमत
1.	विद्यालय का भौतिक परिवेश में बदलाव आया है।	87.50	1.67	10.83
2.	बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है	96.25	2.08	1.67
3.	बच्चों के ठहराव में वृद्धि हुई है ।	87.08	2.50	10.42
4.	बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है ।	87.92	1.25	10.83
5.	बच्चे ठीक सीख रहे है ।	87.08	3.75	9.17
6.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।	91.67	0.83	7.50
7.	विद्यालय में संसाधनों में वृद्धि हुई है ।	98.33	1.67	0.00
8.	शिक्षक एवं अभिभावकों के सम्बंध अच्छे हुये है ।	95.42	2.50	2.08
9.	शिक्षक बच्चों में बिना कोई भय दिये शिक्षण कार्य कराते हैं ।	88.33	3.75	7.92
10.	बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।	87.92	1.25	10.83
11.	विभिन्न स्तरों से मानीटरिंग बढ़ी है तथा शिक्षक का विश्वास जागा है ।	90.83	2.92	6.25
12.	शिक्षक एवं बच्चों के बीच सम्बंध अच्छे है ।	97.92	0.00	2.08
13.	समुदाय को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है ।	96.25	0.42	3.33
14.	शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है ।	97.92	0.83	1.25
15.	विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ जल तथा शौचालय सुलभ हुये है ।	88.33	1.67	10.00
16.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।	87.50	0.00	12.50
17.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेद–भाव में कमी आई है।	93.75	3.33	2.92
18.	विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त एवं स्वच्छ स्थान उपलब्ध हुआ है ।	91.25	1.67	7.08
19.	बच्चों की कमजोरियों को जानते हुये उन्हें दूर किया जाता है ।	89.58	2.92	7.50
20.	शिक्षक एवं समुदाय एक दूसरी की समस्या को मिल बैठकर दूर करने का प्रयास करते हैं ।	96.25	0.83	2.92
21.	शिक्षक बच्चों की कठिनाईयों एवं समस्याओं पर अभिभावकों से चर्चा करते हैं ।	89.17	4.58	6.25
22.	शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर बाल–मेला, प्रतियोगिता एवं बाल सभा आयोजित करते है ।	91.25	0.83	7.92
23.	विद्यालय जाने से आपके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है ।	89.17	5.00	5.83
24.	गाँव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये विद्यालय जाते हैं ।	95.42	0.00	4.58
25.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।	97.50	0.42	2.08
	प्रतिशत माध्य	**91.98**	**1.87**	**6.15**

इस प्रकार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के अभिमत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले तथा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है साथ ही बच्चों के उपलब्धि स्तर में सुधार हुआ है ।

(इ). शोध अध्ययन के अनुसार प्रगतिः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कराये गये शोध अध्ययन के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति निम्नानुसार रही–

श्रीवास्तव, रंजना (2008), द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये लगाये गये हस्ताक्षेप किस सीमा तक सफल हो पाये है का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के रामपुर, महराजगंज, अम्बेड़कर नगर, हमीरपुर एवं मिर्जापुर जिले से 10 विकासखण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण विकासखण्ड के 30 प्राथमिक विद्यालयों 116 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 328 अनुसूचित जाति/ जनजाति ग्राम जहॉ अधिक संख्या मे अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोग रहते है को लिया गया । अध्ययन में 667 प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक, 653 अभिभावक, 300 ग्राम प्रधान तथा 314 अनुसूचित जाति/ जनजाति समुदाय के सदस्यों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि पिछले अकादमिक सत्र में 53 प्रतिशत असेवित बस्तियों में विद्यालय खोले गये है । 35 प्रतिशत असेवित बस्तियों में वैकल्पिक विद्यालय संचालित किये गये हैं । रामपुर जिले में अनुसुचित जाति के बच्चों का उच्च नामांकन तथा 52 प्रतिशत का ठहराव पाया गया । अध्ययन में चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से सिर्फ 3 विद्यालयों कि लड़कियों को साईकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

इस प्रकार सारणी कमांक 5.1 से 5.32 के अवलोकन तथा पूर्व में कराये गये शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता आधारित भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पड़ा है । अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता आवश्यकता आधारित है न कि जिले/क्षेत्र आधारित । अतः हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं उसकी प्रगति में जिले एवं क्षेत्रवार कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.02.3 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना है । सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व बसाहटों को आधार मान कर उसके शिक्षा की कार्य योजना का निर्माण किया गया तदोपरान्त संकुल, विकास खण्ड एवं जिले की कार्य योजना का निर्माण किया गया । कार्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई की आज भी अधिकांश बस्तियों में शैक्षिक सुविधाओं का आभाव है, जिनके कारण नामांकन की स्थिति बहुत ही दयनीय है । बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिये जहॉ प्रत्येक बस्ती में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध (उद्देश्य 4.02.2 के सारणी कमांक 5.1 से 5.15 में वर्ष वार खोले गये विद्यालयों का विवरण दिया गया है) कराई गई वही विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया । भवन विहीन विद्यालयों में भवन का निर्माण कराया गया । विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिये शिक्षक अनुदान एवं विद्यालय अनुदान की राशि की व्यवस्था की गई है । वैकल्पिक तथा शिक्षा गारंटी केन्द्र संचालित किये गये हैं । शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । बच्चों के लिये विभिन्न प्रोत्साहन योजनाये संचालित की गई हैं । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये नवाचारी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय लाने का प्रयास किये गया है । इस प्रकार नामांकन के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के आधार पर नामांकन के क्षेत्र में अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्ष वार निम्नानुसार प्रगति हुई है –

(अ). कुल नामांकन शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय

जिला इलाहाबादः **सारणीः 5.33**

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	462271	492533	556885	589936
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	42500	21132	120966	146935
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1011	6250	7157	6301
उच्च प्राथमिक विद्यालय	86837	93548	155426	180822
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4201	7210	2302	1483
योग	**596820**	**620673**	**842736**	**925477**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.34

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	197386	216324	216456	212813
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	28739	29933	33141	28075
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	278	4107	5861	3770
उच्च प्राथमिक विद्यालय	42701	53092	61233	63935
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1312	3856	3645	4061
योग	**270416**	**307312**	**320336**	**312654**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.35

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	241752	267233	281307	293329
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7979	8410	6004	6235
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	160	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	35644	38268	43698	49689
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4549	5069	5731	4692
योग	**289924**	**319140**	**336740**	**353945**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुर

सारणी: 5.36

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	469920	514118	623175	673569
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	9534	19718	24311	17783
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1828	5151	9109	4514
उच्च प्राथमिक विद्यालय	88860	79078	110278	143644
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4351	1718	3523	3873
योग	**574493**	**619783**	**770396**	**843383**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

अध्ययन के लिये चयनित जिलों के वर्षवार नामांकन के अवलोकन (सारणी क्रमांक 5.33 से 5.36) से स्पष्ट है कि सभी जिलों में नामांकन में वर्षवार काफी प्रगति हुई है ।

(ब). शासकीय एवं अशासकीय ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.37

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	446796	476085	521377	558075
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	36615	21132	57661	76288
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1011	6250	3383	3404
उच्च प्राथमिक विद्यालय	84846	86943	141718	166005
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4201	7210	2302	1483
योग	**573469**	**597620**	**726441**	**805255**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.38

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	160201	165210	166912	169810
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	11106	11957	11775	13279
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	278	259	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	33940	40050	44318	50584
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1088	3362	3040	1288
योग	**206613**	**220838**	**226045**	**234961**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.39

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	230541	259443	275036	285350
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	7588	8172	5936	5141
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	160	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	34356	36150	42423	47811
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4126	4839	10	4478
योग	**276611**	**308764**	**323405**	**342780**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.40

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	430963	490015	593371	639155
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6665	19494	21372	15714
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	143	4095	6821	3339
उच्च प्राथमिक विद्यालय	77854	70642	102153	131976
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2523	1510	3317	3633
योग	**518148**	**585756**	**727034**	**793817**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

अध्ययन के लिये चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों वर्षवार नामांकन के अवलोकन (सारणी कमांक 5.37 से 5.40) से स्पष्ट है कि सभी जिलों के गग्रमीण क्षेत्र के विद्यालयों के नामांकन में वर्षवार काफी प्रगति हुई है ।

(स).कक्षावार नामांकन की स्थितिः अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार नामांकन की प्रगति निम्नानुसार रही–

जिला इलाहाबाद

सारणीः 5.41

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	129410	131839	128392	158596	165582
II	91961	115312	112139	140113	152906
III	80620	94490	106555	128405	137688
IV	65046	77629	83773	113152	117771
V	53440	64960	68725	92827	102973
VI	32870	41369	43823	78162	91165
VII	28648	39736	39767	67967	82812
VIII	26134	34485	37499	63516	74580
योग प्राथमिक	**420477**	**485230**	**499584**	**633093**	**676920**
योग उच्च प्राथमिक	**87652**	**112590**	**121089**	**209645**	**248557**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.42

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	49858	47133	52384	52739	48684
II	44037	47633	49948	50268	49752
III	43814	44715	48809	49590	47135
IV	36140	41610	44246	46609	45292
V	32697	34881	41177	42608	42651
VI	18382	20121	26731	29368	29025
VII	15154	18801	22804	24951	27417
VIII	13990	16122	21216	22203	22698
योग प्राथमिक	**206546**	**215972**	**236564**	**241814**	**233514**
योग उच्च प्राथमिक	**47526**	**55044**	**70751**	**76522**	**79140**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.43

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	75619	73611	80877	82284	83313
II	53669	59612	60089	67918	71496
III	40993	48281	54670	54586	59609
IV	33497	36551	42984	45875	45907
V	27427	29315	32295	35135	37306
VI	10871	17600	18841	21619	23249
VII	8494	13757	16538	16242	19066
VIII	7164	11197	12846	13081	13999
योग प्राथमिक	**231205**	**247370**	**270915**	**285798**	**297631**
योग उच्च प्राथमिक	**26529**	**42554**	**48225**	**50942**	**56314**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड़े

जिला सीतापुरः

सारणी: 5.44

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	117870	117433	126913	141660	156505
II	95288	109243	116120	138131	149147
III	91715	96372	107700	132139	139474
IV	74603	83706	90090	120474	127251
V	62110	70479	79376	106913	115572
VI	33144	37845	39002	49475	58730
VII	25310	32835	31982	43980	51040
VIII	21463	26580	28600	37624	45664
योग प्राथमिक	**441586**	**477233**	**520199**	**639317**	**687949**
योग उच्च प्राथमिक	**79917**	**97260**	**99584**	**131079**	**155434**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(द). सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति : शैक्षिक सूचना प्रणाली के वर्षवार आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सकल और शुद्ध नामांकन अनुपात में वर्षवार कमिक वृद्धि हुई है । प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सकल और शुद्ध नामांकन अनुपात को जिलेवार हम सारणी कमांक 5.45 से 5.46 में देख सकते हैं ।

(I). प्राथमिक स्तर

सारणी: 5.45

जिला	अनुपात	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
इलाहाबाद	सकल	55.4	62.3	62.6	93.9	100.3
	शुद्ध	55.0	58.6	58.0	80.2	87.3
झांसी	सकल	77.2	79.2	84.7	101.5	97.9
	शुद्ध	70.3	72.2	74.9	91.5	87.1
सिद्धार्थ नगर	सकल	73.8	77.0	82.1	102.6	106.7
	शुद्ध	66.8	71.6	76.8	94.2	93.7
सीतापुर	सकल	79.5	88.8	889	129.4	139.0
	शुद्ध	79.3	79.8	83.3	100.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(II). उच्च प्राथमिक

सारणी: 5.46

जिला	अनुपात	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
इलाहाबाद	सकल	28.0	26.6	27.9	50.8	60.7
	शुद्ध	20.3	23.9	23.4	39.6	45.6
झांसी	सकल	43.0	37.1	46.6	52.4	63.6
	शुद्ध	34.5	28.6	34.9	43.0	53.9
सिद्धार्थ नगर	सकल	20.5	24.4	26.9	26.9	33.3
	शुद्ध	16.9	19.8	21.6	21.6	24.7
सीतापुर	सकल	34.8	31.4	31.3	43.3	51.7
	शुद्ध	20.9	21.8	24.1	29.8	42.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(इ).अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति :

(I). प्राथमिक स्तर पर

जिला इलाहाबाद:

सारणी: 5.47

(आंकड़े प्रतिशत)

वर्ग	2001–2	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	–	37.4	36.8	35.5	31.2	30.2
अनुसूचित जाति में बालिका	–	47.2	47.5	48.0	48.0	49.2
जनजाति	–	0.1	0.1	0.2	0.13	0.16
जनजाति में बालिका	–	47.4	41.9	47.7	43.6	51.6
पिछड़े वर्ग	–	–	–	–	49.9	53.4
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	–	49.7	50.3
मुस्लिम	–	–	–	–	–	7.1
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	–	49.4

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.48

वर्ग	2001—2	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
अनुसूचित जाति	35.2	35.5	35.6	35.2	33.2	32.8
अनुसूचित जाति में बालिका	45.7	46.5	47.3	47.1	47.2	47.5
जनजाति	0.7	0.4	0	0	0.05	0.28
जनजाति में बालिका	54.9	39.1	55.6	0	27.5	39.6
पिछड़े वर्ग	—	—	—	—	49.2	51.5
पिछड़े वर्ग में बालिका	—	—	—	—	48.2	48.7
मुस्लिम	—	—	—	—	—	3.3
मुस्लिम में बालिका	—	—	—	—	—	47.3

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.49

वर्ग	2001—2	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
अनुसूचित जाति	29.6	28.3	28.0	26.9	33.2	24.4
अनुसूचित जाति में बालिका	43.5	44.2	44.6	45.7	47.2	48.6
जनजाति	0	0	0	0.3	0.05	0.10
जनजाति में बालिका	43.1	32	52.6	46.8	27.5	49.0
पिछड़े वर्ग	—	—	—	—	57.9	59.3
पिछड़े वर्ग में बालिका	—	—	—	—	44.9	47.7
मुस्लिम	—	—	—	—	—	15.0
मुस्लिम में बालिका	—	—	—	—	—	40.7

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.50

वर्ग	2001–2	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	–	43.6	42.2	33.4	33.2	365
अनुसूचित जाति में बालिका	–	46.2	46.2	46.7	47.2	49.2
जनजाति	–	0.1	0.1	3.8	0.05	0.14
जनजाति में बालिका	–	43.6	46.1	44.7	27.5	49.4
पिछड़े वर्ग	–	–	–	–	36.5	42.5
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	–	48.1	49.3
मुस्लिम	–	–	–	–	–	5.0
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	–	47.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(II). उच्च प्राथमिक

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.51

(आंकड़े प्रतिशत)

वर्ग	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	–	26.9	27.5	28.6	25.4	25.4
अनुसूचित जाति में बालिका	–	34.9	38.5	42.0	45.0	45.4
जनजाति	–	0.4	0.1	0	0.28	0.14
जनजाति में बालिका	–	36.4	54.2	38.6	56.3	48.8
पिछड़े वर्ग	–	–	–	–	48.0	49.0
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	–	46.5	46.3
मुस्लिम	–	–	–	–	–	5.1
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	–	52.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.52

वर्ग	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	38.1	37.7	37.2	36.4	34.5	34.0
अनुसूचित जाति में बालिका	35.6	37.9	38.9	40.6	42.2	43.7
जनजाति	0.6	1.0	0	0	0.21	0.92
जनजाति में बालिका	19.4	46.6	0	44.4	27.0	43.4
पिछड़े वर्ग	–	–	–	–	44.6	46.3
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	–	44.1	45.0
मुस्लिम	–	–	–	–	–	3.5
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	–	48.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.53

वर्ग	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	24.4	24.8	25.9	26.1	23.7	25.1
अनुसूचित जाति में बालिका	27.7	31.6	34.0	35.9	40.5	42.4
जनजाति	0.0	0.1	0	0.5	0.16	0.0
जनजाति में बालिका	0	57.1	20	40.5	30.9	0.0
पिछड़े वर्ग	–	–	–	–	48.1	48.9
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	–	36.2	39.3
मुस्लिम	–	–	–	–	–	16.3
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	–	37.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.54

वर्ग	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अनुसूचित जाति	38.1	37.7	33.4	23.7	38.6
अनुसूचित जाति में बालिका	35.9	38.1	40.5	40.5	48.2
जनजाति	0.2	0.2	4.6	0.16	0.05
जनजाति में बालिका	35.4	34.0	40.2	30.9	42.0
पिछड़े वर्ग	–	–	–	32.9	34.5
पिछड़े वर्ग में बालिका	–	–	–	45.0	48.0
मुस्लिम	–	–	–	–	3.2
मुस्लिम में बालिका	–	–	–	–	47.7

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

अध्ययन के लिये चयनित जिलों की सारणी कमांक 5.47 से 5.54 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन भी वर्षवार बढ़ा है ।

(फ). बालिका नामांकन का प्रतिशत

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.55

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	49.2	49.5	49.5	50.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	41.5	42.9	47.7	48.4
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	45.9	45.0	60.6	54.3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	43.6	45.8	45.8	45.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	29.2	41.0	42.5	40.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.56

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	47.7	47.6	48.1	48.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	41.1	40.3	43.1	44.4
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	41.7	43.3	47.8	26.4
उच्च प्राथमिक विद्यालय	41.4	43.4	43.7	45.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	29.7	38.6	52.3	46.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.57

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	42.6	44.1	45.7	48.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	31.2	33.2	36.2	41.9
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	37.5	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	33.4	35.8	39.4	42.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	25.5	23.7	35.6	36.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुर:

सारणी: 5.58

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	45.6	46.7	48.3	49.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	36.3	42.0	45.9	49.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	81.0	49.1	47.6	51.3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	38.7	41.7	47.2	48.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	41.0	30.3	41.2	50.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 5.55 से 5.58 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में भी जिलेवार तथा वर्षवार बढ़ोतरी हुई है ।

(य). उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात

सारणी: 5.59

प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात

कमांक	जिले का नाम	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1.	आगरा	80.7	80.56	86.13	66.1	84.5	84.7
2.	अम्बेडकरनगर	98.9	99.21	104.19	101.4	135.9	131.0
3.	आजमगढ़	80.8	86.81	100.56	101.4	120.8	127.8
4.	बागपत	106.7	110.51	105.16	54.0	78.1	84.2
5.	बहराईच	82.4	83.01	102.87	93.8	111.3	121.8
6.	बलिया	83.6	88.33	92.98	95.4	110.9	117.4
7.	बिजनौर	94.7	92.00	97.05	76.6	114.2	139.7
8.	बाराबंकी	81.3	82.36	90.12	107.0	129.7	132.8
9.	बुलन्दशहर	103.2	105.16	96.92	66.3	88.0	102.6
10.	एटा	93.2	96.72	98.22	79.2	100.3	123.4
11.	फैजाबाद	78.4	82.40	99.93	88.1	89.8	92.1
12.	फरूर्खाबाद	74.8	75.86	92.48	89.9	121.6	143.1
13.	फतेहपुर	75.9	8208	88.78	89.3	116.0	122.0
14.	जी.बी. नगर	103.3	107.05	103.90	63.1	79.4	90.0
15.	गाजियाबाद	77.9	87.05	103.55	51.1	64.9	67.2
16.	गाजीपुर	74.2	83.58	89.16	84.8	104.9	116.2
17.	हमीरपुर	80.1	80.90	89.82	90.5	115.8	118.2
18.	जालौन	90.2	90 .37	92.91	89.4	114.5	122.6
19.	जौनपुर	91.4	89.50	96.73	91.1	94.4	102.2
20.	झासी	89.0	103.42	94.79	84.7	101.5	97.9
21.	कन्नौज	68.3	78.60	78.71	79.4	100.8	110.3
22.	कानपुर देहात	79.7	80.61	82.33	91.4	113.2	112.0
23.	कुशीनगर	104.8	101.89	96.47	400.8	127.9	133.8
24.	महोबा	93.5	94.98	94.94	103.0	129.7	138.3
25.	मैनपुरी	75.8	86.45	90.87	85.3	109.8	121.4
26.	मथुरा	75.2	73.36	95.08	75.2	98.4	105.3
27.	मऊ	93.1	100.61	108.95	96.3	118.6	132.8
28.	मेरठ	64.0	63.20	74.61	45.3	59.6	98.7
29.	मिर्जापुर	83.3	81.61	95.80	95.9	121.5	122.9
30.	मुजफ्फरनगर	54.0	51.76	85.21	57.0	77.9	77.8
31.	प्रतापगढ़	101.2	92.13	86.48	107.0	132.2	133.1
32.	रायबरेली	88.3	78.80	93.88	82.9	103.9	107.7
33.	रामपुर	93.5	96.29	109.67	99.2	137.2	138.9

34.	श्रावस्ती	90.0	91.99	106.60	100.7	124.2	96.3
35.	सुल्तानपुर	104.5	80.34	94.88	92.0	111.3	114.6
36.	उन्नाव	102.8	95.95	99.66	98.8	119.2	119.7
37.	अलीगढ़	-	67.30	86.16	60.5	86.9	96.6
38.	इलाहाबाद	-	65.64	75.21	62.6	93.9	100.3
39.	औरैया	-	76.94	97.81	95.7	114.0	124.5
40.	बलरामपुर	-	79.24	102.20	98.2	115.5	117.2
41.	बाँदा	-	81.37	95.07	94.5	127.0	133.2
42.	बरेली	-	97.36	89.87	77.7	104.6	110.1
43.	बस्ती	-	104.53	99.91	91.1	118.0	130.7
44.	भदोही	-	99.34	102.84	96.9	105.0	109.2
45.	बदायूँ	-	75.70	107.08	95.1	120.8	131.5
46.	चन्दौली	-	97.34	100.56	89.6	119.4	114.6
47.	चित्रकूट	-	101.18	95.43	108.4	138.8	147.1
48.	देवरिया	-	75.08	87.02	79.2	100.3	101.9
49.	इटावा	-	81.43	99.23	94.0	115.1	124.7
50.	फिरोजाबाद	-	94.01	100.52	88.1	89.8	107.1
51.	गोण्डा	-	101.71	111.36	98.0	121.2	122.1
52.	गोरखपुर	-	71.22	92.22	74.7	88.4	91.9
53.	हरदोई	-	100.08	100.64	118.4	145.3	147.2
54.	हाथरस	-	62.87	94.35	78.5	134.7	149.5
55.	जे.पी. नगर	-	106.84	100.25	92.3	137.4	150.4
56.	कानपुर नगर	-	43.97	58.16	54.5	68.6	76.0
57.	कौशाम्बी	-	70.96	103.59	88.5	113.6	120.6
58.	खीरी	-	107.02	91.79	94.8	118.2	120.9
59.	ललितपुर	-	115.15	103.28	106.4	140.7	146.1
60.	लखनऊ	-	59.49	69.25	57.9	79.1	83.1
61.	महराजगंज	-	99.53	97.61	97.9	122.5	127.7
62.	मुरादाबाद	-	94.20	104.06	95.3	128.5	126.2
63.	पीलीभीत	-	91.51	104.85	92.2	108.7	109.0
64.	सहारनपुर	-	70.41	75.62	67.9	89.9	98.6
65.	संतकबीर नगर	-	71.62	75.87	76.0	91.9	106.4
66.	शाहजहाँपुर	-	91.02	99.77	94.3	121.6	127.1
67.	सिद्धार्थ नगर	-	104.75	91.35	82.1	102.6	106.7
68.	सीतापुर	-	80.60	81.12	88.9	129.4	139.0
69.	सोनभद्र	-	99.72	87.25	87.9	118.4	127.0
70.	वाराणसी	-	66.97	73.96	58.8	73.3	76.8
	प्रतिशत माध्य	-	**85.47**	**92.80**	**90.15**	**109.21**	**115.7**

स्रोत : स्टेप रिपोर्ट और ई.एम.आई.एस आंकड़े

प्राथमिक स्तर के सकल नामांकन अनुपात के प्रतिशत माध्य की प्रगति हो हम निम्नांकित ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं:

ग्राफ कमांक: 5.2

सारणी: 5.60

प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात

कमांक	जिले का नाम	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1.	आगरा	70.8	73.37	79.16	60.1	79.7	79.3
2.	अम्बेडकरनगर	84.6	86.01	93.71	93.3	100.0	100.0
3.	आजमगढ़	80.8	81.33	98.90	97.3	100.0	100.0
4.	बागपत	86.3	90.26	70.56	46.1	62.2	68.2
5.	बहराईच	71.5	73.83	84.04	84.0	100.0	100.0
6.	बलिया	75.9	83.63	90.13	93.5	100.0	100.0
7.	बिजनौर	76.6	81.48	81.54	60.6	91.8	100.0
8.	बाराबंकी	67.3	68.73	76.39	88.0	100.0	100.0
9.	बुलन्दशहर	80.1	79.84	69.91	49.9	72.7	77.8
10.	एटा	77.9	81.18	84.16	72.9	93.5	100.0
11.	फैजाबाद	67.0	70.45	87.04	80.7	80.0	82.6
12.	फरूर्खाबाद	71.4	73.26	81.87	82.7	100.0	100.0
13.	फतेहपुर	71.6	81.88	87.30	88.9	100.0	100.0
14.	जी.बी. नगर	82.9	86.38	83.42	50.1	62.2	67.7
15.	गाजियाबाद	65.8	75.19	89.07	43.1	54.9	62.2
16.	गाजीपुर	73.0	83.53	86.28	82.1	91.4	100.0

17.	हमीरपुर	64.4	71.17	84.26	82.4	100.0	100.0
18.	जालौन	77.8	78.03	83.22	78.0	98.7	100.0
19.	जौनपुर	91.4	89.44	96.70	89.8	93.9	100.0
20.	झासी	78.0	94.15	86.44	74.9	91.5	87.1
21.	कन्नौज	59.7	69.48	67.55	65.9	86.1	100.0
22.	कानपुर देहात	72.8	75.86	81.18	86.9	100.0	100.0
23.	कुशीनगर	86.6	89.38	91.64	94.3	100.0	100.0
24.	महोबा	87.0	94.10	93.45	96.9	100.0	100.0
25.	मैनपुरी	58.7	86.09	89.59	75.2	100.0	100.0
26.	मथुरा	62.2	63.32	82.87	66.2	86.1	91.5
27.	मऊ	82.2	91.38	84.93	79.1	100.0	100.0
28.	मेरठ	52.8	53.96	60.99	37.3	48.4	60.6
29.	मिर्जापुर	80.4	80.74	93.90	93.5	100.0	100.0
30.	मुजफ्फरनगर	35.0	35.93	59.99	46.7	57.6	75.6
31.	प्रतापगढ़	89.9	91.80	95.78	88.9	100.0	100.0
32.	रायबरेली	75.9	73.97	89.13	79.6	99.7	100.0
33.	रामपुर	81.0	82.17	97.73	85.5	100.0	100.0
34.	श्रावस्ती	79.4	81.62	96.08	90.9	100.0	86.7
35.	सुल्तानपुर	69.4	76.93	80.09	89.0	100.0	100.0
36.	उन्नाव	74.6	93.50	98.05	86.1	100.0	100.0
37.	अलीगढ़	-	67.30	86.16	56.3	78.6	88.8
38.	इलाहाबाद	-	65.25	70.73	58.0	80.2	87.3
39.	औरैया	-	60.21	87.39	81.9	99.9	100.0
40.	बलरामपुर	-	96.62	94.83	92.9	100.0	100.0
41.	बाँदा	-	79.06	86.62	85.4	100.0	100.0
42.	बरेली	-	85.78	80.72	70.3	95.0	100.0
43.	बस्ती	-	92.57	85.69	80.1	100.0	100.0
44.	भदोही	-	99.33	98.10	91.5	100.0	100.0
45.	बदायूँ	-	67.52	97.27	86.1	100.0	100.0
46.	चन्दौली	-	97.29	98.86	83.4	100.0	100.0
47.	चित्रकूट	-	94.17	93.97	94.9	100.0	100.0
48.	देवरिया	-	65.90	78.35	72.9	93.5	97.1
49.	इटावा	-	68.68	82.72	78.2	100.0	100.0
50.	फिरोजाबाद	-	86.10	95.51	80.7	80.0	100.0
51.	गोण्डा	-	87.11	97.43	87.1	100.0	100.0
52.	गोरखपुर	-	66.87	90.73	73.9	87.0	89.9
53.	हरदोई	-	97.17	99.45	89.2	100.0	100.0
54.	हाथरस	-	53.77	86.87	72.2	100.0	100.0
55.	जे.पी. नगर	-	78.75	95.64	76.0	100.0	100.0

56.	कानपुर नगर	-	42.10	52.25	52.3	61.9	73.9
57.	कौशाम्बी	-	70.96	98.49	84.8	100.0	100.0
58.	खीरी	-	97.44	89.40	90.8	100.0	100.0
59.	ललितपुर	-	97.56	88.41	92.1	100.0	100.0
60.	लखनऊ	-	57.46	67.81	52.0	73.0	73.8
61.	महराजगंज	-	97.32	96.92	93.0	100.0	100.0
62.	मुरादाबाद	-	60.20	93.97	82.2	100.0	100.0
63.	पीलीभीत	-	84.75	98.20	85.1	100.0	100.0
64.	सहारनपुर	-	65.38	62.13	56.0	78.4	85.9
65.	संतकबीर नगर	-	65.31	70.14	69.9	85.9	100.0
66.	शाहजहाँपुर	-	86.71	90.80	89.0	100.0	100.0
67.	सिद्धार्थ नगर	-	96.86	84.99	76.8	94.2	93.7
68.	सीतापुर	-	80.53	77.31	83.3	100.0	100.0
69.	सोनभद्र	-	99.21	87.21	86.5	100.0	100.0
70.	वाराणसी	-	64.89	72.08	55.0	69.9	73.3
	प्रतिशत माध्य		**78.12**	**86.39**	**77.43**	**91.83**	**94.3**

स्त्रोत : स्टेप रिपोर्ट और ई.एम.आई.एस.

प्राथमिक स्तर के शुद्ध नामांकन अनुपात के प्रतिशत माध्य की प्रगति हो हम निम्नांकित ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं:

ग्राफ कमांक: 5.3

सारणीः 5.61

उच्च प्राथमिक स्तर का सकल नामांकन अनुपात

कमाक	जिले का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1.	आगरा	21.31	23.99	20.7	26.4	27.8
2.	अम्बेडकरनगर	70.53	66.73	64.1	86.3	77.5
3.	आजमगढ़	22.44	85.46	41.1	56.6	65.5
4.	बागपत	38.83	49.62	31.2	42.9	53.4
5.	बहराईच	20.36	25.47	20.5	22.0	31.4
6.	बलिया	49.59	48.49	43.7	46.6	49.3
7.	बिजनौर	24.77	67.93	37.1	54.2	59.1
8.	बाराबंकी	34.25	37.25	32.5	45.1	50.0
9.	बुलन्दशहर	7.19	8.24	13.1	23.1	57.1
10.	एटा	30.70	42.43	24.9	35.7	101.7
11.	फैजाबाद	38.33	49.15	51.0	53.7	77.2
12.	फर्रूखाबाद	18.75	20.54	29.0	37.5	35.1
13.	फतेहपुर	40.23	47.26	36.3	47.5	61.3
14.	जी.बी. नगर	22.23	44.55	27.8	32.4	11.4
15.	गाजियाबाद	16.73	32.83	20.6	22.5	28.1
16.	गाजीपुर	22.72	30.88	19.5	26.6	33.4
17.	हमीरपुर	55.12	50.03	46.2	58.6	19.1
18.	जालौन	48.86	51.19	39.6	59.8	25.2
19.	जौनपुर	41.81	28.75	29.2	36.0	87.2
20.	झाँसी	88.23	62.75	46.6	52.4	63.6
21.	कन्नौज	13.63	22.89	15.2	32.5	37.1
22.	कानपुर देहात	43.23	46.30	42.3	51.7	21.2
23.	कुशीनगर	26.20	40.43	35.0	40.5	60.0
24.	महोबा	65.80	61.44	48.4	56.8	30.1
25.	मैनपुरी	-	27.77	31.3	34.1	41.6
26.	मथुरा	33.24	31.08	23.4	34.8	43.9
27.	मऊ	25.59	29.47	29.7	37.3	27.1
28.	मेरठ	17.54	29.11	22.1	28.9	45.7
29.	मिर्जापुर	46.52	63.74	49.6	60.8	36.4
30.	मुजफ्फरनगर	9.17	22.79	22.2	21.1	50.2
31.	प्रतापगढ़	31.86	51.22	47.3	67.8	66.7
32.	रायबरेली	39.88	40.43	34.4	43.0	71.9
33.	रामपुर	18.75	21.18	17.2	27.7	22.8

34.	श्रावस्ती	34.69	36.66	26.0	32.3	26.9
35.	सुल्तानपुर	41.64	41.66	44.2	51.5	56.2
36.	उन्नाव	17.79	40.03	40.4	46.5	45.5
37.	अलीगढ़	29.21	23.49	22.7	36.8	42.7
38.	इलाहाबाद	34.17	30.43	27.9	50.8	60.7
39.	औरैया	27.91	61.53	58.1	68.6	81.8
40.	बलरामपुर	18.17	19.25	21.2	29.8	33.2
41.	बाँदा	43.15	51.53	39.0	51.3	56.1
42.	बरेली	51.38	26.23	24.6	31.9	35.8
43.	बस्ती	51.97	40.67	38.2	48.0	58.5
44.	भदोही	64.94	63.98	59.2	62.8	33.4
45.	बदायूँ	13.44	24.99	28.4	37.9	45.7
46.	चन्दौली	60.26	56.61	38.8	63.7	141.3
47.	चित्रकूट	89.68	78.03	40.4	55.6	19.1
48.	देवरिया	13.33	21.85	24.9	35.7	36.2
49.	इटावा	36.64	57.59	59.5	68.2	49.8
50.	फिरोजाबाद	24.98	31.32	29.0	37.4	67.7
51.	गोण्डा	26.21	28.85	28.2	35.3	31.2
52.	गोरखपुर	39.36	49.52	30.2	35.1	140.5
53.	हरदोई	45.83	34.25	31.1	45.8	122.7
54.	हाथरस		35.29	27.0	50.9	62.6
55.	जे.पी. नगर	31.94	29.66	28.1	61.3	78.4
56.	कानपुर नगर	18.49	50.00	33.1	38.7	140.4
57.	कौशाम्बी	25.42	30.61	27.9	35.0	17.0
58.	खीरी	25.53	33.49	31.9	43.3	52.3
59.	ललितपुर	62.49	65.59	51.1	62.4	18.8
60.	लखनऊ	15.9	28.18	17.8	26.9	54.8
61.	महराजगंज	22.78	24.47	27.4	34.8	123.0
62.	मुरादाबाद	33.28	36.18	25.8	47.0	56.5
63.	पीलीभीत	35.97	31.73	33.2	41.3	27.3
64.	सहारनपुर	-	30.54	26.6	39.0	92.4
65.	संतकबीर नगर	41.53	29.45	31.0	37.5	43.6
66.	शाहजहाँपुर	17.80	20.14	22.6	33.4	40.5
67.	सिद्धार्थ नगर	21.59	26.42	26.9	29.9	33.3
68.	सीतापुर	36.96	43.86	31.3	43.3	51.7
69.	सोनभद्र	36.92	26.16	33.4	47.2	6.1
70.	वाराणसी	36.32	42.62	33.0	41.0	44.5
	प्रतिशत माध्य	**35.42**	**37.78**	**33.04**	**43.44**	**52.8**

स्त्रोत : स्टेप रिपोर्ट और ई.एम.आई.एस.

उच्च प्राथमिक स्तर के सकल नामांकन अनुपात के प्रतिशत माध्य की प्रगति हो हम निम्नांकित ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं:

ग्राफ कमांक: 5.4

सारणी: 5.62

उच्च प्राथमिक स्तर का शुद्ध नामांकन अनुपात

कमाक	जिले का नाम	2002—03	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
1.	आगरा	21.31	23.99	17.7	22.9	23.4
2.	अम्बेडकरनगर	70.62	66.71	53.9	57.3	64.4
3.	आजमगढ़	22.44	85.45	37.2	52.2	53.3
4.	बागपत	38.83	49.352	23.7	32.1	35.3
5.	बहराईच	20.34	25.50	15.4	19.1	26.5
6.	बलिया	49.59	48.49	41.5	44.0	42.1
7.	बिजनौर	25.77	67.93	26.3	36.6	48.7
8.	बाराबंकी	34.24	37.25	28.4	41.9	40.9
9.	बुलन्दशहर	7.19	8.23	8.4	16.6	36.9
10.	एटा	30.69	42.33	20.4	29.5	78.3
11.	फैजाबाद	38.37	49.13	45.0	45.0	59.8
12.	फरूर्खाबाद	18.74	20.54	23.6	36.4	26.8
13.	फतेहपुर	40.23	47.25	25.0	34.5	54.9
14.	जी.बी. नगर	22.23	44.53	21.2	23.9	8.4
15.	गाजियाबाद	16.39	32.53	16.9	17.1	21.4
16.	गाजीपुर	22.72	30.33	15.3	17.0	23.7
17.	हमीरपुर	55.12	50.03	34.3	46.0	15.2
18.	जालौन	48.83	51.17	30.4	46.6	20.7

19.	जौनपुर	41.81	28.75	26.3	32.4	70.8
20.	झाँसी	88.10	62.71	34.9	43.0	53.9
21.	कन्नौज	13.67	22.36	11.3	24.6	28.1
22.	कानपुर देहात	43.28	46.30	34.0	38.4	16.5
23.	कुशीनगर	26.20	40.43	31.5	35.8	41.2
24.	महोबा	65.80	61.41	37.4	38.4	20.1
25.	मैनपुरी	-	27.37	23.4	27.7	30.5
26.	मथुरा	33.22	31.03	17.8	28.1	33.3
27.	मऊ	25.59	29.17	21.1	32.1	22.5
28.	मेरठ	17.54	29.11	16.9	22.1	35.9
29.	मिर्जापुर	46.92	63.70	45.1	54.6	30.3
30.	मुजफ्फरनगर	9.17	22.79	15.9	13.5	35.7
31.	प्रतापगढ़	31.86	51.22	43.5	64.3	52.2
32.	रायबरेली	39.86	40.42	28.6	32.3	52.8
33.	रामपुर	18.74	21.13	10.9	20.5	16.7
34.	श्रावस्ती	34.68	36.54	20.7	29.5	21.4
35.	सुल्तानपुर	41.54	41.63	36.5	42.2	42.3
36.	उन्नाव	19.79	40.03	32.5	33.8	35.6
37.	अलीगढ़	29.21	23.49	18.2	29.1	33.1
38.	इलाहाबाद	34.17	30.42	23.4	39.6	45.6
39.	औरैया	27.91	61.53	43.8	54.3	66.2
40.	बलरामपुर	18.17	1925	18.9	18.7	29.1
41.	बाँदा	43.15	51.52	30.6	39.3	45.3
42.	बरेली	51.38	26.20	17.5	23.9	27.0
43.	बस्ती	51.96	40.66	28.2	37.7	52.6
44.	भदोही	64.94	63.97	31.5	47.3	28.8
45.	बदायूँ	13.44	24.96	20.7	29.1	34.9
46.	चन्दौली	60.26	56.77	30.0	59.7	100.0
47.	चित्रकूट	89.66	78.03	30.3	41.8	12.8
48.	देवरिया	13.33	21.84	20.4	29.5	28.8
49.	इटावा	36.63	57.58	48.6	51.8	39.7
50.	फिरोजाबाद	24.98	31.32	22.3	32.1	61.7
51.	गोण्डा	26.21	28.85	22.2	27.8	25.9
52.	गोरखपुर	39.36	49.52	29.4	33.9	100.0
53.	हरदोई	45.47	34.24	25.0	34.8	100.0
54.	हाथरस	-	35.29	23.2	36.6	45.9
55.	जे.पी. नगर	31.94	29.65	21.4	45.1	59.5
56.	कानपुर नगर	18.49	50.00	27.1	29.7	100.0
57.	कौशाम्बी	25.42	30.61	25.7	25.4	16.6
58.	खीरी	25.53	33.48	28.5	35.2	36.9
59.	ललितपुर	62.33	65.43	37.8	29.2	34.6
60.	लखनऊ	15.90	28.318	13.9	21.8	44.7

61.	महराजगंज	22.78	24.47	25.1	31.1	100.0
62.	मुरादाबाद	33.37	36.13	20.0	35.2	42.0
63.	पीलीभीत	35.96	31.72	25.9	32.2	21.4
64.	सहारनपुर	-	30.50	18.9	29.7	71.6
65.	संतकबीर नगर	41.52	29.45	24.4	28.5	37.7
66.	शाहजहाँपुर	17.80	20.14	19.5	21.7	28.2
67.	सिद्धार्थ नगर	21.259	26.41	21.6	23.1	24.7
68.	सीतापुर	37.02	4384	24.1	29.8	42.2
69.	सोनभद्र	36.92	26.16	31.3	40.0	48.4
70.	वाराणसी	36.32	42.62	28.0	35.6	39.4
	योग/प्रतिशत माध्य	**35.41**	**37.77**	**26.43**	**34.43**	**41.8**

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

उच्च प्राथमिक स्तर के शुद्ध नामांकन अनुपात के प्रतिशत माध्य की प्रगति हो हम निम्नांकित ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं–

ग्राफ कमांक: 5.5

ग्राफ कमांक 5.2 से 5.5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में वर्षवार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में काफी वृद्धि हुई है । प्रदेश के वर्षवार लिंग समानता सुचकांक को हम सारणी कमां 5.63 की सहायता से देख सकते हैं ।

लिंग समानता सूचकांक

सारणीः 5.63

जिले का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1. इलाहाबाद	–	–	0.98	0.97	1.00
2.. झांसी	–	–	0.89	0.91	0.93
3. सिद्धार्थनगर	–	–	0.78	0.84	0.92
4. सीतापुर	–	–	0.88	0.94	0.98

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(र). **पूर्व में हुए शोध अध्ययन के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप का प्रभावः** सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कराये गये शोध अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिये गये है, जो हस्तक्षेपों पर आधारित है–

श्रीवास्तव, मयंक (2002) ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जिलों का चयन किया गया । अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।

- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोपरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है। बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई।
- पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई।
- सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है।
- 83.5 प्रतिशत अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मिलने संबंधी जानकारी से परिचित है।
- 86 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार पुस्तकों के मिलने से बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है।

बत्रा, रजनी (2008), ने समेकित शिक्षा के अंर्तगत संचालित किये गये ब्रिजकोर्स के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के बॉदा, फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर जिलों से 4 – 4 विकासखण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में प्रत्येक जिले से 40 बच्चों तथा 40 अभिभावकों को (लखनऊ से 35) का चयन किया गया । अध्ययन में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार पाया गया कि 86.3 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित है । 2556 बच्चों में से 19.2 प्रतिशत बच्चो जो नियमित विद्यालय जाने से बड़े उम्र के हैं वे आवासीय ब्रिजकोर्स में अध्ययन कर रहे है । अध्ययन के लिये चिन्हित 212 शिक्षकों में से 84.9 प्रतिशत शिक्षकों ने इस ब्रिजकोर्स को काफी उपयोगी बताया । 66.98 प्रतिशत शिक्षकों ने यह भी स्वीकार किया कि वे विद्यालय के कोर्स के कारण इन बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते है । 37.26 प्रतिशत के अनुसार बच्चों की चंचलता के कारण उन्हे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाने में असुविधा होती है । शिक्षकों ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने में विशेष रुचि नहीं दिखाते जिनके कारणों में 46.69 प्रतिशत अधिक विकलांगता का होना, 46.22 प्रतिशत विकलांगता के प्रकार, 30.66 प्रतिशत परिवार की रुचि, 41.51 प्रतिशत विकलांग बच्चों के सीखने की दक्षता है । 64 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति भी शिक्षा में रुचि न लेने का कारण है । कुल मिलाकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में ब्रिजकार्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है ।

पाण्डेय, सुषमा (2008), ने उच्च प्राथमिक स्तर पर गठित मीना मंच की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के फतेहपुर, रायबरेली, बरेली, इटावा एवं बस्ती जिले से क्रमशः 55, 78, 87, 79, 69 मीना मंच केन्द्रों को चयनित किया गया । जिसमें से 12000 विद्यार्थियों एवं 4000 अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में पाया गया कि 43.75 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना कक्षा कक्ष स्थापित किये गये है । 88 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिका द्वारा मीना मंचों का संचालन किया जा रहा है । 31.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना पुस्तकालय स्थापित है । 75.28 प्रतिशत उच्च प्रथामिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का चार्ट विद्यालय में बनाया गया है । 55.74 प्रतिशत बालिकाये सही उम्र में विद्यालय में नामांकित नहीं होती । 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना किट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है । मीना मंच अपने निर्धारित कार्य को 60 प्रतिशत तक पूरा करने की कोशिश कर रहे है ।

(ल). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामाकंन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको का मतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामाकंन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ–

- 95.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में लगभग शत प्रतिशत बच्चे पढ़ने के लिये आते है?
- 92.21 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक विद्यालय में भेजने लगे है ।
- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।
- 81.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- 95.83 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार निर्धारित मादण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- 94.64 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार निर्धारित मादण्ड के अनुसार बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।
- 83.93 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।

- 73.81 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी है/जा रही है जिससे बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चें का नामांकन बढ़ा है।

- 85.12 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते है ।

- 79.76 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।

- 76.56 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।

- 93.75 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।

- 96.25 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।

नामांकन के क्षेत्र में अभी भी जो कुछ बच्चे नहीं आ रहे है के संबंध में विभिन्न स्तर से निम्नांकित समस्याये परिलक्षित हुई हैं –

- बालिकाओं को घरेलू व परिवारिक जिम्मेदारी से जोड़ देने के कारण उनका विद्यालय न जा पाना । जो लड़किया विद्यालय नहीं जाती वो अपने छोटे भाई–बहिन की देख रेख करते पाई गई ।
- अभिभावकों का अपनी बालिकाओं के प्रति असुरक्षा के पाये जाने के कारण विद्यालय न भेजा जाना । मुख्यः जिन विद्यालय में महिला शिक्षिका नहीं है वहॉ के अधिकतर अभिभावक अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों का यदि हम अवलोकन करे तो पाते है कि आज भी अधिकतर विद्यालय बिना महिला शिक्षिका के संचालित है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में बिना महिला शिक्षक वाले विद्यालय का प्रतिशत निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.64

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	19.8	18.9	14.3	13.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25.7	33.8	32.1	34.9
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25.0	40.5	38.9	45.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	39.8	49.3	43.9	40.1
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	23.1	52.2	88.9	75.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.65

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	44.7	38.9	36.0	15.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	22.5	25.0	22.1	23.2
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	20.0	12.5	25.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	57.7	47.1	56.5	49.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	66.7	37.5	48.0	62.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.66

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	37.9	36.3	24.4	21.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	68.8	60.0	57.1	52.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	100.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	48.8	42.3	29.2	25.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	76.2	72.7	72.0	74.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.67

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	39.0	46.2	37.4	24.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	48.3	40.7	45.3	46.9
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	16.7	60.0	68.6	63.2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	58.2	57.2	57.0	55.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	63.6	41.7	66.7	70.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

- अनपढ़ अभिभावकों की शिक्षा के प्रति रूचि न होने के कारण बच्चों को विद्यालय न भेजा जाना ।
- आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजकर आर्थिक धन अर्जन के कार्य से जोड़ देना ।
- उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय न भेजना ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों के न होने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं ।

इस प्रकार विभिन्न स्तर के विश्लेषण के आधार पर कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामाकंन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का नामांकन बढ़ा है । इस प्रकार 'अ' से 'र' तक के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से बच्चों का नामांकन बढ़ा है और इसकी वृद्धि में जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अर्थात वृद्धि सभी क्षेत्रों में हुई है ।

5.02.4 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना है । सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जहॉ एक ओर बच्चों के नामांकन हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं, वही बच्चों का विद्यालय में ठहराव बना रहे को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रयास किये गये । इन प्रयासो के अंतर्गत जहॉ एक ओर ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय किया गया है वही दूसरी ओर शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है । जो लड़कियां अपने छोटे भाई–बहिन की देख–रेख के कारण बीच में ही विद्यालय छोड़ देती थी इससे छुटकारा पाने के लिये जहॉ आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, वही नये शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की गई है ताकि छोटे बच्चे शिशु केन्द्र में रहे तथा लड़कियां विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके । इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्द्रित एवं गतिविधि आधारित बनाया गया है । विद्यालय में लड़कियों के लिये अलग से शौचालयों की स्थापना की गई है । विद्यालयों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था के साथ विद्यालय के परिवेश तथा कक्षा–कक्ष को आकर्षक बनाने के लिये विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है । शिक्षकों को नियमित अकादमिक सहयोग प्राप्त हो इसके लिये विकास खण्ड एवं सकुल स्तर पर क्रमशः विकासखण्ड समन्वयक एवं संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक की नियुक्ति की गई है । इसके अतिरिक्त विभिन्न शोध अध्ययनों के माध्यम से इस क्षेत्र में आ रही कमियों को जानकर उसे दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

इन विभिन्न प्रयासों के कारण बच्चों की जहॉ विद्यालय में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोशन दर बढ़ी है, रिपीटीशन दर कम हुई है वही बच्चों का विशेषकर लड़कियों की ठहराव दर बढ़ी है । बच्चों की ठहराव दर को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं –

(अ). **शैक्षिक सूचकांक की स्थिति :**

रिपीटीशन दर : अध्ययन के लिये चयनित जिलों में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्नानुसार रिपीटीशन संबंधी निम्नानुसार जानकारी प्राप्त होती है –

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.68

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	4.5	3.2	3.0	2.3
II	–	2.4	1.3	1.6	1.2
III	–	1.8	1.0	1.3	1.0
IV	–	1.4	0.9	1.1	0.8
V	–	1.1	1.0	1.1	0.7
I-V	–	**2.6**	**1.7**	**1.8**	**1.3**
VI	–	0.7	0.9	0.6	0.6
VII	–	0.4	0.9	1.2	0.3
VIII	–	0.5	0.9	0.8	0.3

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.69

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	1.7	2.2	1.6	1.0
II	–	1.4	1.5	1.6	1.3
III	–	1.8	2.4	2.1	1.7
IV	–	1.5	2.3	2.0	1.7
V	–	1.5	2.8	2.9	3.1
I-V	–	**1.6**	**2.2**	**2.0**	**1.7**
VI	–	0.6	0.8	1.2	1.4
VII	–	0.6	0.6	0.8	1.4
VIII	–	0.9	0.6	1.3	1.8

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणी: 5.70

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	6.4	5.8	3.9	0.9
II	–	1.6	1.8	1.2	0.4
III	–	1.1	1.3	0.8	0.3
IV	–	0.5	1.1	0.6	0.2
V	–	0.4	0.6	1.0	0.4
I-V	–	**2.8**	**2.7**	**1.8**	**0.5**
VI	–	0.1	1.1	0.4	0.1
VII	–	0.4	0.8	0.4	0.1
VIII	–	0.3	1.0	0.3	0.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी: 5.71

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	1.4	3.8	1.8	1.8
II	–	1.2	2.5	1.7	1.6
III	–	1.5	2.8	1.5	1.8
IV	–	1.3	2.5	1.4	1.5
V	–	1.1	2.9	2.0	1.5
I-V	–	**1.3**	**2.9**	**1.7**	**1.7**
VI	–	1.1	4.2	1.0	0.8
VII	–	0.9	2.1	0.9	0.4
VIII	–	0.7	2.4	1.0	0.4

उपरोक्त सारणी (सारणी कमांक 68 से 71) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बर्षवार बच्चों का कक्षा में रिपीटीशन दर कमशः कम हुई है ।

ड्राप आउट दर : अध्ययन के लिये चयनित जिलो में ड्राप आउट दर निम्नानुसार पाई गई –

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.72

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	8.1	12.9	–	2.4
II	–	–	7.1	–	1.4
III	–	3.0	11.1	–	8.0
IV	–	–	11.4	–	8.7
V	–	21.9	32.1	–	1.6
I-V	–	**5.0**	**13.5**	–	**4.3**
VI	–	–	3.7	–	–
VII	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.73

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	4.0	–	4.0	5.9
II	–	–	–	1.1	6.6
III	–	4.5	0.8	4.2	8.5
IV	–	3.3	1.1	4.4	9.6
V	–	37.3	21.0	26.6	29.8
I-V	–	**8.1**	**1.9**	**7.4**	**11.5**
VI	–	–	–	6.1	6.4
VII	–	–	–	3.1	9.2
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणीः 5.74

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	15.9	14.1	13.0	12.5
II	–	9.3	7.5	8.7	12.1
III	–	10.2	10.5	15.7	15.8
IV	–	12.3	11.0	18.5	18.7
V	–	35.5	35.8	32.3	33.5
I-V	–	**15.1**	**13.9**	**15.8**	**16.6**
VI	–	–	5.6	13.7	11.8
VII	–	–	6.7	20.8	13.7
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.75

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	6.9	–	–	–
II	–	–	1.4	–	–
III	–	8.3	5.9	–	3.3
IV	–	5.2	5.1	–	3.9
V	–	38.5	44.0	36.1	43.9
I-V	–	**9.7**	**8.8**	–	**7.3**
VI	–	0.5	13.2	–	–
VII	–	–	12.7	–	–
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

उपरोक्त सारणी (सारणी क्रमांक 72 से 75) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर जिला इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर में ड्राप आउट दर क्रमशः 4.3, 11.5, 16.6, 7.3 प्रतिशत है अर्थात सभी जिलों की ठहराव दर 83 प्रतिशत से अधिक है। यदि हम सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व के आंकड़ों का अवलोकन करे तो पाते है कि प्रदेश में ठहराव दर का प्रतिशत 50 से भी कम था । अर्थात विगत कुछ वर्षो में नामांकन के सापेक्ष बच्चों का ठहराव बढ़ा है ।

प्रमोशन दर : अध्ययन के लिये चयनित जिलों में जहाँ बच्चों का ठहराव बढ़ा है वही उनका एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोशन दर भी बढ़ी है । बच्चों की विभिन्न वर्षो में प्रमोशन दर को हम निम्नांकित सारणी की सहायता से देख सकते हैं–

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.76

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	87.4	83.9	–	95.3
II	–		91.6	–	97.3
III	–	95.2	87.9	–	91.0
IV	–		87.7	–	90.4
V	–	77.0	66.9	–	97.7
I-V	–	**92.4**	**84.8**	–	**94.4**
VI	–	–	95.4	–	–
VII	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.77

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	94.3	–	94.4	93.1
II	–	–	–	97.3	92.1
III	–	93.7	96.8	93.7	89.8
IV	–	95.2	96.8	93.6	88.7
V	–	61.2	76.2	70.5	67.1
I-V	–	**90.3**	**95.9**	**90.6**	**86.8**
VI	–	–	–	92.7	92.2
VII	–	–	–	96.2	89.4
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणीः 5.78

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	77.7	80.1	83.1	86.6
II	–	89.1	90.7	90.1	87.5
III	–	88.7	88.2	83.5	83.9
IV	–	87.2	87.9	81.0	81.0
V	–	64.1	63.6	66.7	66.1
I-V	–	**82.1**	**83.4**	**82.4**	**82.9**
VI	–	–	93.3	85.9	88.1
VII	–	–	92.5	78.8	86.1
VIII	–	–	–	–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.79

कक्षा	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
I	–	91.7	–	–	–
II	–	—	96.1	–	–
III	–	90.2	91.3	–	94.9
IV	–	93.5	92.4	–	94.6
V	–	60.4	53.1	61.8	54.6
I-V	–	**89.0**	**88.3**	–	**91.0**
VI	–	98.4	82.6	–	–
VII	–	–	85.2	–	–
VIII	–	–		–	–

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

ट्रांजीशन दर :

सारणी: 5.80

जिले का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1. इलाहाबाद	–	77.0	66.9	100.0	97.7
2.. झांसी	–	61.2	76.2	86.8	67.1
3. सिद्धार्थनगर	–	64.1	63.6	66.7	66.1
4. सीतापुर	–	60.4	53.1	61.8	54.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(ब). **पूर्व में हुए शोध अध्ययन के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप का प्रभावः** सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कराये गये शोध अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिये गये है, जो हस्तक्षेपों पर आधारित है–

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट), (2002) ने विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग तथा शिक्षण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिलों के दो–दो विकास खण्ड से 10–10 विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन में कक्षा एक से पाँच तक का कक्षा–कक्ष प्रेक्षण किया गया तथा अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों से संदर्शिकाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं जानने हेतु साक्षात्कार किया गया। अध्ययन के परिणामों व निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संदर्शिकाओं का संज्ञान शिक्षकों ने लिया है। अनेक अध्यापकों द्वारा इनको प्रयोग में लाया जा रहा है किन्तु इस सम्बन्ध में अध्ययन में कुछ मुख्य बिन्दु उभर कर आए हैं। अधिकांश अध्यापकों ने संदर्शिकाओं को बहुत उपयोगी बताया। उनके अनुसार ये संदर्शिकाएँ ज्ञान–वृद्धि के साथ–साथ कक्षा को जीवन्त रखने में सहायता प्रदान करती है। बच्चों द्वारा जो गतिविधियाँ कराई जाती है तथा अनेक पाठ सम्बन्धी जानकारियाँ दी जाती हैं उनसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ जाती है।

बच्चे भी शिक्षक द्वारा पाठ के रोचक प्रस्तुतीकरण और गतिविधि–आधारित शिक्षण के कारण मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। इनके विद्यालयों में कक्षा का वातावरण बहुत जीवन्त पाया गया। अधिकांश शिक्षकों के पास संदर्शिकाएं उपलब्ध थीं परन्तु कुछ शिक्षकों को इनकी विषय–वस्तु की विस्तृत जानकारी नहीं थी। ऐसा लगा कि कुछ अध्यापकों ने इन्हें भली प्रकार से पढ़ा नहीं है। इन संदर्शिकाओं में प्रस्तुत शैक्षिक क्रियाकलाप, अभ्यास कार्य, छात्र मूल्यांकन इत्यादि सामग्री से अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सुविधा होती है।

विनायक (2002) ने शिशु देख–रेख तथा शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के चार जिलों ललितपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद तथा शाहजहाँपुर का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये–

- प्राथमिक विद्यालय परिसर में शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना होने से केन्द्र के साथ ही विद्यालय में बच्चों के कुल नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेषरूप से बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव में स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होता है क्योंकि बालिकाओं में शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रुचि विकसित हुई है और नामांकित बालिकाओं की संख्या में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है।
- केन्द्रों में खेलों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करने से बच्चों में अधिगम–क्षमताओं का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। कक्षा एक में प्रविष्ट बच्चों को पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा, गणित, परिवेश आदि से सम्बन्धित अधिगम–बिन्दुओं को समझने में सहायता मिली है और इन विषयों में उनकी सीखने की गति उन बच्चों की तुलना में अधिक है जिनको इन केन्द्रों में विद्यालयपूर्व शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि से अनुकूल परिणाम प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार प्रवेश लेने वाले बच्चों की दर (ट्रांजीशन रेट) लगभग 61 प्रतिशत है।

- शिक्षार्थियों के माता–पिता, अभिभावकों, शिक्षकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त उत्तरों/प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से बच्चों में विशेष रूप से बालिकाओं को सर्वाधिक लाभ हुआ है। छोटे भाई–बहनों के केन्द्र में प्रविष्ट हो जाने से इन बालिकाओं को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाता है और इसके फलस्वरूप उनको कक्षा एक और उससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होती है।
- प्राथमिक विद्यालय के कार्य समय में कोई हस्तक्षेप किये बिना अतिरिक्त दो घंटे के समय में शिशु शिक्षा केन्द्र का संचालन किये जाने से बच्चों की शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। केन्द्र तथा विद्यालय दोनों परस्पर पूर्ण सामंजस्य तथा तालमेल के साथ अपना–अपना कार्य करते है।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने से उनमें शिशुओं को स्नेह तथा धैर्य के साथ मृदुल व्यवहार करने और उन्हें सीखने के अनुकूल अवसर देने की कुशलताएँ विकसित हो जाती हैं। वे अपेक्षित दक्षता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं।

श्रीवास्तव, मयंक (2002) ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण का नामांकन एवं ठहराव पर क्या प्रभाव पड़ा का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के एटा एवं रामपुर जिलों का चयन किया गया। अध्ययन से निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये।

- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणोपरान्तर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है। बालिकाओं के नामांकन में बालकों की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई।
- पिछड़े गाँवों में पाठ्यपुस्तक के वितरण का प्रभाव अन्य गाँव की तुलना में अधिक देखने को मिला। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई।
- सामाजिक दृष्टि से पिछड़े गाँव के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण से नामांकन एवं ठहराव में काफी वृद्धि हुई है।

- 83.5 प्रतिशत अभिभावक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मिलने संबंधी जानकारी से परिचित है।
- 86 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार पुस्तकों के मिलने से बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा अभिभावक खुश है।

ग्लोबल आइडिया (2006), ने उत्तरप्रदेश के विद्यालयों में उपलब्ध शौचालय एवं इनकी स्वच्छता सुविधा तथा उसके उपयोग की स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के 5 जिलों आगरा, बागपत, बिजनौर, गोरखपुर एवं ललितपुर जिलों के 125 विद्यालयों जिसमें 72 प्राथमिक एवं 53 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे । इन विद्यालयों में 44 शहरी तथा 8 ग्रामीण क्षेत्र के थे । अध्ययन में पाया गया कि 83 प्रतिशत विद्यालयों में कम लागत के शैचालय की सुविधा उपलब्ध है । इनमें से 87 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में तथा 77 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है । 80 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कियों एवं लड़कों के लिये अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है । विद्यालयों में उपलब्ध शौचालयों में से 81.7 प्रतिशत बालक तथा 80.7 प्रतिशत बालिकाये शौचालय का उपयोग करती है । ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय का उपयोग शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक पाया गया। 85 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय अच्छी स्थिति में पाये गये । अध्ययन में 81 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा शौचालय के काफी नजदीक पाई गई, जिसकी दूरी शौचालय से 25 मीटर या उससे कम है । 94 प्रतिशत विद्यालयों में स्वच्छता विभिन्न अंतराल में देखी जाती है । 59 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की स्वच्छता सप्ताह में देखी जाती है । 15 प्रतिशत विद्यालयों में गंदगी के कारण लड़कियां शौचालय का उपयोग नहीं करती है । 98 प्रतिशत विद्यालयों में हैण्डपम्प के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध है । 75 प्रतिशत विद्यालयों में हाथ धोने की क्रिया नियमित की जाती है ।

विद्यालय में बच्चों के नामांकन के उपरान्त उनमें से कुछ बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं । बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के जो महत्वपूर्ण कारण जो निकलकर आये वे निम्नानुसार हैं–

विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक/शिक्षिकाओं के न हाना। आज भी कई विद्यालय एक शिक्षकीय है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत निम्नानुसार है –

एक शिक्षकीय विद्यालयों का प्रतिशत

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.81

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	6.9	5.9	4.5	2.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	24.7	0.0	0.5
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	18.9	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	7.4	17.1	26.4	28.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	21.7	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.82

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	6.5	9.9	1.9	1.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	1.0	0.7	0.7
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	8.1	18.4	6.0	10.1
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.83

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	16.6	21.6	4.9	4.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	7.1	3.3	6.6
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4.6	29.1	1.7	7.4
उच्च प्राथमिक विद्यालय	5.2	18.4	8.1	6.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	16.7	8.6	6.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.84

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	16.2	21.4	5.3	4.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	18.6	7.3	6.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	16.7	25.7	5.7	5.3
उच्च प्राथमिक विद्यालय	9.7	21.6	13.7	11.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	25.0	11.1	5.9

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

- अभिभावकों का शिक्षित न होना ।
- बच्चों का अपने माता–पिता के साथ बाहर काम हेतु पलायन कर जाना ।
- परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना ।
- अभी भी कई बस्तियों के विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक संसाधनों का न होना । आज भी कई विद्यालय ऐसे है जो एक कक्षीय है तथा कई विद्यालयों में लड़कियों के लिये शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये हस्तक्षेपों से सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन अभी और कार्य करने की आवश्यकता है अध्ययन के लिये चयनित जिलो में एक कक्षीय एवं एक शिक्षकीय विद्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है–

एककक्षीय विद्यालयों का प्रतिशत :

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.85

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	1.0	1.5	0.7	0.6
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	2.7	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1.1	1.2	0.4	0.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.86

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	5.4	3.0	3.2	0.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.9	1.0	0.7	0.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2.6	0.4	0.6	0.7
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	12.5	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.87

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	0.2	0.8	0.0	0.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.4	0.7	0.0	0.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.88

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	5.3	4.3	1.2	0.7
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3.4	1.4	0.7	0.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.3	1.0	0.3	0.5
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

बालक एवं बालिकाओं के लिये साथ शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.89

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	84.6	84.1	92.5	93.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	86.7	75.3	97.3	97.1
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	50.0	70.3	100.0	95.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	83.2	84.0	91.9	94.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	76.9	87.0	88.9	75.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.90

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	60.5	67.0	74.5	80.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	91.9	95.2	92.4	92.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	100.0	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	55.8	70.4	80.5	85.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	77.8	100.0	84.0	86.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.91

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	61.5	65.7	76.5	81.6
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	43.8	72.0	76.2	76.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	100.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	46.4	53.2	68.1	77.8
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.5	90.9	96.0	92.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.92

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	80.0	85.1	93.3	95.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	86.2	70.7	93.4	96.9
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.3	68.6	94.3	100.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	73.6	83.0	89.7	92.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	86.4	83.3	94.4	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.93

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	67.9	70.0	83.6	87.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	82.9	66.2	93.6	95.7
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	50.0	54.1	83.3	90.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	70.5	72.2	83.8	88.5
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	69.2	65.2	55.6	75.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.94

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	46.6	53.3	60.4	62.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	89.2	82.7	85.5	85.2
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	80.0	75.0	75.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	41.9	52.1	64.6	63.1
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	77.8	62.5	72.0	65.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.95

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	47.3	48.9	61.6	66.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	37.5	64.0	61.9	68.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	100.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	37.5	37.7	49.6	59.1
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	81.0	86.4	92.0	92.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुर:

सारणी: 5.96

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	67.1	75.2	86.2	88.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	79.3	62.1	86.9	95.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.3	60.0	88.6	94.7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	62.1	74.2	82.3	84.4
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	77.3	75.0	77.8	82.4

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

विद्यालयों का प्रतिशत जिनमे पीने के पानी की सुविधा है

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.97

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	91.2	86.7	92.3	95.7
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	96.2	84.4	99.3	99.2
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	73.0	100.0	90.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	84.9	84.7	87.5	87.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	100.0	0.0	100.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.98

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	93.7	88.9	92.2	96.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	97.3	96.2	92.4	98.6
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	0.0	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	91.3	81.0	86.9	92.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	100.0	87.5	92.0	93.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.99

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	95.3	98.1	98.2	99.1
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	93.7	96.0	95.2	100.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	77.4	83.5	58.0	82.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.5	0.0	96.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी: 5.100

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	94.8	90.5	97.8	98.5
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	89.3	97.8	98.4
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.3	94.3	94.3	94.7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.1	86.3	92.6	94.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	95.5	0.0	94.8	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

- विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों को रुचिकर न लगना ।
- बच्चों के बैठने के लिये विद्यालय में पर्याप्त स्थान का न होना।
- क्षेत्र की पिछड़ी जातियों में बाल–विवाह की परम्परा के कारण इन जातियों की बच्चियों गृहस्थी के काम में फँस जाने और शर्म के कारण विवाह के बाद स्कूल जाना बंद कर देती है ।
- विकलांग बच्चे शारीरिक अक्षमता के साथ दूसरे सहपाठियों के अपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं ।
- विद्यालय के शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में लगे होने के कारण वे बच्चों पर ध्यान नहीं देते । बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हुए विद्यालय को छोड़ देते हैं ।

(स). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको का मतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी कमांक 5.28 से 5.32)–

- 87.29 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अन्तर्गत प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।

- 88.54 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।
- 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजते हैं ।
- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।
- 86.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षकों के कार्य कौशल में बदलाव आने से बच्चों का ठहराव काफी बढ़ा है ।
- 81.25 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण विद्या में बदलाव आने से बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम हुआ है।
- 81.04 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- 85.12 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते है ।
- 71.43 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।
- 81.55 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।
- 76.56 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।
- 93.75 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को उपलब्ध कराये जा रही विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।

- 8792 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है ।

(द). **विद्यालय से संकलित जानकारी के अनुसार जिला एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों एवं बालिकाओं के ठहराव की स्थितिः** अध्ययन के लिये चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बालकों एवं बालिकाओं के ठहराव की स्थिति का विश्लेषण करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

(1). प्राथमिक स्तर पर जिला एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव की 3×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका कमांक : 5.101

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	917.423	1634.726	10.510**
शहरी/ग्रामीण (B)	1	51.352	107.800	1.765
A x B	3	171.273	77.191	1.962
त्रुटि	72	2094.875	29.686	
योग	79	3209.550		

** = .01 स्तर पर सार्थकता * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.101 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) की स्थिति के लिये 'F' का मान 10.51 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति के लिये बालकों के ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं है को निरस्त किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया । इनके माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बालकों के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	94.45	20	5.40
2.	झांसी	93.30	20	6.15
3.	सिर्द्धाथ नगर	85.90	20	5.41
4.	सीतापुर	92.65	20	5.04
	योग	91.57	80	6.37

जिलेवार ठहराव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जिले के बालकों का ठहराव का माध्य (माध्य = 94.45) सबसे अधिक तथा सिद्धार्थनगर जिले के बालकों का ठहराव माध्य (माध्य = 85.90) सबसे कम है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव माध्य में कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है ।

विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	90.59	32	7.15
2.	ग्रामीण	92.23	48	5.78
	योग	91.57	80	6.37

(2). प्राथमिक स्तर पर जिला, विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव की 3×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका कमांक : 5.102

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	1107.606	369.202	13.664**
शहरी/ग्रामीण (B)	1	34.669	34.669	1.283
A x B	3	270.306	90.102	3.335
त्रुटि	72	1945.375	27.019	
योग	79	3322.387		

** = .01 स्तर पर सार्थकता   * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.102 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिर्द्धार्थ नगर एवं सीतापुर) की स्थिति के लिये 'F' का मान 13.66 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव में सार्थक अंतर है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति के लिये बालिकाओं के ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं है को निरस्त किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव में सार्थक अंतर है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया । इनके माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बालिकाओं के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	95.40	20	5.020
2.	झांसी	93.85	20	6.150
3.	सिर्द्धाथ नगर	85.90	20	5.418
4.	सीतापुर	93.20	20	5.105
	योग	92.09	80	6.485

जिलेवार बालिकाओं के ठहराव के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जिले के बालिकाओं का ठहराव का माध्य (माध्य = 95.40) सबसे अधिक तथा सिद्धार्थनगर जिले की बालिकाओं का ठहराव माध्य (माध्य = 85.90) सबसे कम है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव माध्य में कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है ।

विद्यालय की स्थितिवार बालिकाओं के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	91.28	32	7.402
2.	ग्रामीण	92.62	48	5.815
	योग	92.09	80	6.485

(3). उच्च प्राथमिक स्तर पर जिला एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव की 3×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका क्रमांक : 5.103

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	408.056	136.019	4.185**
शहरी / ग्रामीण (B)	1	5.419	5.419	.167
A x B	3	148.706	49.569	1.525
त्रुटि	72	2340.375	32.505	
योग	79	2917.950		

** = .01 स्तर पर सार्थकता   * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.103 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) की स्थिति के लिये 'F' का मान 4.18 है, जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति के लिये बालकों के ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं है को निरस्त किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया । इनके माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बालकों के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

क्रमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	96.50	20	4.419
2.	झांसी	95.25	20	5.418
3.	सिद्धार्थ नगर	90.35	20	7.471
4.	सीतापुर	93.80	20	5.156
	योग	93.98	80	6.078

जिलेवार बालकों के ठहराव के अवलोकन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जिले के बालकों का ठहराव का माध्य (माध्य = 96.50) सबसे अधिक तथा सिद्धार्थनगर जिले के बालकों का ठहराव माध्य (माध्य = 90.35) सबसे कम है । जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव के माध्य में कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है ।

विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालकों के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	93.66	32	7.028
2.	ग्रामीण	94.19	48	5.421
	योग	93.98	80	6.078

(4). उच्च प्राथमिक स्तर पर जिला एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव की 3×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका कमांक : 5.104

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	152.975	26403.857	1.948
शहरी/ग्रामीण (B)	1	11.408	1.948	.436
A x B	3	43.775	.436	.557
त्रुटि	72	1884.667	.557	
योग	79	2095.388		

** = .01 स्तर पर सार्थकता * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.104 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) एवं क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति के लिये 'F' का मान क्रमशः 1.95 एवं 0.44 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले एवं क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले एवं क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति के लिये बालिकाओं के ठहराव में कोई सार्थक अंतर नहीं है को मान्य किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले एवं क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव में सार्थक अंतर नहीं है । इनके माध्य को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बालिकाओं के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	96.6500	20	4.45
2.	झांसी	95.3500	20	4.99
3.	सिद्धार्थ नगर	92.8500	20	5.64
4.	सीतापुर	94.3000	20	5.05
	योग	94.7875	80	5.15

विद्यालय की स्थिति के आधार पर बालिकाओं के ठहराव के माध्य एवं प्रमाप विचलन की तालिका

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	95.2500	32	5.51830
2.	ग्रामीण	94.4792	48	4.92492
	योग	94.7875	80	5.15014

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि –

- जिले की स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर के बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है, जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर बालकों के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिले की स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर बालिकाओं के ठहराव में सार्थक अंतर है, जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर बालिकाओं के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिले की स्थिति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर बालकों के ठहराव में सार्थक अंतर है, जबकि विद्यालय की स्थिति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर बालकों के ठहराव में काई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिले एवं क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के ठहराव में सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

इस प्रकार विभिन्न स्तर के विश्लेषण के आधार पर कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का विद्यालय में ड्राप आउट दर घटी है । इस प्रकार **'अ'** से **'द'** तक के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगााये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से बच्चों का ठहराव बढ़ा है तथा ड्राप आउट दर में कमी आई है ।

5.02.5 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अतर्गत जहॉ एक ओर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के लिये विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये गये है, वही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं और जा रहे है। इन प्रयासों के अतर्गत जहॉ विद्यालयों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे है वही शिक्षकों को शिक्षण की नई विद्या से परिचित कराया गया है । प्रतिवर्ष शिक्षकों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है । पाठ्यपुस्तकों को बालकेन्द्रित तथा गतिविधि आधारित बनाया गया है । पर्यवेक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है । अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों का समय–समय पर उनके कार्य कौशल के विकास के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है । शोध, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली को काफी प्रभावी बनाया गया है । इन विभिन्न प्रयासों से जहॉ बच्चों का ठहराव बढ़ा है वही उनका उपलब्धि स्तर भी बढ़ा है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रगति वर्षवार निम्नानुसार है–

(अ). शिक्षक–विद्यार्थी एवं कक्षा–विद्यार्थी अनुपात की स्थिति :

कक्षा–विद्यार्थी अनुपातः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा को कम से कम एक कक्ष उपलब्ध हो सके को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जिले में विद्यालयों की आवश्यकता अनुसार कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं और जा रहे हैं। अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार हुई कक्षा–कक्ष की प्रगति निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांकः 5.105

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	59	60	55	51
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	55	57	46	45
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	44	37	28	36
उच्च प्राथमिक विद्यालय	35	39	31	31
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	28	39	20	26

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी कमांकः 5.106

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	59	53	53	40
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	38	43	46	34
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	31	47	50	37
उच्च प्राथमिक विद्यालय	41	31	34	30
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	22	77	25	18

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांकः 5.107

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	63	65	57	56
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	53	50	32	35
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	32	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	40	36	21	21
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	22	21	16	15

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांकः 5.108

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	59	61	60	57
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	48	41	39	45
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	31	30	41	28
उच्च प्राथमिक विद्यालय	39	42	40	40
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	27	22	27	32

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात : प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 1: 40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार विद्यालय को शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । विभिन्न वर्षो में अध्ययन के लिये चयनित जिलों में उपलब्ध कराये गये शिक्षकों की स्थिति शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांकः 5.109

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	67	70	61	62
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	61	80	111	106
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	37	55	121	117
उच्च प्राथमिक विद्यालय	37	52	51	55
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	33	77	66	71

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी कमांकः 5.110

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	51	52	44	40
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	50	53	43	42
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	70	98	98	94
उच्च प्राथमिक विद्यालय	43	41	37	38
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	32	38	34	34

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांकः 5.111

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	84	86	64	63
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	57	61	47	39
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	23	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	35	42	39	42
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	23	40	37	27

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांकः 5.112

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	70	87	81	74
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	61	43	55	72
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	46	50	79	68
उच्च प्राथमिक विद्यालय	37	55	52	54
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	46	52	58	62

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(ब). 100 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात वाले विद्यालयों का प्रतिशतः शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:40 को ध्यान में रखकर प्रत्येक विद्यालय को कक्षा कक्ष उपलब्ध कराये जा रहे है, लेकिन उसके बावजूद आज भी कई विद्यालय ऐसे है, जिनमें शिक्षक विद्यार्थी अनुपात

1 : 100 से भी अधिक है । लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या कम है तथा विभिन्न वर्षो में क्रमशः कम हुई है । शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी के आधार पर अध्ययन के लिये चयनित जिलों में ऐसे विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबादः

सारणी क्रमांकः 5.113

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	20.0	20.6	12.9	13.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	17.1	36.4	45.3	48.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	25.0	27.0	66.7	50.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	7.2	16.7	14.0	15.1
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	7.7	34.8	11.1	50.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी क्रमांकः 5.114

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	9.9	9.9	3.6	3.5
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	9.9	10.6	5.5	12.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	40.0	50.0	37.5
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.9	4.8	4.6	5.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	50.0	4.0	13.8

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांकः 5.115

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	40.2	39.2	16.3	15.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	12.5	24.0	9.5	16.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.2	7.7	8.8	102
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	13.6	8.0	3.7

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांकः 5.116

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	30.8	36.8	30.6	26.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	17.2	10.0	18.2	31.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	14.3	34.3	31.6
उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.7	15.9	15.2	17.9
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.5	8.3	16.7	23.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

(स). कक्षा 5 और 8 के बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर : सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से जहाँ बच्चों के नामांकन के साथ ठहराव बढ़ा है, वही उनकी गुणवत्ता परक शिक्षा में भी प्रगति हुई है । यदि कक्षा 5 और 8 के बच्चों के वार्षिक परीक्षा के परिणाम का विश्लेषण करे तो अध्ययन के लिये चयनित जिलों इसकी स्थिति निम्नानुसार है –

कक्षा 5 के बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर :

सारणी क्रमांक: 5.117

जिला	परिणाम का विवरण	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
इलाहाबाद	उत्तीर्ण का प्रतिशत	99.04	99.22	98.71	98.43	98.4	98.0	97.7	97.9
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	39.92	35.98	37.89	34.13	35.8	32.5	36.4	32.3
झांसी	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.81	98.22	98.84	98.55	99.1	98.6	91.1	96.7
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	48.23	44.92	51.21	48.32	30.0	44.9	46.0	45.0
सिद्धार्थ नगर	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.87	98.80	98.57	98.57	98.7	97.5	98.0	98.1
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	40.32	36.16	32.73	29.72	28.1	23.9	32.1	28.4
सीतापुर	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.27	98.36	97.86	97.74	96.0	95.0	93.1	92.5
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	35.41	34.80	29.18	27.58	30.4	30.4	27.0	26.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

कक्षा 8 के बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर :

सारणी क्रमांक: 5.118

जिला	परिणाम का विवरण	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
इलाहाबाद	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.80	98.18	97.56	97.68	98.6	97.3	98.1	96.3
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	34.65	36.73	34.91	33.96	34.6	35.3	41.4	36.4
झांसी	उत्तीर्ण का प्रतिशत	97.31	98.36	97.82	98.15	94.6	96.8	96.7	96.3
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	37.02	41.91	43.28	45.98	37.3	40.5	38.5	41.5
सिद्धार्थनगर	उत्तीर्ण का प्रतिशत	98.29	98.27	98.88	96.54	98.7	98.0	97.6	97.5
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	36.22	39.54	29.33	32.87	23.8	25.8	30.7	29.4
सीतापुर	उत्तीर्ण का प्रतिशत	94.72	96.50	95.91	97.51	96.6	95.5	92.3	91.6
	60 प्रतिशत या उससे अधिक के साथ उत्तीर्ण का प्रतिशत	28.51	34.98	27.66	31.08	32.0	32.7	28.0	30.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

सारणी कमांक 5.117 एवं 5.118 से स्पष्ट है कि 60 प्रशित से अधिक अंक पाने वाले बच्चों की संख्या में कमशः प्रगति हुई है । अध्ययन में यह बात निकलकर आई की विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी भी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाये है । इस क्षेत्र में काफी प्रयास किये गये है और प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी भी विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों के अलावा अन्य संसाधन की आवश्यकता है । विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में बाधा के रूप में निम्नानुसार समस्याये निकलकर आई है कि कुछ –

- बच्चों के अनपढ़ अभिभावकों का बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते है ।
- शिक्षक का प्रत्येक बच्चे पर ध्यान न देकर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण कराना ।
- शिक्षक द्वारा बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान न दिया जाना ।
- शिक्षक का बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान न दिया जाना ।
- शिक्षक द्वारा बिना किसी कार्य योजना के नीरस शिक्षण कार्य कराना ।
- शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का कुछ शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रकिया के उपागम न किया जाना ।

इसके अतिरिक्त अध्ययन के लिये चयनित जिलों में निम्नानुसार कमिया भी निकलकर आई –

ब्लैकबोर्ड के साथ विद्यालयों का प्रतिशतः

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.119

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	97.6	96.6	100.0	99.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	99.0	83.1	99.7	100.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	91.9	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	99.8	94.5	100.0	99.8
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	82.6	100.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी: 5.120

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	95.2	87.6	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	85.6	71.2	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	80.0	100.0	100.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	92.3	69.1	100.0	100.0
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	50.0	100.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी: 5.121

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	97.8	96.6	97.4	100.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	93.7	92.0	52.4	100.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	88.7	85.2	84.1	100.0
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.5	90.9	88.0	100.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुर:

सारणी: 5.122

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	96.6	78.8	98.4	100.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	100.0	86.4	97.8	100
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	83.3	94.3	68.6	100
उच्च प्राथमिक विद्यालय	96.2	74.0	94.3	100
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	90.9	0.0	66.7	100

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

नर्सरी विद्यालय के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत

जिला इलाहाबादः

सारणीः 5.123

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	0.1	3.0	3.0	10.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	3.9	0.0	1.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	2.7	5.6	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	1.7	1.3	2.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	4.3	11.3	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणीः 5.124

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	16.7	15.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	9.0	8.5
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	25.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	8.2	5.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	4.0	3.4

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणीः 5.125

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	0.0	9.1	2.9	2.3
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	4.0	4.8	4.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.7	0.5	0.5
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकड

जिला सीतापुरः

सारणीः 5.126

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2.1	20.4	25.3	5.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6.9	32.9	27.7	6.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	17.4	14.3	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.6	8.8	9.4	1.5
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	25.0	22.2	11.8

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

सारणीः 5.127

वर्ष 2003–04 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 60 प्रतिशत से अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाली बच्चों की संख्या

कमांक	जिले का नाम	कुल बैठे	कक्षा 4/5			60 प्रतिशत से अधिक	अनुत्तीर्ण
			बालक	बालिका	योग		
1.	आगरा	25691	4544	3523	8067	31.40	25217
2.	अलीगढ़	22456	4795	3770	8565	38.14	21979
3.	इलाहाबाद	48392	10018	8024	18042	37.28	48087
4.	अम्बेडकरनगर	29130	5092	4719	9811	33.68	29002
5.	औरैया	16733	2613	2543	5156	60.81	16203
6.	आजमगढ	56035	10014	8690	18704	33.38	55200
7.	बागपत	8138	2405	2073	4478	553.03	8131
8.	बहराईच	26112	5347	3493	8840	33.85	25652
9.	बलिया	31299	7930	7548	15478	49.45	31076
10.	बलरामपुर	11689	3351	1451	4802	41.08	11508
11.	बाँदा	17612	3443	2308	5751	32.65	17425
12.	बाराबंकी	6695	1667	1486	3153	47.09	6666
13.	बरेली	31851	5684	4217	9901	31.09	30865
14.	बस्ती	23905	4265	3352	7617	31.86	2374
15.	भदोही	21861	4289	3194	7483	34.23	21661
16.	बिजनौर	30954	5848	5724	11572	37.38	30426

17.	बदायूँ	36523	5637	3243	8880	24.31	36108
18.	बुलन्दशहर	23437	5058	3917	8975	38.29	23064
19.	चन्दौली	25474	5918	4953	10871	42.67	25081
20.	चित्रकूट	12552	2130	1440	3570	28.44	12305
21.	देवरिया	29241	5394	5202	10596	36.24	28717
22.	एटा	28210	5133	4308	9441	33.47	27732
23.	इटावा	17223	2933	2811	5744	33.35	16899
24.	फैजाबाद	25537	4645	4477	9122	35.72	25423
25.	फर्रुखाबाद	16290	2180	1779	3959	24.30	15800
26.	फतेहपुर	28061	4731	4248	8979	32.00	24643
27.	फिरोजाबाद	14987	3070	2647	5717	38.18	14667
28.	गौतमबुद्ध नगर	7452	1562	1463	3025	40.59	7380
29.	गाजियाबाद	13968	3836	3858	7694	55.08	13891
30.	गाजीपुर	37499	6785	6122	12907	34.42	37051
31.	गोण्डा	27235	6473	4326	10799	39.65	26896
32.	गोरखपुर	28450	3255	2783	6038	21.22	27869
33.	हमीरपुर	13354	2235	2050	4285	32.09	13114
34.	हरदोई	41116	5655	4203	9858	23.98	40091
35.	हाथरस	13427	2233	1905	4138	30.82	13027
36.	जालौन	17780	2975	2565	5540	31.16	17580
37.	जौनपुर	46038	6271	5301	11572	25.14	45301
38.	झाँसी	19417	4442	3476	7918	40.78	18990
39.	ज्यातिबाफुलेनगर	12565	2193	1761	3954	31.47	12367
40.	कन्नौज	17479	2188	2130	4318	24.70	16716
41.	कानपुर देहात	121615	15547	15766	31313	25.75	118634
42.	कानपुर नगर	20988	3266	3485	6751	32.17	20505
43.	कौशाम्बी	13279	2862	1993	4855	36.56	12938
44.	खीरी	44521	7016	5147	12163	27.32	43850
45.	कुशीनगर	25369	4799	3446	8245	32.50	25106
46.	ललितपुर	13025	2248	1464	3712	28.50	12712
47.	लखनऊ	20084	3322	3489	6811	33.91	19783
48.	महाराजगंज	1888	3145	2161	5306	28.09	18453
49.	महोबा	8995	2559	1975	4534	50.41	8760
50.	मैनपुरी	192469	2972	2826	5798	30.13	18713
51.	मथुरा	18641	3960	3171	7131	38.25	18337

52.	मऊ	20043	3426	3506	6932	34.59	19822
53.	मेरठ	15775	3501	3734	7235	45.86	15501
54.	मिर्जापुर	31326	5578	3872	9450	30.17	31092
55.	मुरादाबाद	65050	6339	5882	12221	18.79	64306
56.	मुजफ्फरनगर	24364	5715	5373	11088	45.51	24166
57.	पीलीभीत	20793	3296	2270	5566	26.77	20385
58.	प्रतापगढ़	37779	6196	5736	11932	31.58	37200
59.	रायबरेली	39231	5842	5299	11141	28.40	38775
60.	रामपुर	16836	3579	2641	6220	36.94	15486
61.	सहारनपुर	24433	4593	4743	9336	38.21	24208
62.	शाहजहाँपुर	31444	5861	4005	9866	31.38	30834
63.	श्रावस्ती	11514	3077	1649	4726	41.05	11360
64.	सिद्धार्थनगर	19939	4410	2402	6812	34.16	19773
65.	सीतापुर	42281	7062	5761	12823	30.33	41494
66.	सोनभद्र	16196	3140	1945	5085	31.40	16069
67.	सुल्तानपुर	52355	9666	9026	18692	35.70	52096
68.	संतकबीरनगर	13311	2784	1987	4771	35.84	13249
69.	उन्नाव	34342	3620	3223	6843	19.93	33651
70.	वाराणसी	33100	7320	6510	13830	41.78	32761
	महायोग/प्रतिशत माध्य	**1836631**	**324938**	**271570**	**596508**	**34.26**	**1806603**

स्त्रोत : स्टेप रिर्पोट (ई.एम.आई.एस.) 2003–04

(द). बच्चों के उपलब्धि स्तर स्तर के संबंध में प्रदेश में किये गये शोध अध्ययनः बच्चों की उपलब्धि स्तर जानने के लिये सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अंतर्गत समय–समय पर अध्ययन करा कर बच्चों की उपलब्धि स्तर को जानकर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है । विगत कुछ वर्षो में प्रदेश में इस संबंध में किये गये अध्ययन निम्नानुसार है–

शुक्ला, ए. और सपाल, आर. (2008), ने कस्तूरबागांधी विद्यालय एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, बुलंदशहर, झांसी, कानपुर

देहात, महराजगंज, महोबा एवं शाहजहांपुर जिलों के 14 कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा 14 उच्च परिषदीय विद्यालयों को लिया गया । अध्ययन में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लड़कियों का नामांकन काफी संतोष जनक पाया गया । अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाओं का कस्तूरबागांधी विद्यालय में तथा अल्पसंख्यक तथा पिछड़े एवं समान्यवर्ग की बालिकाओं का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अच्छा पाया गया । कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बच्चों का उपलब्धि स्तर 80 प्रतिशत पाया गया । बहुत ही कम लड़कियों का प्रतिशत 10 से कम पाया गया । अधिकतर लड़कियों के उपलब्धि का प्रतिशत 30 से 50 प्रतिशत के बीच पाया गया । जबकि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लड़कियों का अंक प्रतिशत 50 प्रतिशत के नीचे पाया गया । अधिकतर लड़कियों का अंक 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच पाये गये ।

पाण्डेय, संजय (2008), ने प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का कक्षा शिक्षण अधिगम में उपयोग का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के आगरा, झांसी, शहारनपुर, शांहजहॉपुर एवं वाराणसी जिलों के 20 विकासखण्डों के 200 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें 424 बच्चों तथा 407 शिक्षकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में उपकरण के रूप में शिक्षक अनुसूची, विद्यार्थी अनुसूची, कक्षा कक्ष अवलोकन अनुसूची का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2005–06 में उपलब्ध कराई गई शिक्षण अधिगम सामग्री राशि में से आगरा जिले में 100 प्रतिशत, झांसी में 95 प्रतिशत, शाहारनपुर में 86 प्रतिशत, वाराणसी में 82 प्रतिशत तथा शाहजहांपुर में 76 प्रतिशत उपयोग किया गया । जबकि वर्ष 2006–07 में उपलब्ध कराई गई शिक्षण अधिगम सामग्री राशि में से आगरा जिले में 90 प्रतिशत, झांसी में 97 प्रतिशत, शाहारनपुर में 86 प्रतिशत तथा शाहजहांपुर में 86 प्रतिशत उपयोग किया गया । जो शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का उपयोग नहीं करते उनमें से 62 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार जगह की उपलब्धता का न होना बताया गया । 20 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री राशि का उपयोग अकादमिक के अतिरिक्त कार्य में करते है । 76 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण अधिगम

सामग्री बाजार से बनी बनाई खरीदते है और बनाते भी है, लेकिन 12 प्रतिशत शिक्षक सिर्फ बना बनाया खरीदते है । 50 प्रतिशत बच्चों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री से किसी अवधारणा को सीखने में सरलता आती है । शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से गुणवत्ता शिक्षा, 67 प्रतिशत में उच्च स्तर तथा 33 प्रतिशत में सामान्य स्तर की पाया गई ।

(ई). विद्यालयों से संकलित जानकारी के आधार पर बच्चों का उपलब्धि स्तर : अध्ययन के लिये चयनित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के कक्षा 5 और 8 के वर्ष 2006–07 के आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

(I). प्राथमिक स्तर पर जिला, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर की 3×2×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

सारणी कमांक : 5.128

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	2.890	.963	0.010
शहरी/ग्रामीण (B)	1	0.269	.269	0.003
लिंग (C)	1	4.401	4.401	0.046
A x B	3	50.130	16.710	0.174
A x C	3	10.196	3.399	0.035
B x C	1	6.361	6.361	0.066
A x B x C	3	22.036	7.345	0.077
त्रुटि	1184	113616.311	95.960	
योग	1199	113715.597		

** = .01 स्तर पर सार्थकता * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.128 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर), विद्यालय की स्थिति (शहरी/ग्रामीण) तथा लिंग (पुरुष/महिला) के लिये 'F' का मान क्रमशः 0.010, 0.003 तथा 0.046 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है ।

इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है। इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है । जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	59.88	300	9.83
2.	झांसी	59.81	300	9.73
3.	सिद्धार्थ नगर	59.88	300	9.70
4.	सीतापुर	59.84	300	9.74

जिलेवार बच्चों के उपलब्धि माध्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन के लिये चयनित सभी जिलो के बच्चों का उपलब्धि स्तर माध्य लगभग 60 के लगभग है । इसी प्रकार लिंग एवं विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । लिंग एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर प्राथमिक स्तर के बच्चों का उपलब्धि माध्य एवं प्रमाप विचलन नीचे दिया है –

विद्यालय की स्थितिवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	59.83	480	9.78
2.	ग्रामीण	59.86	720	9.72

लिंगवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

क्रमांक	लिंग	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	59.93	600	9.79
2.	महिला	59.77	600	9.70

(II). उच्च प्राथमिक स्तर पर जिला, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर की 3×2×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

सारणी क्रमांक : 5.129

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	796.176	265.392	2.132
शहरी/ग्रामीण (B)	1	3.255	3.255	.026
लिंग (C)	1	56.550	56.550	.454
A x B	3	1713.511	571.170	4.587*
A x C	3	205.072	68.357	.549
B x C	1	50.225	50.225	.403
A x B x C	3	969.937	323.312	2.597*
त्रुटि	784	97613.692	124.507	
योग	799	101460.000		

** = .01 स्तर पर सार्थकता   * = .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.129 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर), विद्यालय की स्थिति (शहरी/ग्रामीण) तथा लिंग (पुरुष/महिला) के लिये 'F' का मान क्रमशः 2.132, 0.026 तथा 0.454 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर उच्च

प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है । जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	62.13	200	10.71
2.	झांसी	61.89	200	11.18
3.	सिर्द्धाथ नगर	60.03	200	9.95
4.	सीतापुर	62.95	200	12.90

जिलेवार बच्चों के उपलब्धि माध्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन के लिये चयनित सभी जिलो के बच्चों का उपलब्धि माध्य लगभग 61 के लगभग है । इसी प्रकार लिंग एवं विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि माध्य में सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अगर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपलब्धि माध्य का अवलोकन करने पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चो का उपलब्धि माध्य प्राथमिक स्तर के बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया है । लिंग एवं विद्यालय की स्थिति के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों का उपलब्धि माध्य एवं प्रमाप विचलन नीचे दिया है –

विद्यालय की स्थितिवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	61.67	320	10.639
2.	ग्रामीण	61.80	480	11.680

लिंगवार बच्चों के उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	लिंग	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	61.43	400	10.96
2.	महिला	62.07	400	11.58

(फ) **सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर के संबंध में लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों का मतः** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर के संबंध में लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी क्रमांक 5.28 से 5.32)–

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001 की तुलना में हुई प्रगति पर प्रधानाध्यापकों का अभिमत हॉ और नहीं में दिया गया है –

सारणी क्रमांक : 5.130

क्र.	विवरण	अभिमत	
		हॉ	नहीं
1	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त थे?	0.00	100.00
2	वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त है?	95.00	5.00
3	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक थी?	15.00	85.00
4	वर्तमान में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक है?	85.00	15.00
5	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में अधिकतर बच्चे पढ़ने के लिये आते थे?	5.00	95.00
6	वर्तमान में आपके विद्यालय में लगभग शतप्रतिशत बच्चे पढ़ने के लिये आते है?	95.00	5.00
7	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त थे?	96.85	3.15
8	वर्तमान में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त है?	97.5	2.50
9	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध थे?	15.00	85.00
10	यदि हॉ तो पर्याप्त था ?	2.50	97.50
11	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध है?	97.50	2.50
12	यदि हॉ पर्याप्त है ?	81.25	18.75
13	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में खेल की सामगी उपलब्ध थी?	2.50	97.50
14	यदि हॉ पर्याप्त था ?	0.00	100.00
15	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध था?	8.75	91.25
16	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त थी?	0.00	100.00
17	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है?	86.25	13.75
18	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त है?	48.75	51.25

19	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध थी?	0.00	100.00
20	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	0.00	100.00
21	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध है?	100.00	0.00
22	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है?	87.50	12.50
23	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिये राशि उपलबध थी?	0.00	100.00
24	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	0.00	100.00
25	वर्तमान में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओ के पूर्ति के लिये राशि उपलबध है?	100.00	0.00
26	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है?	100.00	0.00
27	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था थी?	11.25	88.75
28	वर्तमान में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था है?	85.00	15.00
29	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों का नामांकन बढ़ा है।	91.25	8.75
30	सर्वशिक्षा अभियान कार्यकम के अंतर्गत किये गये प्रयास से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । क्या इस मत से आप सहमत है?	95.00	5.00

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यकम के अन्तर्गत हुई प्रगति पर शिक्षकों का अभिमत, सहमत और असहमत में नीचे दिया गया है –

सारणी कमांक : 5.131

क.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1	विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/जा रहे हैं ।	85.83	14.17
2	प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है।	87.29	12.71
3	सबके लिये शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।	80.42	19.58

4	शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है।	81.25	18.75
5	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।	90.63	9.38
6	कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।	90.83	9.17
7	विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।	75.00	25.00
8	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।	87.08	12.92
9	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से प्रत्येक कक्षा के लिये एक कक्ष उपलब्ध हुआ है ।	62.92	37.08
10	एन.पी.आर.सी एवं बी.आर.सी समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।	66.04	33.96
11	प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।	88.54	11.46
12	विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।	87.71	12.29
13	विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापक के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।	85.83	14.17
14	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।	92.50	7.50
15	बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।	85.83	14.17
16	न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।	83.54	16.46
17	शिक्षको की उपलब्धता से कक्षा 5/8 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है ।	83.75	16.25
18	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।	82.92	17.08
19	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है।	81.04	18.96

20	वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जा रहे है।	71.04	28.96
21	समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चों का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।	82.92	17.08
22	न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों से शिक्षण कार्य में आने वाली बाधाओं का समाधान हो जाता है ।	83.54	16.46

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति पर अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों का अभिमत सहमत और असहमत में नीचे दिया गया है –

सारणी कमांक : 5.132

क्र.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1	विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे है।	80.36	19.64
2	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है जिससे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ी है।	75.00	25.00
3	समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।	88.69	11.31
4	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रुचिकर हुआ है ।	94.05	5.95
5	लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है ।	82.14	17.86
6	शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करते है	91.67	8.33
7	वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।	97.62	2.38
8	विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है।	95.24	4.76

9	पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित है जिससे बच्चे उनके पढ़ने में रुचि लेते है।	86.31	13.69
10	विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है जिससे विद्यालय के परिवेश सुन्दर होने के साथ शिक्षण कार्य नियमित हुआ है।	81.55	18.45
11	विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।	77.98	22.02
12	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है	75.60	24.40
13	विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।	76.79	23.21

उपर्युक्त प्राप्त मत के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के संबंध में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी, शोध अध्ययन के विश्लेषण, विद्यालयो के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अभिमत एवं विद्यालयों से संकलित जानकारी के विश्लेषण ('अ' से 'फ' तक) से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों में वर्षवार काफी प्रगति हुई है (सारणी कमांक 5.105 से 5.116 तथा 5.119 से 5.126) । इसी के परिपेक्ष्य बच्चों के उपलब्धि स्तर में भी वर्षवार प्रगति (सारणी कमांक 5. 117, 5.118 एवं 5.127) दिखाई देती है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का जिलेवार विद्यालय की स्थिति, क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के अधार पर कक्षा पांच एवं आठ के बच्चों के उपलब्धि स्तर का विश्लेषण करने पर जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया । चूकी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हस्तक्षेप आवश्यकता आधारित है । अतः ये हस्तक्षेप सभी जगह लगाये गये है । अतः हम कह सकते हैं कि जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में को सार्थक अंतर नहीं है ।

5.02.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये जहाँ एक और भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वही मानवीय संसाधन के रुप में शिक्षक इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है । क्योकि बिना शिक्षक के ये संसाधन अनुपयोगी है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक संसाधन की उपलब्धता के साथ विद्यालय में बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है । इसके अंतर्गत विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन कर विद्यालयों को आवश्यकता आधारित शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । शिक्षकों की उपलब्धता के साथ प्रतिवर्ष उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि वे अपने कार्य एवं दायित्व का सही पालन कर सके । जिससे बच्चों के ठहराव के साथ उनके उपलब्धि स्तर में सुधार हो ।

(अ). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्ययन के लिये चयनित जिलों में निम्नानुसार शिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं –

सारणी कमांक : 5.133

वर्ष	शिक्षकों की नियुक्ति	शिक्षा मित्रों की नियुक्ति	योग
2001–2002	7458	6108	13566
2002–2003	5672	371	6043
2003–2004	19170	67111	86281
2004–2005	9815	10495	20310
2005–2006	9345	74753	83898
2006–2007	14850	8435	23285
योग	**66310**	**167273**	**233583**

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा कार्यकम, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ की प्रगति रिपोर्ट (जनवरी 2007)

महिला शिक्षकों का प्रतिशतः बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन तथा उनकी नियमितता के समय एक बात सामने आती है कि अधिकतर विद्यालयों में पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं इसलिये अभिभावक अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं । इसी के परिपेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय पर कम से कम एक महिला शिक्षिका की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय । इसको ध्यान में रखतें हुये प्रदेश में शिक्षकों के चयन के समय 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों के चयन की व्यवस्था की गई है । विभिन्न वर्षो में महिला शिक्षकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभिन्न वर्षो में महिला शिक्षकों की स्थिति निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांक : 5.134

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	43.0	45.3	48.1	49.5
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	28.2	32.3	47.0	44.5
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	22.2	28.3	55.9	50.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	29.0	24.5	25.4	26.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	24.6	12.8	5.7	4.8

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी कमांक : 5.135

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	38.0	39.4	40.7	42.2
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	52.3	48.1	48.9	43.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	61.9	73.3	72.5
उच्च प्राथमिक विद्यालय	24.2	26.5	29.0	28.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0.0	14.3	26.9	25.2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणी कमांक : 5.136

विद्यालय का प्रकार	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
प्राथमिक विद्यालय	22.1	23.5	30.6	31.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	8.5	13.0	15.7	19.3
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	16.8	17.6	17.8	18.6
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	6.8	12.7	10.8	14.3

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.137

विद्यालय का प्रकार	2003—04	2004—05	2005—06	2006—07
प्राथमिक विद्यालय	32.4	23.0	35.0	39.4
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	28.8	26.9	35.6	34.0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	47.5	15.4	11.3	10.6
उच्च प्राथमिक विद्यालय	22.2	16.3	22.1	25.2
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	21.3	18.2	16.4	16.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

लिंगवार नियमित शिक्षकों की स्थिति :

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांक : 5.138

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	6850	3030	2160	7029	2836	2153	9142	3498	2957	9586	3416	2893
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	692	497	195	263	172	80	1086	575	509	1384	768	616
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	27	21	6	113	76	31	59	26	33	54	27	27
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2329	1645	676	1810	1341	442	3041	2267	772	3307	2425	879
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	126	95	31	94	81	13	35	33	2	21	20	1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी कमांक : 5.139

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	385 2	2218	1369	4161	2226	1501	4877	2423	1698	5347	2224	1386
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	585	279	306	565	293	272	773	388	373	668	370	284
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4	4	0	42	16	36	60	16	44	40	11	29
उच्च प्राथमिक विद्यालय	979	742	237	1286	943	341	1589	1127	456	1661	1192	468
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	25	25	0	28	24	4	108	79	29	119	89	30

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांक : 5.140

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	2843	1658	365	3095	1702	351	4410	1786	332	4631	1802	346
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	141	129	12	138	118	20	127	105	22	161	128	31
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1027	854	13	918	755	161	1123	923	200	1180	960	220
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	162	151	11	126	110	16	157	140	17	175	150	25

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.141

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	6622	3541	1738	5926	3221	971	7657	3420	1581	9096	3929	1893
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	156	106	45	461	330	124	446	276	152	247	162	82
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	40	20	20	104	86	16	115	94	21	66	58	7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	2395	1854	532	1432	1057	232	2104	1617	463	2647	1975	665
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	94	74	20	33	27	6	61	49	10	62	52	10

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

लिंगवार पैरा शिक्षकों की स्थिति :

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांक : 5.142

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	1651	866	785	2038	1010	1028	2687	1249	1438	3277	1421	1856
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	11	6	5	2	1	1	0	0	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3	3	0	27	25	2	2	2	0	3	3	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी कमांक : 5.143

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	258	162	96	434	296	138	755	470	285	1737	865	872
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	7	7	0	14	9	5
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	2	0	6	1	5	1	1	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगर:

सारणी कमांक : 5.144

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	820	558	262	1042	666	376	2292	1274	1018	2483	1356	1127
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.145

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
प्राथमिक विद्यालय	1343	937	406	1732	1341	391	2646	1544	1102	3274	1579	1695
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	2	0	7	7	0	18	11	7	3	1	2
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	1	1	0	2	2	0	7	7	0	1	1	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	9	9	0	142	141	1	21	18	3	7	6	1
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति

अनुसूचित जाति के शिक्षक की स्थितिः जेण्डर एवं समाजिक असमानता को कम करने के लिये जहाँ विद्यालयों में महिला शिक्षकों के नियुक्ति के प्रयास किये गये हैं वही अनुसूचित जाति एवं जाति के शिक्षकों की नियुक्ति के लिये भी संधिानिक प्रावधान के अनुरूप एवं योग्यता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है । विभिन्न वर्षो में अध्ययन के लिये चयनित जिलों में वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है —

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांक : 5.146

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	234	262	496	274	210	484	576	485	1061	594	480	1074
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	31	77	108	38	11	49	49	46	95	61	52	123
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	0	3	12	8	20	2	0	2	2	0	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	216	257	473	206	107	313	297	135	432	336	155	491
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	24	28	5	2	7	0	0	0	1	1	2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसीः

सारणी कमांक : 5.147

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	380	133	513	406	165	571	574	253	827	594	480	1074
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	41	20	61	34	23	57	53	40	93	61	52	123
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	2	0	2	2	0	2	2	0	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	141	16	157	160	30	190	197	29	226	336	155	491
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	1	0	1	8	0	8	1	1	2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणी कमांक : 5.148

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	242	59	301	266	59	325	482	161	643	594	480	1074
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	15	1	16	15	0	15	18	1	19	61	52	123
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	98	16	114	99	16	115	128	21	149	336	155	491
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	10	3	13	4	4	8	6	4	10	1	1	2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.149

विद्यालय का प्रकार	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	600	147	747	430	97	527	919	435	1354	594	480	1074
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	16	4	20	52	18	70	54	18	72	61	52	123
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	1	1	17	2	19	22	2	24	2	0	2
उच्च प्राथमिक विद्यालय	306	74	380	134	25	159	234	61	295	336	155	491
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	9	5	14	4	0	4	7	1	8	1	1	2

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों की स्थिति: वर्षवार अध्ययन के लिये चयनित जिलों में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबाद:

सारणी कमांक : 5.150

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	15	15	30	22	22	44	30	37	67	41	45	86
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5	6	11	1	1	2	2	7	9	3	7	10
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	9	9	18	11	4	15	21	6	27	26	8	34
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी कमांक : 5.151

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	19	13	32	5	15	20	16	13	29	41	45	86
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	3	2	5	3	4	7	8	4	12	3	7	10
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	16	5	21	7	3	10	11	4	15	26	8	34
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांक : 5.152

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	4	0	4	25	8	33	20	9	29	41	45	86
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	0	1	5	5	10	7	7	14	26	8	34
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.153

विद्यालय का प्रकार	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
प्राथमिक विद्यालय	27	13	40	41	5	46	28	13	41	41	45	86
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	10	0	10	4	1	5	3	7	10
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	13	8	21	6	4	10	19	8	27	26	8	34
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

औसतन (प्रति विद्यालय) शिक्षक: विद्यालयों के लिये उपलब्ध कराये गये शिक्षकों की स्थिति शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति विद्यालय औसतन निम्नानुसार है –

जिला इलाहाबाद:

सारणी कमांक : 5.154

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	3.2	3.2	3.7	3.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6.6	3.4	3.7	3.7
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6.8	3.1	3.3	2.7
उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.1	3.1	2.9	2.8
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	9.7	4.1	3.9	5.3

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला झांसी:

सारणी कमांक : 5.155

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	3.1	3.0	3.4	3.8
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5.3	5.4	5.3	4.7
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	4.0	8.4	7.5	5.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.2	2.8	3.2	3.0
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	2.8	3.5	4.3	4.1

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सिद्धार्थनगरः

सारणी कमांक : 5.156

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2.1	2.3	2.9	3.0
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	8.8	5.5	6.0	6.4
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	0.0	7.0	0.0	0.0
उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.1	3.2	2.0	1.9
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	7.7	5.7	6.3	6.5

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.157

विद्यालय का प्रकार	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक विद्यालय	2.5	2.0	2.6	2.9
उच्च प्राथमिक से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	5.4	3.3	3.3	3.9
उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न प्राथमिक विद्यालय	6.7	3.0	3.3	3.5
उच्च प्राथमिक विद्यालय	3.7	2.4	2.8	2.9
हाईस्कूल/ हायर सेकण्डरी से संलग्न उच्च प्राथमिक विद्यालय	4.3	2.8	3.4	3.6

स्रोत : शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली ऑकडे

सारणी कमांक 5.133 से 5.157 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध कराये गये है और जा रहे हैं। उपलब्ध कराये गये शिक्षकों में लिंग एवं समाजिक रुप से पिछड़े वर्गों के लोंगों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है ।

(ब). शिक्षकों की दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास : शिक्षको की दक्षता संवर्द्धन के लिये प्रदेश के सभी जिलों ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित शिक्षकों के लिये 20 दिवसीय तथा पैरा शिक्षकों के लिये प्रथम बार 30 दिवसीय तथा प्रत्येक वर्ष 15 दिवसीय प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया । जिलों ने शिक्षकों की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2006–07 में प्रदेश के सभी जिलों में निम्नांकित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता के आधार पर आयोजित किये गये –

- प्राथमिक स्तरीय अंग्रेजी प्रशिक्षण
- प्राथमिक स्तरीय संस्कृत प्रशिक्षण
- पठन क्षमता विकास प्रशिक्षण
- क्लस्टर प्रशिक्षण
- प्राथमिक स्तरीय समेकित शिक्षा प्रशिक्षण
- प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक नेतृत्व एवं विद्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण
- प्राथमिक स्तरीय ई0एम0आई0एस0 प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय नेतृत्व एवं विद्यालय प्रबन्धन प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय समेकित शिक्षा प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयवार प्रशिक्षण
- उच्च प्राथमिक स्तरीय ई0एम0आई0एस0 प्रशिक्षण
- सेवारत शिक्षक बी0आर0सी0 कार्य एवं दायित्व/वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण
- सेवारत शिक्षक बी0आर0सी0 नेतृत्व प्रशिक्षण
- सेवारत शिक्षक बी0आर0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण
- सेवारत शिक्षक बी0आर0सी0 ई0एम0आई0एस0 प्रशिक्षण

(स). शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में प्रदेश में किये गये शोध अध्ययनः सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किये गये प्रशिक्षण की प्रभावकारिता जानने के लिये किये गये प्रशिक्षण की स्थिति निम्नानुसार है –

पाण्डेय, सुषमा (2006), ने उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, जालौन, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं मेरठ जिले के 35 विकासखण्ड के 102 विद्यालयों के 2960 बच्चों में

किया गया । अध्ययन में उपकरण के रूप में गणित एवं विज्ञान उपलब्धि परीक्षण, कक्षा कक्ष अवलोकन अनुसूची, शिक्षक अभिवृत्ति मापनी तथा विद्यार्थी साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि आयोजित प्रशिक्षण का स्तर संतोष जनक था । प्रत्येक दिन प्रशिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक कक्षा कक्ष की स्थिति निर्मित कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई । 90 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण को काफी उपयोगी बताया । प्रशिक्षण के आधार पर 62 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय में प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करते पाये गये ।

ए.आर.जी. (2006), ने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षक प्रशिक्षण की प्रभावकारिता का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली, गोरखपुर एवं झांसी जिलों के 200 प्राथमिक विद्यालयों में किया गया । अध्ययन में उपकरण के रूप में शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची, कक्षा कक्ष अवलोकन तथा बच्चों के उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया गया । अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न चरण में प्रशिक्षण होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता नीचे के स्तर पर कम होते गई है । 40 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार प्रशिक्षण से उन्हे काफी फायदा मिला है जबकि 60 प्रतिशत के अनुसार कुछ फायदा हुआ है ।

विमर्श (2006), ने कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिये 16 से 31 अगस्त 2006 के मध्य किये गये उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के बंदायू, बहराइच, झांसी, खुशीनगर, लखनऊ, मुजफरनगर, वाराणसी एवं फर्रुखाबाद जिलों के 100 विद्यार्थियों जिनमें से 10 सामान्य, 62 पिछड़े वर्ग, 25 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के थे को लिया गया। अध्ययन में पाया गया कि उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की कमजोरियॉ कम हुई है तथा उनके उपलब्धि स्तर में सुधार आया है ।

(स). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों का मतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की उपलब्ध्ता एवं उनके प्रशिक्षण हेतु किये गये प्रयास के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी कमांक 5.28 से 5.32)–

- 85.83 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/जा रहे हैं ।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चेां का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।
- 88.54 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।
- 81.67 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदायिक सहभागिता से विद्यालय के शिक्षण कार्य में प्रगति हुई है ।
- 80.36 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे है।
- 94.05 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रुचिकर हुआ है ।

- 82.14 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है ।
- 86.31 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित है जिससे बच्चे उनके पढ़ने में रुचि लेते है।
- 76.79 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर के संबंध में विद्यालयों को उपलब्ध कराये गये शिक्षक एवं उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास के संबंध में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी, शोध अध्ययन के विश्लेषण, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकमियों के अभिमत एवं विद्यालयों से संकलित जानकारी के विश्लेषण ('अ' से 'द ' तक) से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में नियमित शिक्षक के साथ स्थानीय शिक्षक विभिन्न वर्षो में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराये गये है और जा रहे । अध्ययन के दौरान यह बात निकल कर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अर्पाप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये है । सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को विभिन्न वर्षो में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा । अतः हम कह सकते हैं कि जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये है लेकिन नगर क्षेत्र अभी उपेक्षित है जबकि क्षमता सवर्द्धन में नगर एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है है और जा रहा है ।

5.02.7 सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना है । सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिये शोधकर्ता ने स्वनिर्मित उपकरण की सहायता से जानकारी का संकलन किया तदोपरान्त माध्य, प्रमाप विचलन एवं प्रसरण विश्लेषण साख्यिकी का उपयोग कर उनके दृष्टि कोण के अंतर की सार्थकता का अध्ययन किया । सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए—

(I). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण : विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण जानने के शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों में पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 30 प्रश्न थे जिनके अधिकतम अंक 120 हैं। सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 480 प्राथमिक एवं उच्च्व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में चारों जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिर्द्धाथ नगर एवं सीतापुर) से प्रश्नवार पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त कर उनके दृष्टि कोण का अध्ययन 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA विधि के द्वारा किया गया । विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार दृष्टिकोण पाया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के लिये प्रसरण विश्लेषण की 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

सारणी कमांक : 5.158

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	33.084	11.028	0.059
शहरी / ग्रामीण (B)	1	189.299	189.299	1.019
लिंग (C)	1	570.419	570.419	3.071
A x B	3	301.898	100.633	0.542
A x C	3	457.164	152.388	0.820
B x C	1	8.642	8.642	0.047
A x B x C	3	1093.989	364.663	1.963
त्रुटि	464	41613.253	185.773	
योग	479	44402.296		

सारणी क्रमांक 5.158 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर), विद्यालय की स्थिति (शहरी / ग्रामीण) तथा लिंग (पुरुष / महिला) के लिये 'F' का मान कमशः 0.059, 1.02 तथा 3.07 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्नांकित तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण की माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	88.28	120	15.37
2.	झांसी	88.88	120	13.02
3.	सिद्धार्थ नगर	88.20	120	13.05
4.	सीतापुर	87.92	120	13.26
	योग	88.32	480	13.63

जिलेवार प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिलेवार माध्यम में कोई सार्थक अंतर (इलाहाबाद माध्य = 88.28, झांसी माध्य = 88.88, सिद्धार्थ नगर माध्य = 88.20 एवं सीतापुर माध्य = 87.92) नहीं है । इसके अतिरिक्त माध्य के सापेक्ष इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर जिले का प्रमाप विचलन क्रमशः 15.34, 13.02, 13.05 एवं 13.26 है । इसी प्रकार विद्यालयों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य में काई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में शिक्षकों एवं प्राधानाध्यापकों का दृष्टि कोण माध्य 80 से अधिक है । अर्थात विद्यालय के प्राधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति काफी धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया । विद्यालयों की स्थिति, लिंग, जिला तथा जिला एवं लिंग, लिंग एवं विद्यालयों की स्थिति तथा जिला, विद्यालयों की स्थिति एवं लिंग के बीच अंतर्क्रिया के माध्य नीचे सारणी में दिये हुए हैं –

विद्यालयों की स्थिति के अनुसार प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	विद्यालय की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	89.52	192	13.08
2.	ग्रामीण	87.52	288	13.97
	योग	88.32	480	13.63

लिंगवार प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण की माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	लिंग	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	86.79	235	15.11
2.	महिला	90.25	245	11.28
	योग	88.32	480	13.63

जिलेवार एवं विद्यालयों की स्थिति के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	शहरी	89.54	2.79
		ग्रामीण	87.36	2.27
2.	झांसी	शहरी	88.33	2.78
		ग्रामीण	89.65	2.33
3.	सिर्द्धाथ नगर	शहरी	89.16	2.79
		ग्रामीण	87.81	2.47
4.	सीतापुर	शहरी	90.51	2.82
		ग्रामीण	85.29	2.37

जिलेवार एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	पुरुष	86.43	2.48
		महिला	90.47	2.61
2.	झांसी	पुरुष	85.89	2.45
		महिला	92.09	2.68
3.	सिर्द्धाथ नगर	पुरुष	86.40	2.47
		महिला	90.52	2.79
4.	सीतापुर	पुरुष	88.67	2.58
		महिला	87.13	2.63

विद्यालयों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	विद्यालय की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	शहरी	पुरुष	87.57	2.02
		महिला	91.17	1.94
2.	ग्रामीण	पुरुष	86.12	1.46
		महिला	88.93	1.85

जिलेवार विद्यालयों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

जिला	विद्यालय की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
इलाहाबाद	शहरी	पुरुष	91.08	3.78
		महिला	88.00	4.11
	ग्रामीण	पुरुष	81.79	3.21
		महिला	92.94	3.21
झांसी	शहरी	पुरुष	83.92	3.94
		महिला	92.75	3.94
	ग्रामीण	पुरुष	87.86	2.91
		महिला	91.43	3.65
सिर्द्धाथ नगर	शहरी	पुरुष	86.00	4.11
		महिला	92.23	3.78
	ग्रामीण	पुरुष	86.80	2.73
		महिला	88.82	4.11
सीतापुर	शहरी	पुरुष	89.30	4.31
		महिला	91.72	3.64
	ग्रामीण	पुरुष	88.04	2.84
		महिला	82.54	3.78

(II). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों का दृष्टिकोण : सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण जानने के शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों में पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 30 प्रश्न थे जिनके अधिकतम अंक 120 हैं। सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 114 अकादमिक अभिकर्मियों से जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में चारों जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिर्द्धाथ नगर एवं सीतापुर) से प्रश्नवार पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त कर उनके दृष्टि कोण का अध्ययन 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA विधि के द्वारा किया गया । विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार दृष्टिकोण पाया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के प्रसरण विश्लेषण की 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

सारणी कमांक : 5.159

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	342.039	.578	.578
शहरी / ग्रामीण (B)	1	496.971	2.519	2.519
लिंग (C)	1	85.324	.433	.433
A x B	3	1827.432	3.088	3.088*
A x C	3	1407.411	2.378	2.378
B x C	1	14.022	.071	.071
A x B x C	3	842.256	1.423	1.423
त्रुटि	98	19333.285		
योग	113	25220.254		

* .05 स्तर पर सार्थकता

सारणी क्रमांक 5.159 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर), शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा लिंग (पुरुष / महिला) के लिये 'F' का मान क्रमशः 0.059, 1.02 तथा 3.07 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है, जबकि जिला तथा शहरी / एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति के बीच अंतर्क्रिया के 'F' का मान का मान 3.09 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है । अध्ययन के

लिये चयनित जिलों में अकादमिक अभिकर्मियों का दृष्टि कोण माध्य 85 से अधिक है । अर्थात अकादमिक अभिकर्मियों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति काफी धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया । सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	86.43	30	14.11
2.	झांसी	91.64	28	14.83
3.	सिर्द्धाथ नगर	86.21	24	13.37
4.	सीतापुर	86.34	32	16.86
	योग	87.64	114	14.94

विद्यालयों की स्थिति के अनुसार अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	कार्यरत अकादमिक अभिकर्मी की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	87.92	72	14.83
2.	ग्रामीण	87.17	42	15.29
	योग	87.64	114	14.94

लिंगवार अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	लिंग	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	88.99	68	14.29
2.	महिला	85.65	46	15.79
	योग	87.64	114	14.94

जिलेवार कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिलेवार माध्यम में कोई सार्थक अंतर (इलाहाबाद माध्य = 86.43, झांसी माध्य = 91.64, सिर्द्धाथ नगर माध्य = 86.21 एवं सीतापुर माध्य = 86.34) नहीं है । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, झांसी, सिर्द्धार्थ नगर एवं सीतापुर का प्रमाप विचलन क्रमशः 14.11, 14.83, 13.37 एवं 16.86 है । इसी प्रकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य (शहरी माध्य = 87.92, ग्रामीण माध्य = 87.17, पुरुष माध्य = 88.99, महिला माध्य = 86.65) में काई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । जिले एवं लिंग, लिंग एवं शहरी / ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा जिला, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच अंतर्क्रिया के माध्य नीचे सारणी में दिये हुए हैं –

जिलेवार तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	शहरी	86.05	3.33
		ग्रामीण	89.13	4.30
2.	झांसी	शहरी	97.56	3.31
		ग्रामीण	81.94	5.55
3.	सिर्द्धाथ नगर	शहरी	84.48	3.54
		ग्रामीण	83.67	5.73
4.	सीतापुर	शहरी	83.00	3.14
		ग्रामीण	88.44	4.30

जिलेवार एवं लिंग के बीच की अंतर्किया के आधार पर अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	पुरुष	84.175	3.331
		महिला	91.000	4.301
2.	झांसी	पुरुष	89.35	3.41
		महिला	90.14	5.49
3.	सिद्धार्थ नगर	पुरुष	91.97	3.70
		महिला	76.18	5.63
4.	सीतापुर	पुरुष	91.19	3.33
		महिला	80.25	4.16

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्किया के आधार पर दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	कार्यरत अकादमिक अभिकर्मी की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	शहरी	पुरुष	89.76	2.28
		महिला	88.58	2.58
2.	ग्रामीण	पुरुष	85.78	2.43
		महिला	83.00	4.30

जिलेवार, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्किया के आधार पर के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

जिला	विद्यालय की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
इलाहाबाद	शहरी	पुरुष	85.10	4.44
		महिला	83.25	4.96
	ग्रामीण	पुरुष	87.00	4.96
		महिला	95.00	7.02
झांसी	शहरी	पुरुष	98.33	4.68
		महिला	80.38	4.96
	ग्रामीण	पुरुष	96.77	4.68
		महिला	83.50	9.93
सिद्धार्थ नगर	शहरी	पुरुष	92.11	4.68
		महिला	91.83	5.73
	ग्रामीण	पुरुष	76.85	5.30
		महिला	75.50	9.93
सीतापुर	शहरी	पुरुष	83.50	4.44
		महिला	98.87	4.96
	ग्रामीण	पुरुष	82.50	4:44
		महिला	78.00	7.02

(III). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों का दृष्टिकोण : सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण जानने के लिये शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों से पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 30 प्रश्न थे जिनके अधिकतम अंक 120 हैं। सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 54 प्रशासनिक अभिकर्मियों जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में चारो जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) से प्रश्नवार पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में जानकारी प्राप्त कर उनके दृष्टि कोण का अध्ययन 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA विधि के द्वारा किया गया । विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार दृष्टिकोण पाया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के प्रसरण विश्लेषण की 3×2 ×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका कमांक : 5.160

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	26.832	8.944	0.039
शहरी / ग्रामीण (B)	1	123.308	123.308	0.539
लिंग (C)	1	108.069	108.069	0.473
A x B	3	210.256	70.085	0.306
A x C	3	67.866	22.622	0.099
B x C	1	538.449	538.449	2.355
A x B x C	2	337.531	168.766	0.738
त्रुटि	39	8918.483		
योग	53	10656.370		

* .05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 5.160 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर), शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा लिंग

(पुरुष/महिला) के लिये 'F' का मान कमशः 0.039, 0.539 तथा 0.473 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में प्रशासनिक अभिकर्मियों का दृष्टि कोण माध्य 85 से अधिक है । अर्थात प्रशासनिक अभिकर्मियों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति काफी धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया । जिले की स्थिति, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्न सारणी तालिका की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के
माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	87.47	17	14.23
2.	झांसी	88.54	13	15.65
3.	सिद्धार्थ नगर	89.18	11	13.48
4.	सीतापुर	88.23	13	14.83
	योग	88.26	54	14.18

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति के अनुसार प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	शहरी	88.24	38	13.72
2.	ग्रामीण	88.31	16	15.68
	योग	88.26	54	14.18

लिंगवार प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	88.55	38	14.66
2.	महिला	87.56	16	13.40
	योग	88.26	54	14.18

जिलेवार कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिलेवार माध्यम में कोई सार्थक अंतर (इलाहाबाद माध्य = 87.47, झांसी माध्य = 88.54, सिद्धाथि नगर माध्य = 89.18 एवं सीतापुर माध्य = 86.23) नहीं है । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर का प्रमाप विचलन क्रमशः 14.23, 15.66, 13.48 एवं 14.83 है । इसी प्रकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अकादमिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा लिंग के आधार पर अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य (शहरी माध्य = 88.24, गग्रमीण माध्य = 88.31, पुरुष माध्य = 88.55, महिला माध्य = 87.56) में काई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । जिला एवं लिंग, लिंग एवं शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति तथा जिला, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच अंतर्क्रिया के माध्य नीचे सारणी में दिये हुए हैं –

जिलेवार एवं शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	शहरी	85.70	4.31
		ग्रामीण	89.25	7.56
2.	झांसी	शहरी	88.00	5.34
		ग्रामीण	94.66	8.73
3.	सिद्धार्थ नगर	शहरी	87.20	6.32
		ग्रामीण	90.50	8.73
4.	सीतापुर	शहरी	89.50	5.34
		ग्रामीण	90.16	8.73

जिलेवार एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	पुरुष	90.12	4.63
		महिला	80.40	6.76
2.	झांसी	पुरुष	87.33	5.34
		महिला	95.33	8.73
3.	सिर्द्धाथ नगर	पुरुष	88.70	5.52
		महिला	89.00	9.26
4.	सीतापुर	पुरुष	85.16	5.34
		महिला	94.50	8.73

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	शहरी	पुरुष	90.18	3.07
		महिला	85.48	4.23
2.	ग्रामीण	पुरुष	85.01	4.42
		महिला	99.33	8.73

जिलेवार, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अभिकर्मियों की स्थिति एवं लिंग के बीच की अंतर्क्रिया के आधार पर दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

जिला	विद्यालय की स्थिति	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
इलाहाबाद	शहरी	पुरुष	91.00	5.34
		महिला	89.25	7.56
	ग्रामीण	पुरुष	80.40	6.76
		महिला	79.89	6.62
झांसी	शहरी	पुरुष	84.33	6.17
		महिला	90.33	8.73
	ग्रामीण	पुरुष	91.66	8.73
		महिला	99.00	15.12
सिद्धार्थ नगर	शहरी	पुरुष	96.40	6.76
		महिला	81.00	8.73
	ग्रामीण	पुरुष	78.00	10.69
		महिला	100.00	15.12
सीतापुर	शहरी	पुरुष	89.00	6.17
		महिला	81.33	8.73
	ग्रामीण	पुरुष	90.00	8.73
		महिला	99.00	15.12

(IV). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षा समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण : सर्व शिक्षा अभियान के ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण जानने के शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों में सहमत, अनिश्चित एवं असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 25 प्रश्न थे जिनके अधिकतम अंक 50 हैं। सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 130 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में चारों जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) से प्रश्नवार सहमत, अनिश्चित एवं असहमत में जानकारी प्राप्त कर उनके दृष्टि कोण का अध्ययन 4×2 के Factorial Design ANOVA विधि के द्वारा किया गया । विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार दृष्टिकोण पाया गया ।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के प्रसरण विश्लेषण की 4×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

सारणी कमांक : 5.161

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	1.390	.463	.015
लिंग (B)	1	.097	.097	.003
A x B	3	20.237	6.746	.220
त्रुटि	122	3743.192		
योग	129	3765.731		

* .05 स्तर पर सार्थकता

सारणी क्रमांक 5.161 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिर्द्धाथ नगर एवं सीतापुर) तथा लिंग (पुरुष/महिला) के लिये 'F' का मान क्रमशः 0.015 एवं 0.003 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का दृष्टि कोण माध्य 33 से अधिक है । अर्थात ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति काफी धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया । जिले की स्थिति एवं लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	33.47	38	5.43
2.	झांसी	33.53	32	5.48
3.	सिद्धांथ नगर	33.47	30	5.72
4.	सीतापुर	33.20	30	5.23
	योग	33.42	130	5.40

लिंगवार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	लिंग	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	33.45	84	5.47
2.	महिला	33.37	46	5.34
	योग	33.42	130	5.40

जिलेवार ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिलेवार माध्यम में कोई सार्थक अंतर (इलाहाबाद माध्य = 33.47, झांसी माध्य = 33.53, सिद्धार्थ नगर माध्य = 33.47 एवं सीतापुर माध्य = 33.20) नहीं है । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर का प्रमाप विचलन कमशः 5.43, 5.48, 5.72 एवं 5.23 है । इसी प्रकार लिंग के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य में काई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । जिला एवं लिंग के बीच अंतर्किया के माध्य नीचे सारणी में दिये हुए हैं –

जिलेवार एवं लिंग के बीच की अंतर्किया के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	पुरुष	33.60	1.15
		महिला	33.26	1.43
2.	झांसी	पुरुष	33.38	1.20
		महिला	33.81	1.67
3.	सिद्धार्थ नगर	पुरुष	33.94	1.27
		महिला	32.63	1.67
4.	सीतापुर	पुरुष	32.90	1.20
		महिला	33.88	1.84

(V). सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण : सर्व शिक्षा अभियान के अभिभावकों का दृष्टिकोण जानने के शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों में सहमत, अनिश्चित एवं असहमत में जानकारी प्राप्त की गई । प्रस्तुत उपकरण में 25 प्रश्न थे जिनके अधिकतम अंक 50 हैं। सभी प्रश्न प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के धनात्मक दृष्टिकोण को लेकर लिये गये थे । इस उपकरण से 240 अभिभावकों जानकारी एकत्र की गई । अध्ययन में चारों जिलों (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर) से प्रश्नवार सहमत, अनिश्चित, एवं असहमत में जानकारी प्राप्त कर उनके दृष्टि कोण का अध्ययन 4×2 के Factorial Design ANOVA विधि के द्वारा किया गया । विश्लेषण के आधार पर निम्नानुसार दृष्टिकोण पाया गया –

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण के प्रसरण विश्लेषण की 4×2 के Factorial Design ANOVA का सारांश

तालिका कमांक : 5.162

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जिला (A)	3	3.550	.035	.991
लिंग (B)	1	8.533	.251	.617
A x B	3	62.850	.616	.605
त्रुटि	232	7894.400		
योग	239	7973.896		

* 0.05 स्तर पर सार्थकता

सारणी क्रमांक 5.162 से ज्ञात होता है कि जिले (इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर),एवं लिंग (पुरुष/महिला) के लिये 'F' का मान क्रमशः 0.99 एवं 0.61 है, जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है । इसका अर्थ है कि जिले की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस परिपेक्ष्य में शून्य परिकल्पना कि जिले की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है को स्वीकृत किया जाता है । अतः हम कह सकते है कि जिले की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में अभिभावकों का दृष्टि कोण माध्य 34 से अधिक है । अर्थात अभिभावकों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति काफी धनात्मक दृष्टिकोण पाया गया । जिले की स्थिति तथा लिंग के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन को हम निम्न सारणी की सहायता से देख सकते है –

जिलेवार अभिभावकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन की सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	इलाहाबाद	34.67	60	5.78
2.	झांसी	34.67	60	5.86
3.	सिद्धार्थ नगर	34.53	60	5.75
4.	सीतापुर	34.22	60	5.85
	योग	34.52	240	5.78

लिंगवार अभिभावकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप विचलन सारणी

कमांक	जिला	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	पुरुष	34.39	160	5.73
2.	महिला	34.79	80	5.89
	योग	34.52	240	5.78

जिलेवार अभिभावको के दृष्टिकोण के माध्य का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जिलेवार माध्यम में कोई सार्थक अंतर (इलाहाबाद माध्य = 34.67, झांसी माध्य = 34.67, सिद्धार्थ नगर माध्य = 34.53 एवं सीतापुर माध्य = 34.22) नहीं है । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थ नगर एवं सीतापुर का प्रमाप विचलन कमशः 5.78, 5.86, 5.75 एवं 5.84 है । इसी प्रकार लिंग के आधार पर अभिभावकों के दृष्टिकोण के माध्य में काई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । जिला एवं लिंग के बीच अंतर्किया के माध्य नीचे सारणी में दिये हुए हैं –

जिलेवार एवं लिंग के बीच की अंतर्किया के आधार पर अभिभावकों के दृष्टिकोण के माध्य एवं प्रमाप त्रुटि की सारणी

कमांक	जिला	लिंग	संख्या	प्रमाप त्रुटि
1.	इलाहाबाद	पुरुष	35.07	0.92
		महिला	33.85	1.30
2.	झांसी	पुरुष	34.40	0.92
		महिला	35.20	1.30
3.	सिद्धार्थ नगर	पुरुष	34.45	0.92
		महिला	34.70	1.30
4.	सीतापुर	पुरुष	33.62	0.92
		महिला	35.40	1.30

निष्कर्ष : सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर सभी का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति धनात्मक दृष्टि कोण पाया गया । इसके अतिरिक्त निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

5.02.8 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना है । समाज के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे जो किसी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कमी के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से छूट जाते हैं, जिसके कारण प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की सम्प्राप्ति नहीं हो पाई है । अतः इन विशेष आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष योजना बनाई गयी है । जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाले तथा विद्यालयों से बाहर रहने वाले 6 से 18 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन कराते हुए मेडिकल एसिसमेंट कैम्प, उपकरण एवं उपस्कर का वितरण, विकलांगता प्रमाण–पत्रों का वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है ।

विकलांग बच्चों की शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगता को 5 श्रेणियों (दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता, विकलांगता जन्य क्षीणता, अधिगम अक्षमता तथा मासिक अक्षमता) पर विचार किया गया है । परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा विद्यालयों में किया जाता है । बच्चों के रोगों का चिन्हांकन कर निदान हेतु परामर्श दिया जाता है । मेडिकल ऐसेसमेंट कैम्प में बच्चों का परीक्षण किया जाता है । अक्षमता ग्रस्त बच्चों के लिये विद्यालय में भवन निर्माण में आवश्यक ढ़लान या रैम्प का निर्माण कराया जाता है, जिसमें बच्चें बिना किसी कठिनाई के विद्यालय भवन में पहुँच सके। विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय के समस्त शिक्षकों को प्रतिवर्ष विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है । सर्व शिक्षा कार्यक्रम में इन बच्चों को शैक्षिक सुविधा हेतु रूपये 1200/– की राशि प्रतिवर्ष प्रति बच्चे की दर से निर्धारित की जाती है ।

(अ). अध्ययन के लिये चयनित जिलो में विकलांग बच्चों की स्थितिः वर्ष 2005–06 के हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर अध्ययन के लिये चयनित जिलों में विकलांग बच्चों को चिन्हित किया गया । चयनित जिलों में चिन्हित विकलांग बच्चों की संख्या निम्नानुसार पाई गई –

जिला इलाहाबाद : इलाहाबाद जिले में कुल 5827 बच्चों को चिन्हित किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

परिवार सर्वेक्षण के आधार पर जिले में विकलांग बच्चों का वर्गवार विवरण

सारणी कमांक : 5.163

दृष्टि		श्रवण		शारीरिक अक्षमता		मानसिक		अधिगम अक्षमता		योग		
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
387	284	576	443	1915	1201	427	240	217	137	**3522**	**2305**	**5827**

स्रोत : हाउस होल्ड सर्वे वर्ष 2005–06

जिला झांसी: झांसी जिले में कुल 1780 बच्चों को चिन्हित किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

सारणी कमांक : 5.164

क्र0सं0	ब्लॉक	शारीरिक अक्षमता	मानसिक मंदता	सुनना / बोलना	दृष्टि	अधिकगम अक्षमता	योग
1	बबीना	97	26	28	23	10	184
2	बडागॉव	102	36	32	32	1	203
3	चिरगॉव	87	17	45	12	6	167
4	मोंठ	43	40	50	44	19	196
5	गुरसरॉय	84	12	2	53	0	151
6	बामौर	115	34	45	25	18	237
7	बंगरा	190	15	36	19	0	260
8	मऊरानीपुर	229	0	0	3	0	232
9	मऊ नगर	15	4	1	0	0	20
10	झॉसी नगर	35	22	27	32	14	130
योग		997	206	266	243	68	1780

स्रोत : हाउस होल्ड सर्वे वर्ष 2005–06

जिला सिद्धार्थ नगर : सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर जिले मे चिन्हित किये गये अक्षम बच्चों को समेकित शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कृत संकलित है। इस प्रयोजन हेतु जिले में विभिन्न प्रकार के 3306 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन बच्चों के नामांकन, उत्कृष्ठ शिक्षा, उपकरण, परिवहन एवं प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार वर्ष 2006–07 में कार्यक्रम एवं गतिविधियों की कार्य नीति सम्पर्क विचारोंपरान्त निर्धारित की गयी।

जिला सीतापुरः सीतापुर जिले में कुल 8457 बच्चों को चिन्हित किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

सारणी कमांक : 5.165

कमांक	विवरण	बालक		बालिका		योग
		6–11	11–14	6–11	11–14	
1	शारीरिक अक्षमता	1978	1292	1074	721	5065
2	मानसिक मन्दता	401	228	203	124	956
3	सुनना / बोलना ,	444	217	252	139	1052
4	दृष्टि	270	137	203	83	693
5	अधिगम अक्षमता	241	156	196	98	691
	योग	**3334**	**2030**	**1928**	**1165**	**8457**

स्रोत : हाउस होल्ड सर्वे वर्ष 2005–06

(ब). अध्ययन के लिये चयनित जिलो में विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सर्वशिक्षा अभियान में प्रति बच्चे के लिये 1200 रुपये की धन राशि आवंटित की गई है । अध्ययन के लिये चयनित जिलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नांकित कदम उठाये गये हैं –

(I). जिला इलाहाबाद : जिला इलाहाबाद में समेकित शिक्षा पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है । इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये तथा अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा ग्रहण कराने के लिये जिले में हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हाकिंत किये गये 5827 बच्चों के लिये 1200/– रूपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि प्रस्तावित की गई है । समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जिले के 20 विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्र में निम्न कार्यकमों का आयोजन किया गया–

मेडिकल एसेसमेंट कैम्पः विकलांग बच्चों हेतु 01 कैम्प प्रति विकासखण्ड की दर से कुल 21 कैम्प आयोजित किये गये ।

उपस्कर एवं उपकरण का क्रयः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण का क्रय एलिम्कों, कानपुर से करने हेतु आवश्यक धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित की गई ।

उपस्कर एवं उपकरण वितरण कैम्पः विभिन्न एजेन्सियों–सी.आर.आर.सी., डी.डी.आर.सी., एन.जी.ओ. से कन्वरजेन्स के माध्यम से निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 02 दिवसीय कैम्प का आयोजन किया गया ।

फाउन्डेशन कोर्सः 45 दिवसीय कोर्स के लिये अधिकतम 08 सहायक विकास खण्ड/समन्वयक, संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया।

ब्रिज कोर्सः गंभीर रूप से दृष्टि विकलांग एवं श्रवण विकलांग बच्चों के 03 माह का आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किया गया।

एकेडमिक स्पोर्टस एवं कल्चर मीटः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिये रू. 5,000/– प्रति विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर 03 दिसम्बर को "विश्व विकलांगता दिवस" के अवसर पर क्रार्यक्रम आयोजित किया गया ।

पेरेंट काउसलिंगः ऐसे बच्चों के 20 अभिभावकों की काउसलिंग की गई जिनके लिये लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसे अभिभावकों को वर्ष में अधिकतम 10 बार कांउसलिंग दी गई।

सपोर्ट सर्विसेजः इसके अर्न्तगत जिले के सभी विकास खण्डों में ऐसे 3 पांकेट तैयार किये गये जहॉ कम से कम 15–20 बच्चे दृष्टि, श्रवण, शारीरिक विकलांग थे । उन्हें जिले में उपलब्ध जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र आदि से स्पीच थैरेपी, फिजियोथेरेपी एवं मौबिलिटी की सहायता से प्रशिक्षण दिया गया ।

इटीनरेंट टीचरः विद्यालय में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने हेतु कुल 10 विद्यालयों पर एक इटीनरेंट टीचर रखा गया है । इस प्रकार कुल 17 भ्रमणशील अध्यापक को रखा गया है ।

रिसोर्स टीचरः दृष्टि, श्रवण एवं मानसिक मंदिता से संबंधित 03 विशेषज्ञों को जिले स्तर पर रखा गया है। यह रिसोर्स टीचर आवश्यकतानुसार सपोर्ट सर्विसेज, पेरेंट काउंसलिंग तथा प्रशिक्षण आदि में सहयोग देते हैं । इसके अन्तर्गत 03 रिसोर्स शिक्षक रखे गये हैं ।

रैम्पस का निर्माणः ऐसे 280 विद्यालयों में जिसमें रैम्पस नहीं बने हुये है तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन विद्यालयों में रैम्पस बनवाया गया है।

स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायताः जिले में कार्यरत ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों के लिये कार्य करना चाहती हैं, उन्हे विकास खण्ड मेजा में कुल 279 बच्चों की शिक्षा का दायित्व दिया गया ।

रिसोर्स सैन्टर का विकासः जिला स्तर पर रिसोर्स सेन्टर के विकास किया गया । इसमें विभिन्न विकलांगता से सम्बन्धित उपकरण एवं टी0एल0एम0 रखे गये हैं जिससे आवश्यकतानुसार बच्चों में वाणी, शारीरिक प्रशिक्षण आदि दिये गये ।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु ब्रिज कोर्सः वर्ष 2005–06 में चलाये गये बिर्ज कोर्स के बच्चों के लिये ग्रीष्म काल में 7 दिवसीय कैम्प चलाया गया जिसमें बच्चों को आवश्यकतानुसार विषयों की तैयारी करायी गई ।

स्पीच थेरेपिस्टः एक स्पीच थेरेपिस्ट की नियुक्ति की गई है।

फिजियो थेरेपिस्टः एक फिजियो थेरेपिस्ट की नियुक्ति की गई है।

ब्रेल बुक का मुद्रणः जिले में 75 प्राथमिक स्तर के एवं 25 उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु कुल 100 सेंट पुस्तकों के मुद्रण कराया गया है । जिससे बच्चों को उसका लाभ मिल सके ।

ऑडियोमीटर का कयः जिला स्तर पर स्थापित होने वाले रिसोर्स सेंटर हेतु ऑडियोमीटर का कय किया गया ।

ब्रेल पेपर्स एवं विभिन्न प्रकार के आवाजों के यन्त्रों का कय: जिले में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत ब्रेल पेपर्स, टाइपस, शीश, ब्रेल स्लेट, स्टाइलस एवं विभिन्न प्रकार के आवाजों के यंत्र आदि का कय किया गया।

ब्रेल लाइब्रेरी: इस हेतु प्रत्येक बी.आर.सी. पर प्रति विकास क्षेत्र एक ब्रेल पुस्तकालय का निर्माण किया गया है।

कन्वरजेंस: स्वास्थ्य विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एंव अधिकरिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न डी.डी.आर.सी., एलिम्को, कानपुर एंव अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से कन्वरजेंस स्थापित कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये मेडिकल ऐसेसमेंट कराया गया। स्पेशल स्कूल्स में गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा दिलवायी गई तथा बच्चों को आवश्यकतानुसार उपस्करण एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये ।

(II). जिला झांसी : जिले में विकलांग बच्चों के लिए वर्ष 2006–07 में निम्नांकित कार्यक्रम चलाये गये–

मेडिकल एसेसमेंन्ट कैम्प: जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में एक–एक मेडिकल एसेसमेंन्ट कैम्प किया गया ।

उपस्कर एवं उपकरण का क्रय: विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण का क्रय एलिम्को कानपुर से कराये गये ।

उपस्कर एवं उपकरण मापन वितरण कैम्प: विभिन्न एजेन्सियों जैसे डी0डी0आर0सी0, एलिम्को कानपुर द्वारा मेजरमैन्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प संचालित किये गये ।

फाउडेशन कोर्स: उक्त कोर्स के लिये 02 न्याय पंचायत समन्वयक/ए0बी0आर0सी0 समन्वयकों के लिये आयोजित किया गया ।

ब्रिज कोर्स : गम्भीर रुप से दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांग बच्चों के लिये 03 माह के आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किया गया जिसमें 20 दृष्टि बाधित एवं 20 श्रवण बाधित बच्चों को लिया गया।

अकादमिक सहयोग एवं सास्कृतिक सम्मेलनः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 03 दिसम्बर 2005 को विश्व विकलॉग दिवस आयोजन किया गया ।

पैरेन्ट/सिबलिंग ट्रेनिंगः ऐसे बच्चों के 20–20 अभिभावकों को जिन्हें लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता है को विकासखण्ड स्तर पर (08 विकासखण्ड) 10 बार प्रशिक्षण दिया गया ।

सपोट सर्विसेजः बच्चों को थैरपी, स्पीच थैरपी, फीजियोथैरपी एवं मोबिलिटी ट्रेनिंग आयोजित की गई ।

इटीनरेंन्ट टीचरः विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकता वाले पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने हेतु 10 विद्यालयों में 01 टीचर के लिये कुल 6 टीचर 11 माह के लिये नियुक्त किया गया ।

रिसोर्स टीचरः दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मन्दता से सम्बंधित 03 विशेषज्ञों को जिले स्तर पर रखा गया है ।

रैम्प का निर्माणः जिले के ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रैम्पस का निर्माण कराया गया जहॉ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अध्यनरत् हैं ।

रिसोर्स सेन्टरः जिले में 01 रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गई जिसमें विभिन्न विकलांगताओं से सम्बंधित उपकरण एवं टी0एल0एम0 रखे गये । जैसे ब्रेलर, ब्रेल स्लेट, टेलरफ्रेम, फोल्डिगं मेन, ब्रेल बुक,स्पीच ट्रेनर, बॉसुरी आदि ।

07 दिवसीय कैम्पः सत्र 2005–06 में चलाये गये ब्रिज कोर्स के बच्चों हेतु अगले वर्ष ग्रीष्म काल में 07 दिवसीय एक कैम्प चलाया जायेगा जिसमें बच्चों की आवश्यकतानुसार विषयों की तैयारी करायी गई।

स्पीच थैरापिस्ट एवं फिज्यिो थैरापिस्ट का चयनः रिसोर्स सेन्टर में 01 स्पीच थेरापिस्ट एवं फिलियो थैरापिस्ट उपलब्ध कराये गये ।

ब्रेल बुकः अध्ययनरत् दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पुस्तक उपलब्ध करायी गई ।

आडियो मीटर का क्रयः जिले स्तर हेतु आडियो मीटर का क्रय किया गया ।

ब्रेल उपकरण का क्रयः ब्रेल उपकरणों का क्रय किया गया ।

विकासखण्ड स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय हेतु ब्रेल पुस्तकों का क्रयः 08 विकास खण्डों में ब्रेल लाईब्रेरी की स्थापना की गई ।

(III). जिला सिद्धार्थ नगरः जिले में समेकित शिक्षा के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये गये –

मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्पः 2005 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर छूटे हुए अक्षम बच्चों का वर्ष 2006–07 में एसेसमेन्ट किया गया । संकुल स्तर पर एवं ब्लाक स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विकलांग प्रमाण पत्र बनवानें के लिए मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प विशेषज्ञ डाक्टरों के टीम द्वारा आयोजित किया गया । कैम्प में ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया गया जिन्हें उपकरण की आवश्यकता थी । प्रत्येक विकास खण्ड में एक कैम्प आयोजित किया गया ।

उपस्कर एवं उपकरण का क्रयः वर्ष 2005–06 में कराये गये उपकरण निर्धारण कैम्प में चिन्हित किये गये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण प्रदान करने हेतु एलिम्को द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि पर उपकरण क्रय कर वितरित की गई ।

उपस्कर एवं उपकरण मापन एवं वितरण कैम्पः विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का शैक्षिक एवं शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एलिम्को कानपुर द्वारा उपकरण निर्धारण एवं वितरण कैम्प का आयोजन किया गया । जिले में 3 कैम्प का आयोजित किये गये ।

फाउण्डेशन कोर्सः जिले के शिक्षकों के प्रशिक्षण, बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए एवं अभिभावक परामर्श कार्यशाला के लिए जिले में कुल 8 शिक्षकों को 45 दिवसीय फाउण्डेशन कोर्स कराया गया ।

(IV). जिला सीतापुरः जिले में समेकित शिक्षा के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये गये –

मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्पः जिला सीतापुर के 19 विकासखण्डों में 38 मेडिकल एसेसमेन्टकैम्प आयोजित किये गये, जिनमें 2967 बच्चों का एसेसमेन्ट किया गया।

उपकरण वितरण : जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर द्वारा 07–18 वयवर्ग के विकलांग बच्चों को उपकरण वितरित किये ।

उपस्कर एवं उपकरण मापन वितरण कैम्पः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प के उपरान्त आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न एजेन्सियों– सी0आर0आर0सी0 / डी0डी0आर0सी0 एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से कन्वर्जन्स के माध्यम से निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 02 दिवसीय 03 कैम्प प्रत्येक विकासक्षेत्र में एक–एक आयोजित किये गये ।

आर0सी0आई0 (फाउण्डेशन) का आधारभूत प्रशिक्षणः जिले में 8 विकास क्षेत्रों से 8 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को फाउण्डेषन कोर्स का प्रशिक्षण कराया गया । शेष विकास क्षेत्रों से एक सन्दर्भ व्यक्ति (बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0) वर्ष 2007–0.8 में प्रशिक्षित कराया गया । उक्त प्रशिक्षण प्राप्त सन्दर्भ व्यक्ति के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(स) विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थितिः जिलेवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से जहॉ एक ओर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है, वही इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाये उपलब्ध कराकर उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है । वर्षवार अध्ययन के लिये चयनित जिलों में कक्षावार अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति निम्नानुसार है–

जिला इलाहाबादः

सारणी कमांक : 5.166

कक्षा	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	481	326	807	318	197	515	342	229	571	303	165	468
2	531	411	942	323	222	545	415	243	658	301	244	545
3	495	362	857	341	279	620	470	364	834	320	256	576
4	411	280	691	278	243	521	461	307	768	307	247	554
5	327	218	545	224	154	378	356	245	601	293	221	514
6	119	104	223	96	57	153	158	132	290	104	79	183
7	127	81	208	86	77	163	158	116	274	92	83	175
8	104	50	154	103	63	166	167	115	282	83	68	151
योग	**2595**	**1832**	**4427**	**1769**	**1292**	**3061**	**2527**	**1753**	**4280**	**1803**	**1363**	**3166**

स्त्रोतः जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट 2006—07 एवं ई. एम.आई.एस.

जिला झांसीः

सारणी कमांक : 5.167

कक्षा	2003—04			2004—05			2005—06			2006—07		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	104	79	**183**	104	69	**173**	282	87	**369**	89	56	**145**
2	133	76	**209**	130	91	**221**	118	79	**197**	78	69	**147**
3	159	126	**285**	174	120	**294**	164	106	**270**	89	63	**152**
4	185	129	**314**	175	114	**289**	159	94	**253**	114	77	**191**
5	163	94	**257**	206	104	**310**	172	102	**274**	108	68	**176**
6	87	43	**130**	79	43	**122**	184	86	**270**	47	35	**82**
7	83	45	**128**	71	44	**115**	103	7	**110**	60	30	**90**
8	67	27	**94**	74	38	**112**	83	42	**125**	53	37	**90**
योग	**981**	**619**	**1600**	**1013**	**623**	**1636**	**1265**	**666**	**1931**	**638**	**435**	**1073**

स्त्रोतः जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट 2006—07 एवं ई. एम.आई.एस.

जिला सिद्धार्थ नगरः

सारणी कमांक : 5.168

कक्षा	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	233	103	**336**	129	67	**196**	169	89	**258**	162	115	**277**
2	233	133	**366**	108	57	**165**	175	118	**293**	162	126	**288**
3	231	116	**347**	120	68	**188**	178	113	**291**	168	107	**275**
4	151	80	**231**	99	61	**160**	174	107	**281**	134	89	**223**
5	156	63	**219**	81	38	**119**	142	81	**223**	109	83	**192**
6	57	32	**89**	25	18	**43**	36	35	**71**	64	55	**119**
7	54	26	**80**	35	7	**42**	36	29	**65**	40	37	**77**
8	29	15	**44**	22	3	**25**	46	29	**75**	34	26	**60**
योग	**1144**	**568**	**1712**	**619**	**319**	**938**	**956**	**601**	**1557**	**873**	**638**	**1511**

स्त्रोतः जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट 2006–07 एवं ई. एम.आई.एस.

जिला सीतापुरः

सारणी कमांक : 5.169

कक्षा	2003–04			2004–05			2005–06			2006–07		
	बालक	बालक	योग	बालक	बालक	योग	बालक	बालक	योग	बालक	बालक	योग
1	394	204	**598**	429	278	**707**	198	131	**329**	209	173	**382**
2	429	270	**699**	422	237	**659**	268	175	**443**	214	174	**388**
3	476	242	**718**	496	279	**775**	331	222	**553**	210	178	**388**
4	393	240	**633**	441	287	**728**	279	152	**431**	198	152	**350**
5	318	189	**507**	387	257	**644**	266	157	**423**	151	116	**267**
6	140	95	**235**	170	84	**254**	103	71	**174**	72	32	**104**
7	133	64	**197**	112	74	**186**	93	51	**144**	43	35	**78**
8	97	51	**148**	117	75	**192**	70	57	**127**	49	37	**86**
योग	**2380**	**1355**	**3735**	**2574**	**1571**	**4145**	**1608**	**1016**	**2624**	**1146**	**897**	**2043**

स्त्रोतः जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट 2006–07 एवं ई. एम.आई.एस.

सारणी कमांक 5.166 से 5.169 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के लिये चयनित जिलो में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये प्रयास से बच्चों का

विभिन्न वर्षों में उनकी संख्या के अनुसार काफी नामांकन हुआ है । नामांकन सभी जिलों के विद्यालयों के साथ लिंगवार भी नामांकन साथ दिखाई देता है ।

(स). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में प्रधानाध्यापकों तथा अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों का मतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में प्रधानाध्यापकों तथा अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी क्रमांक 5.29 और 5.30)–

- 97.50 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।
- 75.60 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है ।
- 80.95 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत नवाचारी शिक्षा के अर्न्तगत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चें को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।

(द). विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में पूर्व में प्रदेश में हुये शोध अध्ययन : विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में पूर्व में प्रदेश में हुये शोध अध्ययन निम्नानुसार हैं–

जोसेफ, आर.ए. (2002), ने विकलांग बच्चों को विद्यालय लाने में शिक्षक एवं अभिभावको की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश के बरेली जिले का चयन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षक विकलांग बच्चों के शिक्षण से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करते । शिक्षक विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से औसतन संतुष्टि पाये गये । बच्चों के अभिभावक

अपने बच्चों को घर से विद्यालय भेजने में साधन के अभाव के कारण समस्या का सामना करते पाये गये ।

सीथराम, आर. (2005), ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये किये गये प्रयास पर समाजिक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर विकलांग बच्चे अपने सहयोगी बच्चों के साथ उच्च प्राथमिक की तुलना में भय मुक्त पाये गये । परिवार की आय, सामाजिक स्थिति का विकलांगता बच्चों की शिक्षा में सार्थक प्रभाव दिखाई पड़ा । विकलांग बच्चों का सोशल–मैट्रिक स्थिति का उनके अकादमिक उपलब्धि में सार्थक प्रभाव पाया गया ।

ओ.आर.जी. (2005) ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया । अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उत्तरप्रदेश के 5 जिलों (सुल्तानपुर, ललितपुर, महराजगंज, बहराइच, मुजफ्फरनगर) से 150 विद्यालयों का चयन किया गया । अध्ययन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में धनात्मक स्थिति पाई गई । प्राथमिक विद्यालयों में समग्र ड्रापआउट 22 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 प्रतिशत पाया गया तथा विद्यालय की भैातिक एवं शैक्षिक स्थिति में काफी सुधार पाया गया ।

बत्रा, रजनी (2008), ने समेकित शिक्षा के अंतर्गत संचालित किये गये ब्रिजकोर्स के प्रभाव का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये उत्तरप्रदेश राज्य के बॉदा, फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर जिलों से 4 – 4 विकासखण्डों का चयन किया गया । अध्ययन में प्रत्येक जिले से 40 बच्चों तथा 40 अभिभावकों को (लखनऊ से 35) का चयन किया गया । अध्ययन में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार पाया गया कि 86.3 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में नामांकित है । 2556 बच्चों में से 19.2 प्रतिशत बच्चो जो नियमित विद्यालय जाने से बड़े उम्र के हैं वे

आवासीय ब्रिजकोर्स में अध्ययन कर रहे है । अध्ययन के लिये चिन्हित 212 शिक्षकों में से 84.9 प्रतिशत शिक्षकों ने इस ब्रिजकोर्स को काफी उपयोगी बताया । 66.98 प्रतिशत शिक्षकों ने यह भी स्वीकार किया कि वे विद्यालय के कोर्स के कारण इन बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते है । 37.26 प्रतिशत के अनुसार बच्चों की चंचलता के कारण उन्हे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाने में असुविधा होती है । शिक्षकों ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने में विशेष रुचि नहीं दिखाते जिनके कारणों में 46.69 प्रतिशत अधिक विकलांगता का होना, 46.22 प्रतिशत विकलांगता के प्रकार, 30.66 प्रतिशत परिवार की रुचि, 41.51 प्रतिशत विकलांग बच्चों के सीखने की दक्षता है । 64 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति भी शिक्षा में रुचि न लेने का कारण है । कुल मिलाकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में ब्रिजकार्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है ।

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण ('अ' से 'द') के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से विभिन्न वर्षो में विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में अन्य बच्चों के समान लाने का प्रयास किया गया है तथा इसमें काफी सफलता मिली है । चूकी यह प्रयास प्रदेश के सभी विकलांग बच्चों को को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर आधारित है तथा उसके आधार पर अध्ययन के लिये चयनित जिलों में इसकी काफी प्रगति भी हुई है । अतः कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगा ये गये हस्तक्षेपों पर जिले, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सर्थक अंतर नहीं है ।

5.02.9 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना ।

इस शोधकार्य का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना है । शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के संविधान के 73 वे और 74 वे संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने तथा जनसामान्य के लाभ तथा विकास की योजनाओं के प्रभावी एवं सार्थक कियान्वयन के लिय जन सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई । इसके अतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, आनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यो की देख रेख और नियंत्रण का कार्य ग्राम पंचायतों को दिया गया है तथा उनसे अपेक्षा की गई है कि ग्राम पंचायते, ग्राम शिक्षा समितिया,नगर शिक्षा समितियों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में कार्य करेगी । जिसके अंतर्गत गॉव/बार्ड के सभी बच्चों का नामांकन, ठहराव के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने में भरपूर सहयोग प्रदान करना रखा गया । वर्तमान में प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/शहरी शिक्षा समितियॉ गठित है जिसमे पंचायतों के चयनित सदस्यों के साथ बच्चों के अभिभावक भी शामिल है ।

अध्ययन के समय देखा गया कि अशिक्षित अभिभावकों की शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं है और यही कारण है कि वे किसी न किसी बहाने कभी घर के काम काज को लेकर और कभी गरीबी की दुहाई देकर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। ऐसे अभिभावकों को समझाने और प्रेरित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, प्रेरक समूहों तथा समुदाय के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को समझाना है। बालिकाओं को विद्यालय न भेजने और उनको शिक्षा से दूर रखने के रूढ़िवादी विचारों को बदलना है। विद्यालय में शिक्षकों को प्रथम पीढी के पढ़ने वाले बच्चों पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि पढ़ाई में अभिभावक उनका मार्गदर्शन कर सकने में अक्षम है । अध्यापकों को ऐसे बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाना है क्योंकि ये शिक्षा के वातावरण से वंचित रहे हैं और इनका मन पढ़ाई में लगने में समय लग सकता है।

(अ). समुदायिक सहभागिता के संबंध में प्रदेश में कि गये पूर्व शोध अध्ययनः सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गठित ग्राम शिक्षा समितियों की कार्य प्रणाली को जानने के संबंध में

पूर्व में हुये अध्ययन निम्नानुसार हैं–

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) 2002 ने नामांकन, ठहराव तथा अधिगम सम्प्राप्ति में परिवार तथा समुदाय की भूमिका का अध्ययन किया। इसके लिये उत्तर प्रदेश के दो जिलों बस्ती तथा सिद्धार्थनगर का चयन किया गया। इस अध्ययन में कुछ मुख्य परिणाम संकेत देते हैं कि यदि अभिभावक शिक्षित हो या शिक्षा के प्रति रुचि रखते हों तो वे निस्सन्देह अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, उनके सम्प्राप्ति–स्तर के लिए बराबर अध्यापकों से सम्पर्क बनाए रखेगे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं– इन सब पर ध्यान देंगे। अभिभावकों से वार्ता के द्वारा ज्ञात हुआ कि 86 प्रतिशत अभिभावकों का यह मानना है कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। वे रोज विद्यालय जाना चाहते हैं। 93 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार–विनिमय करते हैं और बच्चों की प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं। अध्ययन के बीच, साक्षात्कार के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं पर भी दृष्टि गई जैसे अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं पर यह शंका उनके मन में सदा बनी रहती है कि क्या शिक्षा उनके बच्चों को कुछ बना पायेगी। क्या वे इतने समर्थ हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पायेंगे? क्या शिक्षा रोजगार दिलायेगी? अभिभावक शिक्षा को रोजगार से जोड़ते हैं और जब यह सपना साकार नहीं होता है तो वे शिक्षा को व्यर्थ समझते हैं। आवश्यकता है अभिभावकों को समझाने की, कि शिक्षा केवल रोजगार दिलाने का माध्यम ही नहीं है, वह बच्चों के पूर्ण विकास का साधन है। वे अपने छोटे–छोटे कार्य कर सकेंगे और लिख–पढ़ सकेंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रेरक समूहों की आवश्यकता है जो अशिक्षित अभिभावकों को शिक्षा के गुणों के बारे में भलीभाँति समझा सकें।

कुमार, डी. (2002), ने प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता उन्नयन में समुदाय के दृष्टिकोण का अध्ययन किया । अध्ययन में उत्तरप्रदेश के शाहजहाँपुर एवं जे. पी. नगर जिलों को लिया गया । प्रत्येक जिले से 20 विद्यालयों, 20 ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों तथा 200 अभिभावकों से जानकारी प्राप्त की गई । अध्ययन में पाया गया कि समुदाय के लोग बच्चों को विद्यालय में नियमित भेजने में मुख्य भूमिका निभाते है । समुदाय के लोग ग्राम शिक्षा समितियों में अशिक्षित व्यक्तियों को सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं पाये गये । 51.25 प्रतिशत अभिभावकों को उनकी क्या भुमिका है स्पष्ट नहीं थी । ग्राम शिक्षा समितियों की

नियमित बैठके होती है तक्षा वे बच्चों की शिक्षा के संबंध में चर्चा करते है ।

विनायक (2003) ने विद्यालय स्तर पर गठित ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का अध्ययन किया । इसके लिये उत्तर प्रदेश के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 32 जिलों में से 4 जिलों (आगरा, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और झांसी) को भौगोलिक दृष्टिकोण से चयन किया गया । इन चारों जिलों से दो–दो विकास खण्डों का चयन किया गया । प्रत्येक विकासखण्ड से 4–4 संकुल स्त्रोत केन्दों का चयन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि जहाँ भी ग्राम शिक्षा समिति सकिय है वहाँ छात्रों के नामांकन उपस्थिति तथा ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । विद्यालय समय से खुलते है तथा शिक्षण अधिगम में सुधार हुआ है । शिक्षकों तथा अध्यापकों का समय से विद्यालय आना शुरू हो गया है । शिक्षक अभिभावक बैठकों तथा माता–शिक्षक संघ की मीटिंग के फलस्वरूप समुदाय की सहभागिता बढ़ी है ।

अशुतोष त्रिपाठी(2005) ने ग्राम शिक्षा समिति की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया । अध्ययन के लिये झांसी मंण्डल के जिलों का चयन किया । अध्ययन में पाया गया कि–

- शत प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित होती है ।
- 20 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों में 50 से 60 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति, 60 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों में 60 से 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा 20 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों में 75 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थित रहती है ।
- 70 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें एजेण्डा के आधार पर आयोजित होती है जबकि 30 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों की बैठके बिना एजेण्डा आयोजित होती है ।
- 60 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों में बैठक उपरान्त कार्यवाही विवरण तैयार किया जाता है तथा सदस्यों को दायित्व सौंपे जाते है, 20 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों में कार्यवाही विवरण बैठक के बाद प्रधानाध्यापक तैयार करता है, जबकि 20 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का कार्यवाही विवरण बैठक के उपरान्त तैयार कर समिति के सदस्यों के घर जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं । कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अलावा विद्यालय के शिक्षक सुनिश्चित करते है ।

- 60 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों का स्वरूप शिक्षा के विकास से संबंधित होता है जबकि 40 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति की बैठक का स्वरूप मिश्रिम (शिक्षा विकास तथा अन्य सामाजिक अभियान जैसे पल्स पोलियो आदि) होता है ।
- 85 प्रतिशत शिक्षक एवं पर्यवेक्षक ग्राम शिक्षा समिति की कार्य प्रणाली से संतुष्ट पाये गये जबकि 15 प्रतिशत शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया ।
- पर्यवेक्षकों के अनुसार 77 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य उनके गांव के भ्रमण के दौरान मिलते है जबकि 23 प्रतिशत नहीं मिलते ।
- पर्यवेक्षकों के अनुसार 92 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालयीन गतिविधियों में सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है जबकि 8 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का उदासीन दृष्टिकोण हेाता है ।

शिक्षकों के अनुसार 83.6 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के कार्य प्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सहमत पाये गये 9.1 प्रतिशत जबकि असहमत एवं 7.3 प्रतिशत द्वारा अनिश्चित में उत्तर दिया । ग्राम शिक्षा समिति विद्यालयों को शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में पर्याप्त सहयोग प्रदान कर रही है में 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों का मत सहमत में पाया गया है ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से बच्चों की दर्ज बढ़ी है तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, में सहमत के प्रति क्रमशः 92.9 एवं 95.2 प्रतिशत शिक्षकों ने मत दिया है जबकि बच्चों की नियमितता एवं शिक्षण में गुणवत्ता के प्रति सहमत में क्रमशः 92.9 व 69.0 प्रतिशत शिक्षकों ने मत दिया है ।

85.7 प्रतिशत अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति के कार्य प्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सहमत पाये गये, 7.3 प्रतिशत असहमत एवं 10.0 प्रतिशत द्वारा अनिश्चित में उत्तर दिया । ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों की संख्या बढ़ी है, में सहमत पर 89.6 प्रतिशत अभिभावकों ने मत दिया जबकि ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों के विद्यालय छोड़ने के प्रवृत्ति कम हुई है, ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों की नियमितता बढ़ी है ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों की नियमितता बढ़ी है तथा ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है में सहमत पर क्रमशः 93.4, 94.3 एवं 86.8 प्रतिशत

अभिभावकों ने सहमत पर मत व्यक्त किया । इस प्रकार ग्राम शिक्षा समितियां शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में पर्याप्त सहयोग प्रदान कर रही है । अभिभावकों से प्राप्त प्रश्नवार विचार में सभी प्रश्नों पर 70 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने ग्राम शिक्षा समिति के सहयेाग के सहमत पर विचार व्यक्त किया

82.4 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के कार्य प्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सहमत पाये गये 9.6 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने ग्राम शिक्षा समिति के कार्यप्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से अहसमत पाये गये जबकि 10 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों ने अपना मत अनिश्चित में दिया । इस प्रकार विश्लेषण के आधार पर 80.4 प्रतिशत प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली पर सहमत तथा 9.6 प्रतिशत असहमत पाये गये । ग्राम शिक्षा समिति के सहयेाग के कारण विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ी है विद्यालय त्याग दर नगण्य हुआ है तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी हुआ है । प्रधानाध्यापक से प्रश्न वार प्राप्त मत में 70 प्रतिशत से अधिक प्रधानाध्यापक प्रत्येक बिन्दु पर सहमत पाये गये । विभिन्न स्तरीय अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार–

- तीनो जिलों के 88.5 प्रतिशत अधिकारी सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपो तथा उसकी प्रगति के प्रति सहमत पाये गये जबकि 3.5 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 7.5 प्रतिशत असहमत पाये गये ।
- बच्चों के नामांकन में वृद्धि, ठहराव एवं औसतन उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारी सहमत तथा 12 प्रतिशत के लगभग असहमत पाये गये ।
- नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में जेण्डर एवं सोशल गैप 5 प्रतिशत से कम हुआ के प्रति 85 प्रतिशत अधिकारी सहमत पाये गये ।
- 98.3 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

- निः शुल्क पाठयपुस्तक, छात्र वृत्ति एवं मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों के नामांकन के साथ ठहराव बढ़ा के प्रति 80 प्रतिशत अधिकारी सहमत तथा 20 प्रतिशत आंशिक सहमत पाये गये ।
- बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिला है के प्रति 90 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकरी सहमत तथा 10 प्रतिशत आंशिक सहमत पाये गये ।
- समुदाय की शिक्षा के प्रति जागरूकता आयी है के प्रति 71 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी सहमत पाये गये । उनके अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के गठन तथा विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में समुदाय की प्रतिभागिता से समुदाय का विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण बदला है तथा वे अब अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे है तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भरपूर सहयोग देते है ।
- विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन के साथ विभिन्न शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य क्षमत में वृद्धि के प्रति 100 प्रतिशत अधिकारी सहमत पाये गये ।
- 100 प्रतिशत अधिकारियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनतर्गत विकलांग बच्चों को चिन्हित कर उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जा रहा है । शिक्षकों को विकलांग बच्चों को कैसे शिक्षण करावे पर प्रशिक्षित किया गया है । विकलांग बच्चों का समय–समय पर मेडिकल कैम्प आयोजित किये जाते है तथा अवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जाते है । इसके लिये प्रति बच्चा रूपया 1200/– की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गई है ।

इस प्रकार प्रशासनिक एवं अकादमिक अधिकारियों के अनुसार सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्य से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी प्रगति हुई है । अभिभावकों के अनुसार–

- विभिन्न प्रश्नों के प्रतिशत माध्य का अवलोकन करने पर सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य तथा प्रगति से 84.7 प्रतिशत अभिभावक सहमत, 5.2 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 10.1 असहमत पाये गये ।

- 80 प्रतिशत से अधिक अभिभावक के अनुसार ग्रम शिक्षा, समिति के गठन से समुदाय का विद्यालय के प्रति लगाव बढ़ा है तथा विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है । समुदाय की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि जागी है । समुदाय तथा शिक्षण संबंध अच्छे हुये है । बच्चे विद्यालय नियमित जाते है तथा शिक्षक उनको मन लगाकर पढ़ाते है ।
- 95 प्रतिशत अभिभावको के अनुसार गॉव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये जाते है । गॉव के 2 या 3 बच्चे पढ़ने के लिये नहीं जाते । इन बच्चों के पढ़ने न जाने का मुख्य कारण यह बताया गया कि वे अपने घर के काम में हाथ बटाते है इसलिए विद्यालय नही जाते ।
- 100 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विगत कुछ वर्षो में विद्यालय के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है ।
- 100 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है । विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया है, शौचालय का निर्माण तथा हैण्ड पम्प लगवाये गये है ।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार–

- 39.5 प्रतिशत ग्रम शिक्षा समिति के सदस्य प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये कार्य तथा उसकी प्रगति से सहमत पाये गये जबकि 5.4 प्रतिशत द्वारा असहमत में जवाब दिया ।
- 90 प्रतिशत से अधिक समिति के सदस्यों के अनुसार बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है, ड्राप आउट में कमी आई है तथा बच्चे सीख रहे हैं के प्रति सहमत पाये गये ।
- विद्यालय में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि के प्रति 90 प्रतिशत से अधिक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहमत पाये गये ।
- 96.3 प्रतिशत समिति के सदस्यों के अनुसार गॉव के सभी बच्चे पढ़ने के लिय जाते है ।

- 93.3 प्रतिशत समिति के सदस्यों के अनुसार विद्यालय एवं समुदाय में जाति एवं लिंग के अनुसार भेदभाव में कमी आई है । विद्यालय की लगातार मांनीटरिंग से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावी हुआ है तथा समुदाय में जागरूकता आई है ।

इस प्रकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, बच्चों के अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण करने पर निम्न प्रकार की बात निकल कर आई –

- विद्यालयें के भौतिक एवं मानवीय संसांधनों में पूर्व की स्थिति से काफी प्रगति हुई है ।
- बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में पहले की स्थिति से काफी प्रगति हुई है ।
- विद्यालय का वातावरण पूर्व की स्थिति से काफी अच्छा हुआ है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है

(ब). सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको का मतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी कमांक 5.28 से 5.32)–

- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।

- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चें का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।

- 74.40 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।
- 94.53 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।

इस प्रकार पूर्व में हुये शोध कार्यों के विश्लेषण एव विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों तथा अभिभावको के समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास ('अ'से 'ब') के संबंध में अभिमत के आधार पर कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता हेतु नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा समितियों का गठन कर उनके सदस्यों का उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया है । गठित समितिया भी अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करते हुये शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ।

अध्याय छः

शोधसार, निष्कर्ष एवं सुझाव

6.01.0 प्रस्तावना : शोधसार, किसी शोध कार्य के प्रारम्भ से अंत तक का संक्षिप्त लिखित विवरण होता है । शोधसार में शोध की समस्या या परिकल्पना का परिचय, अवधारणाओं का विवरण एवं परिभाषा, शोध में प्रयुक्त की गई प्रविधियॉ एवं स्रोत, सामग्री का संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन, परिकल्पना की सत्यता की जॉच आदि को क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं बोधगम्य विवरण सरल भाषा में दिया जाता है । यह शोध कार्य का अंतिम अध्याय है । इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों तक अध्ययन का सम्पूर्ण परिणाम पहुॅचाना है । शोधसार की सहायता से सम्पूर्ण शोध की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है । इसके लिये पूरे शोध अध्ययन से होकर नहीं गुजरना पड़ता है । शोधसार सम्पूर्ण शोध अध्ययन का संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें शोध कार्य के प्रारम्भ से अंत तक अपनाई गई प्रत्येक गतिविधि तथा उससे प्राप्त परिणामों को एक क्रम में संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है । शोधसार के साथ ही अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो को क्रम से दिया जाता है । इन निष्कर्षो के आधार पर शोधकर्ता अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करता है । अंत में अपने शोध कार्य के अनुभव के आधार पर भावी शोध हेतु समस्याये प्रस्तुत करता है । इस प्रकार शोधसार सम्पूर्ण शोध अध्ययन का एक सक्षिप्त रूप होता है । कभी–कभी कुछ शोधकर्ता शोध अध्ययन के प्रारम्भ में ही लिखते है । इससे शोध प्रतिवेदन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है । प्रस्तुत अध्ययन में शोध सार को अंतिम अध्याय के रूप में दिया गया ।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लियें सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है । अध्ययन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश चार जिलों इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर तक सीमित रखा गया। अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव जानने तक सीमित किया गया है।

6.02.0 संक्षेपिका : सम्पूर्ण शोध प्रबंध को छः अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में शोध परिचय, द्वितीय अध्याय शोध के लिये चयनित प्रदेश तथा उससे संबंधित जिलों की शैक्षिक प्रगति, तृतीय अध्याय में शोध से संबंधित पूर्व में किये गये अध्ययन, चतुर्थ अध्याय में शोध प्रविधि, अध्याय पॉच में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या तथा अध्याय छः में शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव तथा अंत में संदर्भ ग्रंथ एवं परिशिष्ट में उपयोग किये गये उपकरणों को दिया गया है । अध्यायवार संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है –

6.02.1 अध्याय प्रथमः शोध परिचय : इसमें प्रस्तावना, प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये विश्व स्तरीय प्रयास, भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य, उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये प्रयास एवं वर्तमान परिदृश्य, प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में बालिका शिक्षा की स्थिति, प्रारम्भिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों की संस्तुतियाँ, प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में भूमंडलीकरण की भूमिका, प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किये गये संवैधानिक प्रावधान, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु उत्तरप्रदेश मे संचालित की गई विभिन्न परियोजनाएं, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभैामीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप, प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता, शोध समस्या का कथन, प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या, प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य और अंत में शोध परिकल्पनायें दी गई हैं ।

शोध कथनः अध्ययन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन में शोध का कथन है –

''प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सर्वशिक्षा अभियान
कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन''

"A study of the impact of various intervensions for Universalisation
of Elementary Education under Sarva Shiksha Abhhiyan "

शोध उद्देश्य : प्रस्तुत शोध कार्य सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के विभिन्न हस्तक्षेपों का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में क्या प्रभाव पड़ा है को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गये –

1. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना ।
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।
7. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।
8. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
9. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना ।

शून्य परिकल्पना : प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाये निर्धारित की गई है –

1.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

1.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.3 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.4 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.5 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

2.6 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

3.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

3.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

3.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

4.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

5.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.1 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.2 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.3 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.4 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.5 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.6 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.7 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.8 क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.9 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.10 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.11 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.12 जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

7.13 लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.1 जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.2 क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

8.3 लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

9.1 जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

9.2 क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.02.2 अध्याय द्वितीय – अध्ययन के लिये चयनित प्रदेश एवं जिलों का परिचय : इस अध्याय में शोध हेतु चयनित प्रदेश एवं जिलों का सामान्य परिचय तथा चयनित प्रदेश एवं जिलों की शैक्षिक प्रगति दी गई है । प्रदेश और जिलों के सामान्य परिचय के अंतर्गत जनसंख्या, क्षेत्रफल, विकास खण्ड, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता पुरुष तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत आदि दिया है । प्रदेश एवं जिलों की शैक्षिक प्रगति के अंतर्गत विद्यालयों की स्थिति, नामांकन की स्थिति,

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के नामांकन की स्थिति, शैक्षिक सूचकांक की स्थिति, नामांकन की स्थिति, सकल एवं शुद्ध नामांकन अनुपात की स्थिति, शिक्षक विद्यार्थी एवं कक्षा विद्यार्थी अनुपात की स्थिति, विद्यालयों की स्थिति, कक्षाकक्ष की स्थिति, शिक्षकों की योग्यता, लिंगवार शिक्षकों की स्थिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षकों की स्थिति, विकलांग बच्चों के नामांकन की स्थिति, ड्राप आउट दर, प्रमोशन दर, रिपीटीशन दर, ट्रांजीशन एवं ठहराव दर, सम्प्राप्ति स्तर की जानकारी दी गई है ।

6.02.3 अध्याय तृतीय – शोध संबंधित साहित्य का अध्ययनः तृतीय अध्याय में शोध समस्या से संबंधित पूर्व में देश एवं विदेश में किये गये अध्ययनों की जानकारी दी गई है ।

6.02.4 अध्याय चतुर्थ – शोध प्रविधि : चतुर्थ अध्याय में शोध समस्या प्रविधि, शोध चर, न्यायदर्श की विशेषताएं, शोध उपकरण, प्रदत्तों का सरणीयन, प्रदत्तों के संकलन में उत्पन्न कठिनाईयां, प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां आदि की जानकारी दी गई है ।

शोध समस्या की सीमाएं : इस शोध कार्य में शोधकर्ता ने शोध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी सीमाओं का निर्धारण किया है जो निम्नानुसार है –

- प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश 4 जिलों इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर तक सीमित रखा गया।
- अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव जानने तक सीमित किया गया ।
- अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयो पर किया गया जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है ।
- अध्ययन में शासकीय विद्यालयों को ही शामिल किया गया ।

शोध कार्य में प्रयुक्त चर : विश्लेषण की सुविधानुसार शोध अध्ययन में चरों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है –

स्वतंत्र चर

लिंगगत	छात्र, छात्रायें/ पुरुष, महिला
विद्यालय की स्थिति	शहरी एवं ग्रामीण
जिला	इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर

आश्रित चर

नामांकन, ठहराव, गुणात्तक शिक्षा, दृष्टिकोण

न्यायदर्श चयन प्रक्रिया : प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया –

- द्वितीय आंकड़े के रूप में राज्य के शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के आकड़ों का उपयोग किया गया । इसके अलावा प्राथमिक आंकड़े के रुप में 4 जिलों के यादृच्छि विधि से चयनित विद्यालयों तथा वहॉ के प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों से उपकरण से जानकारी एकत्र की गई ।
- प्रत्येक जिले से 40–40 विद्यालयों का चयन जिसमे से 20 प्राथमिक एवं 20 उच्च प्राथमिक स्तर के थे का चयन यादृच्छि विधि से किया गया । सभी विद्यालय शासकीय थे । चयनित विद्यालयों में से 40 प्रतिशत शहरी तथा 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के थे ।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 15 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक विधिलय से 10 बच्चों का चयन किया गया जिसमे बालक एवं बालिका दोनों शामिल है ।
- संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गई ।
- ग्रामशिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक, संकुल समन्वयक, बी.आर.सी.सी., जिला एवं राज्य स्तर के आकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों का साक्षात्कार आदि।

अध्ययन में लिये गये न्यादर्श का विस्तृत विवरण एक दृष्टि में निम्नानुसार है –

जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार न्यादर्श

क्र.	न्यादर्श विवरण	प्रकार	जिले का नाम				
			इलाहाबाद	झांसी	सिद्धार्थ नगर	सीतापुर	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	शहरी	8	8	8	8	32
		ग्रामीण	12	12	12	12	48
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी	8	8	8	8	32
		ग्रामीण	12	12	12	12	48
3.	प्राथमिक विद्यालय	शहरी (बालक)	60	60	60	60	240
		शहरी (बालिका)	60	60	60	60	240
		ग्रामीण (बालक)	90	90	90	90	360
		ग्रामीण (बालिक)	90	90	90	90	360
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी (बालक)	40	40	40	40	160
		शहरी (बालिका)	40	40	40	40	160
		ग्रामीण (बालक)	60	60	60	60	240
		ग्रामीण (बालिक)	60	60	60	60	240
5.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	13	12	11	10	46
		शहरी (महिला)	11	12	13	14	50
6.	शिक्षक प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	18	22	25	23	88
		ग्रामीण (महिला)	18	14	11	13	56
7.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	शहरी (पुरुष)	12	11	10	11	44
		शहरी (महिला)	12	13	14	13	52
8.	शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण (पुरुष)	19	15	10	13	57
		ग्रामीण (महिला)	17	21	26	23	87
9.	प्रशासनिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	8	6	5	6	25
		पुरुष (ग्रामीण)	4	3	3	3	13
		महिला (शहरी)	4	3	2	3	12
		महिला(ग्रामीण)	1	1	1	1	4
10.	अकादमिक अभिकर्मी	पुरुष (शहरी)	10	9	9	10	38
		पुरुष (ग्रामीण)	8	8	6	8	30
		महिला (शहरी)	8	9	7	10	34
		महिला(ग्रामीण)	4	2	2	4	12
11.	ग्राम शिक्षा समिमि के सदस्य	पुरुष	23	21	19	21	84
		महिला	15	11	11	9	44
12.	अभिभावक	पुरुष	40	40	40	40	160
		महिला	20	20	20	20	80

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी : प्रस्तुत शोध में शोध समस्या से संबंधित संकलित प्रदत्तों के सारणीयन करने के उपरान्त, उद्देश्यवार परिकल्पनाओं का सत्यापन कर उनसे उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये "प्रतिशत", "माध्य", "प्रमाप विचलन","प्रमाप त्रुटि", "प्रसरण विश्लेषण" ('F' परीक्षण) सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है ।

6.02.4 अध्याय पंचम– प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या : पंचम अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या को दिया गया है । जिसमें शोध उद्देश्य के आधार पर शून्य परिकल्पनाओं की सार्थकता का अध्ययन किया गया है । प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर उद्देयवार शून्य परिकल्पनाओं की सार्थकता की जॉच की गई, तदोपरान्त उसकी उद्देश्यवार व्याख्या की गई है।

6.02.5 अध्याय छः – शोधसार, निष्कर्ष एवं व्याख्या : अध्याय छः में शोध सारांश, निष्कर्ष, व्याख्या, सुझाव एवं भावी शोध हेतु समस्यायें दी गई है ।

6.02.6 संदर्भित ग्रंथ एवं परिशिष्ट : शोध के अंत में अध्ययन के संदर्भ के रूप में प्रयोग किये गये संदर्भ ग्रंथ तथा परिशिष्ट सूची में शोध में उपयोग किये गये उपकरणों की जानकारी दी गई है ।

6.03.0 निष्कर्ष एवं व्याख्या : प्रस्तुत शोध में न्यायदर्श के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष एवं उसकी व्याख्या निम्नानुसार है –

6.03.1 निष्कर्ष : प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश चार जिलों इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर पर किया गया । शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है । इस अध्ययन से उद्देश्यवार निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुए –

उद्देश्य 1 : सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्वशिक्षा कार्यक्रम अभियान कार्यक्रम मार्गदर्शिका, राज्य एवं जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट, राज्य परियोजना कार्यालय मार्गदर्शिका, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट है कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों के सभी बस्तियों में आवश्यकता आधारित विभिन्न हस्तक्षेप लगााये गये हैं (विभिन्न हस्तक्षेपों की जानकारी पृष्ठ 216 से 227 में दी गयी है) और इन हस्तक्षेपों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। इस प्रगति में जिले और क्षेत्रवार (शहरी/ग्रामीण) कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगाये गये हस्तक्षेप में –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 2 : सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की प्रगति का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सारणी कमांक 5.1 से 5.32 के अवलोकन, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता आधारित भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है (प्रगति की जानकारी पृष्ठ 237,240 और 245 में दी गई है), जिसका प्रभाव बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा पर पड़ा है । अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता आवश्यकता आधारित है न कि

जिले/क्षेत्र आधारित । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं उसकी प्रगति में जिले एवं क्षेत्रवार कोई सार्थक अंतर नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधन के क्षेत्र में प्रगति हुई है तथा प्रगति में –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की प्रगति में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 3: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: विभिन्न स्तर के विश्लेषण, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामाकंन हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का नामांकन बढ़ा (पृष्ठ 264 से 270) है और इसकी वृद्धि में जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अर्थात वृद्धि सभी क्षेत्रों में हुई है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 4: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: विभिन्न स्तर के विश्लेषण, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ठहराव हेतु लगाये गये हस्तक्षेप के प्रभाव से बच्चों का विद्यालय में ड्राप आउट दर घटी है (पृष्ठ 290 और 291)। इस प्रकार विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से बच्चों का ठहराव बढ़ा है और ड्राप आउट दर कम हुई है और इसकी वृद्धि में जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं देता है । अर्थात वृद्धि सभी क्षेत्रों में हुई है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के ठहराव हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 5: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के संबंध में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी, शोध अध्ययन के विश्लेषण, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अभिमत एवं विद्यालयों से संकलित जानकारी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों में वर्षवार काफी प्रगति हुई है (सारणी कमांक 5.105 से 5.116 तथा 5.119 से 5.126) । इसी के परिपेक्ष्य बच्चों के उपलब्धि स्तर में भी वर्षवार प्रगति (सारणी कमांक 5. 117, 5.118 एवं 5.127) दिखाई देती है । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का जिलेवार विद्यालय की स्थिति, क्षेत्रवार विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के अधारे पर कक्षा पांच एवं आठ के बच्चों के उपलब्धि स्तर का विश्लेषण करने पर जिले की स्थिति, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया । चूकी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हस्तक्षेप आवश्यकता आधारित है । अतः ये हस्ताक्षेप सभी जगह लगाये गये है । अतः हम कह सकते हैं कि जिलेवार, क्षेत्रवार एवं लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में को सार्थक अंतर नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर हेतु लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेप के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 6: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों के उपलब्धि स्तर के संबंध में विद्यालयों को

उपलब्ध कराये गये शिक्षक एवं उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास के संबंध में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त जानकारी, शोध अध्ययन के विश्लेषण, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकमियों के अभिमत एवं विद्यालयों से संकलित जानकारी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में नियमित शिक्षक के साथ स्थानीय शिक्षक विभिन्न वर्षों में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराये गये है (पृष्ठ 336 से 349) और जा रहे । अध्ययन के दौरान यह बात निकल कर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अर्पाप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये है । सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को विभिन्न वर्षो में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा । अतः हम कह सकते हैं कि जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये गये है लेकिन नगर क्षेत्र अभी उपेक्षित है जबकि क्षमता सवर्द्धन में नगर एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और जा रहा है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक में सार्थक अंतर पा या ग या जबकि उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये शिक्षक तथा उनकी दक्षता संवर्द्धन हेतु किये गये प्रयास में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 7: सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर सभी का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति धनात्मक दृष्टि कोण पाया गया । इनके दृष्टिकोण के निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुये –

- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अकादमिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- क्षेत्रवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक अभिकर्मियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।
- जिलेवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार, सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया ।

उद्देश्य 8: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगाये गये विभिन्न हस्तक्षेपों से विभिन्न वर्षो में विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में अन्य बच्चों के समान लाने का प्रयास किया गया है तथा इसमें काफी सफलता मिली है । चूकी यह प्रयास प्रदेश के सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर आधारित है तथा उसके आधार पर अध्ययन के लिये चयनित जिलों में इसकी काफी प्रगति भी हुई है । अतः कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगा ये गये हस्तक्षेपों पर जिले, विद्यालय की स्थिति एवं लिंग के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है । विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी कमांक 5.28 से 5.32)–

- 97.50 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।
- 75.60 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है ।
- 80.95 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत नवाचारी शिक्षा के अर्न्तगत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चें को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।

अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय लाने में सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये प्रयास सभी स्तर पर किये गये है । इस प्रकार कह सकते हैं कि –

- जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये

गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

- क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- लिंगवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये लगाये गये हस्ताक्षेपों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

उद्देश्य 9: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु लगाये गये हस्तक्षेपों के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समति के सदस्यों एवं अभिभावको से निम्नानुसार मत प्राप्त हुआ (सारणी क्रमांक 5.28 से 5.32)–

- 78.75 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।
- 82.92 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चें का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।
- 74.40 प्रतिशत अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।
- 94.53 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।

इस प्रकार पूर्व में हुये शोध कार्यों के विश्लेषण एव विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों तथा अभिभावको के समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के संबंध में अभिमत के आधार पर कह सकते है कि सर्व शिक्षा अभियान

के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता हेतु नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा समितियों का गठन कर उनके सदस्यों का उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया है । गठित समितिया भी अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करते हुये शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । इस प्रकार कह सकते हैं कि –

- जिलेवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
- क्षेत्रवार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समुदायिक सहभागिता के लिये किये गये प्रयास के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

6.03.2 शोध का संक्षिप्त सार : प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरप्रदेश राज्य के 4 जिलों इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर पर किया गया । अध्ययन में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये लगाये गये विभिन्न हस्ताक्षेपों के प्रभाव जानने का प्रयास किया गया है । सर्वशिक्षा कार्यक्रम अभियान कार्यक्रम मार्गदर्शिका, राज्य एवं जिलों की वार्षिक कार्ययोजना एवं वजट, राज्य परियोजना कार्यालय मार्गदशिका, विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुई प्रगति पर उनके मत, शोध अध्ययनों के निष्कर्ष तथा विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड़बैक से स्पष्ट है कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों के सभी बस्तियों में आवश्यकता आधारित विभिन्न हस्तक्षेप लगााये गये हैं और इन हस्तक्षेपों से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। इसकें अंतर्गत जहॉ सभी बस्तियों में निधार्रित मापदण्ड के आधार पर विभिन्न शैक्षिक सुविधाये उपलब्ध कराई गई है वही बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु विद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्ष, अतिरिक्त शिक्षक, स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय, विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान, शिक्षक एवं शैक्षिक कार्य से संलग्न विभिन्न अभिकर्मियों को समय–समय पर विभिन्न आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, नवाचार को प्रोत्साहन, विकलांग एवं समाजिक आर्थिक रुप से पिछड़े बच्चों के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन आदि दिये जा रहे है । इन विभिन्न हस्तक्षेपों से शिक्षा के सार्व भौमीकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई है । ये हस्तक्षेप किसी जिले, क्षेत्र

अथवा किसी विशेष समुदाय के लिये न होकर सभी के शिक्षा हेतु लगाये गये है । लेकिन शिक्षा की उपलब्धता के क्षेत्र में नगर क्षेत्र में आवश्यकता आधारित शिक्षक अभी तक नहीं उपलब्ध कराये गये है । सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक/प्रशासनिक अभिकर्मियों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर सभी धनात्मक दृष्टि कोण पाया गया ।

6.04.0 सुझाव : प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौम नामांकन, सार्वभौम ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अनेक प्रयास किये गये है, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2001–02 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है । इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में काफी सफलता मिल रही है लेकिन विभिन्न चुनौतियों के चलते शत प्रतिशत लक्ष्य से हम अभी काफी पाछे चल रहे हैं । शिक्षा के सार्व भौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं –

- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिये अच्छा सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण तैयार किया जाये । इन विद्यार्थियों के लिये अच्छी विद्यालयीन सुविधायें, प्रभावशाली निर्देशन तथा सामाजिक भावनात्मक वातावरण बनाया जाये, ताकि इनका व्यक्तित्व सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो सके ।
- विद्यार्थियों में विभिन्न मूलभूत एवं संवैधानिक सुविधाओं के उपयोग के लिये जागरूक बनाया जाना चाहिये, ताकि इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का सर्वांगींण विकास कर सके ।
- विद्यार्थियों की क्षमताओं को राष्ट्र के निर्माण एवं समाज के विकास के लिये पूर्ण उपयोग करने के लिये इनको पर्याप्त शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधायें उपलब्ध करवायी जाना चाहिये ।

- प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय का निर्माण किया जाय, जिसमें पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ, इनसाइक्लोपीडिया, प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिकायें, समाचार पत्र एवं बाल उपयोगी कहानी, पत्रिकाए खुले में हों ।
- विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को सुधारने के लिये प्रशासनिक एवं शैक्षिक सुविधाओं पर प्रशासन को चुस्त करना चाहिये ।
- विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी चलाया जाए ।
- विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिये समुदाय का सहयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, स्कूल के समय में लचीलापन, नियमित शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रभावी मॉनीटरिंग सहायक हो सकती है ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक विज्ञान/गणित का शिक्षक हो । साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम एक महिला शिक्षिका का होना आवश्यक है ।
- प्राथमिक स्तर पर पाठ्यसहगामी क्रियाओं को अधिक से अधिक स्थान दिया जाय ताकि बच्चे विद्यालय में आनंद की अनुभूति करते हुए विद्यालय की ओर आकर्षित हो सके ।
- प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा में कार्यानुभव की शिक्षा दी जाय ताकि बच्चे कार्यानुभव शिक्षा के माध्यम से भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्य से अलग रखा जाय ताकि शिक्षक बच्चों को अधिक समय देते हुए उनमें गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित कर सके ।
- विद्यालयों से सूचनाओं का संकलन वर्ष में एक या दो बार किया जाय ताकि शिक्षक सूचनाओं का अपना ध्यान न देकर शिक्षण कार्य में दे सके ।
- बच्चों में पठन एवं लेखन क्षमता के बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध कराये जाय ।
- शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाय । सभी शिक्षकों को एक जैसा प्रशिक्षण न दिया जाय । प्रशिक्षण विषयवार तथा शिक्षकों की आवश्यकता पर आधारित हो ।

- समुदाय को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए विद्यालयीन शिक्षा में उनका अधिक से अधिक सहयेाग प्राप्त किया जाय ।
- विद्यालय का वातावरण आनंददायी, रुचिपूर्ण तथा भयमुक्त बनाया जाय ताकि बच्चे बिना भय के विद्यालय आये तथा अपनी समस्याओं को शिक्षकों के सामने रख सके ।
- शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं उनके परिणाम के आधार पर स्थानान्तरण, प्रमोशन एवं समायोजन किया जाय ।
- प्रत्येक शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा से परिचित कराते हुए उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय ।
- संकुल स्त्रोत केन्द्र एवं विकास खण्ड संसाधन केन्द्र स्तर पर होने वाली शिक्षकों की बैठकों को अकादमिक बनाया जाय ।
- शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का जिला एवं राज्य स्तर पर विश्लेषण के उपरान्त उनके आंकड़ों की रिपोर्ट विकासखण्ड, न्याय पंचायत एवं विद्यालय स्तर को उपलब्ध कराई जाय ताकि कमियों को दूर किया जा सके । राज्य स्तर पर भी कमियों का विश्लेषण करते हुए कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।
- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा की शोध रिपोर्ट को विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से डिसेमिनेट कर प्राप्त कमियों को दूर करने के लिये विभिन्न हस्ताक्षेप लगाये जाय ।
- सभी बच्चों को विद्यालय से एक समान सुविधायें उपलब्ध कराई जाय ।
- विद्यालय में मिलने वाले पके पकाये मध्याह्न भोजन व्यवस्था को पौष्टिक एवं गुणवत्तापरक बनाया जाय, ताकि बच्चे दोपहर में भोजन के लिए घर न जाय ।
- प्रत्येक विद्यालय में गतिविधि केन्द्र बनाया जाय ताकि बच्चे खेल–खेल के माध्य से शिक्षण कर सके ।
- प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री, वाद्य यंत्र एवं अन्य पाठ्य सहगामी सामग्री होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिये विद्यालय की ओर आकर्षित हो ।
- बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एक बार में न देकर तीन–तीन माह में दिया जाय तथा दी जाने वाली राशि को बच्चों में उपयोग हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाय ।

- विभिन्न स्तर से होने वाली प्रशिक्षणों को प्रशिक्षणोपरान्त उसकी प्रभावकारिता कितनी रही का अध्ययन कराया जाय ।
- शिक्षक, विद्यार्थी तथा कक्षा विद्यार्थी अनुपात की गणना जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर न करके विद्यालय स्तर पर करनी चाहिए । उसी के अनुसार शिक्षकों एवं कक्षा–कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ।
- ग्राम शिक्षा समिति को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित कराते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में उनका आवश्यक सहयोग लेना चाहिए ।
- विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी स्वच्छता एवं पोषण का ध्यान रखना चाहिए ।
- विद्यालयों की मानीटरिंग विभिन्न शैक्षिक सूचकों के अंतर्गत करना चाहिए ताकि सूचकवार कमियों को जानते हुए उनको दूर करने के उपाय ढूंढ़े जा सके ।
- बच्चों का नियमित डाक्टरी परीक्षण कराना चाहिए ।
- गरीब, विकलांग बच्चों के लिये समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम विद्यालयों में रखकर शिक्षित किया जाय ।
- जिन गाँव के विद्यालय के बच्चों का उपलब्धि स्तर ठीक न हो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण के लिये प्ररित किया जाय ।
- विद्यालय ग्रेडिंग प्रणाली को अधिक तर्कसंगत तथा अकादमिक बनाना चाहिए । विद्यालय ग्रेडिंग के अनुसार ही शिक्षकों को प्रमोशन तथा मनचाहा स्थानान्तरण देना चाहिए ।
- प्रारम्भिक स्तर पर अधिक से अधिक नवाचार को प्रोत्साहित किया जाय ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा के माध्य से शिक्षा को पारस्परिक बनाया जाय ताकि बच्चों का झुकाव विद्यालय की ओर बढ़े ।
- शिक्षक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहा कठिनाई महसूस करते है को जानते हुए दूर करने का उपाय करना चाहिए ।

6.05.0 भावी शोध हेतु समस्यायें : स्वतंत्रता के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं । इन्ही प्रयासों के अन्तर्गत प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम, प्रारम्भिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन, धारण तथा उपलब्धि को सुनिशिचित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया । जिनके अन्तर्गत विद्यालयीन सुविधा के साथ–साथ विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सभी 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चेां को नामांकित कराकर आठ वर्ष की नियमित शिक्षा गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सके । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रारंभिक चरण में शिक्षा सुविधाओं और नामांकन में काफी विस्तार हुआ है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शोध कार्य जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हुए है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर अभी भी इस क्षेत्र में काफी कार्य करने की आवश्यकता है ।

भविष्य के शोध हेतु प्रस्तावित समस्यायें इस दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन के लिये दी जा सकती है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर अभी तक बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं । यदि इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाये तो अध्ययन परिणामेां के आधार पर उनकी शिक्षा में सुधार लाने में सार्थक पहल हो सकेगी । इस दिशा में शोधकर्ता के अनुसार भावी शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार है ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न प्रेात्साहन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर ट्राजीशन दर की स्थिति तथा उनके कारणों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के अनुश्रवण में शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की स्थिति तथा उसके कारणों का अध्ययन करना ।
- सफल विद्यालय के निर्माण में विद्यालय ग्रेड़िग पद्वति की भूमिका का अध्ययन ।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर गणित के प्रति बच्चों में व्याप्त भय के कारणों तथा उसके उपचार का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों की भूमिका का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन ।
- बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए जबाबदेह कारकों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कार्य क्षमता का अध्ययन ।
- शिक्षकों को समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए यूनीसेफ के सहयोग से किये जा रहे कार्यो की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों का विज्ञान एवं गणित विषय के प्रति रुचि न लेने के कारणों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर जेण्डर एवं सामाजिक अन्तराल को कम करने के लिए लगाई गई रणनीतियों की प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा की उपयोगिता का अध्ययन ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की व्यावसायिक रुचि का अध्ययन ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों की शिक्षा के प्रति दृष्टि कोण का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की भूमिका का अध्ययन ।

- प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता परक शिक्षा में महिला शिक्षक की आवश्यकता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों की गुणवत्ता अपेक्षिक स्तर की न होने के कारणों का अध्ययन ।
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मद में उपलब्ध कराई जा रही राशि की उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका की वर्तमान स्थिति तथा उससे शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ।
- विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु संकुल एवं विकासखण्ड स्तर पर नियुक्त समन्वयकों की कार्यप्रणाली एवं उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का अध्ययन ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रयास तथा उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन करना ।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन ।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की बौद्धिक प्रकिया पर कक्षा अन्तःक्रिया, अधिगम दबाब व विद्यालयी सुविधाओं के प्रभाव का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत विभिन्न शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन ।
- शासकीय, अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा वातावरण का अध्ययन ।
- बच्चों में परीक्षा के दौरान नकल के प्रति बढ़ती रुचि के कारणों का अध्ययन ।
- शासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन ।

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का अध्ययन ।
- वर्तमान संदर्भ में विद्यालयीय पाठ्यक्रम की प्रशांगिकता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं अध्ययनरत् बच्चों के शैक्षिक पार्शव चित्र का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा–कक्ष में प्रभाव का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करना ।
- मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन में समुदाय एवं अन्य कारकों का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय पुस्तकालय की उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्री–प्राथमिक के साथ प्राथमिक विद्यालय एवं बिना प्री–प्राथमिक के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के उपलब्धि स्तर का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक स्तर पर मुस्लिम बालिकाओं के रिपीटीशन एवं ड्रापआउट के कारणों का अध्ययन ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जाने वाले विद्यालय एवं शिक्षक अनुदान की प्रभावी उपयोगिता का अध्ययन ।
- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की प्राशांगिकता का अध्ययन ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, जे.सी. (1966) एज्यूकेशनल रिसर्च इन इन्ट्रोडक्शन
- अग्रवाल, जे.सी. (1986) नेशनल पॉलसी ऑन एजूकेशन, एण्ड मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन टीचर, डोबा हाउस देहली
- अग्रवाल, जे.सी. (1988) नेशनल पॉलसी ऑन एजूकेशन, ऐजेण्डा फॉर इण्डिया 2001, कानसेप्ट पब्लिसिंग कम्पनीनई दिल्ली
- अग्रवाल, जे.सी. (1992) डाक्यूमेंट आंन प्राइमरी एजूकेशन इन इण्डिया. सेलेक्टेड एजूकेसन स्टैटिक्स, वर्ल्ड ओभरव्यू ,डोबा हाउस देहली
- अग्रवाल, जे.सी. (1994) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
- अलाइन मिनगट और जे.ई. ई. पेन्गटन (1988) एनलअिकल टूल्स फॉर सेक्टर वर्क इन एजूकेशन, द वर्ल्ड बैंक वर्शिंगटन
- अस्टोन पी., कनीन पी., डेविस एफ, (1975) द एम्स ऑफ प्राईमरी एजूकेशनः ए स्टड़ी ऑफ टीचर ओपीनियन, मैकमिलन एजूकेशनल नई दिल्ली
- एडवर्डस, ए.एल. (1957) टेकनिक ऑफ एटीट्यूड़ स्केल कंन्सट्रक्सनस न्यूयार्क. एप्पटेक्टोन सेन्चुरी कराप्टस आइन.
- एकॉफ, आर.एल. (1953) दि डिजाइन ऑफ स्पेशल रिसर्च शिकागो यूनिर्वसिटी ऑफ शिकागो प्रेस
- एडसिल, नई दिल्ली (2002) रिसर्च एब्सट्रक्ट इन प्राईमरी एजूकेशन, भाग प्रथम एवं द्वितीय, एडसिल नई दिल्ली
- एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली (2005) सेवन्थ आल इण्डि या स्कूल एजूकेशन सर्वे
- करलिंगर, एफ.एन. (1973) फाउडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च प्रिंसटनः हाल्ट राइनहार्ट एंड विस्टन
- कपिल, एच.के. (1990) अनुसंधान की विधियां, हरप्रसाद भार्गव प्रकाशन आगरा
- कौशल, जे.पी. बस्ते के बोझ से मुक्त शिक्षा , एस.सी.ई. आर.टी. भोपाल
- कौल, लौकेश (1988) मैथलाजी ऑफ एजूकेशनल रिर्सच, विकास पब्लिसिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- कौर, कुलदीप (1985) भारत में शिक्षा 1781–1985 तक (सेंटर फॉर रूरल रिसर्च एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट)

- कुम्बस, पी.एच.(1968) द वर्ल्ड एजूकेशनल काईसेसः ए सिस्टम एनालसिस, आक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस, नई दिल्ली
- गर्वमेंट ऑफ इंडिया कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिय, गर्वमेंट प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली
- गर्वमेंट ऑफ इंडिया न्यू एज्यूकेशन पॉलिसी मिनिट्री ऑफ हूमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, गर्वमेंट प्रासदिल्ली
- गैरिट, हेनरी ई. (1978) शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी कल्याणी पब्लिशर्स
- गउलडफोर्ड, जे.पी. एण्ड फ्रुछटेर, बी. (1973) फण्डामेंटल स्टैटिसटिक्स इन साईकोलाजी एण्ड एजूकेशन, (फिफ्त एडीशन), मैक्ग्रा हिल कोगक, यूस्का लिमटेड टोक्यों
- जगन्नाथ, (1987) एजूकेशन इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिसर्स, नई दिल्ली
- फरसेर, ई.डी.(1975) होम इनव्यायमेंट एण्ड द स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस
- ब्राइमेर, एम.ए. एण्ड चाउली एल (1971) वेस्टेज इन एजूकेश- ए वर्ल्ड प्राबलम, यूनेस्को पेरिस
- बेस्ट, से.डब्लू. एण्ड कहन, जे.व्ही.(1992) रिसर्च इन एजूकेशन प्रेनटिक- हाल ऑफ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- ब्रुनेर जे.एस.(1979) द प्रोसेस ऑफ एजूकेशन, हर्ववर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, केमब्रिज, मास
- बेस्ट जान डब्ल्यूकहन जेम्स व्ही (1986) रिसर्च इन एज्यूकेशन, प्रिंटस हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
- बुच, एम.बी. (1979) सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, सोसायटी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, बड़ौदा
- बुच, एम.बी. (1978–83) थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, बड़ौदा
- दवे, पी.एन. एण्ड मुर्थया, सी.जी. व्ही.(1993) एजूकेशनल रिसर्च एण्ड इनोवेशनस; विबियोग्राफी, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली
- देवी, एम.एस. (2005) एसेसमेंट ऑफ एटीट्यूड़ टूअर्डस टीचिंग
- दुरास्वामी, एम. (1979) एचीवमेट नार्म स्टडी ऑफ एलीमेंटरी स्कूल चिल्ड्रन ऑफ तमिलनाडू बिथ स्प्रेशल रिफरेन्स टू सरटेन स्कूल फैक्टरस एण्ड स्टूडेन्टस कम्पोजीशन, सिटी काउसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च
- एन.सी.ई.आर.टी.नई दिल्ली (1986) भारत में विद्यालयी शिक्षा, वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ

- एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली फोर्थ एवं पंचम सर्वे ऑफ एजूकेशन रिर्सच
- एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली(2007) सिक्स सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिर्सच (वायलूम सेकण्ड) 1993–2002
- एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली.(2006) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
- एम.एच.आर.डी.(1996) रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप आंन एलीमेंटरी एजूकेशन, नांन फार्मल एजूकेशन, अरली चसईल्ड हुड एजूकेशन एण्ड अीचर एजूकेशन फॉर द नाइन्थ फाइब ईयर प्लान: गवर्मेंट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ हुमेंन रिसोर्स डबलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली
- सीमैंट,इलाहाबाद रिपोर्ट रिर्सच इन बेसिक एजूकेशन(2000)
- भारत सरकार (1991) सेंसेस ऑफ इंडिया (पेपर–2) मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली
- भारत सरकार (1991) सेंसेस ऑफ इंडिया (सीरिज–2 एम.पी. हाउसहोल्ड पापुलेशन बाई रिलीजन), मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन नई दिल्ली
- भारत सरकार (2000) सबके लिए शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली
- भारत सरकार(अगस्त 1995) प्रोग्राम ऑफ एक्शन (ए पॉलिसी पार्सपेक्टिव), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- एम.एच. आंर.डी., डी.ई.ई. एण्ड एल., जी.ओ.आई., (2002) एस.एस.ए. मैनुअल फांर अप्रेजल ऑफ प्लान
- एम.एच. आंर.डी., डी.एस.ई. एण्ड एल.(2006) एन्नुअल रिपोर्ट, 2006–2007
- एम.एच. आंर.डी., डी.एर्स.ई. एण्ड एल.(2006) ए मैनुअल फांर प्लांनिग एण्ड इम्पलीमेंटेशन ऑफ इनक्लिसिव एज्यूकेशन इन एस.एस.ए.
- मेहता, न्यूपा, (2005–06) एनालैटिकल रिर्पोट, एलीमेंटरी एज्यूकेशन इन इण्डिया
- मुखोपाध्याय, मर्मर (2002) शिक्षा में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, न्यूपा, नई दिल्ली
- मेहता, न्यूपा, (2005–06) डिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, एलीमेंटरी एज्यूकेशन इन इण्डिया, प्रोगेस टुअर्ड यू.ई.ई.
- एम.एच. आंर.डी., डी.एस.ई. एण्ड एल, जी.ओ.आई., मैनुअल फॉर प्लांनिंग एवड एप्रेजल(2005)

• एम.एच. आंर.डी., जी.ओ. आई., (अप्रैल, 2000)	एजूकेशन फार आल
• नायक, जो.पी., (1975)	एलीमेंटरी एजूकेशन इन इण्डिया– ए प्रोमिस टू कीप, एलाईड पब्लिसर्स मुम्बई
• एन.सी.ई आर.टी, (1969)	एजूकेशन एण्ड डबलपमेंट, गर्वमेंट ऑफ इण्डिया, एन.सी.ई आर.टी., नई दिल्ली
• सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना, झांसी (2005)	वर्षिक कार्य योजना एवं वजट जिला झांसी, (उ.प्र.)
• सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजनाए सीतापुर (2005)	वर्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला सीतापुर, (उ.प्र.)
• सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजनाए इलाहाबाद (2005)	वर्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला इलाहाबाद, (उ.प्र.)
• सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजनाए बुलंदशहर (2005)	वर्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला बुलंदशहर, (उ.प्र.)
• राज्य स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान उत्तरप्रदेश (2007)	ओभरआल इम्पलीमेंटेशन रिपोर्ट, जनवरी, 2007
• सी.आर.कोठारी(2004)	रिसर्च मैथडालांजी, मैथडस् एण्ड टेक्निक्स, न्यू एजीई इंटरनेशनल पब्लिसर्स, नई दिल्ली
• सर्व शिक्षा अभियान, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए कार्यक्रम, कार्यान्वयन के लिये कार्यतंत्र (2002)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षारता विभाग नई दिल्ली
• राय, परासनाथ (1989)	अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा
• रायजादा, बी.एस. (1996)	शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान।
• सिंह, अरुण कुमार (1992)	मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध प्रविधियां, मोती लाल बनारसी दास प्रकाशन नई दिल्ली
• शर्मा, आर.ए. (1993)	शोध प्रबंध लेखन, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ
• शर्मा, हरस्वरूप (1990)	सांख्यिकी विधियॉ, राम प्रकाश एण्ड सन्स, अस्पताल रोड़, आगरा – 3
• शुक्ला, एस.एम.एवं शिवपूजन सहाय (1986)	सांख्यिकी के सिद्वान्त, साहित्य भवन आगरा

- सुखिया, एस.पी. एवं महरोत्रा (1979) — शैक्षिक अनुसंधान के मूलतत्व विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- सरकार एवं मुनीर (1997) — भारत का संविधान संक्षिप्त टिप्पणियों सहित
- त्रिवेदी आर.एन. शुक्ला डी. पी. (1990) — रिसर्च मेथडालॉजी कॉलेज बुकडिपो जयपुर
- लाल एण्ड यादव (2004) — माड्यूल आंन क्वालटी डाइमेंशन ऑफ एलीमेंटरी एज्यूकेशन अन्डर एस.एस. ए. एन.सी.ई.आंर.टी. प्रकाशन
- लौकेश (1984) — शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली
- शर्मा, आर. ए. (1999.2000) — शिक्षा अनुसंधान, राज प्रिन्टर्स मेरठ
- सिन्हा, एच. पी. — शैक्षिक अनुसंधान
- सिंह, एच.एस.(1991) — स्कूल एजूकेशन इन इण्डिया, कान्टेमपोरेरी इश्यू एण्ड ट्रेडस, स्टेर्लिंग पब्लिसर्स प्राईवेट लिमिटेड
- सिंहा, अमरजीत, (1998) — प्राईमरी स्कूलिंग इन इण्डिया, विकास पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली
- शर्मा, आर. सी. एण्ड. सपरा, सी.एल., (1969) — वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इन प्राईमरी एण्ड मिडिल स्कूल इन इण्डिया, एन.सी.ई.ऑर.टी. नई दिल्ली
- तिवारी, गोविन्द — शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — समाधान (2002)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — संकल्प (2002)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — सहयोग (2003)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — संवर्धन (2000)
- सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — अभिनव, त्रैमासिक पत्रिका
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (1986) — नई शिक्षा नीति
- प्रोग्राम ऑफ एक्शन — मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
- प्रो. मदन मोहन, डॉ. मालती सारस्वत — भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याये, विनोद प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद
- शिक्षा की प्रगति (2001–2004) — शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

• वार्षिक आख्या, (1999–2000)	उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
• वार्षिक आख्या (2000–01)	उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
• वार्षिक आख्या (2002–03)	उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
• उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी (1998–2003)	राज्य शिक्षा संस्थान, उ.प्र., इलाहाबाद(उ.प्र.)
• बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े (1998)	बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र., इलाहाबाद
• सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (2002)	पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।
• सीमैट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (2002)	पहुंच एवं धारण रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।।
• स्टेप रिपोर्ट, शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (2003–04)	राज्य परियोजना कार्यालय, सभी के लिये शिक्षा, लखनऊ (उ.प्र.)
• प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।। (2001)	उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
• प्रगति रिपोर्ट जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ।।। (2001)	उ.प्र. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ
• व्हेयर डू वी स्टैण्ड नीपा रिपोर्ट (2002–03)	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
• रिसर्च एबस्ट्रेक्स (2001–04)	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ, उ.प्र.
• रिसर्च एबस्ट्रेक्स (1998–2003)	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
• श्रामशकल पाण्डेय	प्रचीन भारत के शिक्षा मनीशी, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (उ.प्र.)
• प्रो.एस. अग्रवाल (1998–2003)	प्रोग्राम टुअर्डस एक्सेस एण्ड रिटेनशन नीपा नई दिल्ली
• सबसे लिये शिक्षा विश्व मानीटरिंग रिपोर्ट (2004)	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को प्रकाशन
• मानव विकास रिपोर्ट (2004)	यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस
• इनोवेशन एण्ड एक्सेपरीमेंट इन जनशाला (2002)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली

- बदलता परिदृश्य (2000) — राज्य परियोजना कार्यालय सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ
- यूनीसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष — लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें?
- श्राय, ए. (2002) — द रोल ऑफ विपेज एजूकेशन कमेटी इन स्कूल मनेजमेंट
- शालिग राम, (1999) — भारतीय शिक्षा का इतिहास राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- परिपेक्ष्य त्रैमासिक शैक्षिक पत्रिका के अंक — राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
- पाठक, पी.डी. एवं जौहरी, बी.पी. (2000) — भारतीय शिक्षा का इतिहास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
- कौशल, जे.पी. — बस्ते के बोझ से मुक्त शिक्षा, राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1993, एस.सी.ई.आर.टी. भोपाल
- क्लिवे ओपिइ, (2004) — डूइंग एज्यूकेशनल रिर्सच, विस्टर पब्लिकेशन नईदिल्ली
- मदन मोहन एवं सारस्वत,मालती — भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याये, विनोद प्रकाशन मंन्दिर, इलाहाबाद
- मुक्कोपाध्याय, मर्मर, (2001) — टोटल क्वालटी मनेजमेंट, नीपा, नई दिल्ली
- सिंह, अरुण कुमार (1992) — मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध प्रविधिया मोतीलाल बनारसीदास, नईदिल्ली

प्रपत्र–1

विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिये प्रश्नावली

प्रधानाध्यापक का नाम ....लिंग..............विद्यालय..

विद्यालय की स्थिति (शहरी/ग्रामीण)..............संकुल ....जिला...........................

खण्ड 'अ'

निर्देश : नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उसमें सही (✓) का निशान लगाये। प्रश्नों के उत्तर देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । फिर भी आपसे निवेदन है कि प्रश्नों का उत्तर स्वतंत्र मन से दे–

1.	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त थे?	हॉ	नहीं
2	वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षक पर्याप्त है?	हॉ	नहीं
3	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक थी?	हॉ	नहीं
4	वर्तमान में आपके विद्यालय में महिला शिक्षक है?	हॉ	नहीं
5	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में अधिकतर बच्चे पढ़ने के लिये आते थे?	हॉ	नहीं
6	वर्तमान में आपके विद्यालय में लगभग शतप्रतिशत बच्चे पढ़ने के लिये आते है?	हॉ	नहीं
7	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में कितने कक्षा कक्ष थे?	हॉ	नहीं
8	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त थे?	हॉ	नहीं
9	वर्तमान में आपके विद्यालय में कक्षा कक्ष पर्याप्त है?	हॉ	नहीं
10	वर्तमान में आपके विद्यालय में फर्नीचर पर्याप्त है?	हॉ	नहीं
11	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था थी?	हॉ	नहीं
12	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है?	हॉ	नहीं
13	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था थी ?	हॉ	नहीं
14	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है ?	हॉ	नहीं
15	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था थी?	हॉ	नहीं
16	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था है ?	हॉ	नहीं
17	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में खेल का मैदान था?	हॉ	नहीं
18	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में खेल का मैदान है?	हॉ	नहीं
19	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में चहार दिवारी थी?	हॉ	नहीं

20	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में चहार दिवारी है?	हॉ	नहीं
21	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध थे?	हॉ	नहीं
22	यदि हॉ तो पर्याप्त था ?	हॉ	नहीं
23	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मैप उपलब्ध है?	हॉ	नहीं
24	यदि हॉ पर्याप्त है ?	हॉ	नहीं
25	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में खेल की सामगी उपलब्ध थी?	हॉ	नहीं
26	यदि हॉ पर्याप्त थी ?	हॉ	नहीं
27	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में खेल की सामगी उपलब्ध है?	हॉ	नहीं
28	यदि हॉ पर्याप्त है ?	हॉ	नहीं
29	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध था?	हॉ	नहीं
30	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त थी?	हॉ	नहीं
31	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है?	हॉ	नहीं
32	यदि हॉ तो क्या उसमें पुस्तके पर्याप्त है?	हॉ	नहीं
33	क्या वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध थी?	हॉ	नहीं
34	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	हॉ	नहीं
35	क्या वर्तमान में आपके विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामगी उपलब्ध है?	हॉ	नहीं
36	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है?	हॉ	नहीं
37	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिये राशि उपलबध थी?	हॉ	नहीं
38	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में थी?	हॉ	नहीं
39	वर्तमान में आपके विद्यालय में विद्यालय की मूल भूत आवश्यकताओ के पूर्ति के लिये राशि उपलबध है?	हॉ	नहीं
40	यदि हॉ तो क्या पर्याप्त मात्रा में है? हॉ/नहीं	हॉ	नहीं
41	वर्ष 2001 में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था थी?	हॉ	नहीं
42	वर्तमान में आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिये अलग से कक्षा कक्ष की व्यवस्था है?	हॉ	नहीं
43	सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत महिला शिक्षकों की नियुक्त से लड़कियों का नामांकन बढ़ा है।	हॉ	नहीं
44	सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत किये गये प्रयास से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । क्या इस मत से आप सहमत है?	हॉ	नहीं
45	सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । क्या आप इस मत से सहमत?	हॉ	नहीं

खण्ड 'ब'

निर्देशः कृपया नीचे दिये गये प्रश्न पर अपनी प्रतिकिया विस्तार से दे।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आपके विद्यालय में किस किस प्रकार का बदलाव दिखाई देता है? यदि हॉ तो उसके कारण क्या है?

क्र.	बदलाव के क्षेत्र	किस किस प्रकार का बदलाव दिखाई देता है?	यदि हॉ तो बदलाव के कारण
1	भैतिक संस्साधन की उपलबध्ता		
2	वित्तीय संसाधन की उपलबधता		
3	मनवीय संसाधनों की उपलब्धता		
4	बच्चों के नामांकन		
5	बच्चों की नियमितता		
6	बच्चों के ठहराव		
7	बच्चों की उपलब्धि स्तर		
8	शिक्षक की नियमितता		
9	शिक्षक की कार्य कुशलता		
10	मानीटरिंग प्रणाली		
11	अकादमिक सहयोग		
12	समुदायिक सहयोग		
13	विशेष आवश्यकता बाले बच्चे		
14	अन्य		

प्रपत्र–2

विद्यालय शिक्षकों के लिये प्रश्नावली

प्रधानाध्यापक का नाम ....लिंग..............विद्यालय..

विद्यालय की स्थिति (शहरी/ग्रामीण)................संकुल .... जिला..

खण्ड 'अ'

निर्देश : नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर चौकोर बने खाने में सही (✓) का निशान लगाये ।

क्र.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1.	सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है		
2.	विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षक/शिक्षा मित्र उपलब्ध कराये गये हैं/ जा रहे हैं ।		
3.	विद्यालय को प्रतिवर्ष मूल–भूत आवश्यकता हेतु रू. 2000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यालय की छोटी–छोटी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।		
4.	विद्यालय को प्रतिवर्ष विद्यालय रख–रखाव मद में रू. 5000/– की राशि उपलब्ध कराई जाती है जिससे विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा आनंददायी बना है ।		
5.	प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई गयी राशि रू. 500/– से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर कक्षा शिक्षण को रूचिकर बनाया जाता है जिससे बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।		
6.	सबके लिये शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाया गया है ।		
7.	शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के पठन कौशल को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित तथा नवाचारी बनाया गया है ।		
8.	मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।		
9.	मध्याह्न भोजन व्यवस्था से बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।		
10.	छात्रवृत्ति मिलने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजते हैं ।		
11.	शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।		
12.	कक्षा विद्यार्थी के अनुपात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय को अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं जा रहे हैं ।		
13.	विद्यालय में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय के निर्माण से बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन बढ़ा है ।		
14.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से बड़ी उम्र की बालिकाओं को उनके अभिभावक विद्यालय में भेजने लगे है ।		
15.	विद्यालय में हैण्ड पम्प की सुविधा हो जाने से बच्चों को स्वच्छ जल मिल रहा है तथा बच्चे पानी के बहाने घर को नहीं भागते ।		
16.	विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि से विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।		
17.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव पर प्रभाव पड़ा है ।		

18.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है ।		
19.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण से प्रत्येक कक्षा के लिये एक कक्ष उपलब्ध हुआ है ।		
20.	एन.पी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. समन्वयक विद्यालय को पर्याप्त अकादमिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।		
21.	शिक्षक एवं समुदाय के बीच के संबंध अच्छे हुये है ।		
22.	मानीटरिंग व्यवस्था के कारण शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे है ।		
23.	प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण करते है ।		
24.	विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाईयों को उच्च स्तर से दूर किया जा रहा है ।		
25.	विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों के कार्य कौशल में वृद्धि हुई है ।		
26.	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य में काफी वृद्धि हुई है ।		
27.	बच्चों की औसतन उपस्थित 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।		
28.	न्याय पंचायत स्तरीय समीक्षा बैठक से विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान होता है ।		
29.	शिक्षको की उपलब्धता से कक्षा 5/8 के बच्चों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफी बढ़ा है ।		
30.	शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षकों के कार्य कौशल में बदलाव आने से बच्चों का ठहराव काफी बढ़ा है ।		
31.	शिक्षण विद्या में बदलाव आने से बच्चों का ड्राप आउट 5 प्रतिशत या इससे कम हुआ है।		
32.	विभिन्न नवाचार एवं प्रशिक्षण के कारण नामांकन एवं ठहराव में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।		
33.	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण बालक एवं बालिकाओं के उपलब्धि स्तर का अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।		
34.	बलिका शिक्षा के लिये किये गये विभिन्न प्रयास के कारण लिंग के अनुसार औसतन उपस्थिति में अन्तर 5 प्रतिशत से कम है ।		
35.	वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जा रहे है।		
36.	प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।		
37.	समुदाय के लोगों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के कारण वे लोग शिक्षा के प्रति जागृत हुए है जिससे बच्चें का नामांकन, नियमितता, ठहराव के साथ उपलब्धि स्तर में काफी सुधार आया है ।		
38.	विद्यालय स्तर पर विकलांग बच्चों के लिये किये गये प्रयास से उनकी विद्यालय में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है ।		
39.	न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों से शिक्षण कार्य में आने वाली बाधाओं का समाधान हो जाता है ।		
40.	समुदायिक सहभागिता से विद्यालय के शिक्षण कार्य में प्रगति हुई है ।		

खण्ड 'ब'

निर्देश : प्रश्नों को पढ़कर संक्षिप्त में उत्तर दें –

1. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन में प्रगति हुई है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या–क्या ....

....

2. शिक्षक/प्रधानाध्यापक की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या ? ....

....

3. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि हुई कि नहीं ....यदि है तो कितनी ? ....

....

4. पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम प्रकिया में किसी प्रकार का सुधार आया है कि नहीं ? यदि हाँ तो क्या ....

....

5. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय को किस–किस प्रकार का सहयोग मिला है तथा उनमें क्या सफलता मिली –

सहयोग	सफलता मिली

6. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय को किस–किस प्रकार का अकादमिक एवं प्रशासनिक बदलाव दिखाई दे रहा है?

अकादमिक बदलाव	प्रशासनिक बदलाव

7. क्या समुदाय का विद्यालय की ओर रूझान बढ़ा है यदि हाँ तो किस–किस क्षेत्र में

....

....

....

8. क्या विभिन्न स्तरों से विद्यालयों को आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो रहा है/नहीं ? यदि हाँ तो क्या–क्या तथा किन–किन क्षेत्रों में ?

....

....

....

9. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ऐसे क्या–क्या अतिरिक्त कार्य किये गये है जिनके शिक्षा में प्रगति हुई है

....

....

....

10. संचालित योजना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में किन–किन कारणों से पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है ....

....

....

....

11. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिये आपके सुझाव क्या–क्या है? ....

....

....

12. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष अववश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये क्या प्रयास किये गये हैं?..

....

....

सर्वशिक्षा अभियान के प्रति प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

नाम .... पद..........................लिंग.............. विद्यालय का नाम.................................

विद्यालय की स्थिति (शहरी / ग्रामीण)..............संकुल ....जिला...........................

निर्देश : इस मापनी में कुल 30 प्रश्न है । कृपया नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में से किसी एक में सही (✓) का निशान लगााकर दे । आपके विचारों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा –

क.	प्रश्न	पूर्ण सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्ण असहमत
1.	सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने में सफल हो रहा है ।					
2.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है ।					
3.	सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के माध्यम से समाजिक न्याय उपलब्ध कराने का अवसर उपलब्ध कराता है ।					
4.	सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षा को जीवन से जोड़ना है ।					
5.	सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा की स्वयं परिकल्पना को विकसित करने का अवसर है ।					
6.	सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो पायेगा ।					
7.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सीखने की सामग्री एवं सहायक सामगी उपलब्ध हुई है ।					
8.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में भौतिक संसाधनों की काफी वृद्धि हुई है ।					
9.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्रारभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हुई है ।					
10.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, मुख्य रूप से लड़कियों के लिये संभव हो सकी है ।					
11.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था संभव हो सकी है ।					
12.	सर्व शिक्षा अभियान विद्यालय में शिक्षक की कमी को दूर करने में काफी स्तर तक सफल हो पाया है ।					

13.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से विद्यालय के परिवेश को शैक्षिक बनाने में काफी सफलता मिली है ।					
14.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम की जाने वाले पर्यवेक्षण से विद्यालयों में अकादमिक माहौल निर्मित हुआ है ।					
15.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बालिका शिक्षा तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किया गया है ।					
16.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण से शिक्षकों की कार्य कुशलता में काफी वृद्धि हुई है ।					
17.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किये गये नवाचारों से शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में काफी सफलता मिली है ।					
18.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को सुदृण किया गया है जिससे उनका झुकाव विद्यालय की तरफ बढ़ा है ।					
19.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित किये गये शिशु शिक्षा केन्द्र या आंगनवाड़ी के सुद्रढ़ीकरण से विद्यालय जाने योग्य बच्चों को विद्यालय लाने में सफलता मिली है ।					
20.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय में आवश्यकता अनुसार कक्षा–कक्ष की सुविद्या उपलब्ध हो सकी है ।					
21.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विकलांग बच्चें को विभिन्न हस्ताक्षेपों के माध्यम से विद्यालय लाने में सफल हो पाये है ।					
22.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य शैली में बदलाव आया है ।					
23.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एक पारदर्शी योजना का क्रियान्वयन संभव हो पाया है ।					
24..	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सफलता मिली है ।					
25.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम पाठ्यक्रम में किये गये बदलाव से बच्चों में विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ी है ।					
26.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति जबाबदेह बनाया गया है ।					
27.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से चलाये गये ब्रिज कोर्स एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता मिली है ।					
28.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम मध्याह्नभोजन की गुणवत्ता सुदृढ़ हुई है ।					
29.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गुण्वत्तायुक्त शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है ।					
30.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विकसित मूल्यांकन प्रणाली से कमियों को चिन्हित कर उन्हे दूर किया जाता है ।					

प्रपत्र–4

प्रशासनिक/अकादमिक अधिकारियों (बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., जिला समन्वयक., बी.एस.ए., डायट, सीमैट, एस.पी.ओ. एवं एस.सी.ई.आर.टी.) के लिये प्रश्नावली

नाम .... पद.. जिला.................................

लिंग.............. कार्य का स्थान (शहरी/ग्रामीण)..

खण्ड 'अ'

निर्देश : नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर चौकोर बने खाने में सही (✓) (सहमत एवं असहमत में से किसी एक में) का निशान लगाये –

क्र.	प्रश्न	सहमत	असहमत
1.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।		
2.	निर्धारित मादण्ड के अनुसार आपके कार्य क्षेत्र की सभी बस्तियों में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने से विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।		
3.	सभी विद्यालयों में पेयजल/शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने से बच्चों की नियमिततता बढ़ी है ।		
4.	विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के कारण विद्यालय को आवश्यक सहयोग मिल रहा है जिससे शिक्षक अपना कार्य गुणवत्ता के साथ कर पा रहे है।		
5.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी योजना से बच्चों का नामांकन एवं ठहराव बढ़ा है ।		
6.	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. की स्थापना से विद्यालय के शिक्षकों को पर्याप्त अकादमिक सहयोग मिल रहा है जिससे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ी है।		
7.	समय–समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि हुई है ।		
8.	नवाचार मद में प्राप्त राशि से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार रणनीतियाँ अपनाई गयी है/जा रही है जिससे बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों का नामांकन बढ़ा है।		
9.	पर्यवेक्षण से शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है		
10.	शिक्षक की फील्ड सम्बंधी कठिनाइयों को उच्च स्तरीय कार्यालय द्वारा दूर किया जाता है ।		
11.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये है ।		
12.	शिक्षक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेते है जिससे सभी बच्चों का नामांकन हुआ है साथ ही वे नियमित विद्यालय आते है ।		
13.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त राशि के उपयोग से विद्यालय का शिक्षण अधिगम कार्य रुचिकर हुआ है ।		
14.	शिक्षक विद्यालय के सभी अभिलेखों का व्यवस्थित रखते है ।		
15.	बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाता है ।		
16.	बच्चों की औसतन उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक रहती है ।		
17.	कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन का अन्तर जाति के आधार पर 5 प्रतिशत से कम हुआ है।		

18.	लिंग के आधार पर बच्चों के उपलब्धि स्तर में अंतर 5 प्रतिशत से कम हुआ है ।		
19.	औसतन उपस्थिति में जाति एवं लिंग के अनुसार अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।		
20.	लिंग एवं जाति के अनुसार नामांकन एवं ठहराव का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।		
21.	लिंग एवं जाति के अनुसार ड्राप आउट का अन्तर 5 प्रतिशत से कम रहता है ।		
22.	शिक्षक बच्चों में जाति एवं लिंग के अनुसार किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं करते है ।		
23.	विद्यालय स्तर पर आने वाली समस्याओं पर शिक्षक/प्रधानाध्यापक चर्चा करके निकलवाते है ।		
24.	शिक्षक पढ़ाने के ढंग तथा बच्चों की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करते है		
25.	प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के बीच अच्छे सामाजिक संबंध विकसित हुये है ।		
26.	वर्ष भर के कार्यक्रम निर्धारित समय–सारणी के अनुसार आयोजित किये जाते है ।		
27.	विद्यालय के सभी स्तरों में पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार आया है ।		
28.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ।		
29.	पूर्व की पुस्तकों की अपेक्षा वर्तमान पुस्तके बाल केन्द्रित, गति विधि आधारित है जिससे बच्चे उनके पढ़ने में रुचि लेते है।		
30.	पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में विद्यालय के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है ।		
31.	विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।		
32.	विभिन्न प्रशिक्षण के कारण शिक्षक/प्रधानाध्यापक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।		
33.	विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन में वृद्धि हुई है जिससे विद्यालय के परिवेश सुन्दर होने के साथ शिक्षण कार्य गुणवत्ता युक्त हुआ है।		
34.	सभी स्तरीय प्रशासनिक एवं अकादमिक सदस्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है ।		
35.	विभिन्न पर्यवेक्षण तंत्रों की विभिन्नता स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है ।		
36.	विकलांग बच्चों को शिक्षण कैसे कराये के बारे में प्रशिक्षण मिलने से शिक्षकों का विकलांग बच्चों के शिक्षण के प्रति रूचि जागी है तथा वे नियमित विद्यालय आते है		
37.	विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के गठन से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग मिल रहा है ।		
38.	वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का नामांकन बढ़ा है ।		
39.	नवाचारी शिक्षा के अर्न्तगत प्राप्त राशि से विभिन्न नवाचार के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।		
40.	प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तक करने के कारण जो लड़किया कक्षा 5 के बाद घर बैठ जाती थी वो अब कक्षा 6 के आगे की शिक्षा प्राप्त कर रही है ।		

खण्ड 'ब'

निर्देश : प्रश्नों को पढ़कर संक्षिप्त में उत्तर दें –

1. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय के भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन में प्रगति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या–क्या ....

....

....

....

2. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि हुई कि नहीं ? ....यदि है तो कितनी ? ....

....

3. पर्यवेक्षण तंत्र की दक्षता एवं कार्यप्रणाली में प्रगति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या ? ....

....

4. पाठ्य–पुस्तकों एवं कक्षा–कक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति हुई है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ? ....

....

5. विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकता की पूर्ति हुई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो क्या–क्या ?

....

6. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष अववश्यकता वाले बच्चों को लिये क्या क्या प्रयास किये गये हैं?...

....

6. समुदाय में शिक्षा के प्रति जागृति आई है कि नहीं ? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ....

....

....

....

7. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है कि नहीं? ....यदि हाँ तो कितनी तथा किन क्षेत्रों में ? ....

....

....

....

8. विद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक/प्रशासनिक कार्यालय को शैक्षिक, प्राथमिक एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार का ....

....

....

....

9. जेण्डर एवं सोशल गैप में कमी आई है कि नहीं?.................यदि हाँ तो किन–किन क्षेत्रों में

....

....

....

10. विकलांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रयास किये गये हैं ? .... यदि है तो किस प्रकार के ?...

....

....

....

प्रपत्र–5

सर्वशिक्षा अभियान के प्रति प्रशासनिक/अकादमिक अधिकारियों के दृष्टिकोण का अध्ययन

नाम .... पद..........................लिंग.............. जिला.....................................

कार्य का स्थान (शहरी/ग्रामीण)...

निर्देश : इस मापनी में कुल 30 प्रश्न है । कृपया नीचे दिये गये प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्ण असहमत में से किसी एक में सही (✓) का निशान लगााकर दे । आपके विचारों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा –

क्र.	प्रश्न	पूर्ण सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्ण असहमत
1.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कार्य योजना का निर्माण किया गया है जो सभी की भागीदारी पर आधारित है।					
2.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अकादमिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है ।					
3.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ब्लाक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया गया है ।					
4.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ।					
5.	सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने का कार्यक्रम है ।					
6.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालयों का परिवेश को आकर्षक बनाया गया है ।					
7.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है ।					
8.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल एवं शौचालय की व्यवस्था संभव हो सकी है ।					
9.	सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने का अवसर उपलब्ध कराता है ।					
10.	सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षा को जीवन से जोड़ना है ।					
11.	सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा की स्वयं परिकल्पना को विकसित करने का अवसर है ।					
12.	सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो पा रहा है ।					
13.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की सीखने की सामग्री एवं सहायक सामगी उपलब्ध हुई है ।					

14.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर तक के सभी विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की काफी वृद्धि हुई है ।					
15.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी बस्तियों में प्रारभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हुई है ।					
16.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था, मुख्य रूप से लड़कियों के लिये संभव हो सकी है ।					
17.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बालिका शिक्षा तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किया गया है ।					
18.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण से शिक्षकों की कार्य कुशलता में काफी वृद्धि हुई है ।					
19.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किये गये नवाचारों से शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में काफी सफलता मिली है ।					
20.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति को सुदृढ़ किया गया है तथा उन्हे विद्यालय से जोड़ने में सफलता मिली है ।					
21.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से संचालित किये गये शिशु शिक्षा केन्द्र या आंगनवाड़ी के सुद्रढ़ीकरण से विद्यालय जाने योग्य बच्चों को विद्यालयों में लाने में सफलता मिली है ।					
22.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष की सुविद्या उपलब्ध हो सकी है ।					
23.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विकलांग बच्चों को विभिन्न हस्ताक्षेपों के माध्यम से विद्यालयों लाने में सफल हो पाये है ।					
24..	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अकादमिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य शैली में बदलाव आया है ।					
25.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एक पारदर्शी योजना का कियान्वयन संभव हो पाया है ।					
26.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से लागु की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से शिक्षा के सार्व भौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सफलता मिली है ।					
27.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम पाठ्यकम में किये गये बदलाव से बच्चों में विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ी है ।					
28.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति जबाबदेह बनाया गया है ।					
29.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से चलाये गये ब्रिज कोर्स एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता मिली है ।					
30.	सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुदृढ़ हुई है ।					

प्रपत्र–6

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के दृष्टि कोण का अध्ययन

नाम...पद ....

जाति ....लिंग............. व्यवसाय......................... जिला...

खण्ड 'अ'

निर्देश : सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से गॉव की शिक्षा के लिये किये गये प्रयास के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिये गये प्रश्नो के सामने दिये गये खाने में से किसी एक में सही (✓) (सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत) का निशान लगा कर दे –

क्र.	प्रश्न	सहमत	आशिक सहमत	असहमत
1.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से विद्यालय की देख–रेख अच्छी हुई है ।			
2.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय की भौतिक सुविधाओं प्रगति हुई है ।			
3.	विद्यालय में कक्षा–कक्षों तथा शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है ।			
4.	विद्यालय का वातावरण आकर्षक तथा शैक्षिक हुआ है ।			
5.	समुदाय के लोगों की अपने बच्चों की शिक्षा सुविधा के प्रति रूचि बढ़ी है ।			
6.	समुदाय के लोग सतत् विद्यालय के सम्पर्क में रहते हैं ।			
7.	ग्राम शिक्षा समिति को दिये गये प्रशिक्षण से वे अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हुये हैं ।			
8.	शिक्षक एवं समुदाय के आपस में सम्बंध अच्छे हुये हैं ।			
9.	विद्यालय की मूल–भूत आवश्यकताओं की पूर्ति से सभी बच्चे नामांकित हुये हैं तथा नियमित विद्यालय आ रहे हैं ।			
10.	बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन कार्य से बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है ।			
11.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।			
12.	शिक्षकों के शिक्षण शैली में बदलाव आया है ।			
13.	शिक्षक मन लगाकर शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
14.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेदभाव में कमी आई है ।			
15.	शिक्षक समुदाय की समस्याओं पर भी चर्चा कर दूर करने में सहयोग प्रदान करते हैं ।			
16.	विद्यालय स्तरीय विभिन्न समस्याओं पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में चर्चा करके दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।			
17.	शिक्षक स्थानीय बोली में शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
18.	गाँव के सभी बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते है ।			
19.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।			
20.	शिक्षक प्रत्येक बच्चे के नाम से परिचित है ।			
21.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय के प्रति समुदाय की धनात्मक सोच में वृद्धि हुई है ।			
22.	विगत कुछ वर्षो में विद्यालय की मूल–भूत सुविधा की कमी की पूर्ति हुई है ।			
23.	बच्चों, शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है ।			
24.	बच्चों में लागू की गई प्रोत्साहन योजनायें काफी प्रभावी हैं ।			
25.	बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हुआ है ।			

खण्ड 'ब'

निर्देश : समिति के सदस्यों से प्रश्नों को पूछ कर जानकारी को नीचे दिये स्थान पर लिखें –

1. विगत कुछ वर्षों में गाँव की शिक्षा में प्रगति हुई है कि नहीं? ....यदि हाँ तो किस प्रकार की ?

....

....

....

....

2. पहले एवं आज की स्थिति में शिक्षक एवं समुदाय के सम्बंधों में ज्यादा मधुरता आई है कि नहीं? .... यदि हाँ तो किस प्रकार की? ....

....

....

3. विगत कुछ वर्षों में शिक्षा के किन–किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है?

....

....

....

4. गाँव के लोग विद्यालय को किस रूप में देखते हैं ?

....

....

5. आपको लग रहा है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा वे नियमित विद्यालय जाते हैं? .. .. यदि हाँ तो आपके अनुसार ऐसा क्या किया गया है जिससे ऐसा हुआ ?

....

....

6. आपके गॉव के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये काई प्रयास किया गया है ? ..... यदि हॉ तो किस प्रकार के ....

....

प्रपत्र–7

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों के लिये साक्षात्कार अनुसूची

नाम .... लिंग.................व्यवसाय.......................जिला..............................

खण्ड 'अ'

निर्देश : सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के संबंध में किये गये प्रयास के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिये गये प्रश्नो के सामने दिये गये खाने में से किसी एक में सही (✓) (सहमत, आंशिक सहमत एवं असहमत) का निशान लगा कर दे –

क्र.	प्रश्न	सहमत	आशिंक सहमत	असहमत
1.	विद्यालय का भौतिक परिवेश में बदलाव आया है ।			
2.	बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है			
3.	बच्चों के ठहराव में वृद्धि हुई है ।			
4.	बच्चों के ड्राप आउट में कमी आई है ।			
5.	बच्चे ठीक सीख रहे है ।			
6.	शिक्षक नियमित विद्यालय आने लगे हैं ।			
7.	विद्यालय में संसाधनों में वृद्धि हुई है ।			
8.	शिक्षक एवं अभिभावकों के सम्बंध अच्छे हुये है ।			
9.	शिक्षक बच्चों में बिना कोई भय दिये शिक्षण कार्य कराते हैं ।			
10.	बच्चों की नियमितता बढ़ी है ।			
11.	विभिन्न स्तरों से मानीटरिंग बढ़ी है तथा शिक्षक का विश्वास जागा है ।			
12.	शिक्षक एवं बच्चों के बीच सम्बंध अच्छे है ।			
13.	समुदाय को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है ।			
14.	शिक्षकों एवं कक्षा–कक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है ।			
15.	विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ जल तथा शौचालय सुलभ हुये है ।			
16.	महिला शिक्षकों की नियुक्ति से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है ।			
17.	जाति एवं लिंग सम्बंधी भेद–भाव में कमी आई है ।			
18.	विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिये पर्याप्त एवं स्वच्छ स्थान उपलब्ध हुआ है ।			
19.	बच्चों की कमजोरियों को जानते हुये उन्हें दूर किया जाता है ।			
20.	शिक्षक एवं समुदाय एक दूसरी की समस्या को मिल बैठकर दूर करने का प्रयास करते हैं ।			
21.	शिक्षक बच्चों की कठिनाईयों एवं समस्याओं पर अभिभावकों से चर्चा करते हैं ।			
22.	शिक्षक द्वारा स्थानीय स्तर पर बाल–मेला, प्रतियोगिता एवं बाल सभा आयोजित करते है ।			
23.	विद्यालय जाने से आपके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है ।			
24.	गाँव के सभी बच्चे पढ़ने के लिये विद्यालय जाते हैं ।			
25.	पर्यवेक्षक समय–समय पर विद्यालय की मानीटरिंग करते है ।			

खण्ड 'ब'

निर्देश : अभिभावकों से प्रश्न पूछकर जानकारी को नीचे दिये स्थान पर लिखें ।

1. गाँव के सभी बच्चे पढ़ने जाते है कि नहीं? ....यदि नहीं तो क्यों ? ....
....
....
....

2. विगत कुछ वर्षों में विद्यालय में बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है कि नहीं? ....
यदि हाँ तो क्यों? ....
....
....

3. पहले एवं आज की स्थिति में विद्यालय के भौतिक परिवेश में सुधार हुआ है कि नहीं? ....
यदि हाँ तो किसं प्रकार की ? ....
....
....
....

4. वर्तमान में विद्यालय में किन–किन प्रकार की समस्यायें विद्यमान है ? ....
....
....

5. विगत कुछ वर्षों में गाँव की शिक्षा सुविधा में वृद्धि हुई है कि नहीं ? ....
यदि हाँ तो किसी प्रकार की ? ....
....
....

6. गांव के सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विद्यालय जाते है? हॉ/नहीं ....तथा उनके लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?...
....
....

विद्यालय जानकारी संकलन प्रपत्र

विद्यालय का नाम...विद्यार्थी का नाम...

लिंग.....................................कक्षा....................................जिला...

1. पानी की व्यवस्था (है/नहीं)
2. शौचालय की व्यवस्था (है/नहीं)
3. मध्याह्न भोजन व्यवस्था संचालित (है/नहीं)
4. लड़कियों के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था(है/नहीं)
5. खेल सामग्री की उपलब्धता (है/नहीं)
6. पुस्तकालय की उपलब्धता (है/नहीं)
7. शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता (है/नहीं)
8. बैठने के लिये स्थान की पर्याप्त उपलब्धता (है/नहीं)
9. पुस्तकों की उपलब्धता (है/नहीं)
10. विद्यालय में बच्चों की ठहराव दर बालक......................... बालिका.........................
11. विद्यार्थी संबंधी जानकारी:

क्र.	विद्यार्थी का नाम	कक्षा 5/8 की वार्षिक परीक्षा परिणाम (प्रतिशत)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		